लोक सभा वाद–विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(Seventh Lok Sabha)

(चौदहवां सत्र)

(खंड 44 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

सोमवार, 5 मार्च 1984/15 फाल्गुन 1905 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

*तारांकित प्रश्न संख्या : 101, 102, 105, 110, 111, 113 और 114 — 1—25

प्रश्नों के लिखित उत्तर :

तारांकित प्रश्न संख्या : 103, 104, 106 से 109, 112, 115 से 120 — 25—41

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1156 से 1221, 1223 से 1286, 1288 से 1292 और 1294 से 1388 — 42—296

सभा-पटल पर रखे गए पत्र — 297—298

राष्ट्रपति से प्राप्त संदेश — 299

पांडिचेरी बजट, 1984-85—प्रस्तुत किया गया — 299

अनुदानों को अनुपूरक मांगें (पांडिचेरी), 1983-84 — 299—300

विवरण प्रस्तुत किया गया

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना — 300—320

दिल्ली में और देश के अन्य भागों में सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा बैंकों तथा आभूषणों की दुकानों को लूटे जाने और उन पर डाके डाले जाने की घटनाओं में वृद्धि होने और कानून तथा व्यवस्था की स्थिति के लगातार बिगड़ने का समाचार

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति — 300

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी — 300

श्री हरिकेश बहादुर — 302

प्रो० अजित कुमार मेहता — 312

श्री जयपाल सिंह कश्यप — 317

नियम 377 के अधीन मामले — 320—324

(एक) पूर्णिया जिले में, जिसे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया गया है, अपेक्षित सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्रीमती माधुरी सिंह — 320

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

(दो) महालक्ष्मी शुगर मिल्स, इकबालपुर (उत्तर प्रदेश) द्वारा गन्ने की कीमत की बकाया राशियों का भुगतान न किया जाना और इसे सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिए जाने की आवश्यकता

श्री जगपाल सिंह 321

(तीन) ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं का अभाव

श्रीमती कृष्णा साही 321

(चार) काम के लिए अन्य राज्यों में जाने वाले कश्मीरी श्रमिकों के लिए सस्ती दर पर आवास तथा चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री अब्दुल रशीद काबुली 321—322

(पांच) नारियल की फसफ के शेथिल्य रोगों को रोकने के उपाय करने की आवश्यकता 322

प्रो० पी० जे० कुरियन

(छः) देश में हुए रबड़ के पर्याप्त उत्पादन को देखते हुए उसका आयात रोकने की आवश्यकता

श्री जार्ज जोसेफ मुंडाकल 323

(सात) कल्लाई में इमारती लकड़ी के व्यापार के सम्मुख उत्पन्न कठिनाइयां

श्री ई० के० इम्बोचिबावा 323

(आठ) मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में फसलों की हुई क्षति को देखते हुए वहां वसूलियां रोकने तथा प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

डा० वसंत कुमार पंडित 324

श्री कल्पनाथ सोनकर, सदस्य लोक सभा, के साथ कथित दुर्व्यवहार की जांच के बारे में 324—325

रेल बजट 1984-85—सामान्य चर्चा 325—370

प्रो० मधु दंडवते 325

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर 337

श्री राम प्यारे पनिका 340

श्री बसुदेव आचार्य 343

श्रीमती कृष्णा साही 350

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री 355

श्री के० टी० कोसलराम 364

श्री जेवियर अराकल 378

कार्य-मंत्रणा समिति

56वां प्रतिवेदन 371

लोक सभा

सोमवार, 5 मार्च 1984/15 फाल्गुन 1905 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नों...

प्रो० के० के० तिवारी : अध्यक्ष महोदय, आइये हम श्री स्वामी को चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बधाई दें।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, वह कैसे इतने रुचि ले रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अच्छा व्यक्तित्व अथवा अच्छा प्रदर्शन, क्या ?

प्रो० के० के० तिवारी : अच्छा प्रदर्शन करने के लिए।

एक माननीय सदस्य : श्री स्वामी विरोध स्वरूप बहिर्गमन कर रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : मैं आशा करता हूं कि श्री के० के० तिवारी मेरे उदाहरण का अनुसरण करेंगे तथा उनके दल में भी चुनाव होंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रधानी—प्रश्न नं० 101, श्री स्वामी प्रसन्नचित्त नजर आ रहे हैं।

———

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उड़ीसा में मत्स्य उद्योग के विकास की योजना

*101. **श्री के० प्रधानी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में मत्स्य उद्योग का विकास करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर कोई दीर्घ-कालीन योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर कितनी पूंजी परिव्यय होगी; और

(ग) इस में राज्य सरकार को क्या भूमिका सौंपी गई है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) राज्य में समुद्री तथा अन्तर्देशीय मात्स्यकी के विकास के लिए उड़ीसा में राज्य योजना के तहत चल रही परियोजनाओं के अलावा केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र के तहत भी केन्द्र सरकार की कई परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें से कुछ परियोजनाओं के संबंध में नीचे दिया गया है :—

1. अन्तर्देशीय मात्स्यकी परियोजना के तहत उड़ीसा के ग्यारह जिलों में ग्यारह मछुआ विकास एजेंसियां स्थापित की गई हैं। इस परियोजना के तहत स्थापित उड़ीसा मत्स्य बीज विकास निगम को 740 लाख उच्च कोटि के मत्स्य बीजों के उत्पादन के लिए पांच हैचरियां स्थापित करनी हैं। इस परियोजना पर होने वाला कुल परिव्यय लगभग 524 लाख रुपए हैं तथा जिसमें से करीब 105 लाख रुपए केन्द्रीय सहायता के रूप में है।

2. समुद्र तटीय जिलों में खारे जल में मछली पालन के विकास के लिए 116 लाख रुपए की कुल लागत उड़ीसा को 1·75 हेक्टेयर क्षेत्र आवंटित किया गया है, जिसमें से 50 लाख रुपए केन्द्रीय सहायता के रूप में दिए जाएंगे।

3. 624 लाख रुपए की अनुमानित लागत में अस्ट्रंग में एक समेकित मत्स्य पत्तन परियोजना को मंजूरी दी गई है।

4. 17.4 लाख रुपए की अनुमानित लागत से दो छोटे मत्स्य अवतरण केन्द्रों को मंजूरी दी गई है, जिसमें से आधी धनराशि केन्द्रीय सहायता के रूप में मुहैय्या कराई जाएगी।

सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक बीमा योजना के लिए राज सहायता की एक केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना के तहत करीब 10,000 मछुआरों का बीमा किया गया है। इसके लिए 1983-84 में उड़ीसा को केन्द्र सरकार द्वारा 60,000 रुपए निर्मुक्त किए गए हैं।

6. 1983-84 के दौरान मछुआरों के तकनीकी-सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के लिए उड़ीसा को 75,000 रुपए की मंजूरी दी गई है।

7. जल कृषि की प्रौद्योगिकी के विकास के लिए केन्द्रीय अन्तर्देशीय मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान ने संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना की सहायता से घौली (उड़ीसा) में कई कार्यक्रम शुरू किए हैं।

8. सीडा द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त तथा खाद्य और कृषि संगठन द्वारा क्रियान्वित बंगाल की खाड़ी में छोटे स्तर पर कार्य करने वाले मछुआरों के विकास से संबंधित योजना के तहत 1979 से मात्स्यकी विस्तार अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा

परम्परागत मछुआरों के बच्चों को अनौपचारिक रूप से प्राथमिक शिक्षा देने से संबंधित कार्यक्रम चल रहे हैं।

2. केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत आने वाली परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा तैयार अभिकल्पत तथा क्रियान्वित की जाती हैं। इन परियोजनाओं के संबंध में केन्द्र का शेयर भी राज्य सरकार के जरिए निर्मुक्त किया जाता है।

श्री के० प्रधान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि उड़ीसा में बहुत सी केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाएं चल रही हैं। उड़ीसा में 13 जिले हैं और इनमें से 11 जिलों में यह परियोजनाएं चल रही हैं। महोदय, कोरापुट जिला देश में सबसे बड़ा तथा सबसे अधिक पिछड़ा हुआ जिला है। यह मेरा अपना जिला है। इसमें इस तरह की कोई परियोजना नहीं है। इस जिले में 56 प्रतिशत आदिवासी तथा लगभग 14 प्रतिशत अनुसूचित जाति के व्यक्ति रहते हैं। पिछड़ी जाति के व्यक्ति भी रहते हैं। अतः ये लोग इन परियोजनाओं से वंचित हैं। क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से इस जिले में यह परियोजनाएं नहीं चलायी गईं? मैं यह भी जानना चाहता हूं क्या भविष्य में कोई योजना स्थापित करने का कार्यक्रम है।

राव वीरेन्द्र सिंह : महोदय, मेरे विचार से माननीय मंत्री जी मत्स्य विकास के बारे में कह रहे हैं।

श्री के० प्रधानी : आपने अपने वक्तव्य में समुद्री तथा अंतर्देशीय मत्स्य विकास के बारे में बताया।

राव वीरेन्द्र सिंह : मेरे विचार से वह चाहते हैं कि 13 मत्स्य विकास एजेन्सी कार्यक्रम में कोरापुट जिला भी सम्मिलित होना चाहिए। महोदय, उड़ीसा में जिलों की संख्या किसी भी राज्य के जिलों की संख्या से सबसे अधिक है जो कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित किये गये हैं। हम मत्स्य उद्योग को संतुलित तरीके से विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। उड़ीसा के पास इसके एफ० एफ० डी० ए० के हिस्से से कहीं अधिक है। किन्तु माननीय सदस्य के सुझाव को ध्यान में रख लिया गया है। यह प्रश्न का हिस्सा नहीं है। वह अपने जिले के विकास कार्यक्रम के बारे में जानना चाहते हैं। मैं निश्चित रूप में उनके सुझाव पर विचार करूंगा।

श्री के० प्रधानी : मेरे पहले पूरक प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया है। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उनके वक्तव्य के मद संख्या (iii) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं—624 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक समेकित मत्स्य पत्तन परियोजना को मंजूरी दी गई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह परियोजना कब शुरू होगी तथा 624 लाख रुपये में से केन्द्रीय सहायता की राशि कितनी होगी?

राव वीरेन्द्र सिंह : महोदय, यह परियोजना ब्रिटेन की सहायता से शुरू की जायेगी।

माननीय सदस्य यह जान कर प्रसन्न होंगे कि इस वर्ष 4 जनवरी, 1984 को एक समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं और हम आशा करते हैं कि यह जल्दी ही शुरू हो जायेगी। अब, 624 लाख रुपये में केन्द्रीय सहायता के हिस्से के बारे में, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह सारी राशि ब्रिटेन द्वारा ही प्रदान की जायेगी और यह सहायता मछुआरों के समुदाय, सड़कों के निर्माण तथा विकास तथा मछुआरों को आवास व आय चीजें प्रदान करने के लिए होगी। यह सारी सहायता ब्रिटेन की तरफ से है इसमें केन्द्र सरकार का कोई हिस्सा नहीं है।

श्री अर्जुन सेठी : उड़ीसा में समुद्री तथा देश के अन्दर मत्स्य विकास के अलावा, तटीय जिलों कटक, पुरी तथा बालासोर के जिलों में मत्स्य पालन के लिए खोज कार्य की परियोजना भी थी। यह खोज कार्य कुछ समय पूर्व बंद कर दिया गया था। क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि मछली पालन के लिए यह खोज कार्य इन तटीय क्षेत्रों में फिर से लागू किया जायेगा ताकि इन क्षेत्रों को लाभ मिले। धामरा, पारादीप तथा अस्ट्रांग में मत्स्य पत्तन के लिए हमारे पास पहले ही प्रस्ताव हैं जो कि बन रहे हैं। इनका विकास किया जा सकता है तथा इस क्षेत्र के बहुत से मछुआरों को इस मत्स्य सम्बन्धी कार्य की खोज कार्य से लाभ हो सकता है।

राव वीरेन्द्र सिंह : मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूं कि मत्स्य परियोजना खोज कार्य मछली पकड़ने के उद्देश्य के लिए नहीं है। यह सभी जल प्रदायों में मत्स्य पालन के स्रोतों का सर्वेक्षण करने के लिए है। सम्पूर्ण क्षेत्र में कार्य शुरू करने के लिए योजनाबद्ध रूप में कार्य शुरू कर दिया गया है। बहुत सा कार्य किया जा चुका है। उनका कार्य यह है कि मछुआरों को बतायें और जानकारी दें कि किस प्रकार की मछलियां, कितनी गहराई में हमारे तटीय क्षेत्रों में हैं। सभी तटीय क्षेत्रों में तथा गहरे समुद्रों में कार्य शुरू किया जा चुका था तथा जो जहाज अब लिए गये हैं, उन्हें भी एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। मैं यह बताने में असमर्थ हूं कि उड़ीसा का कितने और कौन से तटीय क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा चुका है। किन्तु जैसा मैंने कहा— सम्पूर्ण क्षेत्र को लिया जाएगा - विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों को भी, न सिर्फ तटीय क्षेत्र ही अर्थात् सभी तटों पर सीमावर्तीय जल में यह कार्य किया जायेगा।

हम कार्य की गति बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आवश्यकता हुई और अगर मैं पाता हूं कि उड़ीसा के जल की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है, जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, तो मैं तथ्य की जांच करूंगा तथा यह भी कोशिश करूंगा की वहां पर अधिक जहाजों को उपलब्ध कराया जाये।

जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम और राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला के दोषपूर्ण सिंथेटिक ट्रैक

*102. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** :

श्री अजित बाग : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम और राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला

दोनों ही में सिंथेटिक ट्रैक का उपयोग करने वाले धावकों का यह अनुभव था कि ट्रैक के विभिन्न स्थानों पर उनमें स्पाइक लगें जूते अटक जाते है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या दोनों ही ट्रैक खराब हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठाएगी ?

खेल विभाग में उप-मंत्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) से (ङ) नवें एशियाई खेलों की एथलेटिक्स प्रतियोगितायें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सिन्थेटिक ट्रैक पर सफलतापूर्वक आयोजित की गयी थी। तथापि, 1983 की ग्रीष्म ऋतु के गरम महीनों के दौरान, कुछ स्थानों पर दो ट्रैकों की सामग्री को, इसे प्रयोग करने वाले खिलाड़ियों के स्पाइक्स के साथ चिपकता हुआ पाया गया था। सिन्थेटिक ट्रैकों के सप्लाई-कर्त्ताओं ने ट्रैकों की ऊपरी सामग्री की प्रयोगशाला में जांच की है और ऊपरी तह की सामग्री में खराबी पाई है। तदनुसार,-सप्लाई कर्त्ताओं ने संविदा में अपेक्षित के अनुसार ट्रैक की अपेक्षित मरम्मत करना शुरू कर दी है। इसी बीच में, सिन्थेटिक ट्रैकों का पूरी तरह प्रयोग किया जा रहा है और सर्दी के महीनों के दौरान इन्हें प्रयोग करने में खिलाड़ियों को किसी भी समस्या का सामना करना नहीं पड़ रहा है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह सुरक्षात्मक नहीं है अपितु दोषपूर्ण है। हम दोषपूर्ण सिंथेटिक ट्रैक के बारे में बात कर रहे हैं।

मुझे खुशी है कि मंत्री जी ने पर्यटन विभाग को छोड़ दिया है और वह खेल मंत्रालय में उप-मंत्री बन गये हैं; यह अच्छी बात है।

मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि ट्रैक के बहुत से स्थानों पर खिलाड़ी को दौड़ने में दिक्कत होती है। उन्होंने यह स्वीकार किया है। किन्तु मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा क्या यह सप्लायर्स का कर्त्तव्य है कि इन चीजों को हमारे देश में भेजने से पहले प्रयोगशाला में परीक्षण करें। हमारा देश गर्म देश है इसलिए अधिकतर समय यह गर्म रहता है—शर्तों को मानने से पहले क्या आपने सप्लायर्स को आपूर्त्ति करने के पहले इसे प्रयोगशाला में परिक्षण करने के बारे में बताया था ?

श्री अशोक गहलौत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो आशंका प्रकट की है, मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि जब यह ट्रैक खरीदा जा रहा था, उस वक्त हमने इन्टरनेशनल मार्केट में जितनी फर्म इस काम के लिए हैं, उन सब फर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और हमारी खुद की टीम जो सरकार ने बनाई थी, उस टीम को बाहर भेजा गया और जो इन्टरनेशनल अमेच्चोर इथेलेटिक फेडरेशन है, उस की सलाह ली गई फर्मों के बारे में कि उनकी रेपूटेशन

मार्केट में क्या है। इन सब बातों को देखने के बाद हमने यह भी किया कि लन्दन में कांफीडेंशली लेबोरेटरी टैस्ट कराया और इन फर्मों के बारे में यह मालूम किया कि ये फर्में जो ट्रैक के बारे में माल सप्लाई करेंगी, उनकी पोजीशन क्या है। उपदल ने भी, वैज्ञानिक शाखा, ग्रेटर लंदन काउन्सिल बिल्डिंग, सांईस ग्रुप द्वारा प्रकाशित सिंथेटिक सरफेसिंग के लेबोरेटरी परिक्षण प्राप्त किये। इसकी रिकमंडेशन भी हमारे पास आ गई, तो हमारी खुद की एथेलेटिक की फैडरेशन है, उस से सलाह मशविरा किया गया और सारी बातों की जानकारी करने के बाद स्पेशीफिकेशन के आधार पर टेन्डर दिये गये और जब ट्रैक लग चुका था, उस वक्त इस प्रकार की कोई बात नहीं आई। इन्टरनेशनल अमेच्योर एथेलीट्स फेडरेशन ने भी अपना एक टेक्नीकल एडवाइजर भेजा था। उसने यहां आकर चैक किया था और कहा था कि ट्रैक अप-टू-मार्क है और उसमें किसी प्रकार की कोई प्राब्लम नहीं है। उस वक्त लेबोरेटरी टेस्ट कराने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। आपने भी देखा होगा कि जब हमारे यहां एशियाड हुआ, उसमें बाहर से ऐथेलीट्स आये, फेडरेशन के लोग आये और उन सभी ने इसका एप्रीसियेशन किया था और खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेशन किया था। उस वक्त किसी प्रकार की कोई गड़बड़ या प्राब्लम नहीं थी। सिर्फ यह प्राब्लम गर्मी के महीने में आई। उस वक्त यह बात मालूम पड़ी। जिसे कांट्रैक्टर ने सामान सप्लाई किया था उससे कांट्रेक्ट किया गया। उसने उसका सेम्पल लिया और लेबोरेटरी में टेस्ट कराया। उसके जो एक्सपर्ट्स आये थे उन्होंने इसको देखा और पाया कि कुछ पेचिज में खराबी आई है। उन्होंने हमसे प्रोमिज किया है कि वे इसको जल्दी सुधार देंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि तदनुसार, सप्लाईकर्ताओं ने संविदा में अपेक्षित के अनुसार ट्रैक की अपेक्षित मरम्मत करना शुरू कर दी है। मेरा प्रश्न था क्या संविदा से पहले आपने उन्हें ट्रैक की स्थिति के बारे में बताया था और क्या समझौते के अनुसार वे मरम्मत कार्य करेंगे। ऐसा मालूम पड़ता है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। अन्यथा ट्रैक को शीत ऋतु में भी काम में लिया जा सकता था। अब उन्होंने संविदा की जरूरत के लिए आवश्यक मरम्मत कार्य हाथ में ले लिया है। क्या उन्होंने आपको कोर्ट गारंटी दी है कि इस मरम्मत के बाद यह ठीक हो जाएगा। क्योंकि आपने इसे ठंड के दिनों में परीक्षण नहीं किया और गर्मी के दिन अभी आए नहीं हैं। क्या उन्होंने आपको गारंटी दी है कि मरम्मत के बाद इसमें कोई खराबी नहीं होगी ? क्योंकि स्थिति बहुत ही खतरनाक है, अगर मरम्मत के पश्चात भी इसमें कोई खराबी रहती है, तो क्या आप उनसे कोई क्षतिपूर्ति अथवा मुआवजे के लिए दावा करेंगे ?

श्री अशोक गहलौत : इसमें कोई मेजर डिफेक्ट नहीं है। यह बिल्कुल अप-टू-डेट बना हुआ है। उसमें जो ग्रेनुएल्स लगे हुए हैं उनके पेचिज में कहीं खराबी है। इसलिए वे इसको ठीक करेंगे। हमने जो कांट्रेक्ट किया हुआ है, उसमें यह व्यवस्था है कि अगर पांच साल के भीतर कोई खराबी होगी तो कांट्रेक्टर उसको ठीक करेगा और कोई चीज रिप्लेस करनी होगी तो वह भी करेगा। अब हम यह भी कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने स्वीकार भी किया है कि इसको ठीक

करने में समय लगेगा, इसलिए पांच साल की गारंटी को वे छः साल तक देंगे। अब हमें यह ध्यान रखना है कि यह ठीक होने के बाद इसमें फिर कोई गड़बड़ी न हो।

अध्यक्ष महोदय : श्री अजित बाग—अनुपस्थित।

श्री दयाराम शाक्य—अनुपस्थित।

श्री हरीश रावत—अनुपस्थित।

श्री सत्य गोपाल मिश्र।

छठी योजना के दौरान स्वीकृत पश्चिम बंगाल की सिंचाई परियोजना

*105. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **सिंचाई मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजनावधि के दौरान पश्चिम बंगाल की कितनी सिंचाई योजनाएं स्वीकृत हुईं;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल की कितनी सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए लंबित पड़ी हैं; और

(घ) उनका ब्यौरा और कारण क्या है?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) छठी योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल की कोई बृहद अथवा मध्यम सिंचाई परियोजना संस्वीकृत नहीं की गई है। लघु सिंचाई परियोजनाओं की मंजूरी राज्य द्वारा दी जाती है। उनके ब्यौरे केन्द्र में नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

पश्चिम बंगाल की लम्बित सिंचाई परियोजनाओं के ब्यौरों का विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	बेसिन	अनुमानित लागत लाखों में	1000 हैक्टयर में लाभ	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
एक—टिप्पणियों सहित योजना आयोग की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पाई गई स्कीमें					
1.	अपर कंग्साबती जलाशय परियोजना (पुरूलिया तथा बांकुर)	कंग्साबती	4,384·00	59.115	सलाहकार समिति की 7.6.80 को हुई बैठक में टिप्पणियों सहित स्वीकृत किया गया, इन टिप्पणियों को राज्य सरकार को 8.8.80 को भेज दिया गया था। उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। पर्यावर्णिक क्लीयरेंस तथा राज्य वित्त की सहमति की प्रतीक्षा है।
2.	बामनगोला—हबीबपुर सिंचाई स्कीम (मालदा)	महानन्दा	2167.65	31.09	7.6.80 को हुई सलाहकार समिति की बैठक में टिप्पणियों सहित स्वीकृत किया गया था जिन्हें राज्य को 26.7.80 को भेज दिया गया था। राज्य वित्त की सहमति की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5	6
3.	तनज़ोन घाटी सिंचाई स्कीम (पश्चिम दीनाजपुर)	महानन्दा	1360.00	43.455	7.6.80 को हुई सलाहकार समिति की बैठक में टिप्पणियों सहित स्वीकृत किया गया था जिन्हें राज्य सरकार को भेज दिया गया था जिनके उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। राज्य वित्त की सहमति की प्रतीक्षा है।
दो—टिप्पणियों सहित योजना आयोग की सलाहकार समिति द्वारा विचार की गई स्कीम					
1.	सुवर्णरेखा बराज परियोजना (मिदनापुर)	सुवर्णरेखा	15855.00	130.01	1.12.83 को हुई बैठक में सलाहकार समिति द्वारा विचार किया गया था। टिप्पणियां जनवरी, 1984 में राज्य को भेज दी गई थी जिनके उत्तरों की प्रतीक्षा है। कमान क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बाढ़ सुरक्षा उपायों को समेकित किया जाना है और परियोजना पुनः प्रस्तुत की जानी है।
तीन—केन्द्रीय जल आयोग में परीक्षणाधीन बृहद स्कीमें					
1.	कंग्साबती जलाशय परियोजना का आधुनिकीकरण	कंग्साबती	23284.00	367.200	टिप्पणियों के दिसम्बर, 1983 में प्राप्त हुए उत्तरों की जांच की जा रही है।

1	2	3	4	5	6
2.	तीस्ता बराज परियोजना चरण-एक का दूसरा उपचरण (पश्चिम दीनाजपुर तथा मालदा)	महानन्दा	11160.00	250.00	परियोजना हाल ही में प्राप्त हुई है तथा केन्द्रीय जल आयोग में परीक्षणाधीन है ।
चार—ऐसी स्कीम जिसके संबंध में केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों पर राज्य से उत्तरों की प्रतीक्षा है ।					
1.	दोलोंग जलाशय परियोजना (मिदनापुर)	सुवर्णरेखा	1823.00	22.00	8/83 तथा 9/83 को भेजी गई टिप्पणियों के उत्तरों की प्रतीक्षा है ।
2.	बहुला बेसिन सिंचाई स्कीम (बर्दमान तथा हुगली)	दामोदर	1020.00	25.65	1982 में भेजी गई टिप्पणियों के उत्तरों की प्रतीक्षा है ।
	दो—मध्यम स्कीमें				
1.	कुशंकर्णी (बीरभूम)	मयूराक्षी	215.66	3.39	राज्य को प्राक्कलन को अद्यतन बनाना है । तथा स्कीम को पुनः प्रस्तुत करना है ।
2.	कारू सिंचाई स्कीम (पुरुलिया)	सुवर्णरेखा	214.32	2.12	दिसम्बर, 1983 में भेजी गई टिप्पणियों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं ।
3.	गजोल लिफ्ट सिंचाई स्कीम (मालदा)	महानन्दा	216.00	18.765	अक्तूबर, 1983 में भेजी गई टिप्पणियों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं ।

1	2	3	4	5	6
पांचऐसी स्कीमें जिनके लिए राज्य सरकार से आशोधित रिपार्टों की प्रतीक्षा है ।					
	क० बृहद स्कीम				
1.	दामोदर घाटी परियोजना बराज सिंचाई आधुनिकीकरण स्कीम चरण-एक चुनी हुई नहरों को पक्का करना (बर्दवान, हुगली, हावड़ा, बांकुरा)	दामोदर	1578.00	82.77	निर्माण स्थल पर दौरे के दौरान केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों के साथ हुए विचार-विमर्श के अनुसार, राज्य सरकार को आशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
2.	मयूराक्षी नहर प्रणाली को (बीरभूम, मुर्शिदाबाद तथा बर्दमान)	मयूराक्षी	2426.21	55.69	आशोधित रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। अपने प्रश्न में मैंने पश्चिम बंगाल में सिंचाई स्कीमों के बारे में पूछा है। लेकिन, अपने उत्तर में उन्होंने केवल बड़ी तथा लघु स्कीमों के बारे में बताया है। मझोली सिंचाई परियोजनाओं की क्या स्थिति है। सबसे पहले मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री राम निवास मिर्धा : अपने उत्तर में मैंने कहा है कि बड़ी तथा मझोली सिंचाई स्कीमों के आंकड़े हमारे पास हैं। लघु सिंचाई स्कीमों के आंकड़े हमारे पास नहीं हैं क्योंकि राज्य सरकारें, जो यह कार्य स्वयं करती हैं, इस बारे में हमें सूचित नहीं करतीं क्योंकि इसमें कई छोटे-छोटे कार्य जुड़े हुए होते हैं। जो सूचना उपलब्ध है वह मझोली सिंचाई परियोजनाओं के बारे में है और विवरण में मैंने यही दिया है।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : 1951 में नियोजित विकास आरम्भ होने के बाद 1951 तथा 1980 के मध्य अर्थात् पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में 6 बड़ी तथा 20 मझोली स्कीमें आरम्भ की गईं थीं, जिनमें से केवल चार मझोली स्कीमें 1979-80 के अन्त तक पूरी की गईं। 1979-80 तक कोई भी बड़ी स्कीम पूरी नहीं हुई। इस प्रकार 6 बड़ी तथा 16 मझोली स्कीमें पिछली योजनाओं में अपूर्ण रहकर छठी योजना में आ गई हैं। मैं माननीय मंत्री से इन स्कीमों के बारे में जानना चाहता हूं जो पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में अधूरी रहकर छठी पंचवर्षीय योजना तक चलती आ रही हैं।

श्री रामनिवास मिर्धा : जैसा कि मैंने कहा है कि छठी योजना अवधि में कोई भी बड़ी या मझोली स्कीम मंजूर नहीं की गई है। मुख्य कारण यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने सिंचाई क्षेत्र को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी है। यही कारण है कि इन स्कीमों को उतनी गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा जितनी गम्भीरता से उन पर कार्य किया जाना चाहिए। योजना आयोग ने छठी योजना में बड़ी तथा मझोली स्कीमों के लिए 240 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है। यदि आप इसे पश्चिम बंगाल की योजना की समग्रता में लें तो यह कुल योजना का 11.14 प्रतिशत है। इसका यह अर्थ हुआ कि पश्चिम बंगाल राज्य के लिए छठी योजना अवधि के लिए कुल योजना मंजूरी का केवल 11.14 प्रतिशत सिंचाई क्षेत्र के लिए है। इसकी तुलना में, बिहार तथा गुजरात ने अपनी कुल योजना मंजूरी का क्रमशः 31.57 तथा 29.02 प्रतिशत इस कार्य के लिए रखा है। अतएव, सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति अन्ततः राज्य सरकार द्वारा दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करती है।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : जो कुछ मंत्री महोदय ने कहा है वह सच नहीं है। 1951 से 1980 तक पहली पांच योजनाओं में 6 बड़ी तथा 20 मझोली स्कीमों पर कार्य आरम्भ किया गया था लेकिन 1980 तक एक भी स्कीम पूरी नहीं हुई। इस प्रकार, पिछली पांच योजनाओं में अधूरी रहीं इन स्कीमों का बोझ पश्चिम बंगाल राज्य में छठी योजना पर आ पड़ा है। यह है असली स्थिति। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन स्कीमों का क्या होगा ?

श्री राम निवास मिर्धा : इन स्कीमों का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य

सरकार इन स्कीमों के लिए कितनी राशि आबंटित करने को तैयार है। चूंकि पश्चिम बंगाल सरकार की धारणा में सिंचाई को निम्न प्राथमिकता दी गई है, ये स्कीमें पर्याप्त प्रगति नहीं कर रहीं हैं। यदि वे चाहते हैं कि ये स्कीमें प्रगति करें, तो पर्याप्त धन-राशि आबंटित करनी होगी।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : सिंचाई क्षमता बढ़ाने तथा बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल सरकार ने दो स्कीमों का प्रस्ताव रखा है, अर्थात् दामोदर घाटी पर एक और बांध का निर्माण तथा अजया नदी पर बांध का निर्माण। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अगली योजना शामिल करने के लिए इन दो स्कीमों को उचित समय पर स्वीकृति दी जाएगी।

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय, मैंने उन स्कीमों की सूची दी है जो केन्द्रीय जल आयोग में जांच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। योजना आयोग की सलाहकार समिति ने कुछ स्कीमों की कुछ अवहेलनों के साथ स्वीकृति दे दी है लेकिन कुछ अन्य स्कीमें हैं जिनकी जांच की जा रही है। केन्द्रीय जल आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार से कुछ तकनीकी किस्म के स्पष्टीकरण मांगें हैं तथा इन पर विभिन्न अवस्थाओं में विचार किया जा रहा है। मैंने अपने उत्तर में इनका ब्यौरा दिया है। लेकिन, आधारभूत प्रश्न यह है कि यदि इन स्कीमों को स्वीकृति दे भी दी जाए, जैसे कि कुछ को दे दी गई है, तो पश्चिम बंगाल सरकार अपने वार्षिक योजना व्यय में से इन स्कीमों के लिए कितना धन देगी ? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जहां पश्चिम बंगाल सरकार की प्राथमिकताएं सामने आती हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैंने अपने अनुपूरक प्रश्न में यह पूछा है कि क्या आपका मंत्रालय इन दो परियोजनाओं को स्वीकृति देगा ?

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही इसका उत्तर दे चुके हैं। उनके उत्तर को समझें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, क्या वे बिहार के बारे में कोई प्रश्न पूछ रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शायद, ऐसा ही है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : बिहार में सिंचाई के नाम पर धन किस प्रकार बर्बाद किया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : वे आपकी ओर आ रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : श्रीमन्, सदन के अधिकांश सदस्य सहमत होंगे···(**व्यवधान**)

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं, हम सहमत नहीं हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : पहले मेरी बात सुनिए। महोदय, हमारे नियोजन में सिंचाई को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि वे सहमत नहीं होंगे ।

प्रो० के० के० तिवारी : सदन मैं यह विस्मित कर देने वाला रहस्योद्घाटन हुआ है कि पश्चिम बंगाल सरकार जो सदैव किसानों और गरीब लोगों का दम भरती है, इतना कम ध्यान दे रही है···(**व्यवधान**)

श्री सुनील मैत्रा : पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, यह व्यक्ति उससे पूर्णतः अनभिज्ञ है । देश में सिंचाई की सभी बड़ी परियोजनाएं···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : लेकिन, आपका प्रश्न क्या है ?

प्रो० के० के० तिवारी : मेरा प्रश्न बहुत सीधा है । सिंचाई, विद्युत तथा अन्य विकास कार्यों जैसे सभी प्राथमिकता क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल पिछड़ गया है और···निर्भर है··· (**व्यवधान**)

अध्यय महोदय : प्रश्न क्या है ?

प्रो० के०के० तिवारी : पश्चिम बंगाल की जनता के लिए जिस ढंग से प्राथमिकताओं को तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है, हमारे हृदय में बहुत दुःख है । इसलिए, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, किसी प्रश्न की अनुमति नहीं है ।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : श्री फुलवारिया—अनुपस्थित

श्री एन० ई० होरो—अनुपस्थित

श्रीमती गीता मुखर्जी—अनुपस्थित

यह अनुपस्थितों का दिन है ।

श्री मनमोहन टुडु—अनुपस्थित

श्री रेणुपद दास

ईश्वर का शुक्र है कि आप यहां हैं । बल्कि मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए ।

खेल के अधारभूत ढांचे के विकास के लिए त्रिपुरा का प्रस्ताव

*110. **श्री रेणुपद दास** : क्या **खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा सरकार ने राज्य में खेल के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए व्यापक एवं गहन कार्यक्रम हेतु विस्तृत प्रस्ताव किया है;

**कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया ।

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कोई धनराशि मंजूर की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में उप-मंत्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) से (च) सितम्बर, 1983 में त्रिपुरा सरकार ने राज्य में मुख्य खेल अवस्थापना विकसित करने के लिए व्यापक एवं गहन कार्यक्रम हेतु शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के लिए प्रस्ताव भेजा है जिसमें लगभग 6.70 करोड़ रुपए की लागत शामिल हैं। तथापि, प्रस्तावित संरचनाओं के कोई ब्योरे नहीं दिए गए थे। प्रस्ताव में कैलाशहर में जिला प्रशिक्षण केन्द्र, उदयपुर में जिला प्रशिक्षण केन्द्र अगरतला में प्रशिक्षण केन्द्र और आदिवासी क्षेत्र में खेल-स्कूल की स्थापना शामिल हैं।

खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की दिलचस्पी स्वागत योग्य है। तथापि, खेल एक राज्य का विषय होने के नाते यह आशा की जाती है कि राज्य सरकार स्वयं ऐसे कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित अधिकांश धनराशि प्रदान करेगी। केन्द्रीय सरकार अपनी ओर से सभी राज्यों पर लागू स्वीकृत मापदण्ड के अनुसार सहायक अनुदान प्रदान करती है। यदि राज्य सरकार से प्रस्ताव स्वीकृत केन्द्रीय वित्तीय सहायता की पद्धति के अनुसार प्राप्त होता है तो इस पर यथोचित विचार किया जाएगा।

श्री रेणुपद दास : मुझे यह कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि मंत्री महोदय का बयान देश में खेल-प्रोत्साहन, विकास तथा उसे आगे बढ़ाने में उनकी रुचि में कमी को प्रदर्शित करता है। बयान में कहा गया है कि यह राज्यों का विषय है। उस आधार पर उनकी यह भी राय है कि यह एक ऐसा विषय है जहां केन्द्र की सहायता राज्यों को केवल सहायता राशि के रूप में ही मिल सकती है। इसी आधार पर उन्होंने त्रिपुरा सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजे गए सभी प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए हैं। सबसे छोटा राज्य होने के अतिरिक्त, त्रिपुरा का भारत के राज्यों में बहुत महत्वपूर्ण तथा विवेचित स्थान है। इसे काफी अधिक आदिवासी जनता से निभाना पड़ता है। इसे भाषायी तथा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों तथा बहुत से अन्य सामजिक आर्थिक प्रश्नों की ओर ध्यान देना पड़ता है। बंगलादेश के साथ इसकी संवेदी सीमा भी है। इन कारकों को दृष्टिगत रखते हुए, चाहे खेल हों या अन्य सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताएं, उन पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। इसलिए, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे राज्य में खेलों को प्रोत्साहन देने से सम्बन्धित त्रिपुरा सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दें तथा स्टेडियम और अन्य खेल परियोजनाओं के लिए आवश्यक धन-राशि उपलब्ध कराएं।

संसदी कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : इसमें कोई सन्देह नहीं

कि त्रिपुरा सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई स्कीम प्रशंसनीय है। लेकिन, दुर्भाग्यवश, जैसाकि मेरे माननीय सहयोगी ने स्पष्ट किया है कि स्कीम व्यापक तथा लम्बी चौड़ी है और विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली वर्तमान सहायता पद्धति के अन्तर्गत समग्र स्कीम के लिए धन की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है। मैंने स्वयं त्रिपुरा के खेल मंत्री को अपनी कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए तथा यह स्पष्ट करते हुए कि सारी की सारी स्कीम को कार्यान्वित कर पाना हमारे लिए सम्भव नहीं होगा, एक पत्र लिखा है। लेकिन, यदि हमें वर्तमान ढंग की प्रणाली के अन्तर्गत एक पृथक स्कीम भेजें तो हम अपनी सरकार की पूर्ण क्षमता तथा उपलब्ध साधनों से इसे आरम्भ कर सकेंगे तथा इसे कार्यान्वित करेंगे। दुर्भाग्यवश, कोई पृथक स्कीम का प्रस्ताव नहीं आया है। हमारे पास केवल यही समूचे राज्य से सम्बन्धित एक बड़ी स्कीम आई है जो लम्बी अवधि की है, जिस पर कुछ करोड़ रुपए लागत आएगी। वास्तव में, त्रिपुरा सरकार द्वारा पेश की गई स्कीम की कुल लागत मुझे मौजूदा ढंग की प्रणाली के अन्तर्गत दिए गए कुल बजट से भी अधिक है। इन परिस्थितियों में, किसी भी सरकार के लिए अन्य सभी राज्यों को छोड़कर एक राज्य के लिए इतनी बड़ी स्कीम को कार्यान्वित करना सम्भव नहीं होगा। अब भी मैं राज्य सरकार को वर्तमान प्रणाली के अनुसार स्कीम भेजने के लिए लिखूंगा तथा हम त्रिपुरा राज्य की सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे, जो कि खेलों के मामले में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। वास्तव में, खेलों के प्रोत्साहन के लिए समूचा उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र एक आदर्श स्थान है। वास्तव में, वहां के लोग ही क्रीड़ाप्रिय हैं। खेल-कूद के विकास के लिए राज्यों द्वारा उठाए जा रहे पगों का मैं स्वागत करता हूं। किन्तु, दुर्भाग्यवश, सीमित संसाधनों के कारण वर्तमान ढांचे के अन्तर्गत, उनकी पूरी-पूरी सहायता करना केन्द्र सरकार के लिए सम्भव नहीं होगा। इस ढांचे के अधीन जो भी धन उपलब्ध होगा, हम राज्यों को देंगे।

श्री रेणुपद दास : मैं माननीय मंत्री का ध्यान, भारतीय ऑलम्पिक संघ के महा-सचिव एयर वाइस-मार्शल सी० एल० मेहता के वक्तव्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1982 में नयी दिल्ली में वें एशियाई खेल कूद समारोह आयोजन होने के पश्चात भी भारतीय खेल-कूद की प्रगति बहुत मंथर गति से हो रही है। राज्यों को पर्याप्त निधि न दिए जाने का जो कारण मंत्री महोदय ने निधि की कमी बताया है। उससे पता चलता है कि खेल-कूद में उनकी रुचि कितनी कम है। इसीलिए, मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वह त्रिपुरा की योजना पर विशेष मामले के रूप में विचार करें तथा जितना सम्भव हो, प्रस्ताव को स्वीकृति दें और पिछड़े राज्यों में खेल-कूद के प्रोत्साहन को समर्थन दें।

श्री बूटा सिंह : जैसा कि मैंने अभी कहा, हमारे ढांचे की सीमा के भीतर, मैं त्रिपुरा सरकार का स्वागत करता हूं। त्रिपुरा सरकार ने अभी तक मुझे प्रस्ताव नहीं भेजा है। उन्हें प्रस्ताव भेजने दीजिए। हम देखेंगे और खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिए जो सम्भव होगा, हम करेंगे।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरित की जाने वाली सामग्रियों के मूल्य में वृद्धि

*111. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :**

श्री मोती भाई आर० चौधरी : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरित की जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों में हाल ही में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं;

(ग) उनके मूल्यों में वृद्धि करने के क्या कारण हैं;

(घ) उनमें से प्रत्येक वस्तु के मूल्य में कितनी वृद्धि की गई है; और

(ङ) क्या इन वस्तुओं की प्रति यूनिट मात्रा में भी वृद्धि की गई है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (डा० एस० एस० संजीवीराव) : (क) से (ङ) जी हां। आम किस्म, फाइन तथा सुपर फाइन किस्म के चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य बढ़ाकर क्रमश: प्रति क्विंटल 188 रु० से 208 रु०, 200 रु० से 220 रु० तथा 215 रु० से 235 रु० कर दिए गए हैं। यह वृद्धि 1983-84 के खरीफ मौसम की धान की फसल के समर्थन/वसूली मूल्य में हुई वृद्धि को बराबर करने के लिए आवश्यक समझी गई थी। 1-2-1984 से लेवी चीनी के अन्तिम खुरदा मूल्य को 3.75 रु० से बढ़ाकर 4.00 रु० प्रति कि० ग्रा० कर दिया गया है। चीनी के उत्पादन की अखिल भारतीय औसत लागत में वृद्धि होने के कारण ऐसा करना आवश्यक हो गया था। देश के विभिन्न भागों में उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की एक समान मात्रा नहीं दी जाती है। सम्बन्धित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थतियों में विभिन्नता किसी खाद्यान्न विशेष के लिए उपभोक्ताओं की पसन्द राज्यों में उपलभ्यता तथा केन्द्रीय पूल से किए जाने वाले आबंटन के कारण उपभोक्ताओं को दी जाने वाली वस्तुओं की मात्रा विभिन्न राज्यों में और कभी-कभी एक ही राज्य के भीतर अलग-अलग होती है।

श्री मोती भाई आर० चौधरी : अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि फाइन और सुपर फाइन धान की वसूली मूल्य कितना बढ़ाया गया है? वसूली मूल्य बढ़ाने की वजह से बिक्री का भाव भी बढ़ाया गया है। तो पैडी में कितना वसूली मूल्य बढ़ाया गया है और गन्ने का कितना मूल्य बढ़ाया गया है क्योंकि शुगर लेवी का भी मूल्य आपने बढ़ाया है। तो परसेंटज क्या है? इसकी बराबरी में है कि नहीं इसका पहले पता चले ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : धान में कॉमन वैरायटी का 122 रु० से 132 रु० किया गया है, फाइन में 126 से 136 रु० किया गया है

और सुपर फाइन में 130 से 140 रु० किया गया है। गन्ने में पिछली बार 13 रु० प्रति क्विंटल था वह 13.50 पैसे किया गया है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : बहुत कम किया गया है।

श्री मोती भाई आर० चौधरी : 20 रु० प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है बिकी का भाव और धान का भाव 10 रु० ही बढ़ाया गया।

अध्यक्ष महोदय : वह चावल का है, और पैड़ी का अलग है।

श्री मोती भाई आर० चौधरी : अध्यक्ष जी, अगर यह मूल्य बढ़ जाता है तो किसानों को और ज्यादा मूल्य बढ़ जाता है इसका ध्यान नहीं रखा गया है। इन्होंने बताया कि मात्रा में वृद्धि की है, तो कितनी की है इसके आंकड़े नहीं दिए, वृद्धि की है कि नहीं की। प्रति यूनिट मात्रा में वृद्धि की है? अगर की है तो कितने प्रतिशत की है? और एक ही राज्य में अलग-अलग हिस्सों में क्यों फर्क किया जाता है? इसका क्या कारण है?

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, हर महीने में जब विभिन्न राज्यों से केन्द्र के पास आवश्यकतायें आती हैं तो हम अपने सैन्ट्रल किटी में कितना है उसका विचार करते हैं, राज्य सरकारों के पास कितना है उसका विचार करते हैं, और खुले बाजार में क्या है उसका विचार करते हैं और उसके बाद हम विभिन्न राज्यों को अलाटमेंट देते हैं। यह काम विभिन्न राज्यों का है कि वह अपने राज्य में किस दर पर कितना देते हैं प्रति व्यक्ति को। और किस प्रकार दिया करते हैं, विभिन्न राज्यों में अलग-अलग रेट क्यों हैं तो चूंकि ट्रांसपोर्टेशन कौस्ट अलग-अलग है···

कहीं पहाड़ी एरिया है, मध्य प्रदेश में दूर-दूर एरिया हैं, इसमें थोड़ा बहुत फर्क एक राज्य के अन्तर्गत भी होता है।

श्री सुनील मैत्रा : क्या आप कृपया पहले इस बात को स्पष्ट करेंगे? आपने धान की खरीद मूल्य 10 रु० बढ़ा दिया तथा चावल का निर्गम मूल्य 20 पैसे प्रति कि० ग्रा० यानी 20 रु० प्रति क्विंटल बढ़ा दिया। यदि यह सच है, तो सरकार धान का खरीद मूल्य 10 रु० बढ़ाती है तो निर्गम मूल्य केवल 15 रु० बढ़ाया जाना चाहिए था। आज सरकार जो खरीद कर रही है उसमें से लाभ क्यों कमा रही है इस प्रकार वे काश्तकार पर तो कम प्राप्त करने और उपभोक्ता पर अधिक देने के लिए बाध्य कर रहा है?

श्री भागवत झा आजाद : श्रीमन्, जैसाकि आपने कहा धान से चावल निकालने पर ड्यौढ़ा खर्च आता है, इसी कारण मूल्य बढ़ाया गया है। यह तो एक बात है। दूसरे, परिवहन लागत तथा अन्य लागतें भी बढ़ गयी हैं। इसीलिए, मूल्य में इतनी वृद्धि हो गयी है और इसमें हम कोई लाभ नहीं कमा रहे हैं क्योंकि इस वर्ष जो आर्थिक सहायता हमें भारतीय खाद्य निगम को देनी होगी, उस का संशोधित अनुमान लगभग 800 करोड़ रु० है।

(व्यवधान)

श्री मोहन लाल पटेल : श्रीमन्, मैं लेवी चीनी मूल्य के बारे में जानना चाहता हूं । किसानों के लाभ के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । पिछले चार वर्षों से गुजरात सरकार, गुजरात के संसद-सदस्यों और सहकारी चीनी फैक्टरियों तथा अन्य राज्य सरकारों द्वारा इस बारे में अभ्यावेदन दिए जाते रहे हैं। लेवी चीनी मूल्य और पृथक् चीनी क्षेत्र के पुनर्गठन के बारे में हमें सदा यह बताया जाता रहा है कि क्षेत्र के पुनर्गठन के बारे में एक विशेषज्ञ समिति मनोनीत कर दी गयी है। किन्तु, क्योंकि समिति का प्रतिवेदन मंत्री जी की मेज पर रखा हुआ है। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आपको पृथक् चीनी क्षेत्र सम्बन्धी समिति की संस्तुतियां प्राप्त हो गयी हैं । यदि हां, तो संस्तुतियां क्या हैं और क्या आप उनको स्वीकार करने जा रहे हैं ? यदि हां तो कब और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री भागवत झा आजाद : श्रीमन्, प्रश्न मुख्यतया उप-क्षेत्र के बारे में है, जिसकी गुजरात द्वारा मांग की गयी है । इस बारे में उन्होंने विशेषज्ञ समिति का उल्लेख किया है । माननीय सदस्य को यह जानकर खेद होगा कि उस विशेषज्ञ समिति ने संस्तुति की है कि क्षेत्रों को 16 से घटाकर 8 कर देना चाहिए, न कि उन्हें और बढ़ाया जाना चाहिए । महाराष्ट्र और गुजरात अधिक क्षेत्रों की मांग करते रहे हैं किन्तु दुर्भाग्यवश, विशेषज्ञ समिति -- जिसका उन्होंने उल्लेख किया— संस्तुति करती है कि क्षेत्रों को घटाकर 16 से 8 किया जाना चाहिए । हम वह नहीं कर सके । देश में बहुत वर्षों से सोलह क्षेत्र हैं और कुल मिलाकर ये सोलह क्षेत्र अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसीलिए, विशेषज्ञ समिति की संस्तुति हम स्वीकार नहीं कर सके ।

श्री राम प्यारे पनिका : माननीय प्रधान मंत्री ने विभिन्न अवसरों पर विभिन्न राज्यों में वह निदेश दिया है कि हर ढाई हजार पर एक सस्ते गल्ले की दुकान खुलनी चाहिए । इसके बारे में सर्कुलर इश्यु हुआ है, लेकिन यह बात भी सही है कि बहुत से राज्य इसका परिपालन नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि 15, 15 किलोमीटर दूर तक, मिर्जापुर ट्राइबल एरिया है मध्यप्रदेश में, एक ही दुकान है जहां कि 10, 10 हजार और 15, 15 हजार यूनिट हैं। खासकर ट्राइबल एरिया के राज्यों में दुकानों की बहुत कमी है । दुकानों के अभाव के कारण महंगाई बढ़ती है और जन-साधारण को कठिनाई होती है । इसको दृष्टि में रखते हुए और प्रधान मंत्री ने जो गाइड-लाइन दी है, उसके अनुसार तथा मंत्री महोदय राज्यों की दुकानें खोलने का निर्देश देंगे ? इस बारे में क्या वह एक मानिटरिंग सेल बनाएंगी या कोई टीम राज्यों में भेजेंगे, ताकि जो राज्य इस गाइडलाइन का पालन न करें, वहां यह व्यवस्था हो सके ?

श्री भागवत झा आजाद : इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यह बताना चाहता हूं कि नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने समय-समय पर विभिन्न राज्यों को जो गाइडलाइन दी हैं···

श्री राम विलास पासवान : प्रधान मंत्री ने तो कोई गाइडलाइन नहीं दी हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : प्रधान मंत्री की यह सरकार है । उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं ।

श्री राम प्यारे पनिका : प्रधान मंत्री ने जो 20-सूत्री कार्यक्रम दिया है, उसमें एक महत्वपूर्ण सूत्र में ढाई हजार पर एक दुकान खोलने की बात कही गई है।

श्री भागवत झा आजाद : उस गाइडलाइन के अन्तर्गत हमने विभिन्न राज्यों से यह आग्रह किया है कि वह एक फेयर-प्राइस शाप में लगभग दो हजार यूनिट रखें—ढाई हजार नहीं—और इसके अन्तर्गत देश के लगभग आधे राज्यों ने—16 राज्यों ने - यह पूरा कर लिया है। बाकी आधे राज्यों से हम बराबर आग्रह करते हैं कि वे इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें।

श्री के० मायातेवर : अध्यक्ष महोदय···

अध्यक्ष महोदय : इन दिनों आप कहाँ रहे ?

श्री के० मायातेवर : मैं—चुनाव लड़ने—की तैयारी कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक बहुत अच्छी प्रणाली है बशर्ते कि उसे प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाए। किन्तु जैसा कि केन्द्र सरकार को और हम लोगों को अपेक्षा है, उस रूप में विभिन्न राज्यों द्वारा इसे कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। श्रीमन्, विभिन्न राज्यों में कुछ लोगों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को निजी वितरण प्रणाली में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। तमिलनाडू में सरकार और वहां के प्रत्येक जिला कलेक्टर की घोषणा यह है कि प्रत्येक कार्ड-धारी प्रति माह 20 कि० ग्रा० चावल पाने के लिए अधिकृत है। किन्तु, मैंने पिछले दो सप्ताह अपने चुनाव-क्षेत्र में—इस कोने से उस कोने तक—की यात्रा की। मैं वहां कलक्टर, डिप्टी-कलक्टर, राजस्व अधिकारी और अन्य अधिकारियों से मिला। जनता ने और विपक्षी दलों के विधायकों और संसद-सदस्यों ने मुझ से शिकायत की कि एम० जी० आर० के शासन में उन्हें तमिलनाडू के मदुरै जिले में डिन्डीगुल संसदीय चुनाव-क्षेत्र में हर एक दुकान से केवल 2 कि० ग्रा० चावल प्राप्त हो रहा है।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सरकार तमिलनाडू सरकार को विशिष्ट अनुदेश जारी करेगी कि राशन की दुकानों से प्रति कार्ड 20 कि० ग्रा० चावल दिए जाए। शेष 18 कि० ग्रा० चावल का क्या हुआ ? कुछ महीने पहले माननीय मंत्री मद्रास गए थे और उन्होंने एक अच्छा वक्तव्य दिया था—जिसका मैंने भी स्वागत किया था—कि उनकी सरकार राज्य सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल को 'एम० जी० आर० की बाल पोषण खाद्य योजना' के नाम से निजी वितरण प्रणाली में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं देगी। मद्रास प्रेस को दिए गए आपके वक्तव्य की मैं सराहना करता हूं। किन्तु राज्य सरकार ने आपकी अपेक्षाओं और केन्द्र सरकार के निदेशों को कार्यान्वित नहीं किया है। इसीलिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार तमिलनाडू सरकार को विशिष्ट निदेश जारी करेगी कि आपके द्वारा भेजे गए चावल, गेहूं और अन्य आवश्यक वस्तुओं को तमिलनाडू सरकार आपके निदेशानुसार ही जनता में वितरित करे। आप ऐसे निर्देश देने जा रहे हैं या नहीं ?

श्री भगवत झा आजाद : सबसे पहले मैंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया था कि चावल को

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से 'मध्याह्न-भोजन-योजना' में परिवर्तित किया जा रहा है। मैंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया था।

श्री के० मायातेवर : किन्तु उन्होंने मद्रास प्रेस से कहा था कि सरकार एम० जी० आर० योजना के लिए अधिक चावल का संभरण नहीं करेंगी।

श्री भागवत झा आजाद : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि हमारे द्वारा भेजे गए चावल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से निजी प्रणाली में स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया गया है, तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है।

तीसरे, मैं कहूंगा कि मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि जो भी अनाज दिया जाये वह राज्य में नियत किये गये मानक के अनुसार होना चाहिए और उसको उसके अनुसार ही वितरित किया जाना चाहिए। मैं तमिलनाडू सरकार को प्रति व्यक्ति 20 कि० ग्रा० चावल वितरित करने का कोई निदेश नहीं दूंगा। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप 20 कि० ग्रा० चावल दीजिए। विश्व स्वस्थ्य संगठन और हमारे अपने मानकं के अनुसार भी एक व्यक्ति की अधिकतम आवश्यकता 10 से 12 कि० ग्रा० है। जहां तक चावल का सम्बन्ध है, अब, मैं इस बात की वकालत कर रहा हूं कि देश को वही खाना चाहिए, जो वह पैदा करता है। चावल की तुलना में गेहूं अधिक खाना चाहिए।

सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति

*113. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धनराशि के उपलब्ध न होने के कारण वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान बड़ी संख्या में सिंचाई परियोजनाओं विशेषत: उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं के संबंध में अधिक प्रगति नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं के क्या नाम हैं; और

(ग) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत सभी परियोजनाओं की प्रगति के बारे में समीक्षा कराने का कोई विचार है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) यह महसूस किया गया है कि संसाधनों की कमी के कारण, परियोजनाओं की वांछनीय प्रगति नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश में ऐसी 8 बृहद/मध्यम अनुमोदित परियोजनाएं हैं जिसके लिए पुर्वानुमानित व्यय योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परिव्यय से कम है। परियोजनाओं के नाम, छठी योजना अवधि के दौरान अनुमोदित परिव्यय तथा छठी योजना के दौरान प्रत्याशित खर्च विवरण-एक में दिया गया है।

(ग) बृहद तथा मध्यम स्कीमों की प्रगति की समीक्षा योजना आयोग के कार्यकारी दल द्वारा वार्षिक योजना पर विचार-विमर्श के दौरान की जाती है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में छठी योजना की अनुमोदित परियोजनाओं के ब्यौरे

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	स्कीम	छठी योजना के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परिव्यय	छठी योजना के दौरान प्रत्याशित खर्च
छठी योजना की निर्माणाधीन स्कीमें			
1.	टेहरी (सिंचाई)	14100	10521
2.	लखवार व्यासी (सिंचाई)	2900	2300
3.	राजघाट (i) बांध उत्तर प्रदेश का हिस्सा	5000	2700
	(ii) नहर-उत्तर प्रदेश	1000	885
4.	जमरानी बांध	3020	334
5.	मान्धा बांध	1800	921
6.	घाघरा नहर का बायां तट	14900	12081
7.	बाणसागर बांध	2100	1506
	कन्वेंस प्रणाली मध्य प्रदेश (पोषक)	3350	115
8.	उर्मिल बांध	697	499

श्री मोहम्मद असरार अहमद : अध्यक्ष महोदय, इस मुल्क की 30 परसेन्ट जमीन पर इर्रीगेशन है जबकि 70 परसेन्ट जमीन बिना इर्रीगेशन के है और दूसरी तरफ मुल्क की आबादी लगातार बढ़ती चली जा रही है। केन्द्रीय सरकार इर्रीगेशन प्रोजेक्ट सैंक्शन कर देती है लेकिन उनको इंप्लीमेन्ट नहीं करती। असल बात जो है उसको तो छिपाने की कोशिश की गई है कि जो मशीनरी इन प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेन्ट करती है वह जान-बूझ कर उनको वक्त पर पूरा नहीं करती है। जो प्रोजेक्ट दो, चार या दस साल में पूरा होना होता है उसमें बीस-बीस साल लग जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार से साथ आपके मंत्रालय ने जो डिस्कशन किए थे और उसमें जो डिसीजन लिए गए उनको कहां तक पूरा किया गया ?

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य ने कहा कि सिंचाई के लिए साधन बढ़ाने की आवश्यकता है वह बिल्कुल सही है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीससूत्री कार्यक्रम का पहला सूत्र सिंचाई के बारे में ही है। सरकार सिंचाई को प्राथमिकता देती है और उसी के अनुरूप हमारी योजना में इस पर काफी ध्यान रखा गया है।

जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, छठी पंचवर्षीय योजना में, जोकि कुल 6,200 करोड़ की है, उसमें से सिंचाई के लिए 1330 करोड़ रखे गए हैं जोकि 21.5 प्रतिशत होता है। बंगाल में 11.14 प्रतिशत है जिसके मुकाबले उत्तर प्रदेश ने काफी प्राथमिकता दी है। यह सही है कि इसके बावजूद जो काम हाथ में लिया जाता है उसमें पूरा करने में देरी लग जाती है। इसका एक मुख्य कारण तो यह है कि भाव बढ़ जाने की वजह से पहले बनाए गए तखमीने भी बढ़ जाते हैं और इस प्रकार पहले से रखी गई धनराशि पर्याप्त नहीं होती है। दूसरा एक कारण यह भी है कि जितना पैसा बजट में इन योजनाओं के लिए रखना चाहिए, कई कारणों से उतना प्रावधान नहीं हो पाता है। इसकी वजह से भी देरी होती है। जब सालाना योजना बनती है और राज्य सरकार के साथ प्लानिंग कमीशन और सिंचाई मंत्रालय के अधिकारी बात-चीत करते हैं तब जो पुराने काम चल रहे होते हैं उनके बारे में जानकारी की जाती है और एक कार्यक्रम बनाया जाता है कि एक निश्चित वर्ष में जितना काम हाथ में लिया जायेगा और उसके लिए कितना प्रावधान होगा।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि पिछले जो डिसकशनन हुए हैं, उसमें क्या डिसीजन्स लिए गए और उन पर सरकार ने क्या किया, कुछ तो बताएं ?

श्री राम निवास मिर्धा : उनमें तो डिसीजन्स यही लिए जाते हैं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : मैं यह पूछना चाहता हूं कि पिछले डिसकशन में क्या डिसीजन लिए गए ?

श्री राम निवास मिर्धा : जैसा कि मैंने अपने उत्तर की तालिका में दिया है कि कितना रुपया किस योजना पर रखा है और कितना रुपया छठी पंचवर्षीय योजना पर खर्च हो जाएगा। यही बात सालाना उनके साथ बैठ कर तय की जाती है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सवाल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : चाचा जी की बात समझिए, ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : आपके चाचा हुए, तो हमारे दादा हो गए।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद : जो बातें डिसकशन में आई हैं, उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री राम निवास मिर्धा : क्या-क्या चर्चा हुई हैं, उसमें बहुत ज्यादा मुद्दे हैं, अगर चाचा जी समय देंगे तो मैं उनको बता दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप सारा बैठ कर उनको समझा दीजिएगा।

पुनर्वास बस्तियों में प्लाटों के लिए जाली आबंटन पर्चियां

*114. **श्री सूरज भान** :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 28 जनवरी, 1984 के स्टेट्समैन (दिल्ली) में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली में अनेक पुनर्वास बस्तियों में 22 वर्ग मीटर के प्लाटों के लिए लगभग 500 जाली आबंटन-पर्चियां पैसा लेकर बेची गई हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है, यदि हां, तो उनके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इस बारे में क्या कार्रवाई की जा रही है ?

खेज विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) प्रारम्भिक जांच के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस बात से इन्कार किया है कि इन जाली आबंटन स्लिपों को जारी करने में उनका कोई कर्मचारी शामिल है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि इस प्रकार की जाली स्लिपों का पता लगने पर पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी और अनधिकृत दखलकारों को निकाल दिया गया था।

यह मामला दिल्ली प्रशासन के भ्रष्टाचार विरोधी शाखा के जांचाधीन भी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, या तो मंत्री जी को तथ्यों का पता नहीं है। या वे जानबूझ कर सदन में गलत बयानी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास उन स्लिपों के पुलिन्दे हैं। पांच सौ से अधिक लोगों को जाली स्लीपें दी गई और एक हजार से लेकर चार हजार रुपए तक लिए गए। जमीन पर उन्होंने मकान बना लिए। डी०डी०ए० ने जाकर उन मकानों को तोड़ दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि आप भ्रष्ट आफिसरों को बचाने पर क्यों तुले हुए हैं और क्या सरकार सारे मामले को सी० बी० आई० को सौंपने को तैयार है ?

श्री मल्लिकार्जुन : मान्यवर, यह गलत बात है कि सरकार किसी अधिकारी को किसी तरीके से गलत काम करने के लिए रक्षा देना चाहती है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या कर रही है ?

श्री मल्लिकार्जुन : किन्तु यह सही बात है कि कुछ डिमोलिशन स्लीप्स, पोजीशन स्लीप्स, फोर्ज करके कुछ समाजविरोधी लोग **(व्यवधान)**

जिन नागरिकों को यह जरूरत है, उन लोगों को यह प्लाट दिए हैं। यह चीज डी०डी०ए० के आफिशियल्स की दृष्टि में आने पर इस चीज की पुलिस को इत्तिला दी गई है। इस पर इन्वैस्टीगेट किया जाए। सुलतानपुरी रिसैटलमेंट कालोनी और मंगोलपुरी रिसैटलमेंट कालोनी में इस तरह की बात आई है। यह एन्टी-करप्शन का केस सी०बी०आई० को दिया गया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, त्रिलोकपुरी में 12 नागरिकों ने···

श्री मल्लिकार्जुन : सी० बी० आई० की बात कह रहा हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सी० बी० आई० की बात मैं मान लेता हूं। इसमें अब आप संशोधन मत करिए।

12 नागरिकों ने जो रिपोर्ट पुलिस में लिखाई है, उसकी प्रतिलिपि मेरे पास हैं। उसमें उन्होंने डी० डी० ए० के आफिसर का नाम लिया है। मैं नाम लेकर यहां उल्लेख नहीं करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह जरूरत नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप डी० डी० ए० के आफिसरों को पूरी तरह से सचरित्रता का प्रमाण पत्र क्यों दे रहे हैं। क्या ये जाली स्लिपें बिना डी० डी० ए० के आफिसर की मिलीभगत से बांटी जा सकती हैं? क्या यह सच नहीं है कि त्रिलोकपुरी के नागरिकों ने डी० डी० ए० के आफिसर का नाम लेकर शिकायत की है? और यह मामला ऐन्टी-करप्शन को सौंपा जा सकता है तो सी० बी० आई० को सौंपने में क्या एतराज है?

श्री मल्लिकार्जुन : त्रिलोकपुरी रीसेटिलमेंट कालोनी का भी जो मामला है जिसमें फोर्ज्ड स्लिप्स की बात कही गई है और इसके आधार पर क्वेश्चन भी ले लिया गया है, इसमें सरकार यह स्पष्ट करना चाहती है कि कोई डी० डी० ए० का आफिसर गलत साबित हुआ या गिल्टी साबित हुआ तो उसको पनिश करने में सरकार पीछे नहीं रहेगी, सख्त से सख्त कार्यवाही उसके खिलाफ की जाएगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

लेवी चीनी के मूल्य में वृद्धि

*103. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लेवी की चीनी के मूल्य में प्रति किलो 25 पैसे की वृद्धि की गई है; और

(ख) यदि हां, तो कथित वृद्धि से प्रभावित राज्यों के क्या नाम हैं?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) वृद्धि सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों पर समान रूप से लागू होती है।

पेय जल के अभाव से ग्रसित गांव

*104. **श्री हरीश रावत** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि देश में ऐसे अनेक गांव हैं जो पेय जल के अभाव से ग्रस्त हैं परन्तु उन्हें 1982 में तैयार की गई ऐसे गांवों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में ऐसे गांवों के सम्बन्ध में प्रस्ताव है और यदि हां, तो यह सर्वे कब तक; और

(ग) यदि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है तो ऐसे गांवों को पेय जल उपलब्ध कराने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तथा (ख) 1.4.1980 की स्थिति के अनुसार, राज्यों तथा संघ राज्य के द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर, सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार 2,30,784 समस्याग्रस्त गांवों का पता लगाया गया है। अप्रैल, 1985 तक इन गांवों को स्वच्छ पेय जल का कम से कम एक स्रोत की व्यवस्था करके लाभान्वित किए जाने की आशा है। फिलहाल नवीन सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय जल पूर्ति एवं स्वच्छता दशक के उद्देश्यों के अंग के रूप में, अप्रैल, 1991 तक पेय जल सुविधा की व्यवस्था करके शतप्रतिशत आबादी को जिसमें ग्रामीण आबादी भी शामिल है, लाभान्वित करने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव राज्यों के ध्यान में लाया गया है। सातवीं योजना के लिए जलपूर्ति एवं स्वच्छता पर मंत्रालय ने एक कार्यकारी दल का गठन किया है जो पूर्ण कवरेज को 1991 तक सुनिश्चित करने के लिए नीति तैयार कर रहा है।

नर्मदा नहर परियोजना का कार्य

*106. **श्री विरदा राम फुलवरिया** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नर्मदा नहर परियोजना का कार्य खटाई में पड़ा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) माननीय सदस्य संभवत: सरदार सरोवर बांध से निकाली जा रही नर्मदा मुख्य नहर का उल्लेख कर रहे हैं (जिसको

नवगांव नहर भी कहा जाता है) जो गुजरात और राजस्थान में क्षेत्रों के लिए सिंचाई सुविधाएं प्रदान करेगी। गुजरात में नहर के शुरू के भागों में कार्य प्रगति पर है और गुजरात में नहर के शुरू के भाग पर सितम्बर, 1983 के अन्त तक 27 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। सम्पूर्ण परियोजना पर मार्च, 1984 के अन्त तक 246 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। राजस्थान क्षेत्र में नर्मदा जल के भाग का उपयोग करने के लिए परियोजना रिपोर्ट को अभी राजस्थान द्वारा भेजा जाना है।

कमजोर वर्गों के लोगों के लिए मकान बनाने हेतु बिहार को सहायता

*107. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए मकान बनाने हेतु बिहार राज्य को दी गई वित्तीय सहायता के उपयोग की जानकारी केन्द्रीय सरकार को है; और

(ख) यदि हां, तो 1982-83 के दौरान बनाए गए मकानों तथा इस उद्देश्य के लिए दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) बागान कर्मचारियों की सहायता प्राप्त आवास योजना के सिवाय केन्द्र द्वारा प्रवर्तित आवास की कोई योजना नहीं है। यह योजना बिहार राज्य में चालू नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की क्रियान्विति

*108. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (एन० आर० एल० ई० जी० पी०) का निरूपण तथा कार्यान्वयन सरकार के आशानुकूल सन्तोषजनक नहीं रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजनाओं के अन्तर्गत राज्य-वार निर्धारित किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है तथा अब तक क्या वास्तविक लक्ष्य प्राप्त किए गए; और

(ग) इसके क्रियान्वयन में त्रुटियों के क्या कारण हैं तथा क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) यद्यपि, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का समग्र कार्यान्वयन सन्तोषजनक रहा है, किन्तु कुछ राज्य इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पिछड़ गए हैं और इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत परियोजनाएं तैयार करने और योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने में सुधार करने की जरूरत है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण-कार्यों का निष्पादन हाल ही में शुरू हुआ है और इसके परिणाम अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्धारित राज्य-वार लक्ष्य और वर्ष 1983-84 के दौरान (जनवरी, 1984 तक) प्राप्त हुई वास्तविक उपलब्धियां विवरण में दी गई हैं।

योजना आयोग द्वारा कार्यक्रम के किए गए मध्यावधि मूल्यांकन से निम्नलिखित मुख्य कमियों का पता चला है :—

(1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

(क) लाभभोगियों का सही चयन;

(ख) क्षेत्र-स्तरीय अधिकारियों और पंचायत संस्थाओं के घनिष्ट सहयोग के बारे निरन्तर ध्यान देना;

(ग) प्रशासकीय मूलभूत ढांचे में कमियां।

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

(क) खाद्यानों की सप्लाई और उनका वितरण;

(ख) विभिन्न राज्यों में शेल्फ आफ प्रोजेक्ट्स के तैयार करने में लिया गया समय;

(ग) स्थानीय भाषाओं में तकनीकी मैनुअल/मार्गदर्शी सिद्धांतों का उपलब्ध न होना;

(घ) स्थानीय संसाधन जुटाने में कठिनाईयां; और

(ङ) परिसम्पत्तियों का टिकाऊपन और उनका रखरखाव।

जो कमियां पाई गई थीं, उन्हें ध्यान में रखते हुए मार्गदर्शी सिद्धांतों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं और राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को कार्यक्रम के कार्यान्वयन की कमियों को दूर करने हेतु हिदायतें जारी की गई हैं।

विवरण

1983-84 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	स० ग्रा०	वि० का०	रा० ग्रा० रो० का०		ग्रा० भूमि० रो० गारंटी कार्यक्रम
		लक्ष्य (संख्या)	जनवरी, 84 तक उपलब्धि (संख्या)	लक्ष्य (लाख श्रम दिन)	जनवरी, 1984 तक उपलब्धि (लाख श्रम दिन)	लक्ष्य (लाख श्रम दिन
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	198000	132273	298.50	156.56	49.50
2.	असम	80400	46380	65.70	25.70	13.50
3.	बिहार	352200	240280	405.46	190.73	83.82
4.	गुजरात	130800	114185	86.66	88.30	17.78
5.	हरियाणा	55800	74113	15.68	8.10	3.23
6.	हिमाचल प्रदेश	41400	34208	11.64	9.97	3.64
7.	जम्मू तथा कश्मीर	67800	18093*	18.00	8.00	3.75
8.	कर्नाटक	135000	94945	175.38	148.39	6.15

1	2	3	4	5	6	7
9	केरल	90600	82286	121.30	75.46	23.50
10.	मध्य प्रदेश	275400	191091	252.00	152.43	55.71
11.	महाराष्ट्र	177600	142005	295.38	79.76	60.77
12.	मणिपुर	11700	4369	3.30	1.88	0.69
13.	मेघालय	18000	588	4.80	0.35	1.00
14.	नागालैंड	12600	5307	1.50	1.70	0.50
15.	उड़ीसा	188400	134674	182.00	96.77	37.50
16.	पंजाब	70800	61550	27.50	12.22	5.63
17.	राजस्थान	141600	112973	67.76	38.64	13.33
18.	सिक्किम	2400	1359	0.90	2.47	0.44
19.	तमिलनाडु	225600	173431	308.58	254.91	63.57
20.	त्रिपुरा	10200	5897	9.90	5.52	2.06
21.	उत्तर प्रदेश	532200	381395	550.40	262.68	113.67
22.	पश्चिम बंगाल	201000	62414	311.00	218.95	64.17
23.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	150	257	0.28	1.98	0.62
24.	अरुणाचल प्रदेश	8000	1690	0.80	3.12	0.40
25.	चंडीगढ़	600	असूचित	0.06	0.21	0.07

1	2	3	4	5	6	7
26.	दादरा तथा नगर हवेली	600	273	0.50	0.48	0.36
27.	दिल्ली	3000	2561	0.70	0.06	0.17
28.	गोवा दमन तथा दीव	6800	5541	3.66	3.30	0.53
29.	लक्षद्वीप	800	196	0.14	1.59	0.13
30.	मिजोरम	12000	3516	0.46	0.97	0.40
31.	पांडीचेरी	2400	1213	2.32	2.24	0.57
	योग :	3053850	2129065*	3222.26	1853.36*	657.16

*प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार ।

उर्वरकों की खपत बढ़ाना

*109. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों की खपत बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए चालू योजना अवधि में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उक्त योजना अवधि में इस सम्बन्ध में वर्ष-वार और राज्य-वार क्या प्रगति हुई है; और

(घ) उर्वरकों की खपत बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 1984-85 में कौन सा विशिष्ट कार्यक्रम लागू करने का विचार है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जानकारी विवरण-1 में दी गई है और सभा पटल पर रखी जाती है।

(ग) जानकारी विवरण-2 में दी गई है और सभा पटल पर रखी जाती है।

(घ) विवरण-1 में दिए गए विभिन्न उपायों के अलावा, सहकारी समितियों के माध्यम से दुर्गम और पिछड़े इलाकों, विशेषकर पूर्वी राज्यों में उर्वरकों की बिक्री में तेजी लाने का प्रस्ताव है।

विवरण—1

उर्वरक की खपत में वृद्धि करने के लिए किए गए उपाय

(1) घरेलू उत्पादन और आयात के माध्यम से उर्वरकों को समय पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया है।

(2) चुने गए जिलों में, जहां खपत संभाव्यता मौजूद है और इस समय खपत कम है, सघन उर्वरक संवर्धन अभियान शुरू किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए जिलों की संख्या 1981 के 67 जिलों के मुकाबले 1982 में 104 कर दी गई है।

(3) सारे देश में ब्लाक मुख्यालय तक सरकारी खर्च पर उर्वरकों का वितरण सुनिश्चित किया गया है।

(4) वितरण अभिकरणों का वितरण लाभ बढ़ाकर 15-8-81 से लगभग 22 प्रतिशत कर दिया गया था। 20-5-1983 से इसमें और अधिक वृद्धि कर दी गई है।

(5) उर्वरक सहित आदानों की खरीद और बिक्री के लिए राज्यों की अल्पावधि ऋण देने की मात्रा, 1979-80 के 136 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1980-81 तथा

1981-82 में 200 करोड़ रुपए और 1982-83 में 250 करोड़ रुपए कर दी गई। इसे 1983-84 में और बढ़ाकर 260 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

(6) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु और सीमान्त किसानों को फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों पर राजसहायता क्रमशः 25 प्रतिशत और $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत तथा आदिवासी किसानों को 50 प्रतिशत की दर पर दी जाती है।

(7) खपत वाले केन्द्रों के निकट उर्वरकों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से बिक्री केन्द्रों की संख्या जो 30-11-1981 को 1.11 लाख थी, 31-1-1984 को बढ़ाकर 31-1-1984 तक 1.37 लाख कर दिया गया।

(8) सभी किस्म के उर्वरकों के मूल्य 29-6-1983 से लगभग $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत कम कर दिए गए हैं।

(9) उर्वरक मूल्यों में वृद्धि की पूर्ति करने के लिए फसलों के समर्थन मूल्यों में वृद्धि करके अनुकूल लागत लाभ अनुपात सुनिश्चित किया गया है। जबकि 1982-83 में एक किलो ग्राम नाइट्रोजन पोषक तत्वों के लिए 4.19 किलोग्राम धान की जरूरत होती थी, 29-6-1983 से उर्वरकों के मूल्य में कटौती होने और धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि होने के फलस्वरूप इस समय केवल 3.54 किलोग्राम धान की जरूरत होगी।

(10) लघु और सीमांत किसानों को सहायता देने के लिए 250 करोड़ रुपए की लागत की योजना को स्वीकृति दी गई है, जिसका महत्वपूर्ण घटक है उर्वरकों की मिनिकिटों का वितरण करना।

(11) भारतीय खाद्य निगम के 2 वर्ष से अधिक पुराने स्टाक को किसानों को 10 प्रतिशत छूट पर बेचने का निर्णय लिया गया है। यह छूट सरकार द्वारा 29-6-1983 को उर्वरकों की सभी किस्मों की कीमतों पर दी गई $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत की कटौती के अतिरिक्त होगी।

(12) किसानों को उर्वरक और अन्य आदान तथा ऋण पर्याप्त मात्रा में और ठीक समय पर उपलब्ध कराने के लिए दो प्रमुख फसल मौसमों से पूर्व आदान पखवाड़े मनाए गए।

विवरण-2

उर्वकों की राज्यवार खपत और इसकी वृद्धि दर

खपत

(लाख मीटरी टनों में (एन०पी०के०)

राज्य का नाम	1980-81	1981-82	1982-83 (अनुमानित)	1983-84 लक्ष्य	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता			
					1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
क्रम संख्या								
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. आन्ध्र प्रदेश	5.76	6.56	7.26	7.65	7.7	13.9	10.7	5.4
2. केरल	0.98	0.95	1.08	1.20	(—)7.6	(—)3.1	13.7	11.1
3. कर्नाटक	3.44	3.84	4.01	4.62	(—)6.0	11.6	4.4	15.2
4. तमिलनाडु	4.91	5.13	4.65	4.90	(—)8.7	4.5	(—)9.3	5.4
5. गुजरात	3.57	4.01	3.86	4.60	(—)5.3	12.3	(—)3.7	19.2
6. मध्य प्रदेश	1.97	2.36	2.43	2.85	23.1	19.8	3.0	17.3
7. महाराष्ट्र	4.21	5.29	5.06	5.75	—	25.6	(—)4.3	13.6
8. राजस्थान	1.35	1.38	1.16	1.80	(—)8.2	2.2	(—)15.9	55.2
9. हरियाणा	2.31	2.52	2.63	2.95	7.1	9.1	4.4	12.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	पंजाब	7.54	8.20	8.86	9.22	10.6	8.7	8.0	4.1
11.	उत्तर प्रदेश	11.51	12.70	14.27	16.88	14.0	10.3	12.4	18.3
12.	हिमाचल प्रदेश	0.16	0.18	0.18	0.23	14.3	12.5	—	27.8
13.	जम्मू व कश्मीर	0.21	0.22	0.32	0.37	—	4.8	45.4	15.6
14.	असम	0.09	0.11	0.13	0.20	28.6	22.2	18.2	53.8
15.	बिहार	2.05	2.05	2.04	2.58	10.9	—	(—)0.5	26.5
16.	उड़ीसा	0.76	0.82	0.86	1.02	13.4	7.9	4.9	18.6
17.	पश्चिम बंगाल	2.83	2.58	2.62	2.93	17.4	(—)8.8	1.6	11.8
18.	अन्य	1.51	1.74	2.46	2.25	7.9	15.2	41.4	(—)8.5
	योग :	55.16	60.64	63.88	72.00	4.9	9.9	5.3	12.7

उचित मूल्य की दुकानों पर गेहूं, चावल और चीनी की किस्म

*112. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित दर की दुकानों पर उपभोक्ताओं से घटिया किस्म के गेहूं, चीनी और चावल के लिए उतना ही मूल्य लिया जाता है जितना बढ़िया किस्म की वस्तुओं के लिए लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं कि उचित दर दुकानों के दुकानदार उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म का गेहूं, चावल और चीनी सप्लाई करें ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित दर की दुकानों के माध्यम से "उचित औसत किस्म" के गेहूं व चावल दिए जाते हैं। गेहूं व चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। राज्य सरकारों द्वारा इन दोनों वस्तुओं के उपभोक्ता बिक्री मूल्य इनके साज-सम्भाल पर होने वाले खर्च तथा अन्य प्रासंगिक खर्चों को जोड़ने के बाद नियत किए जाते हैं। भारतीय चीनी मानक विशिष्ट ग्रेड की लेवी चीनी, उपभोक्ताओं को उचित दर की दुकानों के माध्यम से एक समान मूल्य पर दी जाती है।

नारियल के तेल के मूल्य में वृद्धि

*115. **श्रीमती माधुरी सिंह** :

श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नारियल के तेल के मूल्यों में हुई भारी वृद्धि की जानकारी है जिससे उपभोक्ताओं को कठिनाई हो रही है; और

(ख) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) कृषि और सहकारिता विभाग तथा राज्य सरकारों द्वारा नारियल का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपायों के अलावा, अल्पकालिक उपाय के रूप में केन्द्रीय सरकार

द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकारों को उचित दर की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को देने के लिए पामोलीन तथा सोयाबीन के तेलों की अधिक मात्रा आबंटित की गई है। इन तेलों के निर्मम मूल्य भी उचित स्तरों पर रखे गए हैं। भारतीय राज्य व्यापार निगम से भी अनुरोध किया गया है कि देशीय नारियल के तेल के मूल्यों पर पड़े दबाव को कम करने की दृष्टि से वह नारियल के तेल की कुछ मात्रा का आयात करे।

दिल्ली के लिए दूसरे मास्टर प्लान के लिए समिति

*116. **श्री भीकू राम जैन** :

श्री उत्तम राठौर : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजधानी के लिए एक अन्य प्रारूप दूसरे मास्टर प्लान बनाने के लिए एक समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति में दिल्ली के संसद सदस्य और दिल्ली नगर निगम और महानगर परिषद् के सदस्यों को सम्मिलत किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं;

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तथा (ख) बृहद् योजना तैयार करने और विकास योजना बनाने से सम्बन्धित ऐसे मामले या दिल्ली विकास अधिनियम के प्रशासन से सम्बन्धित मामले या इससे उत्पन्न होने वाले मामलों जो प्राधिकरण द्वारा इसे भेजे जायेंगे, के सम्बन्ध में प्राधिकरण को सलाह देने के प्रयोजनार्थ दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 के प्रावधान के अन्तर्गत एक सलाहकार परिषद् पहले ही गठित है। इस सलाहकार समिति में केन्द्रीय सरकार तथा सम्बन्धित संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा दो प्रतिनिधि लोक-सभा से एक प्रतिनिधि राज्य-सभा से और दिल्ली नगर निगम से चार सदस्य हैं।

(ग) भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्यान्नों, खाद्य तेलों आदि के लिए उपभोक्ता खुदार मूल्य सूचकांक

*117. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 से 1984 तक प्रत्येक वर्ष पहली मार्च को दिल्ली के खुले बाजार में खाद्यान्न, खाद्य तेलों, चीनी और दालों के उपभोक्ता खुदरा मूल्य सूचकांक क्या हैं; और

(ख) वर्ष 1961 को आधार वर्ष मानकर जनवरी, 1975 से जनवरी, 1984 तक प्रत्येक वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) इन विशिष्ट वस्तुओं के दिल्ली में खुले बाजार के मूल्यों पर आधारित खुदरा/उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जनवरी, 1975 से जनवरी, 1984 तक दिल्ली में औद्योगिक मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक विवरण में दिए गए हैं।

दिल्ली में औद्योगिक मजदूर के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
(आधार = 1960 = 100)

मास	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
जनवरी	342	325	336	359	368	396	434	476	511	560
फरवरी	335	326	340	355	366	393	434	474	511	
मार्च	335	324	345	359	371	398	438	484	519	
अप्रैल	339	323	346	360	375	401	448	493	527	
मई	337	320	346	361	374	407	453	495	533	
जून	341	324	353	364	378	412	461	500	536	
जुलाई	341	328	359	369	388	423	476	506	543	
अगस्त	332	334	362	369	390	428	480	521	549	
सितम्बर	333	335	366	376	393	430	480	513	557	
अक्तूबर	336	334	366	374	394	438	481	513	565	
नवम्बर	334	331	365	368	390	436	480	510	563	
दिसम्बर	328	332	361	369	395	430	474	509	561	

दिल्ली में गगनचुम्बी भवन

*118. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उचित सावधानियां बरते बिना और घटिया सामान का उपयोग करके अनेक अनधिकृत गगनचुम्बी भवनों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ ठेकेदारों, प्रशासनिक प्राधिकारियों और अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों के बीच सांठगांठ के आरोपों की कोई जांच कराई जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा अन्य सम्बन्धित संगठनों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली में कोई अनधिकृत गगनचुम्बी भवन निर्मित नहीं किए जा रहे हैं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

जंगलों से तेल-युक्त बीजों को एकत्र करना

*119. **श्री राम लाल राही** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जंगलों में मिलने वाले तेल-युक्त बीजों को एकत्र करने में असफल रही है;

(ख) यदि नहीं, तो साल और नीम के बीजों का वार्षिक उत्पादन कितना है तथा सरकार ने इनके कितने बीज एकत्र किए हैं;

(ग) क्या आदिवासी और अन्य लोगों द्वारा एकत्र किए गए बीजों का दलालों द्वारा उचित मूल्य नहीं दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन तेल-युक्त बीजों को स्वयं खरीदने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार ने देश-व्यापी आधार पर सरकारी/सहकारी एजेंसियों के माध्यम से साल के बीज एकत्र करने की व्यवस्था की है। बिहार में महुआ, करंज और पलास जैसे तिलहन के बीजों को एकत्र करने की व्यवस्था बिहार राज्य वन विकास निगम के माध्यम से की जा रही है। आन्ध्र प्रदेश और गुजरात में सहकारी एजेंसिया तिलहन एकत्र करती हैं।

वनों के तेल वाले बीजों के उत्पादन का निर्धारण करने के लिए अब तक देश-व्यापी आधार पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। वृक्षों का बीज उत्पादन वर्षानुवर्ष काफी परिवर्तित होता रहता है और यह वृक्ष के ऋतु जैविकी लक्षण पर निर्भर करता है। पिछले पांच वर्षों में एकत्र साल के बीजों की मात्रा निम्नलिखित है :—

		(हजार मीटरी टन)
1978-79	—	24.8
1979-80	—	176.6
1980-81	—	39.1
1981-82	—	164.4
1982-83	—	65.8

(ग) तथा (घ) वन वृक्षों से तिलहन एकत्र करने को हाल ही में महत्व दिया गया है। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र दादर और नगर हवेली ने इन वन क्षेत्रों से सरकारी/सहकारी एजेंसियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष नियत किए जाने वाले मूल्यों पर वृक्षों से उत्पन्न बीजों को एकत्र करने की व्यवस्था की है, जिससे ऐसे बीज एकत्र करने वाले लोगों को लाभकारी मूल्य दिलवाए जाएं।

सरकार का राज्य सरकारों और केन्द्र में सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से वृक्षों पर उपजे तिलहनों को इष्टतम स्तर तक एकत्र करवाने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना

*120. **श्री बी० डी० सिंह :**

श्री रशीद मसूद : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के प्रसार को नियन्त्रणाधीन सीमा में रखने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना की परिकल्पना कब शुरू की गई थी तथा इस योजना के कार्यान्वयन के लिए इसे कब अन्तिम रूप दिया गया था;

(ख) उक्त योजना के कार्यान्वयन में कौन-कौन सी राज्य सरकारें शामिल हैं तथा उन पर कितने-कितने क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी है; और केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए (प्रत्येक राज्य को पृथक-पृथक) कितनी धनराशि आबंटित की गयी;

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा इसके कार्यान्वयन में प्रमुख क्या कठिनाइयां हैं; और

(घ) योजना के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दिल्ली के आस-पास के क्षेत्र के लिए योजना बनाने की सिफारिश सर्वप्रथम 1959 में प्रकाशित दिल्ली की वृहद् योजना के प्रारूप में प्रस्तुत की गई थी। इस सिफारिश के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने 1961 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उच्च अधिकार प्राप्त सलाहकार बोर्ड का गठन किया था जिसमें निर्देशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बनाई गई थी और उसने इसका अनुमोदन, 1973 में किया।

(ख) हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान की राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली इस योजना के कार्यान्वय में सम्मिलित हैं : –

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत क्षेत्रफल तथा केन्द्रीय सहायता का विवरण नीचे दिया गया है :–

उप-क्षेत्र	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर में)		केन्द्रीय नियतन (लाख रुपयों में)
हरियाणा	13,168	गुड़गांव :	354.35
		पानीपत :	115.00
उत्तर प्रदेश	10.839	मेरठ	322.00
		हापुड़ :	40.00
राजस्थान	4,435	अलवर :	295.05
संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली	1,485	—	—

(ग) तथा (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत 5 नगरों, अर्थात गुड़गांव, पानीपत, मेरठ, हापुड़ तथा अलवर की विकास योजना के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना में 1974 से 31 मार्च, 1983 तक 1126.40 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता दे दी गई है। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार योजना के कार्यान्वयन में प्रगति सन्तोषजनक रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास कार्यक्रम के मार्ग निर्देशन तथा उचित पर्यवेक्षण को सुनिश्चित करने हेतु एक सांविधिक निकाय गठित करने का प्रस्ताव है। जिसका गठन तभी किया जाएगा जब सभी सम्बन्धित राज्यों की विधानसभाएं आवश्यक संकल्प पारित कर देंगी।

भारती कृषि अनुसंधान परिषद् के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय का निर्णय

1156. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मामलों के एक समूह में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के उच्चाधिकारियों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के कटु आलोचनापूर्ण निर्णय की ओर आकर्षित किया गया है (6 जनवरी 1984 का "हिन्दू" समाचारपत्र);

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अपनी वर्तमान नीतियों की पुनरीक्षा करेगी और अभिप्रेरित वैज्ञानिकों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संचालन में प्रेरणाशील वैज्ञानिकों को पूरी तरह सम्बद्ध करेगी; और

(ग) क्या सरकार न्यूनतम प्रारम्भिक कार्यवाही के रूप में इस दुखद स्थिति के लिए जिम्मेदार सम्बन्धित उच्चाधिकारियों को सेवानिवृत्त करेगी अथवा सेवा से निकालेगी ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) सरकार का ध्यान, प्रश्नगत निर्णय के सम्बन्ध में, जो कि 1972-74 वर्ष से सम्बन्धित 3-4 व्यक्तियों के मामले में दिया गया है, आकर्षित किया गया है ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की कार्य प्रणाली की समीक्षा कई अवसरों पर की गई है । प्रथम बार, 1972 में एक उच्च स्तरीय समिति जैसे भा० कृ० अ० प० जांच समिति ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश, श्री पी० बी० गजेन्द्रगडकर की अध्यक्षता में इसकी कार्मिक नीतियों की जांच की थी । इसके बाद लोक सभा की प्राक्कलन समिति ने अपनी 35वीं रिपोर्ट (छठी लोक सभा) (1978-79) में भा० कृ० अ० प० की कार्य प्रणाली की व्यापक समीक्षा की । इन दो समितियों द्वारा की गई सिफारिशों को भारत सरकार के अनुमोदन से कुछ संशोधनों सहित केवल दो को छोड़ कर, लागू किया गया । इन दो का सम्बन्ध (i) भा० कृ० अ० प० का वैधानिक निकाय के रूप में परिवर्तन और (ii) भा० कृ० अ० प० में नियुक्ति प्रणाली को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपने से था । भा० कृ० अ० प० जांच समिति की मुख्य सिफारिशों और सरकार द्वारा की कार्रवाई के बारे में लोक सभा में एक अतारांकित प्रश्न सं० 4747 दिनांक 25-7-77 और राज्य सभा में 16-5-79 को तारांकित प्रश्न सं० 298 के उत्तर द्वारा बताया जा चुका है ।

भा० कृ० अ० प० जांच समिति की सिफारिशों पर मंत्रिमण्डल के निर्णय को ध्यान में रखकर परिषद् की कार्मिक नीतियों को व्यापक रूप में परिवर्तित और पूरी तरह पुनर्गठित किया गया ताकि हमारे संगठन की आवश्यकताओं के प्रति उन्हें और अधिक अनुकूल बनाया जाए । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भा० कृ० अ० प० की जो पहले नीतियां विद्यमान थी उनकी सरकार ने समय-समय पर पहले ही समीक्षा की है और परिषद् की कार्य प्रणाली को और प्रभावी बनाने के लिए उन्हें सुधारात्मक उपायों के रूप में पहले से ही अपनाया जा चुका है ।

(ग) भा० कृ० अ० प० की परिवर्तित नीतियां प्रभावी और संतोषजनक रूप में कार्य कर रही हैं। जो प्रश्नगत निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है वह वर्ष 1972-74 के मामलों से सम्बन्धित है, इसलिए इस समय सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारियों को हटाने अथवा सेवा निवृत्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय का निर्णय

1157. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और उसके उच्चाधिकारियों के विरुद्ध दिये गये कटु आलोचनापूर्ण निर्णय की जानकारी है (6 जनवरी, 1984 का हिन्दू समाचार पत्र) और यदि हां, तो क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है;

(ख) क्या यह सच है कि इसी प्रकार के बहुत से मामले हैं जिनमें उच्चाधिकारियों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के एक गैर-सरकारी एजेंसी होने का सहारा लेकर अवैध और मनमानी कार्यवाही की है; और

(ग) क्या सरकार 1964 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पुनर्गठन के समय विधिवत दिए गए आश्वासनों के अनुसार वहां नियमानुसार प्रशासन व्यवस्था कायम करेगी और सिविल सेवा तथा अपील नियमों, संघ लोक सेवा आयोग, ए० एस० आर० बी०, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, कार्मिक विभाग तथा भारत के राष्ट्रपति को उनके मामले भेजने के संबंध में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले संरक्षण सम्बन्धी सभी परिषद् के कर्मचारियों को उपयुक्त सभी संशोधनों के बाद देगी ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) सरकार उच्चतम न्यायालय के 16-12-1983 को दिए गए निर्णय से अवगत है। यह निर्णय 3-4 व्यक्तिगत मामलों के संबंध में हैं तो वर्ष 1972-74 से संबंधित है, इसलिए ऐसी स्थिति में कोई उपचारात्मक कदम उठाने या कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) जी, नहीं श्रीमान्। उच्च अधिकारियों के द्वारा अवैध और मनमानी कार्य किए जाने का कोई मामला नहीं है।

(ग) भा० कृ० अ० प० सोसाइटी के प्रशासन और कार्यों को चलाने के लिए भारत सरकार द्वारा पहले अनुमोदित नियम-उपनियमों का पालन किया जा रहा है। जैसा कि इन नियमों में यह प्रावधान है, कि भारत सरकार के अनेक सेवा नियमों और विनियमों में **यथोचित रूप से परिवर्तन करके** यहां के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित किया जाता है। इस प्रकार, सी० सी० एस० (सी० सी० ए०) के नियमों का उपयोग और कृ० वै० नि० मं० और सी० बी० सी० के सन्दर्भ में जहां आवश्यक है, सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले सारे लाभ और संरक्षण भा० कृ० अ० प० के कर्मचारियों को उपलब्ध हैं।

सोवियत संघ से उर्वरकों का आयात

1158. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सोवियत संघ से उर्वरक खरीदने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सोवियत संघ से खरीदे जाने वाले उर्वरकों की कुल मात्रा और मूल्य कितना है;

(ग) ये उर्वरक किस वर्ष तक खरीदे जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस संबंध में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) इसकी जानकारी देना सार्वजनिक हित में नहीं है ।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के लिए वेतन समिति

1159. **श्री भीखा भाई** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के वेतनों में संशोधन करने के लिए एक वेतन समिति की नियुक्ति की है नियुक्त करने का निर्णय किया है;

(ख) उक्त समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) उक्त वेतन समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(घ) उक्त वेतन समिति से कितने समय के अन्दर रिपोर्ट प्राप्त हो जाने की आशा है;

(ङ) क्या यह समिति कर्मचारी संघों से बातचीत करके अथवा उनसे लिखित/मौखिक साक्ष्य के आधार पर भारत सरकार को अपनी सिफारिशें पेश करेगी; और

(च) क्या भारतीय खाद्य निगम के श्रेणी II/I के कर्मचारियों को भी इस वेतन समिति के अन्तर्गत लाया जायेगा अथवा अन्यथा उनके वेतन में किस प्रकार संशोधन करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ङ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा सरकार की स्वीकृति से निगम के श्रेणी 3 और 4 के कर्मचारियों के औद्योगिक महंगाई भत्ते तथा वेतनमानों में संशोधन करने के बारे में सिफारिश करने के लिए एक वेतन समिति नियुक्त की जा रही है । समिति की संरचना के बारे में निर्णय कर लिया गया है और इसके बारे में शीघ्र अधिसूचना जारी की जा रही है । समिति अपने कार्य के बारे में अपनी

कार्यविधि स्वयं तैयार करेगी। आशा है कि समिति की सिफारिशों को 30 जून, 1984 तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

(च) केन्द्रीय सरकार के मंहगाई भत्ते के पैटर्न के अनुसरण में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के श्रेणी I और श्रेणी II के कार्यकारियों के बारे में वेतन-वृद्धि और औद्योगिक महंगाई भत्ते के पैटर्न को अपनाने विषयक सामान्य प्रश्न अलग से विचाराधीन है।

चीनी का उत्पादन और खपत

1160. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 के दौरान देश में चीनी का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) इसमें से कुल कितनी चीनी की देश में खपत हुई;

(ग) 31 दिसम्बर, 1983 को कितना स्टाक बचा हुआ था; और

(घ) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के दौरान चीनी का उत्पादन कम होने की संभावना है और यदि हां, तो कितना ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) चीनी वर्ष अक्तूबर से सितम्बर माना जाता है। चीनी वर्ष 1982-83 के लिए चीनी के उत्पादन, खपत, इतिशेष स्टाक आदि के आंकड़े नीचे दिए जाते हैं :—

(लाख मी० टन)

1. 1-10-1982 को पिछला बचा स्टाक	—	33.38
2. चीनी का उत्पादन	—	82.32
3. कुल उपलब्धता	—	115.70
4. आन्तरिक खपत	—	64.61
5. निर्यात	—	4.22
6. 1-10-1983 को पिछला बचा स्टाक	—	46.87

31-12-1983 को चीनी का इतिशेष स्टाक लगभग 36.66 लाख मीटरी टन था।

(घ) चालू चीनी वर्ष 1983-84 में 72-75 लाख मी० टन के आस-पास चीनी का उत्पादन होने का अनुमान है। यह उत्पादन उसी स्तर पर होने जा रहा है, जिस लक्ष्य को छठी योजना के चौथे वर्ष अर्थात् 1983-84 में प्राप्त करने की परिकल्पना की गई थी।

खाद्य तेलों का आयात

1161. **श्री नवीन रावणी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 के दौरान कुल कितना खाद्य तेल आयात किया गया था और वर्ष 1984 के दौरान कितना आयात किया जाएगा;

(ख) क्या खाद्य तेलों के स्थान पर तिलहनों का आयात किए जाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) वर्ष 1983 के दौरान समाज के कमजोर वर्गों को विशेषकर गुजरात राज्य में, उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक राज्य को आयातित तेलों सहित खाद्य तेलों की कुल कितनी मात्रा सप्लाई की गई; और

(घ) किस एजेंसी के माध्यम से तेल सप्लाई किया जाता है और सरकार यह कहां तक सुनिश्चित करती है कि तेल समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंचे ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 31 अक्तूबर, 1983 को समाप्त तेल वर्ष 1982-83 के दौरान 11.5 लाख मीटरी टन खाद्य तेलों का आयात किया गया। सरकार द्वारा आयात किए जाने वाले तेलों की मात्रा का निर्धारण समय-समय पर किया जाता है, जो इन बातों पर आधारित होता है; देशीय उत्पादन, खाद्य तेलों की मांग, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में इनका मूल्य, विदेशी मुद्रा की उपलभ्यता आदि। अतः इस बात का पूर्वानुमान लगाने का समय अभी नहीं आया है कि तेल वर्ष 1984 में खाद्य तेलों की कितनी मात्रा का आयात किया जाएगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को आयातित खाद्य तेलों का आबंटन करती है। ये तेल राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त/नामित एजेन्टों द्वारा उठाये जाते हैं। ये तेल केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मोटे दिशा-निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से घरेलू कार्डधारियों को जारी किए जाते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का वास्तविक कार्य-संचालन, जिसमें प्रति यूनिट/प्रति कार्डधारी को सप्लाई की जाने वाली मात्रा तथा अन्य मामलों का ब्यौरा तैयार करना शामिल है, राज्य सरकारों के निर्णय पर छोड़ दिया जाता है। मार्च, 1983 से फरवरी, 1984 तक विभिन्न राज्यों को आवंटित किए गए आयातित खाद्य तेलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मार्च, 1983 से फरवरी, 1984 तक की अवधि के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आयातित खाद्य तेलों का आबंटन दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	मार्च 1983	अप्रैल 1983	मई 1983	जून 1983	जुलाई 1983	अगस्त 1983	सितम्बर 1983	अक्तूबर 1983	नम्बर 1983	दिसम्बर 1983	जनवरी 1984	फरवरी 1984
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	3450	4000	4000	1500	6500	3500	7000	7000	9000	8000	7500	8000
2.	असम	555	630	630	800	850	850	850	850	850	850	850	900
3.	बिहार	210	350	350	455	455	755	800	800	800	800	1200	1300
4.	गुजरात	3260	3600	3600	4500	7000	7000	700	7000	7000	5000	4500	5000
5.	हरियाणा	175	220	220	260	260	260	330	500	500	500	700	900
6.	हिमाचल प्रदेश	455	625	625	790	790	790	790	1000	1000	1000	1030	1100
7.	जम्मू और कश्मीर	65	120	120	170	170	270	270	270	270	270	270	300
8.	कर्नाटक	890	1235	1235	1700	1700	3700	3700	4500	4500	4000	3500	4000
9.	केरल	1500	1950	1950	2325	2325	3325	4300	4300	5000	5000	5000	5000

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10. मध्य प्रदेश	1015	1030	1030	1050	1050	2050	2050	3000	3000	3000	3000	3000
11. महाराष्ट्र	3860	4850	4850	5845	5845	7845	10000	12000	12000	11500	11000	1.500
12. मणिपुर	265	265	265	265	265	310	310	400	400	400	450	500
13. मेघालय	175	330	230	290	290	440	440	440	440	440	440	500
14. नागालैंड	55	60	60	65	65	100	100	150	200	200	250	300
15. उड़ीसा	510	770	770	1030	1030	2030	2030	2500	2500	2500	3000	3200
16. पंजाब	610	1130	1130	1645	1645	2645	2645	2645	2645	2645	2600	2600
17. राजस्थान	190	350	350	510	510	1010	1010	1010	1010	1010	1000	1000
18. सिक्किम	130	155	155	180	180	200	200	200	200	200	200	200
19. तमिलनाडु	2930	3530	3530	4500	4500	6500	7500	7500	7500	7000	7000	7500
20. त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	100	50	50	50
21. उत्तर प्रदेश	1695	2345	2345	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	3000	4000
22. पश्चिम बंगाल	4780	5950	5950	7045	7045	8545	9000	10000	10000	10000	10000	10000
23. अंडमान व नि० द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	21	13	14
24.	अरुणाचल प्रदेश	25	25	25	30	30	60	50	50	50	50	50	50
25.	चंडीगढ़	20	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	50
26.	दादरा व नगर हवेली	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20
27.	दिल्ली	1040	1430	1430	1820	1820	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
28.	गोवा, दमण व दीव	240	295	295	350	350	350	350	350	350	350	350	400
29.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	28	—	—	15	15	15	20
30.	मिजोरम	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	200
31.	पांडचेरी	85	130	130	170	170	170	170	170	170	170	170	200
		28200	35355	35355	43370	61020	61048	662220	73160	75325	69775	69980	75000

पंजाब में गेहूं की खड़ी फसल में मेंगनीज अणुपोषक तत्व (माइक्रो न्यूट्रिएन्ट) की कमी

1162. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के कई भागों में गेहूं की खड़ी फसल मे मेंगनीज अणुपोषक तत्व की व्यापक कमी होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) चालू रबी फसल में गेहूं का कितना उत्पादन होने की आशा है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) पंजाब के कुछ जिलों में हल्की रेतीली भूमि के टुकड़ों में मेंगनीज की कमी होने की सूचना मिली है।

(ख) राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्र के किसानों को मेंगनीज की इस कमी को दूर करने के लिए मेंगनीज सल्फेट की उपयुक्त मात्रा का फैसलों पर छिड़काव करने की सलाह दी है।

(ग) पंजाब में देर से हुई वर्षा के बावजूद उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाने की आशा है।

वाणिज्यिक मछली बीज फार्मों की स्थापना

1163. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** :

श्री छोटूभाई गामित : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में देश में कुछ वाणिज्यिक मछली बीज फार्मों की स्थापना करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और वित्तीय सहायता जैसी सुविधाओं और चालू वर्ष के दौरान बीजों के उचित प्रयोग के लिए इस क्षेत्र में किसानों को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया और प्रत्येक को दी जाने वाली बीज की मात्रा तथा अन्य आवश्यक जानकारी का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक के जल क्षेत्र का हैक्टेयर में क्षेत्रफल कितना होगा ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में विश्व बैंक की सहायता से अन्तर्देशीय मात्स्यिकी परियोजना के अन्तर्गत तथा आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, तमिलनाडु राज्यों और नदी घाटी परियोजनाओं में चल रहे राष्ट्रीय डिम्पोना कार्यक्रम के अन्तर्गत वाणिज्यिक डिम्पोना फार्मों की स्थापना करने की व्यवस्था है।

पांच परियोजना राज्यों में इन फार्मों के लिए विश्व बैंक लागत का 70 प्रतिशत ऋण सहायता के रूप में उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय डिम्पोना कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा उतनी ही सीमा तक ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है। बाकी (30 प्रतिशत) लागत सम्बंधित राज्यों द्वारा वहन की जाती है।

मत्स्य पालक विकास एजेंसियां जलाशयों और तालाबों में गहन मत्स्य पालन करने के लिए चुने गए लाभानुभोगियों को प्रशिक्षण देती हैं। इन राज्यों में वैज्ञानिक तरीके से डिम्पोना का स्टाक करके वैज्ञानिक मत्स्य पालन के तहत अब तक 46,000 हैक्टार जल क्षेत्र लाया गया है।

लाख के बारे में अध्ययन

1164. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण वन उत्पाद "लाख" के निर्यात और संसाधन के मामले में आदिवासियों के शोषण के बारे में एक अध्ययन के विस्तृत निष्कर्षों (फाइनेंसिएशल एक्सप्रेस, दिनांक 22 जनवरी, 1984) की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं और उसके लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ख) क्या यह सच है एक तरह के तीन भारतीय कम्पनियों का ही इसके निर्यात व्यापार पर नियंत्रण और एकाधिकार है जो कि "नाफेड" एस० टी० सी० (भारतीय व्यापार निगम) आदि जैसे सरकारी क्षेत्र के यूनिटों की असफलता दर्शाती है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि लाख के उत्पादन को बढ़ाने अथवा उपयोग और उत्पादन के नए और बेहतर तरीके खोज निकालने में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान और विकास व्यवस्था बिल्कुल असफल रही है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) भारत सरकार को ऐसी कोई अध्ययन रिपोर्ट प्राप्य नहीं हुई है।

(ख) लाख का निर्यात 10 जून, 1975 से राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है परन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस क्षेत्र की विनिमाता इकाईयां तथा अन्य पूरी तरह से समाप्त न हों जायें, व्यक्तिगत निर्यातकों को राज्य व्यापार निगम के समग्र माध्यम के अन्तर्गत लाख निर्यात करने की अनुमति दी जाती है।

(ग) जी नहीं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के रांची स्थित भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान ने लाख के उपयोग और उत्पादन के लिए कुछ नई पद्धतियां विकसित की हैं।

समस्या वाले गांवों को पीने के पानी की सप्लाई के लिए निर्धारित लक्ष्य

1165. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समस्या वाले गांवों को पीने के पानी का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए कितने समस्या वाले गांवों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पेय जल प्रदान योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अलग-अलग कितनी धनराशि आबंठित की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इन योजनाओं, विशेष रूप से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए कोई व्यवस्था की है ताकि लक्ष्यों को पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जा सके;

(घ) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है और चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों के सम्बन्ध में निगरानी के क्या परिणाम हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या निगरानी के लिए कोई व्यवस्था की जाएगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान लाभान्वित किए जाने वाले लक्षित प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में समस्याग्रस्त गांवों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। चालू वर्ष (1983-84) के दौरान राज्य क्षेत्र के न्यूनतत आवश्यकता कार्यक्रम में जलपूर्ति के लिए नियतन संलग्न विवरण-II में दिया गया है । वर्ष 1983-84 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम एवं कार्य निष्पादन पर आधारित सहायता अनुदान की नवीन प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई राशि क्रमश: संलग्न विवरण III ओर IV में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि त्रैमासिक आधार पर वित्तीय तथा वास्तविक विषयों दोनों में प्रगति रिपोर्ट भेजें । प्रगति की समीक्षा करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रबोधन प्रभारी अधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठक भी आयोजित की जाती है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सारे देश के लिए 48,846 समस्याग्रस्त गांवों के लक्ष्य की तुलना में 31 दिसम्बर, 1983 तक 30,305 समस्याग्रस्त गांवों को लाभान्वित किया जा चुका है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण— I

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1983-84 के दौरान कवरेज के लिए लक्षित समस्याग्रस्त गांव
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1478
2.	असम	2380
3.	बिहार	2760
4.	गुजरात	1000
5.	हरियाणा	355
6.	हिमाचल प्रदेश	800
7.	जम्मू तथा कश्मीर.	460
8.	कर्नाटक	7728@
9.	केरल	200
10.	मध्य प्रदेश	6000£
11.	महाराष्ट्र	3500
12.	मणिपुर	145
13.	मेघालय	415
14.	नागालैण्ड	80
15.	उड़ीसा	5060
16.	पंजाब	126
17.	राजस्थान	3200
18.	सिक्किम	88
19.	तमिलनाडु	1400
20.	त्रिपुरा	623
21.	उत्तर प्रदेश	8000

1 2	3
22. पश्चिम बंगाल	2400
23. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	63
24. अरुणाचल प्रदेश	430
25. चण्डीगढ़	—
26. दिल्ली	—
27. दादरा तथा नागर हवेली	—
28. गोवा, दमन और दीव	14
29. लक्षद्वीप	—
30. मिजोरम	39
31. पाण्डिचेरी	30
योग	488546

@इसमें पिछले वर्ष के 2741 समस्याग्रस्त गांवों को आंशिक रूप से लाभान्वित किया गया है ।

£इसमें 2578 कठिनाई वाले गांव शामिल हैं ।

विवरण—II

(लाख रुपयों में)

क्र० सं० राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1983-84 के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत जलपूर्ति का नियतन
1 2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	3000.00
2. असम	1060.00
3. बिहार	1375.00
4. गुजरात	1600.00
5. हरियाणा	1800.00

1	2	3
6.	हिमाचल प्रदेश	1000.00
7.	जम्मू तथा कश्मीर	1125.00
8.	कर्नाटक	1377.00
9.	केरल	711.00
10.	मध्य प्रदेश	1920.00
11.	महाराष्ट्र	6000.00
12.	मणिपुर	430.00
13.	मेघालय	400.00
14.	नागालैण्ड	260.00
15.	उड़ीसा	725.00
16.	पंजाब	800.00
17.	राजस्थान	1300.00
18.	सिक्किम	145.00
19.	तमिलनाडु	1300.00
20.	त्रिपुरा	250.00
21.	उत्तर प्रदेश	3500.00
22.	पश्चिम बंगाल	790.00
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	100.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	450.00
25.	चण्डीगढ़	—
26.	दिल्ली	100.00
27.	दादरा तथा नागर हवेली	6.20
28.	गोवा, दमन और दीव	—
29.	लक्षद्वीप	122.00
30.	मिजोरम	175.00
31.	पाण्डिचेरी	20.00
	योग	31841.40

विवरण—III

केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों तथा एम० एण्ड आई० एककों के तहत वर्ष 1983-84 के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई राशियों के ब्यौरे

(आंकड़े लाख रु० में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्माण कार्य	एम० एण्ड आई० एकक
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	553.24	5.73
2.	असम	623.21	3.50
3.	बिहार	761.55	—
4.	गुजरात	250.00 113.61	6.00
5.	हरियाणा	250.00	2.00
6.	हिमाचल प्रदेश	250.00	—
7.	जम्मू तथा कश्मीर	1446.00	5.00
8.	कर्नाटक	714.73	—
9.	केरल	1121.30	6.00
10.	मध्य प्रदेश	1244.20	—
11.	महाराष्ट्र	720.05	6.00
12.	मणिपुर	107.89	6.00
13.	मेघालय	530.20	4.00
14.	नागालैण्ड	235.28	6.00
15.	उड़ीसा	807.82	6.00
16.	पंजाब	26.00 250.000	—
17.	राजस्थान	3363.83	2.50
18.	सिक्किम	210.04	1.53
19.	तमिलनाडु	688.31	6.00
20.	त्रिपुरा	36.63 75.00	—

1	2	3	4
21.	उत्तर प्रदेश	3335.16	—
22.	पश्चिम बंगाल	1552.28	6.00
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	12.00	1.50
24.	अरुणाचल प्रदेश	67.00	—
25.	चण्डीगढ़	—	—
26.	दिल्ली	—	2.00
27.	दादर तथा नागर हवेली	—	—
28.	गोवा, दमन तथा दीव	51.07	—
39.	लक्षद्वीप	—	—
30.	मिजोरम	6.00	2.00
31.	पांण्डिचेरी	15.00,	0.25
	योग	19426.67	78.01

विवरण — IV

1983-84 के कार्य निष्पादन पर आधारित केन्द्र द्वारा नवीन त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दी गई राशि (आंकड़े लाख रु० में) पहली किश्त	दूसरी किश्त	योग
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	179.00	221.00	400.00
2.	असम	—	420.00	420.00
3.	बिहार	252.00	25.00	250.00
4.	गुजरात	—	250.00	278.00
5.	हरियाणा	26.00	424.00	250.00
6.	हिमाचल प्रदेश	12.00	188.00	200.00
7.	जम्मू तथा कश्मीर	—	—	—
8.	कर्नाटक	—	60.00	60.00

1 2	3	4	5
9. केरल	7.50	392.50	400.00
10. मध्य प्रदेश	229.00	371.00	600.00
11. महाराष्ट्र	93.00	—	93.00
12. मणिपुर	0.50	109.50	210.00
13. मेघालय	—	—	—
14. नागालैण्ड	—	80.00	80.00
15. उड़ीसा	254.00	1.6.00	150.00
16. पंजाब	4.00	146.00	150.00
17. राजस्थान	401.00	349.00	750.00
18. सिक्किम	3.00	97.00	100.00
19. तमिलनाडु	106.00	294.00	400.00
20. त्रिपुरा	—	—	—
21. उत्तर प्रदेश	426.00	324.00	750.00
22. पश्चिम बंगाल	—	200.00	200.00
23. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	—	—
24. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
25. चण्डीगढ़	—	—	—
26. दिल्ली	—	—	—
27. दादर तथा नगर हवेली	—	—	—
28. गोवा, दमन तथा दीप	4.00	—	4.00
29. लक्षद्वीप	—	—	—
30. मिजोरम	—	—	—
31. पाण्डिचेरी	—	—	—
योग	1997.00	4147.00	6144.00

सार्वजनिक वितरण प्रणाली दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम को सौंपा जाना

1166. **श्री बो० वी० देसाई** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम को सौंपे जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम को उन नई कालौनियों में, जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण उसे उचित किराए पर स्थान उपलब्ध कराने को सहमत हो गया है : उचित दर की दुकानों के लिए लाइसैंस लेने के लिए कहा जाएगा;

(ग) यदि हां, तो निर्णय के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) क्या ऐसा निर्णय उन अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा, जहां पर इस प्रकार की उचित दर की दुकान योजना चल रही है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने की दृष्टि से, दिल्ली प्रशासन ने निर्णय किया है कि दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक बड़ी भूमिका अदा करे। दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम ने दो उचित दर की दुकानें चलानी शुरू कर दी हैं, जिसमें एक चलती फिरती दुकान शामिल है। दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम को यथा समय पर उचित दर की दुकानें भी दी जा सकती हैं।

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गठन और उसे चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों की है। यह निर्णय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की है कि क्या उचित दर की दुकानें नागरिक आपूर्ति निगमों द्वारा, जहां कहीं ये निगम मौजूद हैं, चलाई जायें।

त्वरित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दी गई धनराशि

1167. **श्री के० मालन्ना** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कतिपय राज्यों को हाल ही में कुछ धनराशि दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्द उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) 1983-84 के दौरान, केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत पता लगाए गए समस्याग्रस्त गांवों में पेय जल पूर्ति मुहैया करने में राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ाते हुए सरकार ने राज्यों को अनुदान जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, कार्य निष्पादन पर आधारित नवीन प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत राज्यों को अनुदान दिए गए हैं। इन दो योजनाओं के तहत प्रत्येक राज्य को दी गई राशियां क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दी गई हैं।

विवरण—I

त्वरित ग्रामीण जालपूर्ति कार्यक्रम

निर्माण कार्यों तथा एम० एण्ड आई० यूनिटों के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई राशियों के ब्यौरे।

(आंकड़े लाख रु० में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्माण कार्य	एम० एण्ड आई० एकक
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	553.24	5.73
2.	असम	623.21	3.50
3.	बिहार	761.55	—
4.	गुजरात	250.00 113.61	6.00
5.	हरियाणा	250.00	2.00
6.	हिमाचल प्रदेश	250.00	—
7.	जम्मू तथा कश्मीर	1446.26	5.00
8.	कर्नाटक	714.73	—
9.	केरल	1121.30	6.00
10.	मध्य प्रदेश	1244.70	—
11.	महाराष्ट्र	720.05	6.00
12.	मणिपुर	107.89	6.00
13.	मेघालय	530.20	4.00

1	2	3	4
14.	नागालैण्ड	235.28	6.00
15.	उडीसा	807.22	6.00
16.	पंजाब	26.00 250.00	—
17.	राजस्थान	3363.83	2.50
18.	सिक्किम	219.04	1.53
19.	तमिलनाडु	688.31	6.00
20.	त्रिपुरा	36.63 75.00	—
21.	उत्तर प्रदेश	3335.16	—
22.	पश्चिम बंगाल	1552.28	6.00
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	12.00	1.50
24.	अरुणाचल प्रदेश	67.00	—
25.	चण्डीगढ़	—	—
26.	दिल्ली	—	2.00
27.	दादर तथा नगर हवेली	—	—
28.	गोवा, दमण तथा दीव	51.07	—
29.	लक्षद्वीप	—	—
30.	मिजोरम	6.00	2.00
31.	पाण्डिचेरी	15.00	0.25
	योग	19426.66	78.01

विवरण—II

कार्य निष्पादन पर आधारित केन्द्र द्वारा नवीन त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दी गई राशि (आंकड़े लाख रु० में)		
		पहली किश्त	दूसरी किश्त	योग
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	179.00	221.00	400.00
2.	असम	—	420.00	420.00

1 2	3	4	5
3. बिहार	252.00	25.00	277.00
4. गुजरात	—	250.00	250.00
5. हरियाणा	26.00	424.00	250.00
6. हिमाचल प्रदेश	12.00	188.00	200.00
7. जम्मू तथा कश्मीर	—	—	—
8. कर्नाटक	—	60.00	60.00
9. केरल	7.50	392.50	400.00
10. मध्य प्रदेश	229.00	371.00	600.00
11. महाराष्ट्र	93.00	—	93.00
12. मणिपुर	0.50	109.50	110.00
13. मेघालय	—	—	—
14. नागालैण्ड	—	80.00	80.00
15. उड़ीसा	254.00	196.00	450.00
16. पंजाब	4.00	146.00	150.00
17. राजस्थान	401.00	349.00	750.00
18. सिक्किम	3.00	97.00	100.00
19. तमिलनाडु	106.00	294.00	400.00
20. त्रिपुरा	—	—	—
21. उत्तर प्रदेश	426.00	324.00	750.00
22. पश्चिम बंगाल	—	200.00	200.00
23. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	—	—
24. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
25. चण्डीगढ़	—	—	—

1 2	3	4	5
26. दिल्ली	—	—	—
27. दादर तथा नगर हवेली	—	—	—
28. गोवा, दमण तथा दीव	4.00	—	4.00
29. लक्षद्वीप	—	—	—
30. मिजोरम	—	—	—
31. पाण्डिचेरी	—	—	—
योग	1997.00	4147.00	6144.00

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों के निर्माण में कदाचार

1168. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों के निर्माण में किए गए कदाचारों की जानकारी है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने कतिपय कर्मचारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो डी०डी०ए० के उन कर्मचारियों और ठेकेदारों का ब्यौरा क्या है, जिनके विरुद्ध मकानों के निर्माण में कदाचारों को रोकने हेतु कार्यवाही की गई है; और

(घ) डी०डी०ए० के कर्मचारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) त्रुटियों के कुछ मामले ध्यान में आए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ) निम्न स्तर तथा निकृष्ट कोटि का कार्य करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के 76 इंजीनियरों तथा 35 ठेकेदारों के ब्यौरे तथा उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही की प्रकृति क्रमशः अनुलग्नक "क" तथा "ख" में दी गयी है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7867/84]

नई आवास परियोजनाओं के लिए "हुडको" की ऋण सहायता

1169. **श्री शुशील भट्टाचार्य**: क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) ने 75.25 करोड़ रुपए की कुल लागत से 114 नई परियोजनाएं मंजूर की हैं और इनके लिए 46.66 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया है;

(ख) क्या ऐसी परियोजनाएं 13 राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों में भी शुरू की जायेंगी; और

(ग) यदि हां, तो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को किस आधार पर चुना जाता है और अन्यों को हुडको की सहायता से वंचित क्यों रखा जाता है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आवास तथा नगर विकास निगम ने 26 दिसम्बर, 1983 को हुई अपने बोर्ड की 79वीं बैठक में 72.75 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत तथा 46.68 करोड़ रुपये की हुडको की ऋण वचनबद्धता से 114 योजनाएं स्वीकृत की थीं।

(ख) जी, हां।

(ग) हुडको प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता की सीमा जो पृथक-पृथक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आवास तथा नगर विकास अभिकरणों को इसके मार्गनिर्देशनों के अनुसार आवास तथा नगर विकास योजनाओं को आरम्भ करने के लिए उपलब्ध कराई जा सकती है, बता देता है। तथापि, वास्तविक स्वीकृति हुडको के मार्गनिर्देशनों के अनुसार राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त योजनाओं के अनुसार ही विनियमित की जाती है। हुडको ने इसके मार्गनिर्देशनों के अनुसार बनाई गई किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजना को अस्वीकार नहीं किया है।

राजनीतिक दलों और अन्य संगठनों को सरकारी भूमि

1170. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गैर-सरकारी संस्थानों, संगठनों और सोसायटियों आदि के नाम क्या हैं, जिन्हें 1980, 1981 और 1982 के दौरान दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में सरकारी भूमि आबंटित की गई है;

(ख) आबंटित की गई भूमि का क्षेत्र कितना है और आबंटन का प्रयोजन क्या है; और

(ग) 31 दिसम्बर, 1982 को कितने आवेदन-पत्र लंबित पड़े थे और इन आवेदकों में से उन राजनीतिक दलों के नाम पते क्या हैं जिन्होंने अपने अखिल भारतीय कार्यालयों अथवा दिल्ली प्रदेश के कार्यालयों के लिए भूमि अथवा आवास मांगा है और प्रत्येक मामले में निर्णय लम्बित होने के क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) जिन गैर-सरकारी संगठनों/संस्थानों/सोसायटियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1980, 1981 और 1982 के दौरान भूमि का आबंटन किया है। प्रत्येक को आबंटित क्षेत्रफल सहित उनके नाम अनुलग्नक "क", "ख" और "ग" में दिए गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7868/84]

(ग) भूमि आबंटन के लिए कुल 549 मामले निलम्बित पड़े हुए हैं (31.12.82 तक सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रयोजनों के लिए 299, धार्मिक प्रयोजनों के लिए 177 और शैक्षिक प्रयोजनों के लिए 73) इन आवेदन-पत्रों में राजनैतिक दलों से प्राप्त कोई अनुरोध निलम्बित नहीं पड़ा हुआ है।

सरकारी कालोनियों में सार्वजनिक भूमि पर बनाए जा रहे स्टाल

1171. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी कालोनियों में सार्वजनिक भूमि पर, बरामदों में और बाजारों में और इनके आस-पास और दूसरी जगहों पर और अन्य क्षेत्रों के फुटपाथों पर बड़े पैमाने पर काम-चलाऊ दुकानें/स्टाल बन गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अवैध निर्माण को समाप्त करने हेतु कार्यवाही करने का है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) जब कभी इस प्रकार का अतिक्रमण सरकार के ध्यान में आता है तो लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उन्हें खाली कराने की आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की धीमी प्रगति

1171. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है विभिन्न राज्यों में, विशेषकर बिहार में ग्रामीण विकास की प्रगति धीमी पाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं और कार्यक्रम में प्रगति की अपेक्षित गति लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) अधिकांश राज्यों में इस मंत्रालय के मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों जिनमें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा भूमि सुधार शामिल हैं, की प्रगति धीमी नहीं पाई गई है।

छठी योजनावधि के 1980-83 के तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति बिहार में इस प्रकार रही : —

कार्यक्रम	लक्ष्य के प्रतिशत के रूप में उपलब्धि
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	84.34 प्रतिशत (साहाय्यित लाभभोगियों की संख्या)
सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	74 प्रतिशत (आबंटित निधियों का उपयोग)
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	47 प्रतिशत (सृजित श्रमदिनों की संख्या)
भूमि सुधार	59 प्रतिशत (फालतू घोषित भूमि का वितरण। शेष भूमि वितरित नहीं की जा सकी, क्योंकि अधिकांश पर मुकदमे चल रहे हैं।)

(ख) बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राष्ट्रीय औसत की तुलना में कुछ कम उपलब्धि हुई है और यह मामला राज्य सरकार के साथ उठाया गया है तथा राज्य सरकार ने अपने नवीनतम पत्र में आश्वासन दिया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्य की गति में सुधार हो रहा है और आशा है कि इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।

दिल्ली नगर निगम और नयी दिल्ली नगर पालिका द्वारा प्रभारों की वसूली

1173. **श्री निहाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के जल प्रदाय विभाग ने नयी दिल्ली नगर पालिका से पानी की बल्क सप्लाई के लिए 102.66 लाख रुपए वसूल किए हैं और शेष 22.66 लाख रुपए की बकाया राशि उचन्त खाते में डाल दी गई है;

(ख) क्या नयी दिल्ली नगर पालिका द्वारा मल व्ययन व्यय के वितरण के लिए 1978-79 तक 34.67 लाख रुपए देय थे और इसमें से केवल 15.00 लाख रुपए वसूल किए गए हैं और 19.67 लाख रुपए की बकाया राशि को जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान द्वारा उचन्त खाते में डाल दिए गए हैं और यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) क्या वार्षिक लेखापरीक्षा के समय लेखापरीक्षा अधिकारी प्रतिवर्ष यह टिप्पणी करते रहे हैं कि नयी दिल्ली नगर पालिका से उक्त राशि वसूल की जाए परन्तु यह राशि अभी तक वसूल नहीं की गई है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि 1978-79 के दौरान पानी की एक मुश्त सप्लाई के सहभागिता मूल्य के कारण 1,02,65,910.17 रुपए की राशि नयी दिल्ली नगर पालिका की ओर बकाया थी। उन्होंने यह भी कहा है कि 30 लाख रुपए की राशि नयी दिल्ली नगर पालिका ने अदा कर दी थी तथा 22,65,910.17 रुपए की शेष राशि को उचन्त लेखे के अन्तर्गत समायोजित किया गया था तथा नयी दिल्ली नगर पालिका से वसूलने वाली दिखाया गया था।

(ख) संस्थान ने सूचित किया है कि 1978-79 के दौरान मल व्ययन के सहभागिता मूल्य के कारण 34,66,783.39 रुपए की राशि नयी दिल्ली नगर पालिका की ओर बकाया थी तथा इसमें से उसी वर्ष 15.00 लाख रुपए की राशि प्राप्त हो गई थी एवं 19,66,783.39 रुपए की शेष राशि को उचन्त लेख में डाला गया था तथा नयी दिल्ली नगर पालिका से वसूली की जाने के रूप में दिखाया गया था। संस्थान के अनुसार, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि संस्थान के अधिकांश लेखे वाणिज्यिक आधार पर रखे जाते हैं।

(ग) संस्थान ने कहा है कि लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्टों में इस आशय की टिप्पणी की है कि नयी दिल्ली नगर पालिका से सभी बकाया राशि वसूल कर ली जाए। संस्थान ने यह भी कहा है कि वे नयी दिल्ली नगर पालिका को अपने दावे इसको सप्लाई किए गए पानी की मात्रा के आधार पर भेजते हैं। नयी दिल्ली नगर पालिका अंश भुगतान करती आ रही है क्योंकि दिल्ली नगर निगम तथा नयी दिल्ली नगर पालिका के बीच इस मामले में एक विवाद है।

उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और गुजरात को प्राकृतिक आपदाओं के लिए पुनर्वास सहायता

1174. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 और 1983 के दौरान उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और गुजरात, राज्यों को इस अवधि के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति को पूरा करने के लिए दी गई राहत और पुनर्वास सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित इस क्षेत्र में स्थिति का अध्ययन करने के लिए किसी केन्द्रीय दल ने इन राज्यों का दौरा किया है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) तथा (ख) राज्यों का दौरा करने के बाद केन्द्रीय दलों की रिपोर्टों तथा राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर आंध्र प्रदेश, गुजरात तथा उड़ीसा के राज्यों को 1982-83 तथा 1983-84 के वर्षों के लिए व्यय की निम्नलिखित अधिकतम सीमा मंजूर की गई है : -

(करोड़ रुपए में)

राज्य	आपदा	1982-83	1983-84
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	सूखा	68.77	28.26
	बाढ़/समुद्री तूफान	—	96.70
2. गुजरात	सूखा	30.60	9.18
	बाढ़/समुद्री तूफान	72.91 (1982-83 से आगे लाए गए बकाए के रूप में 30.97 करोड़ रुपए सहित)	43.67 (1983-84 के लिए 1982-83 से आगे लाए गए बकाए के रूप में 4.45 करोड़ रुपए सहित)
3. उड़ीसा	सूखा	19.78 (1982-83 के लिए 1981-82 से आगे लाए गए बकाए के रूप में 3.80 करोड़ रुपए सहित)	24.65
	बाढ़/समुद्री तूफान	170.52	22.98 1983-84 के लिए 1982-83 से आगे लाए गए बकाए के रूप में 22.98

वर्ष 1984-85 में दिल्ली जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान के लिए नियत की गई धनराशि

1175. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान के लिए वर्ष 1984-85 के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) उस प्रयोजन के लिए कितनी योजनाएं मंजूर की गई हैं; और

(ग) संघ राज्य क्षेत्र के उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है, जो उन योजनाओं के अन्तर्गत आयेंगे ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली जल प्रदाय व मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि वर्ष 1984-85 के दौरान योजना कार्यों के लिए 3,700 लाख रुपए की राशि अनुमोदित की गयी है ।

(ख) संस्थान के अनुसार 33 योजनायें अनुमोदित की गई हैं ।

(ग) संस्थान ने सूचित किया है कि योजनाओं में पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली शामिल है ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन

1176. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ क्षेत्रों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों का यता तदर्थ आधार पर लगाया गया है क्या कुछ मामलों में उन्हें लाभ पहुंचाने वाली परियोजनायें ठीक से तैयार नहीं की गई हैं अथवा उन्हें प्रभावकारी ढंग से क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के मामले में कई क्षेत्रों में खाद्यान्नों का वितरण अव्यवस्थित ढंग से हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में, इन पहलुओं के संबंध में क्या कदम उठाने का है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) ये कमियां समय-समय पर ध्यान में आई हैं ।

(ख) कुछ राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्नों का वितरण संतोषजनक नहीं है ।

(ग) जहां लाभभोगियों के चयन अथवा परियोजना तैयार करने का कार्य असंतोषजनक पाया जाता है वहां संबंधित राज्य प्राधिकारियों के परामर्श से स्थिति का पुनरीक्षण किया जाता है तथा उपचारी उपाय सुझाए जाते हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत हाल ही में रियायती दरों पर खाद्यान्न देना आरम्भ करने से खाद्यान्नों के वितरण में सुधार आने की सम्भावना है।

खाद्यान्नों के उत्पादन में जम्मू और काश्मीर की आत्मनिर्भरता

1177. **श्री अब्दुल रसीद काबुली** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारा देश खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर है;

(ख) देश में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि मोर्चे पर क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या जम्मू और काश्मीर खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है; और

(घ) जम्मू और काश्मीर राज्य ने खाद्यान्नों का अपने उत्पादन में कमी को पूरा करने के लिए 1980-81 से अब तक भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से प्रति वर्ष कितने खाद्यान्न का निर्यात किया ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां। ऐसे वर्षों में जब सामान्य वर्षा होती है तथा मौसम परिस्थितियां अनुकूल बनी रहती है तब हमारा देश खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर रहता है।

(ख) सरकार द्वारा किए गए उपायों में अन्यों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं :—

1. अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के तहत क्षेत्र का विस्तार किया जाना,
2. सामुदायिक नर्सरियों की स्थापना करना विशेषकर धान की खेती की सामुदायिक नर्सरियों की स्थापना करना,
3. मिनीकिटों तथा अच्छे बीजों की आपूर्ति,
4. दलहनों की खेती में तेजी लाने तथा दलहनों की अन्त: खेती तथा मिश्रित खेती को लोकप्रिय बनाने के विशेष कार्यक्रम,
5. 29-6-83 से उर्वरकों के मूल्यों में 7.5 प्रतिशत की कमी करना तथा उर्वरकों के वितरण के लिए और अधिक केन्द्र खोलना,

6. अनुसंधान केन्द्रों से किसानों तक जानकारी पहुंचाने के लिए मुख्य राज्यों में विस्तार तंत्र को मजबूत बनाना तथा "प्रशिक्षण और दौरा कार्यक्रम" को अपनाना,

7. सिंचित क्षेत्रों में पैदावार बढ़ाने के लिए अनुकूलतम जल प्रबंध कार्यक्रम,

8. असिंचित तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों से अधिक पैदावार लेने के लिए मृदा संरक्षण तथा बारानी खेती की तकनीकें,

9. कार्यकुशल खेती को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाए जाने की नीति को अपनाया जाना,

10. किसानों विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों की सहायता के लिए ऋण सुविधा बढ़ाया जाना,

11. उपयुक्त रूप से तथा समय पर वनस्पति रक्षक के उपायों को अपनाया जाना।

(ग) तथा (घ) खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार धान, मक्का तथा गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई उपाय कर रही है। 1980 से अब तक की गई चावल और गेहूं की खरीद तथा वसूली के संबंध में आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

जम्मू व कश्मीर में चावल और गेहूं की खरीद

(केन्द्रीय पूल से की गई खरीद)

(हजार मीटरी टन)

	1980	1981	1982	1983
चावल	130	95	107	146
गेहूं	153	130	151	160
कुल	283	225	258(अ)	306(अ)

जम्मू व कश्मीर में चावल और गेहूं की खरीद

(केन्द्र और राज्य पूल से की गई खरीद)

चावल	166	105	130	169
गेहूं	169	143	160	169
कुल	335	248	290(अ)	338(अ)

जम्मू व कश्मीर में चावल और गेहूं की वसूली

	1980	1981	1982	1983
चावल	61	54	37	33
गेहूं	29	20	20	19
कुल	90	74	57 (अ)	52 (अ)

(अ) = अनन्तिम

कृषि सम्बन्धी राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र

1178. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान कृषि के बारे में कितने राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए गए हैं; और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) उनकी उपलब्धियों का क्या ब्यौर है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह): (क) छठी योजना में कार्यान्वयन के लिए 7 राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों से सम्बन्धित प्रस्तावों को पास कर दिया गया है। अब तक निम्नलिखित 3 राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है ।

1. खुम्बी पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र
2. राष्ट्रीय मछली आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो
2. राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक ब्यूरो ।

(ख) चूंकि सभी तीनों केन्द्रों की अभी हाल ही में स्थापना की गयी है तथा पदों के सृजन/भरे जाने पर प्रतिबन्ध होने के कारण पूरी संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गयी है। फलतः इस क्षेत्र में अब तक महत्वपूर्ण उपलब्धियां नहीं प्राप्त की गयी हैं ।

कमला नदी पर साइफन

1179. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई मंत्री** कमला नदी पर साइफन को पूरा किए जाने के बारे में 12 दिसम्बर, 1983 के तारांकित प्रश्न संख्या 268 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी कोसी नहर के लिए नहर शीर्ष पर स्वतः निष्कासक भूतही बालन और बालन नदी तथा कमल नदी के पार साइफन के ढांचों का निर्माण कार्य इस बीच शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या निर्माण कार्य का अबाध रूप से चलना सुनिश्चित करने के लिए सीमेंट की सप्लाई में कमी को इस बीच दूर कर दिया है;

(घ) क्या कमला नदी की पश्चिमी मार्ग रेखा में धनुषाकार मोड़ को ठीक किया जा रहा है ताकि अधिक क्षेत्र को सिंचाई क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जा सके; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या परियोजना से सीमेंट और अच्छी किस्म की ईंटों की चोरी तथा नहर के निर्माण में घटिया किस्म की ईंटें और सीमेंट का उपयोग होने के बारे में अनेक शिकायतें हुई हैं और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) पश्चिमी कोसी नहर के नहर शीर्ष पर आर० डी० 0.35 किलोमीटर पर गाद निष्कासक के निर्माण का कार्य अक्तूबर, 1983 से चल रहा है। भूतही बालान पर संरचना के निर्माण का कार्य आरम्भ करने के लिए टेन्डर मंगाए गए हैं। बालान नदी पर संरचना का निर्माण तथा कमला नदी पर साइफन का निर्माण-कार्य अभी शुरू होना है। आवश्यक डिजाइनों तथा ड्राइंगों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ बातचीत करके सीमेंट की कमी की समस्या को हल कर लिया गया है तथा राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सप्लाई की स्थिति संतोषजनक हो गई है।

(घ) नहर के संरेखण को अन्तिम रूप देने के सम्बन्ध में ऐसे विशिष्ट ब्यौरे राज्य द्वारा तय किए जाने हैं तथा केन्द्र के पास इस प्रकार की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। प्रश्नगत विषय पूर्णतः राज्य प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार में है।

केरल को सूखा सहायता

1180. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने नकदी फसलों को बढ़ावा देने के लिए जिनकी अभूतपूर्व सूखे के कारण काफी क्षति हुई थी सहायता मांगने हेतु कोई ज्ञापन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार से कितनी सहायता प्राप्त हुई और उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) सहायता के लिए एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिसमें आदान और सिंचाई प्रबन्ध के रूप में 146.36 करोड़ रुपए की राजसहायता शामिल है ।

(ग) चालू वर्ष के दौरान 1.62 करोड़ रुपए की राशि, जो उन्हें पहले ही इस छूट पर उपलब्ध कराई जा चुकी है कि इसका उपयोग बागान फसलों हेतु आदान राजसहायता के रूप में किया जा सकता है, के अतिरिक्त केरल सरकार को आदान राजसहायता के रूप में 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त अग्रिम योजना सहायता दी गई थी ।

2. 1983-84 के दौरान केरल में नारियल उत्पादकों की सहायता के लिए बीजों और उर्वरकों के मिनीकिटों की आपूर्ति के प्रयोजन हेतु नारियल को तिलहन फसल के रूप में शामिल कर लिया गया है ।

3. फूलों और ईंधन बागानों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रति ब्लाक 0,000 रुपए उपलब्ध की जाने वाली सहायता नारियल पर भी लागू कर दी गयी ।

4. जड़ मुरझान रोग से ग्रस्त पामों को दूर करने और नारियल की पौध की सप्लाई करने के लिए नारियल के विकास हेतु नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से 49 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गई है ।

5. "इलायची के पुनः रोपण, ऋण तथा राजसहायता" नामक एक योजना छोटे उत्पादकों के लाभ के लिए उसके कार्यान्वयन हेतु इलायची बोर्ड द्वारा स्वीकृत गई है जिसमें 7 वर्ष की अवधि के दौरान 272.50 लाख रुपए नकद राजसहायता और 126.75 लाख रुपए ब्याज राजसहायता का व्यय शामिल है । सरकार ने 1983-84 के लिए 1.80 लाख रुपए के व्यय से पोलीथीन के थैलों में इलायची की पौध उगाने के लिए इलायची बोर्ड की एक योजना भी स्वीकृत की है ।

6. सूखे की स्थिति को देखते हुए सरकार ने 2.60 करोड़ रुपए के परिव्यय वाले फसल रेहन ऋण योजना" में संशोधन करने के काफी बोर्ड के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ।

1984-85 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के लिए परिव्यय

1181. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1984-85 लिए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के लिए परिव्यय में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त वर्ष में इस कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य-वार कितना आबंटन करने का विचार है; और

(घ) उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को कितनी मूल धनराशि आबंटित की गई थी और बाद में कितना आबटन किया गया ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र): (क) से (घ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अग्रिम आयोजना तथा परियोजनाएं तयार करने के लिए राज्यों को वर्ष 1984-85 के लिए 500 करोड़ रुपए का अनन्तिम आबंटन सूचित किया गया था। इस आबंटन का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न है। इस आबंटन में वृद्धि नहीं की गयी है।

विवरण

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 हेतु अनन्तिम आबंटन

क्र० सं०	राज्य का नाम	1984-85 हेतु अन्तिम आबंटन (लाख रुपए में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	4950.0
2.	असम	1080.0
3.	बिहार	7125.0
4.	गुजरात	1600.0
5.	हरियाणा	420.0
6.	हिमाचल प्रदेश	300.0
7.	जम्मू और काश्मीर	375.0
8.	कर्नाटक	2350.0
9.	केरल	2350.0
10.	मध्य प्रदेश	3900.0
11.	महाराष्ट्र	3950.0
12.	मणिपुर	55.0
13.	मेघालय	75.0

1	2	3
14.	नागालैण्ड	50.0
15.	उड़ीसा	2250.0
16.	पंजाब	675.0
17.	राजस्थान	1200.0
18.	सिक्किम	40.0
19.	तमिलनाडु	4450.0
20.	त्रिपुरा	165.0
21.	उत्तर प्रदेश	2625.0
22.	पश्चिम बंगाल	3860.0
	केन्द्रीय शासित क्षेत्र	
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	40.0
24.	अरुणाचल प्रदेश	40.0
25.	चण्डीगढ़	10.0
26.	दादरा और नगर हवेली	20.0
27	दिल्ली	20.0
28.	गोवा, दमन और दीव	45.0
29.	लक्षद्वीप	10.0
30.	मिजोरम	40.0
31.	पांडिचेरी	40.0

लोअर लागयप पन-बिजली परियोजना के वर्क चार्ज्ड कर्मचारी

1182. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लोअर लागयप पनबिजली परियोजना, सिक्किम के वर्क चार्ज्ड कर्मचारियों की मांगों के बारे में 2 दिसम्बर, 1983 का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) लोअर लग्यप जल-विद्युत परियोजना के ऐसे वर्क चार्ज्ड कर्मचारियों की, जो इस परियोजना के सिक्कम सरकार को प्रस्तावित हस्तान्तरण के परिणामस्वरूप अधिशेष हो गए हैं या हो जाएंगे, अन्य परियोजनाओं/कार्यालयों में खपा लिए जाने के सम्बन्ध में श्री समर मुखर्जी, संसद सदस्य (लोक-सभा) ने 21 दिसम्बर, 1983 को सिंचाई मंत्री को पत्र लिखा था।

(ग) परियोजना के कुछ वर्क चार्ज्ड कर्मचारियों की केन्द्रीय जल आयोग के फील्ड कार्यालयों में वैकल्पिक रोजगार दिए जा चुके हैं। परियोजना के हस्तान्तरण के समय, सिक्किम सरकार परियोजना के विद्युत और सिविल वर्क्स के प्रचालन तथा अनुरक्षण के कार्य के लिए कुछ कर्मचारियों को काम पर लगा लेगी। अधिशेष इन कर्मचारियों में से अधिकांश को सिक्किम से बाहर विभिन्न सरकारी संगठनों/परियोजनाओं आदि में यथासम्भव वैकल्पिक रोजगार दिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

धरातलीय जल से लघु सिंचाई की क्षमता का विकास करने की प्राथमिकता

1183. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमिगत जल कार्यक्रम की अपेक्षा धरातलीय जल से लघु सिंचाई की क्षमता का विकास करने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कितनी लघु सिंचाई क्षमता का अनुमानतः विकास किए जाने का अनुमान था;

(ग) इसमें कहां तक सफलता मिली है; और

(घ) शेष अवधि के दौरान लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) छठी योजना के आरम्भ में भू-जल लघु सिंचाई का विकास चरम क्षमता का 35.3% तथा भूमिगत लघु सिंचाई से चरम क्षमता का 55% था।

(ख) छठी योजना 1980-85 के दौरान 8 मिलियन हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन की परिकल्पना है।

(ग) छठी योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान लगभग 5.69 मिलियन हैक्टेयर की उपलब्धि होने की सम्भावना है।

(घ) राज्य सरकारों, अधिक योजना परिव्यय आबंटित करके, चालू भू जल लघु सिंचाई स्कीमों इत्यादि को शीघ्र पूरा करके, लघु सिंचाई के विकास की गति तेज करने के लिए बार-बार

अनुरोध किया जा रहा है। बैंकों के माध्यम से संस्थागत सहायता जुटाने तथा भूमिगत जल विकास को ध्यान में रखते हुए पम्पसेटों के ऊर्जन कार्य को तेज करने पर जोर दिया जा रहा है। छोटे तथा सीमान्त किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए, चालू वित्त वर्ष के अन्तर्गत कुल 250 करोड़ रुपए के परिव्यय से एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम स्वीकृत की गई है। इस राशि को केन्द्र तथा राज्य बराबर-बराबर वहन करेंगे। इस स्कीम के अन्तर्गत 5 लाख रुपए प्रति ब्लाक के औसत परिव्यय में से, 3.50 लाख रुपए की राशि लघु सिंचाई के लिए खुदाई कूएं, उथले नलकूपों, के निर्माण, नलकूपों इत्यादि की खरीद के लिए आई० आर० डी० पी० की प्रक्रिया पर लघु तथा सीमान्त किसानों को सहायता देने के लिए उपलब्ध होगी।

राजभाषा अधिनियम के अनुसरण में हिन्दी/अंग्रेजी में लिखे गए पत्र

1184. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों के अनुसार "क", "ख" और "ग" श्रेणी के राज्यों में स्थित अपने विभागों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों एवं उपक्रमों को अलग-अलग कितने मूल पत्र लिखे;

(ख) उन पत्रों में से राज्य-वार एवं वर्ष-वार कितने मूल पत्र हिन्दी में और कितने अंग्रेजी में थे;

(ग) उक्त "क", "ख" और "ग" श्रेणी के राज्यों में स्थित उनके विभागों, सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों एवं उपक्रमों ने उक्त अवधि के दौरान उनके मंत्रालय को कुल कितने मूल पत्र लिखे; और

(घ) उन मूल पत्रों में से राज्य-वार कितने पत्र हिन्दी में और कितने अंग्रेजी में थे ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय द्वारा सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों तथा व्यक्तिगत राज्यों को हिन्दी और अंग्रेजी में भेजे गए अथवा उनसे प्राप्त हुए मूल पत्रों के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

पश्चिम बंगाल में मछलीपालन के विकास के लिए कार्यक्रम

1185. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में, विशेष रूप से सुन्दरबन क्षेत्र, जहां बहुत क्षमता है, में मछली-पालन के विकास हेतु केन्द्रीय स्तर पर कोई व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और इसका पूंजी परिव्यय क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और सुन्दरबन क्षेत्र में मछलीपालन के विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) सुन्दरवन क्षेत्र सहित पश्चिम बंगाल में मात्स्यिकी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं :—

(1) ताजे जल में जलकृषि के लिए विश्व बैंक की सहायता से एक केन्द्रीय प्रायोजित अन्तर्देशीय मात्स्यिकी परियोजना चल रही है, जिसके महत्वपूर्ण घटक नीचे दिए गए हैं :—

(1) 12 चुनींदा जिलों में 34,000 हैक्टार क्षेत्र का विकास,

(2) 9 वाणिज्यिक डिम्पौना हैचरियों का निर्माण और परिचालन,

(3) विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना,

(4) हैचरी सम्बन्धी परामर्श।

पश्चिम बंगाल के लिए परियोजना की कुल लागत लगभग 1429 लाख रुपए है।

(2) सुन्दरबन क्षेत्र में हेनरी द्वीप समूह में पांचवीं योजना में खारे जल में मत्स्यपालन प्रदर्शन सम्बन्धी एक केन्द्रीय क्षेत्र की मार्गदर्शी परियोजना शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को 15 लाख रुपए की धनराशि दी है।

(3) 175 हैक्टर क्षेत्र के लक्ष्य से पश्चिम बंगाल के लिए छठी योजना में क्षेत्र विकास अवधारणा के साथ खारा जल मत्स्यपालन विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना को मंजूरी दी गई है। पश्चिम बंगाल के लिए इस योजना की कुल लागत 116 लाख रुपए है।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम निधि के अन्तर्गत सुन्दरबन विकास बोर्ड सुन्दरबन क्षेत्र में लगभग 76 लाख रुपए की पूंजी लागत में झारखली में 550 हैक्टार क्षेत्र और 82 लाख रुपए की पूंजी लागत से महीसनी में 430 हैक्टार क्षेत्र का विकास करेगा।

(5) माल उतारने और ठहराने सम्बन्धी सुविधाओं के विकास के लिए 350 लाख रुपए की कुल लागत से रायचौक में एक मुख्य मत्स्यन पत्तन तैयार कर लिया गया है और लगभग 139 लाख रुपए की लागत से डिगा में एक लघु मत्स्यन पत्तन का निर्माण किया जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि की स्थापना

1186. **श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि की स्थापना करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इसे क्रियान्वित करने वाली एजेन्सी का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) भारत सरकार मंत्रिमण्डल सचिवालय के संकल्प संख्या 82/1/4/83-कैबिनेट दिनांक 10 फरवरी, 1984 के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि की स्थापना की गई है तथा भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 ग ग क के प्रयोजन हेतु वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 84 (ई) दिनांक 28 फरवरी, 1984 के तहत अधिसूचित भी की गई है। निधि का प्रबन्ध निम्न प्रकार से गठित समिति द्वारा किया जाएगा :—

1. प्रधान मंत्री	—	अध्यक्ष
2. वित्त मंत्री	—	सदस्य
3. योजना मंत्री	—	सदस्य
4. ग्रामीण विकास मंत्री	—	सदस्य
5. प्राधान मंत्री जी के प्रमुख सचिव	—	सचिव

प्रबंधक समिति अन्य मंत्रियों तथा अन्य व्यक्तियों को भी सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकती है।

राष्ट्रीय आधार पर तिलहन विकास को तेज करना

1187. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का तिलहन उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय आधार पर तिलहन विकास को तेज करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए प्रोत्साहनों और सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए क्या मार्गनिर्देश बनाए गए हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1984 में राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रोत्साहन और सुविधाएं इस प्रकार हैं :—(1) बीज

उत्पादन के लिए अधिक परिव्यय तथा अच्छी किस्म के बीजों, पौद संरक्षण उपकरणों, रसायनों का राजसहायता प्राप्त वितरण तथा परिचालन अधिभारों पर राजसहायता देना; (2) उर्वरक और बीज मिनिकिटों का निःशुल्क वितरण; (3) विशेष परियोजना के अन्तर्गत मूंगफली की फसल के लिए फास्फेटयुक्त उर्वरकों और जिप्सम का राजसहायता प्राप्त वितरण; और (4) सुधरे फार्म उपस्करों, छिड़काव सैटों, का राजसहायता प्राप्त वितरण तथा सिंचाई (मूंगफली की फसल), रिजोवियम कल्चर, प्रशिक्षण और प्रचार ।

वर्ष 1984-85 में परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों को अग्रिम कार्रवाई करने के लिए सूचित किया गया है।

भूमि सुधारों का लागू किया जाना

1188. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि सुधार और भूमि की अधिकतम सीमा लागू करने के बारे में प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र में अब तक की प्रगति के सम्बन्ध में नवीनतम मूल्यांकन क्या है और यह भी बतायें कि कितनी हैक्टेयर भूमि (1) फालतू घोषित की गई है (2) भूमिहीन खेतिहरों को आबंटित की गई है;

(ख) इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(ग) फालतू घोषित की गई कितनी भूमि के सम्बन्ध में मामले गत तीन वर्षों से न्यायालयों में लम्बित हैं तथा वह भूमि पहले भू-स्वामियों के अधिकार में है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) 1972 के राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बनाए गए अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत फालतू घोषित क्षेत्र को दर्शाने वाला एक विवरण-I संलग्न है। देश के विभिन्न राज्यों में मुकद्मेबाजी में फंसे क्षेत्र को दर्शाने वाला दूसरा विवरण-II संलग्न है। मुकद्मेबाजी में फंसे हुए क्षेत्र के वर्ष-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

प्रत्यक्षतः आंकड़े पर पाई गई फालतू भूमि की जोतों के भूमिधारकों अथवा उनकी ओर से दाखिल की गई 98 प्रतिशत से अधिक विवरणियों को निपटाया जा चुका है । लम्बित विवरणियों को निपटाने तथा पहले से ही कब्जे में ली गई भूमि के वितरण में राज्यों की प्रगति की समय-समय पर निगरानी की जाती है, कार्यक्रम की कमियों का विश्लेषण किया जाता है तथा उपचारी उपाय सुझाए जाते हैं। अधिकारियों द्वारा समय-समय पर की जाने वाली निगरानी के अतिरिक्त, ग्रामीण विकास मंत्री राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के प्रशासनिक अध्यक्षों को

समय-समय पर पत्र लिख रहे हैं जिनमें वे उन्हें विशेष समस्याओं को हल करने हेतु विशिष्ट उपाय सुझाते हैं। अतः उदाहरणार्थ राज्यों को विशेषकर उन प्रत्येक लम्बित मामलो की निगरानी का सुझाव दिया गया है जिनमें निर्धारित न्यूनतम क्षेत्र के फालतू घोषित होने की संभावना है। राज्यों को सुझाव दिया गया है कि वे इन मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु जिला स्तर पर विशेष यूनिटें स्थापित करें। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे ऐसी भूमि जो परिवारों द्वारा खेती-बाड़ी हेतु वितरित नहीं की जा सकती है, का सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए उचित उपयोग करने हेतु कार्यक्रम तैयार करें।

विवरण—I

(एकड़ में)

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	फालतू घोषित क्षेत्र	वितरित क्षेत्र	
			क्षेत्र	लाभभोगियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	10,02,826	3,23,476	2,46,909
2.	असम	4,50,918	3,18,161	2,75,142
3.	बिहार	2,67,530	1,57,913	1,77,787
4.	गुजरात	1,68,281	56,083	5,952
5.	हरियाणा	26,661	21,221	6,138
6.	हिमाचल प्रदेश	2,47,218	3,315	4,362
7.	जम्मू और काश्मीर	5,000	—	—
8.	कर्नाटक	2,94,244	1,08,107	25,510
9.	केरल	1,28,202	56,109	99,159
10.	मध्य प्रदेश	2,57,982	89,230	35,025
11.	महाराष्ट्र	3,73,620	2,87,452	79,707
12.	मणिपुर	1,029	424	326
13.	उड़ीसा	1,51,362	1,15,685	90,752
14.	पंजाब	48,116	13,694	3,250

1 2	3	4	5
15. राजस्थान	2,58,248	1,31,741	28,853
16. तमिलनाडु	89,083	71,414	49,789
17. त्रिपुरा	1,926	1,430	1,223
18. उत्तर प्रदेश	2,93,9 1	2,40,259	2,00,293
19. पश्चिम बंगाल	1,71,447	71,084	2,10,251
20. दादरा और नगर हवेली	8,958	3,751	1,686
21. दिल्ली	722	374	—
22. पांडिचेरी	2,560	942	1,060
योग :	42,49,834	20,71,865	15,43,174

विवरण—II

(एकड़ में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	मुकद्मेबाजी में फंसा क्षेत्र
1	2
आंध्र प्रदेश	4,47,504
असम	76,000
बिहार	90,000
गुजरात	5,563
हरियाणा	24,171
हिमाचल प्रदेश	24,836
कर्नाटक	1,76,000
केरल	51,144
मध्य प्रदेश	1,13,000
महाराष्ट्र	91,462
मणिपुर	165

1	2
उड़ीसा	23,401
पंजाब	62,098
राजस्थान	61,422
तमिलनाडु	11,922
उत्तर प्रदेश	5,362
पश्चिम बंगाल	33,554
त्रिपुरा	68
दादरा और नगर हवेली	2,179
पांडिचेरी	1,247
दिल्ली	153
योग	13,01,271

किसानों को उत्पादन में हानि के लिए मुआवजा

1189. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार**: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के किसानों को कपास उत्पादन में हुई हानि के लिए उदार वित्तीय मुआवजा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बीमारी, वर्षा न होने, सूखा पड़ने आदि के कारण कपास और अन्य दूसरी फसलों में इसी प्रकार की हानि वाले अन्य राज्यों को भी इसी तरह के लाभ दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में गत तीन वर्षों के संबंध में ब्यौरा और स्वरूप क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रकार की फसलों, जिनमें फल भी शामिल हैं, को होने वाली हानि के संबंध में, जैसा कि इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में सेव की फसल तथा पिछले मौसम में नागपुर में संतरों की फसल आदि के मामले में हुआ है, कोई नीति, मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) केन्द्र सरकार बीमारियों, सूखे इत्यादि के कारण हुई फसलों की हानि की क्षतिपूर्ति नहीं करती है । नीति, किसानों को स्वयं अपना पुनर्स्थापन करने में मदद देने की है ।

(घ) तथा (ङ) राज्यों को, सूखा, बाढ़, चक्रवात भू-स्खलन और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न स्थिति से निपटारे के लिए सहायता देने हेतु केन्द्र सरकार ने मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए हैं। राज्य सरकारें इस सहायता का उपयोग, फल की फसलों सहित, फसलों के पुनर्स्थापन में मदद देने के लिए कर सकती हैं । इसके अलावा, ऐसे मामलों, जिनमें कृमियों के आक्रमण से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार की सहायता की दरकार है, पर स्थिति की गंभीरता के आधार पर विचार किया जाता है ।

उभरते हुए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए प्रबन्ध

1190. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेलों का राष्ट्रीय विकास केवल नई दिल्ली और चण्डीगढ़ केन्द्रों से ही संभव है;

(ख) यदि नहीं, तो अन्य राज्यों और जिलों के उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं; और

(ग) क्या बिहार में छोटा नागपुर के आदिम जातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों के युवकों के लिए हजारीबाग में एक खेल केन्द्र स्थापित करने हेतु स्वीकृति दी जाएगी ?

खेल विभाग में उप-मंत्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) और (ख) जी नहीं । राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना के, केन्द्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान के 25 क्षेत्रीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र जो विभिन्न खेल विषयों में प्रतिभावान पुरुष और महिला खिलाड़ियों को विशिष्ट प्रशिक्षण सुविधायें प्रदान करने के लिए हैं, राज्य सरकारों/राज्य खेल परिषदों के सहयोग से, राज्य की राजधानियों/जिला मुख्यालयों में देश व्यापी कार्य कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत, सभी राज्य खेल परिषदों, नेहरू युवक केन्द्रों, विश्व विद्यालयों इत्यादि को 600 से अधिक प्रशिक्षकों की नि:शुल्क सेवायें उपलब्ध करायी जा रही हैं ।

उपर्युक्त के अलावा, खेलों को बढ़ावा देने और खेल मैदानों के विकास, तरण तालों, व्यायाम स्टेडियमों इत्यादि के निर्माण जैसी भौतिक सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों/ राज्य खेल परिषदों को वित्तीय सहायता भी दी जा रही हैं । इसके अतिरिक्त स्कूलों और कालेजों के उभरते हुए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खेल छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं ।

(ग) यह मुख्यत: बिहार राज्य सरकार का काम है कि वे इस पर निर्णय लें । तथापि, यदि राज्य सरकर ऐसा एक केन्द्र स्थापित करती है, तो राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत इसकी खेल प्रशिक्षकों से संबंधित आवश्यकता पर विचार किया जा सकता है ।

महाराष्ट्र द्वारा छोटी सिंचाई योजनाओं को वरीयता

1191. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र ने अपने तीन दशकों के अनुभव के बाद केवल छोटी सिंचाई योजनाओं को चलाने का उचित निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार भी इसका अनुसरण करेगी; और

(ग) क्या यह सच है कि बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को बहुत कम लाभ होने के अलावा इन परियोजनाओं ने कुल मिलाकर समस्यायें हल करने के बजाय और अधिक समस्यायें पैदा की हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं। सिंचाई विकास के लिए महाराष्ट्र की नीति बृहद, मध्यम और लघु सिंचाई साधनों का संयुक्त विकास करने की है। छठी योजना के दौरान सृजित की जाने वाली प्रत्याशित अतिरिक्त सिंचाई क्षमता में से 60 प्रतिशत से अधिक क्षमता बृहद-मध्यम परियोजनाओं से सृजित होगी।

(ख) लघु सिंचाई सेक्टर के जरिए अन्ततः सृजनीय अनुमानित क्षमता 55 मिलियन हैक्टेयर है जिसमें से लगभग 65 प्रतिशत प्राप्त की जा चुकी है। बृहद-मध्यम सिंचाई के जरिए अन्ततः सृजनीय अनुमानित क्षमता 58 मिलियन हैक्टेयर होने का हिसाब लगाया गया है जिसमें से अब तक 50 प्रतिशत प्राप्त की जा चुकी है। इसलिए भविष्य के वर्षों में इस क्षमता के बड़े भाग को बृहद तथा मध्यम निर्माण-कार्यों के जरिए विकसित किए जाने आवश्यकता होगी। इसके साथ ही शेष क्षमता को तेजी से प्राप्त करने के लिए लघु सिंचाई स्कीमों को भी हाथ में लेना होगा।

(ग) जी, नहीं।

मंडावली फजलपुर में जोहड़ों को पार्कों में परिवर्तित करना

1192. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मण्डावली फजलपुर के नक्शे (ले-आउट प्लान) ई-13 में दर्शाए गए विद्यमान जोहड़ों को पार्कों में परिवर्तित करने का विचार किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिनांक 30 जुलाई, 1983 के अपने संकल्प संख्या 125 द्वारा सभी जोहड़ों को आम जनता के प्रयोग के लिए पार्कों में परिवर्तित करने की मंजूरी दे दी है; और

(ग) जोहड़ों को पार्कों में परिवर्तित करने में प्राधिकारियों को अब कितना समय लगेगा ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्राक्कलनों की जांच हो रही है। यह कार्य स्वीकृतियों के एक वर्ष के अन्तर्गत पूरा किया जाएगा। स्वीकृतियों के शीघ्र ही जारी किए जाने की आशा है।

दालों के उत्पादन में वृद्धि

1193. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 से अब तक वर्षवार, दालों का प्रति हैक्टार उत्पादन क्या रहा है;

(ख) क्या प्रति वर्ष उत्पादन बढ़ा है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार तिलहनों के संबंध में अनुसंधान करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) 1970-71 से 1982-83 के दौरान दलहनों के प्रति हैक्टार अखिल भारतीय उत्पादन को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। 1983-84 के लिए क्षेत्र और उत्पादन के स्थायी आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) दलहनों के उत्पादन में प्रत्येक वर्ष उतार चढ़ाव आता रहा है, जो दलहन की विभिन्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र, वर्षा की स्थिति, आदानों के उपयोग, कृमियों, रोगों, ओलावृष्टि के प्रकोप और अन्य संबंधित कारणों पर निर्भर करता है।

(घ) निम्नलिखित कार्यक्रमों के अन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा तिलहनों पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है :—

1. तिलहनों के सुधार के लिए अखिल भारतीय समन्वित परियोजना।
2. सोयाबीन के सुधार के लिए अखिल भारतीय समन्वित परियोजना।
3. मूंगफली संबंधी राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र।
4. आई० डी० आर० सी० की सहायता से तोरिया, सरसों, कुसुम और तिल संबंधी अनुसंधान को तेज करने हेतु चार उन्नत अनुसंधान केन्द्र।
5. भारत स्वीडन सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत तोरिया-सरसों संबंधी अनुसंधान का तीव्रीकरण।
6. देशों के 16, प्रमुख सिंचाई कमान क्षेत्रों की सस्यगत पद्धतियों में तिलहनों और

दलहनों को समंजित करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास करने हेतु कमान क्षेत्र अनुसंधान कार्यक्रम।

7. तिलहन की विभिन्न फसलों के संबंध में अनुसंधान की कुछ तदर्थ योजनाएं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विवरण

दलहनों का प्रति हैक्टार अखिल भारतीय उत्पादन

(किलोग्राम में)

वर्ष	प्रति हैक्टार उत्पादन
1970-71	524
1971-72	501
1972-73	474
1973-74	427
1974-75	455
1975-76	533
1976-77	494
1977-78	510
1978-79	515
1979-80	385
1980-81	473
1981-82	483
1982-83	517

भारतीय परियोजनाओं के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम से सहायता

1194. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें विश्व खाद्य कार्यक्रम से सहायता मिल रही है;

(ख) विश्व खाद्य कार्यक्रम में भारत के अंशदान का क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या विश्व खाद्य कार्यक्रम में भारत के कार्यकारी निदेशक ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी और परियोजनाओं की सहायता राशि बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता से चल रही विभिन्न परियोजनाओं के विस्तृत ब्यौरे को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7869/84]

(ख) भारत द्विवर्षी 1983-84 (कैलेण्डर वर्षों) के लिए जिन्सों के रूप में विश्व खाद्य कार्यक्रम में 15.1 लाख डालर का अंशदान देने के लिए वचनबद्ध है।

(ग) तथा (ग) जी हां। परियोजनाओं की सहायता की राशि के बढ़ाए जाने के प्रश्न पर कार्यकारी निदेशक के साथ विचार-विमर्श किया गया था तथा उन्होंने बताया कि प्रस्तावों के प्राप्त होने पर ही उन पर विचार किया जाएगा। उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया कि इस संबंध में विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा भारत में एक उक्च स्तरीय आयोजन मिशन भी भेजा जा सकता है।

निरादी बांध सम्बन्धी विवाद

1195. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश सरकारों ने बंशधारा नदी पर निरादी बांध सम्बन्धी विवाद को हल कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो यह विवाद कब तक हल हो जाएगा; और

(घ) उनके मंत्रालय ने इस विवाद को हल करने के लिऐ क्या उपाय किए हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) उड़ीसा में जल-मग्न क्षेत्र तथा निरादी बराज जो बंशधारा चरण-दो का एक घटक है, के डिजाईन के लिए बाढ़ पैरामीटरों के सम्बन्ध में उड़ीसा तथा आन्ध्र प्रदेश के बीच विचारों में मतभेद है। मामले पर दोनों राज्य सरकारों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हो रही है तथा केन्द्रीय दोनों राज्य सरकारों से अनुनय करता आ रहा है कि इसको शीघ्र ही निपटा लें। हाल ही में, केन्द्रीय जल आयोग तथा दोनों राज्य सरकारों के तकनीकी अधिकारियों की एक बैठक 10-1-1984 को आयोजित की गई थी जिसमें निरादी बराज के लिए अपनाए जाने वाले बाढ़ अभिकल्प का निर्धारण करने के लिए सहमत क्रियाविधि तैयार की गई थी। इस बैठक में लिए

गए निर्णय पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में 10-11 फरवरी, 1984 को मौके पर जाकर संयुक्त निरीक्षण किया गया था। जलमग्न होने वाले क्षेत्र का भी शीघ्र संयुक्त निरीक्षण कराने का प्रस्ताव है।

बड़े मत्स्य पोतों तथा परम्परागत छोटी यांत्रिक नौकाओं को उपलब्ध कराए जा रहे डीजल की विक्रय दर

1196. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बड़े मत्स्य पोतों को डीजल प्रति लिटर किस मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है;

(ख) परम्परागत छोटी यांत्रिक नौकाओं को डीजल प्रति लिटर किस दर पर उपलब्ध कराया जाता है;

(ग) क्या उपरोक्त दोनों दरों में कोई अन्तर है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) तथा (ख) भारतीय तेल निगम द्वारा छोटी यांत्रिक नावों सहित सभी मत्स्यन जलयानों के उपयोग हेतु मछुआरा सहकारी समितियों को 2849.55 रुपए प्रति किलो लिटर के मुख्य प्रतिष्ठापन के बाहर की दर जिसमें उत्पाद शुल्क भी शामिल है, पर आधारित वर्तमान अधिकतम बिक्री मूल्य पर हाई स्पीड डीजल आयल सप्लाई किया जाता है। तथापि मत्स्यन जलयन्त्रों को सप्लाई किए जाने वाले हाई स्पीड डीजल तेल के लिए वसूल किए जाने वाला वास्तविक मूल्य विभिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न होता है, जो मुख्य अधिष्ठापन से दूरी यातायात की लागत तथा स्थानीय करों आदि पर निर्भर करता है।

(ग) तथा (घ) भारतीय तेल निगम द्वारा मत्स्यन ट्रालरों तथा छोटी यांत्रिकृत नावों से लिए जा रहे मूल्यों में कोई अन्तर नहीं है। तथापि, जैसाकि, नीचे दिया गया है 1968 में अधिसूचित एक योजना के अन्तर्गत हाई स्पीड डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की छूट उन मत्स्यन जलयानों के लिए दी जाती है जो 13.7 मीटर से लम्बी हैं तथा जिनमें 150 हार्स पावर से अधिक का इन्जन लगा हुआ है :—

(1) डीजल के उत्पादक शुल्क पर 50 प्रतिशत की सामान्य छूट; तथा

(2) निर्यात किए गए प्रत्येक टन झींगा हेतु प्रत्येक 1.08 कि० ली० डीजल के उत्पाद शुल्क पर 50 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट।

हाई स्पीड डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट का कारण बड़े जलयानों द्वारा गहरे

समुद्र में मछली पकड़ने को प्रोत्साहन देना तथा पकड़ी गई मछली के निर्यात को बढ़ाना है। राजसहायता की मांग उपयोग कर्त्ताओं द्वारा सीधे ही की जाती है।

पाकिस्तान से यूरिया का आयात

1197. **श्री राम प्यारे पनिका :**

श्री सुभाष चंद्र बोस अल्लूरी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पाकिस्तान से यूरिया आयात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में तथा यह आयात कब तक किया जाएगा और उसकी शर्तें क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या देश में यूरिया की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) इसकी जानकारी देना सार्वजनिक हित में नहीं है ।

(ग) तथा (घ) देश में उर्वरकों की कुल मांग को देशी उत्पादन तथा आयात के द्वारा पूरा करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं ।

किसानों को अच्छे किस्म के उर्वरको की सप्लाई

1198. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रायः किसानों को मिलने वाले उर्वरकों में इधर काफी दिनों से भारी मिलावट एवं घटिया किस्म के होने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए अब तक क्या व्यवस्था की गई है और इस सम्बन्ध में कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या केन्द्रीय खाद गुणवत्ता नियंत्रण प्रशिक्षण केन्द्र देश में अच्छे किस्म की खाद दिए जाने की कोई योजना बना रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं । ऐसी प्रायः कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत उर्वरक को अनिवार्य वस्तु घोषित किया गया है। उर्वरकों की क्वालिटी, मूल्य, वितरण आदि का नियमन करने के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 जारी किया गया है। इस आदेश में उर्वरकों की मानक क्वालिटी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। घटिया/मिलावटी उर्वरकों की बिक्री का निषेध किया गया है। उनकी क्वालिटी की जांच करने के लिए नमूने लेने और विश्लेषण करने के लिए प्रावधान किया गया है। विभिन्न राज्यों में प्रति वर्ष 57270 नमूनों की विश्लेषण-क्षमता वाली 41 उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण प्रयोगशालाएं हैं। इसके अतिरिक्त फरीदाबाद में केन्द्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान भी है। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश को लागू करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, जिन्होंने इस उद्देश्य के लिए प्रवर्तन तन्त्र नियुक्त किया है। अपराधियों के खिलाफ सरसरी तौर पर मुकदमा चलाने के उद्देश्य से उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 को एक विशेष आदेश के रूप में घोषित किया गया है। उर्वरकों की क्वालिटी, वितरण आदि के सम्बन्ध में जब भी कोई शिकायत इस मंत्रालय में प्राप्त होती है, उसे सम्बन्धित राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भेज दिया जाता है। क्षेत्रीय स्तर पर उर्वरकों की क्वालिटी की जांच करने के लिए समय-समय पर विभिन्न स्थानों पर केन्द्रीय दस्ते भी भेजे जाते हैं। किसानों को उर्वरकों की मानक क्वालिटी उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में उनके प्रवर्तन तन्त्र को मजबूत करने और तेज करने तथा अधिक से अधिक उर्वरक के नमूनों का परीक्षण करने हेतु वर्तमान विश्लेषण सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए भी उन्हें अनुरोध किया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय उर्वरक क्वालिटी नियन्त्रण और प्रशिक्षण संस्थान उर्वरक के नमूनों का विश्लेषण करता है। उर्वरकों के लिए क्वालिटी व्यवस्था का प्रबोधन करता है और क्वालिटी नियंत्रण उपायों को अधिक कारगर ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकारों के अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता हैं। इस संस्थान के कार्य-कलापों को हाल ही में तीव्र कर दिया गया है। सरकार ने तीन क्षेत्रीय प्रोयोगशालाएं स्थापित करने की भी स्वीकृति दे दी है। इसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय उर्वरक क्वालिटी नियन्त्रण और प्रशिक्षण संस्थान के कार्यकलाप और भी तीव्र हो जाएंगे।

पेय जल स्रोतों का निर्माण

1199. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों के दौरान राज्यवार, कितने-कितने कुएं, नल-कूप, जोहड़ और तालाब तथा पेय जल के अन्य स्रोतों का निर्माण किया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : जलपूर्ति राज्य का विषय है और पेय जल पूर्ति मुहैया करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। यह मंत्रालय पता लगाए गए समस्याग्रस्त गांवों में स्वच्छ पेय जल का कम से

कम एक स्रोत की व्यवस्था करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता अनुदान देकर केवल राज्यों के प्रयासों को बढ़ाता है। गत पांच वर्षों के दौरान बनाए गए कुओं, नलकूपों, तालाबों, टैंकों और पेय जल के अन्य स्रोतों के बारे में सूचना इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है।

चालू वर्ष के दौरान सिंचाई क्षमता का उपयोग

1200. **प्रो० अजीत कुमार मेहता :**

श्री रवीन्द्र वर्मा :

श्री बापू साहिब परूलेकर : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष देश में सिंचाई क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान उपलब्ध कुल सिंचाई क्षमता क्या है और इसका किस सीमा तक उपयोग किया जा रहा है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां। बृहद तथा मध्यम सिंचाई स्कीमों द्वारा सृजित क्षमता का उपयोग पिछड़ा है।

(ख) जून, 1983 के अन्त तक बृहद तथा मध्यम सिंचाई निर्माण कार्यों की कुल पूर्वानुमानित सिंचाई क्षमता 29.1 मिलियन हैक्टेयर है। इसके अनुरूप पूर्वानुमानित उपयोग 24.3 मिलियन हैक्टेयर है।

वनों से वंचित तलहटियां

1201. **श्री सुभाष चन्द्र यादव :**

श्री राम विलास पासवान : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि देश में वनों की अन्धाधुन्ध कटाई के कारण बहुत सी महत्वपूर्ण तलहटियां वनों से वंचित हो गई हैं जिनके फलस्वरूप परिस्थिति की असन्तुलन और भू-स्खलन का गम्भीर खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में देश भर में कोई जांच शुरू की गई है; और

(ग) हिमालय की तलहटियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) हिमालय की तलहटियों की सुरक्षा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) योजना आयोग द्वारा पहाड़ी राज्यों को केन्द्रीय सहायता के लिए विशेष क्षेत्र माना गया है। योजना का कुल परिव्यय पांचवीं पंच वर्षीय योजना के 447 करोड़ रुपए से बढ़कर छठी योजना में 3915 करोड़ रुपए तक हो गया है।

(2) केन्द्रीय सरकार के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का बनाया जाना।

(3) वन संसाधनों का संरक्षण करने के लिए बचाव सम्बन्धी उपायों को बढ़ाना जिसमें राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए उपयुक्त कानून शामिल हैं।

(4) इस क्षेत्र में वन रोपण तथा मृदा संरक्षण के निम्नलिखित उपाय शुरू करना :—

(1) नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण करना।

(2) बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबन्ध करना।

(3) हिमालय में मृदा, जल तथा वृक्ष संरक्षण करना।

(4) भूमि उपयोग की उन्नत पद्धतियों को अपनाना।

(5) उत्तर प्रदेश में हिमालय पनधारा प्रबन्ध परियोजना।

(6) ईंधन की लकड़ी के लिए ग्रामीण पौध रोपण सहित सामाजिक वानिकी।

(7) बनों की व्यवस्था करने के लिए माप दण्ड तैयार करना।

बाजरें की निराशाजन्य बिक्री

1202. **श्री चित्त बसु** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम वर्ष 1983-84 के दौरान धान, गेहूं की और बाजरे की भी निराशाजन्य बिक्री को रोकने में सफल नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) विभिन्न राज्यों में 1 दिसम्बर, 1983 से 31 जनवरी 1984 तक बाजरा, धान और गेहूं की खरीद का ब्यौरा और विभिन्न राज्यों में भारतीय खाद्य निगम के खरीद केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम विपणन मौसम 1983-84 के दौरान धान, गेहूं और बाजरा के लिए समर्थन मूल्य देने के लिए प्रभावकारी था।

(ग) विवरण I और II संलग्न हैं।

विवरण—I

दिसम्बर, 1983—जनवरी, 1984 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल किए गए गेहूं, धान और बाजरा की मात्रा को बताने वाला विवरण

जिन्स	राज्य		भारतीय खाद्य निगम द्वारा पहली दिसम्बर, 1983 से 31 जनवरी, 1984 तक वसूल की गई मात्रा (मीटरी टन में)
बाजरा	हरियाणा		15
	गुजरात		1
	राजस्थान		22
		जोड़	38
धान	हरियाणा		105
	मध्य प्रदेश		453
	पंजाब		7752
	पश्चिमी बंगाल		60
		जोड़	8370
गेहूं	हरियाणा		100
	उत्तर प्रदेश		338
		जोड़	438

विवरण—II

विपणन मौसम 1983-84 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं, धान और बाजरा के लिए चलाए गए खरीद केन्द्रों के राज्यवार ब्यौरे बताने वाला विवरण

जिन्स	राज्य	खरीद केन्द्रों की संख्या
1	2	3
गेहूं	हरियाणा	83
	मध्य प्रदेश	301

1	2		3
	पंजाब		299
	राजस्थान		58
	उत्तर प्रदेश		352
	दिल्ली		3
		जोड़	1096
बाजरा	हरियाणा		33
	गुजरात		11
	राजस्थान		36
		जोड़	80
धान	आन्ध्र प्रदेश		180
	हरियाणा		70
	हिमाचल प्रदेश		17
	कर्नाटक		6
	मध्य प्रदेश		65
	महाराष्ट्र		3
	पंजाब		322
	राजस्थान		21
	उत्तर प्रदेश		82
	पंश्चिमी बंगाल		2027
	अरुणाचल प्रदेश		3
	दिल्ली		2
	पांडिचेरी		1
		जोड़	2799

ओरछा परियोजना

1203. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने ओरछा परियोजना मंजूरी के लिए योजना आयोग के पास भेज दी है;

(ख) क्या यह परियोजना उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र के जलमग्न होने के कारण उत्तर प्रदेश की सहमति के लिए योजना आयोग के पास लम्बित पड़ी है; और

(ग) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश की सहमति प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने ओरछा बहूद्देश्यीय परियोजना की परियोजना रिपोर्ट, केन्द्रीय जल आयोग की तकनीकी जांच तथा योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत कर दी है।

(ख) केन्द्रीय जल आयोग ने मध्य प्रदेश को भेजी गई अपनी टिप्पणियों में मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि उत्तर प्रदेश में जलमग्नता तथा जल उपयोगिता के सम्बन्ध में परियोजना के अन्तर्राज्यीय पहलू को उत्तर प्रदेश के साथ निपटा ले।

(ग) केन्द्रीय जल आयोग दोनों राज्य सरकारों से पत्र-व्यवहार कर रहा है। तथापि, मामले पर इस समय दोनों राज्यों के बीच द्विपक्षीय विचार-विमर्श चल रहा है।

कोएल सिंचाई परियोजना

1204. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में कोएल सिंचाई परियोजना का कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस परियोजना से परिया, बेलागंज, टिकरी ब्लाकों तथा गया जिलों में शेष भागों के कमान क्षेत्रों तक पानी कब तक पहुंच जाएगा ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) माननीय सदस्य संभवत: बिहार में उत्तर कोइल जलाशय परियोजना का जिक्र कर रहे हैं जिसका क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा सूचित की गई 256.36 करोड़ रुपए की अद्यतन अनुमानित लागत में से, 83-84 के अन्त तक हुआ प्रत्याशित व्यय 89.37 करोड़ रुपए है। परियोजना के सातवीं योजना के अन्त तक पूरा हो जाने की उम्मीद है।

(ग) 'सिंचाई' एक राज्य विषय होने के कारण, जल दिए जाने की समय-अनुसूची का ब्लाक-वार ब्यौरा केन्द्र में नहीं रखा जाता है। तथापि, 1984-85 के दौरान परियोजना से 3000 हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित किए जाने की आशा है।

जल स्रोत

1205. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में (क्षेत्र-वार) कुल कितने जलस्रोत उपलब्ध होने का अनुमान है, सतही जल का अनुमान कितना उपयोग हो रहा है तथा इस सतही जल के लिए कितनी भंडारण क्षमता तैयार कर ली गई है;

(ख) जल-वितरण के मामले में क्षेत्रीय असन्तुलन को किस प्रकार दूर करने का विचार किया जा रहा है;

(ग) क्या जल के अनुरक्षण, भंडारण तथा फालतू जल वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को जल भेजने की कोई राष्ट्रीय योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) मूल्यांकन के अनुसार देश के भूतल जल संसाधन लगभग 1780 मिलियार्ड क्यूबिक मीटर है तथा भूजल संसाधन लगभग 460 मिलियार्ड क्यूबिक मीटर है। उपयोग योग्य भूतल जल संसाधन 670 मिलियार्ड क्यूबिक मीटर है और इसका 40 प्रतिशत उपयोग किया जा रहा है, ऐसा मूल्यांकन किया गया है। देश में सृजित जल भण्डारण क्षमता 160 मिलियार्ड क्यूबिक मीटर मूल्यांकित की गई है।

जल भण्डारण के मुख्य-मुख्य क्षेत्र-वार आंकड़े इस प्रकार हैं :—

सिन्धु	10%
गंगा	19%
गोदावरी	12%
कृष्णा	21%
देश के शेष क्षेत्र	38%

(ख) से (घ) सिंचाई मंत्रालय तथा केन्द्रीय जल आयोग ने जल संसाधन विकास के राष्ट्रीय महत्व के लिए योजना की रूपरेखा तैयार की है। परिप्रेक्ष्य में विभिन्न नदियों जहां अधिशेष जल उपलब्ध हो, के उपयुक्त स्थलों पर जल भण्डारण के सृजन तथा जिन क्षेत्रों में आवश्यकता हो जल के व्यापक अन्तर-बेसिन हस्तांतरण की परिकल्पना की गई है। परि-प्रेक्ष्य के दो घटक हैं, हिमालय क्षेत्र नदी विकास घटक जिसके लिए पड़ौसी देशों के सहयोग की

आवश्यकता होगी तथा प्रायद्वीपीय विकास/परिप्रेक्ष्य में से देश में भूतल जल के माध्यम से लगभग 25 मिलियन हैक्टेयर तथा भूजल के माध्यम से लगभग 10 मिलियन हैक्टेयर सिंचाई क्षमता बढ़ने तथा लगभग 4,000 मेगावाट जल-विद्युत के उत्पादन की सम्भावना है। परियोजना के प्राय-द्वीपीय विकास घटक की जांच के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है।

गांवों में किसानों को उचित दर दुकानों से चीनी न मिलना

1206. **श्री छांगुर राम** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि गांवों में किसानों को उचित दर दुकानों से चीनी नहीं मिल पाती है;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में इन उचित दर दुकानों से क्या-क्या वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं; और

(ग) किसानों को ये सभी वस्तुएं उचित दरों पर और समय पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरे देश में कार्य कर रही है और विभिन्न राज्यों से मिली सूचना से पता चलता है कि आबादी के सभी वर्गों, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी शामिल है, की जरूरतों को पूरा करने में यह प्रणाली आमतौर पर अच्छी तरह कार्य कर रही है। केन्द्रीय सरकार सार्व-जनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को वितरित करने के लिए साफ्ट कोक और नियन्त्रित कपड़े के अलावा गेहूं, चावल, चीनी, आयातित खाद्य तेल और मिट्टी के तेल जैसी कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तुएं सप्लाई कर रही है। एक बार जब इन वस्तुओं की सप्लाई राज्य सरकारों को मिल जाती है तब यह उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वे आबादी के सभी वर्गों, जिसमें किसान भी शामिल हैं, को उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरण करने के लिए विभिन्न शहरों तथा राजस्व जिलों में इन वस्तुओं का आगे वितरण करें। सरकार ने पहले ही राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दी जाने वाली वस्तुएं पूर्व-निर्धारित मूल्यों पर वास्तविक उपभोक्ताओं, जिनमें समाज के कमजोर वर्ग भी शामिल हैं, को ही मिलें। इस सम्बन्ध में, राज्य सरकारों पर इस बात के लिए भी बल दिया गया है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं की मात्रा उठाने, उनकी ढुलाई, भण्डारण और वितरण में उपयुक्त समन्वय स्थापित करें।

जम्मू और कश्मीर में खेलों को बढ़ावा देना

1207. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या **खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खेल मन्त्रालय ने भारत के विभिन्न भागों में खेलों को बढ़ावा देने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो जम्मू और कश्मीर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं विशेषकर जबकि जम्मू और कश्मीर राज्य ने इनडोर स्पोर्टस कम्पलैक्स भी बना लिया है ?

खेल विभाग में उप-मंत्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) और (ख) राज्य सरकारों को खेलों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता सहित केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए ऐसी सहायता के लाभ जम्मू और कश्मीर के लिए भी उतने ही स्वीकार्य हैं जितने कि अन्य राज्यों के लिए।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में उप-अभियन्ता

1208. **श्री टी० एम० सावन्त** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ग्रेड-I से ग्रेड-III में उप-अभियन्ता के पद पर काम कर रहे अधिकारियों की संख्या क्या है;

(ख) उनमें अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध अधिकारियों की संख्या क्या है;

(ग) ऐसे उप-अभियन्ताओं की संख्या क्या है, जिनको "रोस्टर प्वाइण्ट" के आधार पर उच्च पद पर पदोन्नति की गई है; और

(घ) यदि किसी व्यक्ति की पदोन्नति रोक ली गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में उप-इंजीनियर ग्रेड-I, II, III पदनाम वाले कोई पद नहीं हैं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

1209. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की हैं;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) इन परियोजनाओं की प्रारम्भिक प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ग) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार द्वारा 24-1-1984 तक 89 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। ये परियोजनाएं हाल ही में स्वीकृत की गई हैं तथा कार्यान्वियन की आरम्भिक अवस्थाओं में हैं।

(ख) ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7870/84]

अधिक भूमि पर तिलहनों की फसलें उगाना

1210. **श्री कृष्ण गोपाल गोयल** :

श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अधिक भूमि पर तिलहनों की खेती करने तथा इसके लिए राज सहायता देने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार छोटे किसानों द्वारा की जाने वाली तिलहनों की खेती को संरक्षण देने और इसे बीमा योजना के अन्तर्गत लाने का है;

(ग) क्या राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा आयोजित गोष्ठी में इस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सिफारिशें की गई थीं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां।

(ख) छोटे और सीमान्त किसानों द्वारा उगाई जा रही तिलहन की फसलों को अन्य बातों के साथ-साथ फसल बीमा की वर्तमान योजना के अन्तर्गत लाया गया है, जिसे राज्य सरकारों के सहयोग से भारतीय सामान्य बीमा निगम (जी० आई० सी०) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। सामान्य बीमा निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार 1983-84 खरीफ मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में मूंगफली जैसी तिलहन की फसल को इस योजना के अन्तर्गत लाया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) यह सिफारिश की गई है कि भारत सरकार तिलहन की फसलों को बीमा उपलब्ध कराये जाने पर विचार करे। इस सिफारिश पर सरकार की प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में स्थिति इस उत्तर के उपरोक्त भाग (ख) में दी गई है।

पूर्वी चम्पारन, बिहार में मत्स्य-पालन

1211. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पूर्वी चम्पारण जिलों में इस प्रकार के 21 तालाबों, झीलों और छोटी नदियों की संख्या कितनी है जहां बड़े पैमाने पर मत्स्य-पालन कुछ किया जा सकता है और लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है तभी उससे देश की प्रोटीन की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सकता है;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

एशियाई खेल 82 के लिए बनाए गए स्टेडियमों का प्रयोग

1212. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **खेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेल 82 के लिए बनाए गए स्टेडियमों को अब प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है;

(ख) इन स्टेडियमों के निर्माण पर हुए खर्च का ब्यौरा क्या है और अब उनके रखरखाव पर मासिक खर्च कितना है;

(ग) उन पर बिजली के इस्तेमाल पर कितना खर्च हो रहा है, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम जहां अत्यधिक शक्ति की बिजली की व्यवस्था की गई है, प्रतिदिन सभी बल्बों को क्यों जलाया जाता है; और

(घ) क्या इन स्टेडियमों से कोई आय होती है यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में उप-मन्त्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) एशियाड स्टेडियम खिलाड़ियों के प्रशिक्षण कोचिंग सहित खेल कार्यकलापों के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं । जब कभी स्टेडियमों की किसी खेल कार्यकलाप के लिए आवश्यकता नहीं होती तो उनकी, मांग पर, सांस्कृतिक कार्य-क्रमों, सम्मेलनों आदि जैसे गैर खेल कार्यकलापों के लिए, भुगतान पर, अनुमति दी जाती है । ऐसा इन स्टेडियमों के रखरखाव पर कुछ हद तक के खर्चे को पूरा करने के लिए कुछ राशी वसूल करने हेतु किया जाता है ।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम संख्या	स्टेडियम का नाम	स्टेडियम के निर्माण पर केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया खर्च	निर्माण एजेंसी द्वारा सूचित के अनुसार रख-रखाव पर मासिक खर्च	प्रबन्ध एजेंसी द्वारा सूचित के अनुसार आय	बिजली पर खर्च की जा रही मासिक राशी	जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में रोज सारी बत्तियां जलाने के क्या कारण हैं
1	2	3	4	5	6	7
1.	जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम	20,68,76,000	2,31,000	13,35,906	1,29,000	सारी रात में सभी बत्तियां प्रयोग नहीं की जाती, केवल कम्पाउण्ड लाईट और कंट्रोल लाईट सामान्य क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से जलती रहती है।
2.	नेशनल स्टेडियम	2,12,25,000	50,100	25,618	5,500	—
3.	लान टेनिस स्टेडियम, हौज खास	32,87,000	7,950	5,585	1,000	—
4.	इन्द्रप्रस्थ इन्डोर स्टेडियम	9,81,55,000@	5,00,000*	21,27,671	3,70,000	(गर्मी के दौरान) *पानी और बिजली के
5.	यमुना वेलोड्रोम	2,04,00,000	64,500*	21,259	1,55,000	(सर्दी के दौरान) प्रभार को छोड़कर।

1	2	3	4	5	6	7
6.	तुगलकाबाद शूटिंग रेन्जिस	1,60,50,000	7,077	11,705	19,000	@शेष राशि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपने संसाधनों में से पूरी की जाती है ।
7.	ताल करटोरा तरणताल	6,27,00,000@@	6,00;000	82,086**	70,000	@@शेष राशी नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा अपने अनुदानों में से पूरी की जाती है ।
						**नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा रेस्तरां के लिए, लिए गए 2,50,000 रुपये के लाइसेंस शुल्क को छोड़कर ।

निर्धन लोगों के लिए राजसहायता प्राप्त दरों पर गेहूं और चावल देना

1213. **श्री भीष्म सिंह** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में यह घोषणा की गई थी कि निर्धन लोगों को राज-सहायता प्राप्त दरों पर गेहूं और चावल दिए जायेंगे;

(ख) देश में इस योजना के अधीन अलग-अलग कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्न की खपत होने की सम्भावना है; और

(ग) इस रियायत का लाभ उठाने वाले लोगों अर्थात् निर्धन लोगों की परिभाषा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय के अनुसार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अधीन कार्य कर रहे मजदूरों को प्रतिदिन मजदूरी के भाग के रूप में एक किलोग्राम की दर से खाद्यान्न रियायती दरों पर दिए जायेंगे। मजदूरों को रियायती दरों पर वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों की कुल मात्रा चालू वर्ष के दौरान लगभग एक लाख मीटरी टन होगी तथा 1984-85 के दौरान लगभग 6.5 लाख मीटरी टन होगी। इस मात्रा का प्रतिवर्ष लगभग एक-तिहाई चावल के रूप में होगा तथा दो-तिहाई गेहूं के रूप में होगा।

गांवों के लिए पेय जल सुविधाओं की व्यवस्था

1214. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार से वर्ष 198 -83 के दौरान गांवों के लिए पेय जल सुविधाएं प्रदान करने सम्बन्धी किसी योजना को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा सरकार ने निर्धारित अवधि के दौरान पूरे लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1983-84 के दौरान उड़ीसा के कितने गांवों में पेय जल सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने का विचार किया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) इस मंत्रालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार 1-4-1980 को समग्र देश में 2,30,784 ग्राम समस्याग्रस्त ग्रामों के रूप में पहचाने गए हैं। 1-4-1980 को उड़ीसा में समस्याग्रस्त ग्रामों की

संख्या 23,616 थी। 1992-83 के दौरान, उड़ीसा राज्य के लिए 2280 समस्याग्रस्त ग्रामों (1,400 केन्द्रीय क्षेत्र में त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम तथा 880 राज्य क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत) का लक्ष्य नियत किया गया था। उपर्युक्त लक्ष्य की तुलना में राज्य सरकार ने 4,718 समस्याग्रस्त ग्रामों (2,999 त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम तथा 1,719 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत) का लाभावन सूचित किया है जो लक्ष्य से अधिक है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) 1983-84 के दौरान, उड़ीसा सरकार का 5060 समस्याग्रस्त ग्रामों (2560 त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा 2500 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत) को जल मुहैया करने का लक्ष्य है।

पश्चिम बंगाल की रूपनारायण नदी में गाद जमा होना

1215. **श्री नारायण चौबे** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की रूपनारायण नदी में धीरे-धीरे गाद जमा होती जा रही है जिससे उसकी वहन क्षमता तथा सिंचाई के लिए जल आपूर्ति क्षमता का ह्रास हो रहा है;

(ख) क्या किसी परिस्थिति के असन्तुलन अथवा जल ग्रहण क्षेत्र में किसी वास्तविक परिवर्तन के कारण नदी में पानी का बहाव कम होता जा रहा है; और

(ग) क्या नदी का जल निरन्तर प्रदूषित होता जा रहा है जिससे मत्स्य उद्योग को नुकसान पहुंच रहा है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचना दी है कि रूपनारायण नदी में उत्तरोत्तर गाद भरती हुई दिखाई दे रही है तथा कुछ भागों में आरेखन में कमी हो रही है जिससे नौवहन पर असर पड़ रहा है। आगे यह भी सूचित किया गया है कि रूपनारायण से बड़े पैमाने पर कोई सिंचाई नहीं की जाती थी तथा ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं जिससे यह पता चले कि सिंचाई जल सप्लाई करने की क्षमता कम हो गई है।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अपर जलग्रहण क्षेत्र में बाढ़ नियन्त्रण जलाशयों का निर्माण किया गया है तथा सिंचाई और उद्योगों के उपयोग के लिए कुछ निकासी भी है। कुछ जलाशयों से फ्लशिंग डीजिस की व्यवस्था भी की गई है। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं जिनसे जलग्रहण क्षेत्र से कुल जलप्रवाह में कोई कमी होने का पता चले।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ऐसी कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

अनुसूचित जातियों/अनुचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के मामले में पिछली कमी

1216. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में पदों की विभिन्नि श्रेणियों में ग्रुप ए से डी (श्रेणी-एक से श्रेणी-चार) के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के मामले में कोई पिछली कमी शेष है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं; और

(घ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने सम्बन्धी पिछली कमी कब तक पूरी हो जाएगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) नियुक्ति के लिए योग्यता प्राप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए प्रयास किए गए हैं और निरन्तर किए जाते रहेंगे ।

(घ) इस सम्बन्ध में समय बताना सम्भव नहीं है कि पिछली कमी को कब तक पूरा कर लेने की सम्भावना है ।

आयातित खाद्य तेलों का छोटे पैकों में वितरण

1217. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार आयातित तेलों को छोटे उपभोक्ता पैकों में वितरित करने की सुविधा अनेक शहरों में लागू की है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे शहरों के नाम और संख्या क्या है तथा इन शहरों में क्या मापदण्ड अपनाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) बम्बई; कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास के चार महानगरों, जहां यह योजना 1981-82 से लागू है, के अलावा इस योजना के अन्तर्गत पूना, भुवनेश्वर, कटक, गोहाटी, पटना, त्रिवेन्द्रम, कोचीन; बंगलौर, भोपाल, चण्डीगढ़, शिमला, फरीदाबाद, जयपुर, हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत, कानपुर, और उत्तर प्रदेश के कवाल कस्बों को भी लाया गया है। यह कार्य सम्बन्धित राज्य सरकारों के अनुरोध, राज्यों में देशी खाद्य तेलों की उपलभ्यता आदि को ध्यान में रखकर किया गया है।

सरकारी कर्मचारियों को आवास का आबंटन

1218. **श्री ए० के० राजन** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत बड़ी संख्या में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी आवास के अभ्यार्थियों की प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न श्रेणियों के कितने सरकारी कर्मचारी प्रतीक्षा सूची में हैं और प्रत्येक श्रेणी की प्रतीक्षा सूची में किस तारीख तक रजिस्टिर्ड कर्मचारियों को आवास मिल गया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) और (ख) दिल्ली में सामान्य पूल वास के सम्बन्ध में सूचना इस प्रकार है :—

वास का टाइप	1-4-84 तक प्रतीक्षा सूची में सरकारी कर्मचारियों की संख्या	1-3-84 तक जिन अग्रता तिथियों तक आबंटन हो गया है
1	2	3
ए	11,401	30-11-65
बी	33,527	21-10-60
सी	22,411	31-1-63
डी	5,424	06-08-60
ई	1,317	01-01-73*
ई-I	479	1-73
ई-II	184	आबंटन भारत सरकार के सचिव स्तर तक के अधिकारियों के लिए सीमित है।

1	2	3
ई-III	132	आबंटन मंत्रियों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, आयोगों के अध्यक्षों इत्यादि के लिए सीमिति है।
योग	74,875	

*इसमें इससे पहले की अग्रता तिथियों वाले कुछ अधिकारीगण शामिल नहीं हैं जो हाल ही में दिल्ली में स्थानान्तरित हुए हैं।

पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे-छोटे बांधों का निर्माण

1219. **श्री ए० के० राय** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के पहाड़ी क्षेत्रों और सामान्य रूप से छोटा नागपुर में विशेष रूप से छोटे-छोटे बांधों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है और तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या छोटी-छोटी मौसमी नदियों पर ऐसे छोटे-छोटे बांधों से अधिक क्षेत्र को जलमग्न किए बिना स्थानीय सिंचाई में सहायता मिलेगी; और

(ग) देश में विशेषकर बिहार के संदर्भ में ऐसे बांधों और उनके कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) संविधान के अंतर्गत "जल" एक राज्य विषय है। इसलिए सभी लघु सिंचाई स्कीमों, जिसमें जल संचयन एवं पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां पर तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य होता है, व्यपवर्तन स्कीमों को आयोजन, अन्वेषण, अभिकल्प तथा निर्माण के लिए राज्य सरकारों द्वारा उनके लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत हाथ में लिया जाता है। लघु स्कीमों से जब बृहद एवं मध्यम स्कीमों से तुलना की जाती है तो कम जलमग्नता होती है।

(ग) चूंकि बिहार सहित, राज्यों में छोटी लघु सिंचाई स्कीमें बड़ी तादाद में हैं इसलिए केन्द्रीय स्तर पर मानीटरिंग "सृजित सिंचाई क्षमता" के संदर्भों में की जाती है। सभी छोटी भूतल जल स्कीमों, जल संचयन एवं व्यपवर्तन दोनों से सारे देश में मार्च, 1983 तक 86.3 लाख हैक्टेयर की कुल क्षमता सृजित की गई थी जिसमें से 10.14 लाख हैक्टेयर बिहार में है।

यूकेलिप्टस रोपण से लाभ/हानि

1220. **डा० प्रताप बाघ** : क्या **कृषि मंत्री**य ह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक की "इकानामिक एण्ड प्लानिंग काउंसिल" की रिपोर्ट

में यूकेलिप्टस रोपण से होने वाले लाभ और हानियों के बारे में मतभेद व्यक्त किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) खेतों और क्षेत्रों को यूकेलिप्टस बागानों में परिवर्तित करने की वांछनीयता पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) कर्नाटक अर्थ और आयोजना परिषद द्वारा सहमत हुए मुद्दों का संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) और (घ) मिट्टी, जलवायु और सामाजिक आर्थिक संबंधी पहलुओं को मद्दे-नजर रखते हुए यूकेलिप्टस का रोपण किया जाए । तथापि, अन्य देसी प्रजातियों के साथ पूर्ण रूप से मिलाकर अकेले यूकेलिप्टस के रोपण से बचा जाए ।

विवरण

कर्नाटक अर्थ और आयोजना परिषद् के विशेषज्ञों द्वारा यूकेलिप्टस के रोपण के बारे में विचार-विमर्श के दोरान हुए मतैक्य के मुद्दे :

1. यूकेलिप्टस संकर के विरुद्ध मुद्दे :

(क) **पारिस्थितिकी :**

1. यूकेलिप्टस के कारण जल के बहाव में वृद्धि होती है और मृदा क्षरण कम होता है ।
2. यूकेलिप्टस मिट्टी को लाभ नहीं पहुंचाता ।
3. यूकेलिप्टस से मिट्टी अमलीय बनाती है ।
4. यूकेलिप्टस निचली बढ़त को रोकता है ।
5. यूकेलिप्टस प्रचुर मात्रा में जल सोखता है ।
6. यूकेलिप्टस से जलस्तर नीचा होता है ।
7. यूकेलिप्टस एक घटिया ईंधन होता है ।
8. यूकेलिप्टस की जड़ें फैल जाती हैं, जो मुर्झाती नहीं, जिससे यूकेलिप्टस के वृक्ष काटने के पश्चात् भी अन्य प्रजातियां उग नहीं पातीं ।

(ख) **सामाजिक-आर्थिक :**

1. यूकेलिप्टस के कारण खाद्य उत्पादन, विशेषकर रागी पर नकारात्मक असर पड़ता है ।

2. यूकेलिप्टस से आय-वितरण और अधिक खराब हो जाता है ।

3. यूकेलिप्टस की खेती से उतना ज्यादा रोजगार नहीं मिलता, जितना कि खाद्य फसलों, विशेषकर रागी से मिलता है ।

2. यूकेलिप्टस संकरण के पक्ष के मुद्दे :

(क) पारिस्थितिकी :

1. जल्दी उगता है ।
2. शाखाएं नहीं निकलती ।
3. एक अच्छा गुल्मवनी है ।
4. इमारती लकड़ी, ईंधन और रेयन और कागज उद्योग के लिए कच्ची सामग्री पैदा करता है ।
5. सूखा-प्रवरण क्षेत्रों में उगता है ।
6. घटिया मिट्टी में उग जाता है ।
7. जल रिसन को बढ़ाता है ।
8. अग्नि प्रतिरोधी होता है ।
9. हवा से बचाव के लिए एक अच्छी आश्रम पट्टी सुलभ कराता है जिससे निम्न क्षेत्रों में बोयी जाने वाली फसलों को लाभ मिलता है ।

(ख) सामाजिक आर्थिक :

1. आय में काफी वृद्धि होती है ।
2. आय को स्थायी बनाता है ।
3. कुछ परिस्थितियों में रोजगार का बढ़ाता है और निम्न स्तर के उपायों में अतिरिक्त रोजगार सृजन करता है ।

यह सहमति व्यक्त की गई कि विशेषज्ञों द्वारा दिए गए विचार-विमर्श के प्रत्येक मुद्दे पर और अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन

1221. **श्री शिव शरण वर्मा :**

श्री जगपाल सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के समुचित विकास हेतु एक बोर्ड बनाने पर विचार कर रही है और इस सम्बन्ध में चालू समय में ही एक विधेयक पेश करेगी;

(ख) यदि हां, तो इस विधेयक एवं बोर्ड का स्वरूप क्या होगा और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा; और

(ग) इस बोर्ड के कितने सदस्य होंगे, उनका निर्वाचन किस प्रकार किया जाएगा और इस बोर्ड के कार्यकलाप पर सालाना कितने रुपए कम किए जाने का अनुमान है और तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां । इस संबंध में संसद में यथाशीघ्र एक विधेयक पेश किए जाने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि राजस्थान तथा हरियाणा राज्य की विधानसभाओं द्वारा संकल्प पारित किए जाते हैं ।

(ख) तथा (ग) बिल के प्रारूप को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक सांविधिक बोर्ड का गठन करना, क्षेत्रीय स्तर पर योजनाएं बनाना, भाग लेने वाले राज्यों को निधियां सुव्यवस्थित करना और उनके तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली द्वारा योजना कार्यान्वयन में सुविधाएं देना इसके लक्ष्य हैं । बोर्ड के गठन आदि के ब्यौरे अभी तैयार किए जाने हैं ।

गंगा-कावेरी परियोजना

1223. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा-कावेरी परियोजना के व्यवहार्यता अध्ययन के संबंध में कोई आदेश जारी किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) सिंचाई मंत्रालय तथा केन्द्रीय जल आयोग ने गंगा कावेरी लिंक स्कीम की जांच की थी तथा यह पाया था कि पूंजी तथा आवर्ती लागत दोनों की दृष्टि से इसके प्राक्कलन वास्तविकता से बहुत कम थे तथा पानी ऊपर उठाने के लिए भी इसमें विद्युत की काफी मात्रा में आवश्यकता होगी । अतः इस स्कीम पर आगे कार्यवाही नहीं की गई है ।

"सीड एसोसिएशन आफ इंडिया" का गठन

1224. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीज उद्योग के समुचित विकास हेतु एक नए प्रतिष्ठान "दि सीड एसोसिएशन आफ इंडिया" का गठन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) उप-दल द्वारा ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के बीज उद्योग के सदस्य शामिल हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् डेरी संस्थान करनाल में गायें

1225. **श्री सूर्य नारायण सिंह** :

श्री बी०डी० सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करनाल की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् डेरी संस्थान में 1-1-1981 से 1-3-1984 तक प्रति माह दूध देने वाली और दूध न देने वाली नस्ल वार कितनी गायें थीं और प्रतिदिन दूध का औसत कितना था, यदि 1983 में इसमें कमी आयी हो तो उसके क्या कारण थे और सुधार के क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) करनाल डेरी संस्थान में वर्ष 1980-81 से 1982-83 तक और 1983-84 में 1-3-1984 तक के दौरान वर्ष-वार अलग-अलग वास्तव में कितना योजना और गैर-योजना खर्च हुआ और छठी योजना के लिए वार्षिक आवंटन कितना था; और

(ग) क्या उत्पादन में कमी का कारण इस संस्थान में कर्मचारियों को असन्तोष है यदि हां, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक और सरकार ने सुधार के लिए कब और क्या उपाय किए हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क).से (ग) राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल से सूचना एकत्र की जा रही है और उसे लोक सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

वर्ष 1978 से खाद्यान्नों के उत्पादन लक्ष्यों की उपलब्धि

1226. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 से 1983-84 तक, वर्ष-वार, प्रत्येक राज्य के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य कितना था; और

(ख) इन लक्ष्यों को कहां तक प्राप्त किया गया है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) तथा (ख) 1978-79 से 1983-84 तक के प्रत्येक वर्ष के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन तथा उपलब्धियों के राज्य-वार "परिचालनात्मक" लक्ष्य देने वाला विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। वर्ष 1983-84 के खाद्यान्नों के अंतिम अनुमान राज्य सरकारों से अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं, परन्तु खाद्यान्नों के राष्ट्रीय लक्ष्य 1420 लाख मीटरी टन से इसके अधिक होने की आशा है।

विवरण

खाद्यान्न उत्पादन-लक्ष्य तथा उपलब्धियां 1978-79 से 1980-81 तक

(लाख मीटरी टन)

क्रम संख्या	राज्य	1978-79		1979-80		1980-81	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	98·00	106·66	102.00	95·29	103·00	99·92
2.	असम	26·50	23·02	27·00	2 ·32	28·77	27·06
3.	बिहार	110·50	99·77	112·50	71·04	116·50	99·11
4.	गुजरात	48·00	44.85	48·40	40·07	50·20	44·75
5.	हरियाणा	55·05	63·33	60·10	50·28	67.45	60·45
6.	हिमाचल प्रदेश	12·00	10·58	12·31	8.82	12·00	11·83
7.	जम्मू व कश्मीर	12·00	12·15	12·80	11·12	13·70	13·07
8.	कर्नाटक	75·00	74·57	78·0	73·71	82·50	58·80
9.	केरल	16·21	12·86	14·57	13·12	14·00	12·98

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	मध्यप्रदेश	127·00	117·28	127·00	75·35	127·00	124.12
11.	महाराष्ट्र	105·00	100·17	107·62	103·62	111·00	97·58
12.	मणिपुर	3·77	2·73	3·75	2·40	3·65	2·92
13.	मेघालय	1·55	1·51	1·62	1·41	1.70	1.55
14.	नागालैंड	1·00	0·88	1·06	0·65	1·16	1·05
15.	उड़ीसा	62·00	57·65	70·40	38·72	66.25	59·77
16.	पंजाब	98·00	116·76	112·00	119·29	120·00	119·03
17.	राजस्थान	77·00	78·22	79·05	52·45	84·00	64·96
18.	सिक्किम	0·40	उ०न०	0·48	उ०न०	0·50	उ०न०
19.	तमिलनाडु	87·25	76·03	88·73	76·62	92·00	54·87
20.	त्रिपुरा	3·98	3·78	4·06	3·12	4·20	4·03
21.	उत्तर प्रदेश	215·00	230·79	223·15	164·27	232·00	249·45
22.	पश्चिम बंगाल	95·75	80·44	102·35	70·62	106·00	82·81

उ०न०—उपलब्ध नहीं ।

खाद्यान्न उत्पादन—लक्ष्य और उपलब्धियां 1981-82 से 1983-84 तक

(लाख मीटरी टन)

क्रम संख्या	राज्य	1981-82		1982-83		1983-84
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	104·00	11·13	111·00	107·37	114·55
2.	असम	28·48	24·19	33.20	27·67	25·36
3.	बिहार	116·00	82·39	120·20	69·65	98·43
4.	गुजरात	50·20	50·89	49·00	43·59	50·42
5.	हरियाणा	69·00	60·40	71·40	66·47	67·79
6.	हिमाचल प्रदेश	12·00	10·54	12·50	9·98	10·92
7.	जम्मू व कश्मीर	15·30	12·73	15·60	12·39	14·00
8.	कर्नाटक	84·65	73·08	85·00	63·34	73·55
9.	केरल	14·21	13·64	16·38	13·32	13·00
10.	मध्य प्रदेश	127·00	128·34	133·25	123.16	130.57
11.	महाराष्ट्र	110·00	105·71	115·00	92·16	108·63

1	2	3	4	5	6	7
12.	मणिपुर	3·70	2·64	3·05	2·26	3·25
13.	मेघालय	1·72	1·55	1·73	1·54	1·51
14.	नागालैंड	1·25	1·13	1·35	1·23	1·15
15.	उड़ीसा	64·64	54·37	68·46	44·68	64·77
16.	पंजाब	136·00	133·26	128·00	141·71	137·07
17.	राजस्थान	91·40	71·63	87·00	83·07	72·73
18.	सिक्किम	0·70	0·64	0·72	0·63	0·88
19.	तमिलनाडु	92·14	74·00	96·30	47·22	76·78
20.	त्रिपुरा	4·40	3·60	4·61	4·32	4·10
21.	उत्तर प्रदेश	242·00	242·89	260·00	263·68	260·60
22.	पश्चिम बंगाल	99·81	65·50	101·00	58·57	82·33

लघु उपभोक्ता पैकों में आयातित खाद्य तेलों का वितरण

1227. **श्री पी० एम० सईद** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु उपभोक्ता पैकों में दिए जा रहे खाद्य तेल अब 16 राज्यों के और अधिक शहरों में भी दिए जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो 1982 के बाद कितने खाद्य तेलों का आयात किया गया है और 1984 में कितनी मात्रा में आयात किया जाएगा;

(ग) कितने शहरों में इस समय खाद्य तेलों का वितरण किया जा रहा है;

(घ) भारी मात्रा में खाद्य तेलों के आयात के बावजूद इनके मूल्य बढ़ रहे हैं; और

(ङ) इनके मूल्यों में वृद्धि रोकने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) छोटे पैकों में आयातित खाद्य तेलों की बिक्री अब 15 राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों के अन्य शहरों में भी की जाने लगी है ।

(ख) सरकार द्वारा आयात किए जाने वाले खाद्य तेलों की मात्रा का निर्धारण देश में खाद्य तेलों के उत्पादन और उनकी मांग, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उनके मूल्यों के रुख, विदेशी मुद्रा की उपलभ्यता तथा ऐसे अन्य पक्षों जैसी बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर किया जाता है । इस समय इस बात का पूर्वानुमान लगाने का समय अभी नहीं आया है कि तेल वर्ष 1984 के दौरान खाद्य तेलों की कितनी मात्रा का आयात किया जाएगा । तेल वर्ष 1981-82 के दौरान आयात किए गए खाद्य तेलों की मात्रा 9.98 लाख मीटरी टन थी और तेल वर्ष 1982-83 में यह मात्रा 11.5 लाख मीटरी टन थी ।

(ग) खुले रूप में आयातित खाद्य तेल की बिक्री देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से की जा रही है । छोटे उपभोक्ता पैकों की योजना केवल 25 शहरों में ही लागू की गई है ।

(घ) मूल्यों में अब गिरावट का रुख दिखाई दिया है । इस रुख का एक कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आयातित खाद्य तेल अधिक मात्रा में उपलब्ध होना तथा अतिरिक्त नगरों में छोटे उपभोक्ता पैकों में इसकी बिक्री करना है ।

(ङ) (i) तिलहनों के विकास के लिए गहन कार्यक्रम जारी रहेगा;

(ii) खाद्य तेलों का आयात खाद्य तेलों की मांग और उनकी उपलभ्यता के बीच के अन्तर को पाटने के लिए अनिवार्य रूप से किया जाएगा;

(iii) राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित खाद्य तेलों का बढ़ी हुई मात्रा में आवंटन उस समय तक जारी रहेगा जब तक परिस्थितियां इसकी मांग करें;

(iv) मार्च, 1984 से लेकर आगे के लिए छोटे पैकों में आयातित खाद्य तेलों की 20,000 मी० टन की मात्रा की बिक्री करने की योजना बनाई गई है तथा छोटे पैकों की योजना के अन्तर्गत और अधिक नगरों को लाने का प्रस्ताव किया गया है;

(v) वनस्पति का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन सुनिश्चित किया जाएगा और गैर-पारम्परिक तेलों के अधिक प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए वनस्पति उद्योग द्वारा तेल के उपयोग के बारे में उचित नीति को जारी रखना;

(vi) देशीय उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना;

(vii) गैर-पारम्परिक तिलहनों जैसे सोयाबीन और सूरजमुखी की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना तथा वृक्ष तथा वनमूल के तिलहनों, चावल की भूसी आदि का उपयोग करना।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियां

1228. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय सरकारी सूची में कितनी अनधिकृत कालोनियां हैं जिनको शीघ्र अधिकृत करने के लिए लोग लगातार मांग कर रहे हैं;

(ख) इस कालोनियों का विस्तृत विवरण क्या है और ये कालोनियां कब बनी; और

(ग) इन कालोनियों को कब तक अधिकृत कर दिया जाएगा ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं कि दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों जिनमें क्रमश: 30.6.77 तथा 16.2.77 तक निर्मित रिहायशी तथा वाणिज्यिक संरचनाएं आती हैं, को नियमित कर दिया जाय। इन आदेशों के अनुसरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम ने पहले 612 अनधिकृत कालोनियों की एक सूची बनाई थी जिसकी जांच दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा गठित एक तकनीकी समिति ने की थी। इस तकनीकी समिति ने 607 अनधिकृत कालोनियों पर विचार करने के लिए एक संशोधित सूची बनाई जिसमें से

तकनीकी समिति द्वारा 605 अनधिकृत कालोनियों के मामलों पर निम्न प्रकार से पहले ही विचार कर दिया गया है :—

(i)	उन कालोनियों की संख्या जिन्हें तकनीकी समिति की जांच के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है ।	— 519
(ii)	उन कालोनियों की संख्या जिनकी तकनीकी समिति ने अनुमोदन के लिए सिफारिश की और जिनके मामले दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम के विचाराधीन है ।	— 21
(iii)	उन कालोनियों की संख्या जिनकी तकनीकी समिति ने क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास में समायोजन के लिए सिफारिश की है ।	— 3
(iv)	उन कालोनियों की संख्या जिनके मामले दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा तकनीकी समिति को प्रस्तुत किए गए ।	— 8
(v)	उन कालोनियों की संख्या जिनके मामले तकनीकी समिति द्वारा नियमितीकरण के लिए अस्वीकृत कर दिए गए ।	— 54
		योग : 605

2. शेष दो कालोनियों के मामले अभी तक तकनीकी समिति को नहीं भेजे गए हैं ।

3. दिल्ली विकास प्राधीकरण तथा दिल्ली नगर निगम की अनुमोदित 607 कालोनियों की अलग-अलग सूची, तकनीकी समिति द्वारा अस्वीकृत कालोनियों तथा विचाराधीन कालोनियों की सूचियां संलग्न हैं । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7871/84**] इन कालोनियों के बनने की निश्चित अवधियों का पता नहीं है ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा पश्चिम बंगाल में भंडारों का निर्माण करना

1229. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले के अद्रा नामक स्थान में भारतीय खाद्य निगम एक बड़े गोदाम का निर्माण कर रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जमीन के मालिकों को भूमि अधिग्रहण का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) अद्रा में गोदाम काम्पलेक्स का निर्माण करने के लिए अर्जित की गई भूमि के एक भाग के लिए मुआवजा मन्जूर किया गया है । शेष भूमि के लिए मुआवजा मन्जूर नहीं किया गया है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा एवार्ड के बारे में अभी घोषणा की जानी है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक खेल संस्थान की स्थापना

1230. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या **खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के अधिकारियों के एक दल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय खेल संस्थान जैसा एक खेल संस्थान स्थापित करने के लिए स्थल के चयन हेतु वहां का दौरा किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में उप-मंत्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय खेल सचिव के नेतृत्व में अधिकारीगण के एक दल ने नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान के प्रस्तावित पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र के लिए उपयुक्त स्थल चुनने के बारे में जनवरी, 1984 में पूर्वोत्तर क्षेत्र का दौरा किया था । दल ने अगरतला, गोहाटी, इम्फाल और कोहिमा का दौरा किया और त्रिपुरा, असम, मणीपुर और नागालैण्ड की राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया । दल ने संस्थान के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित स्थलों का भी निरीक्षण किया ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सप्लाई किए गए अनाज का राज्यों द्वारा उपयोग

1231. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत मिले अनाज के पूरे उपयोग किए जाने के बारे में प्रतिवेदन मिले हैं; और

(ख) यदि कोई राज्य दोषी है तो उनके नाम क्या हैं और कम उपयोग किए जाने के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों पर नियोजित मजदूरों को रियायती दरों पर खाद्यान्न वितरित करने का निर्णय हाल ही में लिया गया है । इस सम्बन्ध में रिपोर्ट उपलब्ध होने में कुछ समय लगेगा ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत अनाज की सप्लाई

1232. **श्री जगपाल सिंह** : क्या **ग्रामीण और विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत रियायती मूल्यों पर गेहूं और चावल सप्लाई करने का फैसला किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत सप्लाई किए जाने वाले अनाजों का राज्य सरकारें पूरा-पूरा उपयोग करें और श्रमिकों को उनकी मजदूरी के रूप में रियायत का लाभ दिलाने हेतु खाद्यान्न मिले ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य कर रहे मजदूरों को उनकी मजदूरी के भाग के रूप में प्रति-दिन प्रति व्यक्ति एक किलोग्राम खाद्यान्न रियायती दरों पर दिया जाएगा । उन्हें गेहूं 1.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाएगा । चावल के मामले में, सामान्य चावल 1.85 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बांटा जाएगा । सामान्य किस्म का चावल न उपलब्ध होने पर बढ़िया और सबसे बढ़िया किस्म के चावल सप्लाई किए जायेंगे । बढ़िया किस्म के चावल की कीमत 1.95 रुपए प्रति किलोग्राम और सबसे बढ़िया किस्म के चावल की कीमत 2.10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से ली जाएगी ।

राज्यों से कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठायें कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत पात्र मजदूरों को उनके द्वारा 16 जनवरी, 1984 को अथवा उसके बाद किए गए कार्य के लिए रियायती दरों पर प्रति-दिन एक किलोग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से खाद्यान्न दिए जायें । राज्य सरकारों से यह भी कहा गया है कि वे इस प्रयोजन के लिए अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर बनाएं अथवा रियायती दर पर दिए जाने वाले खाद्यान्नों के उचित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करें ।

डी० डी० ए० द्वारा शान्ति नगर में मकानों का गिराया जाना

1233. **श्री त्रिलोक चन्द** :

श्री जयपाल सिंह कश्यप : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० डी० ए० के उच्च अधिकारियों ने पुलिस के सहयोग से 24 जनवरी,

1984 को क्रान्ति नगर के स्थान पर शांति नगर में 25 मकानों को गिराया; और

(ख) यदि हां, तो इन गरीब लोगों के घरों को बिना नोटिस दिए गिराए जाने के क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने क्रान्ति नगर में न कि शान्ति नगर में पुलिस विभाग को आबंटित अपनी भूमि में से नए अतिक्रमणों को हटाया, ये दोनों ही घोन्डकी के राजस्व एस्टेट में स्थित हैं।

केन्द्रीय सरकार के अधीन मछली पकड़ने वाले नाविकों की परेशानियां

1234. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अधीन मछली पकड़ने वाले नाविकों की शिकायतों को दूर करने और उनके विरुद्ध उत्पीड़न रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : सरकार द्वारा निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं :—

(1) नाविकों के दो वर्गों के लिए प्रतिदिन 10 रुपए तथा 17.50 रुपए की दरों पर नाविकों के खाने का खर्च सम्बन्धी भत्ता बढ़ाने की अनुमति दी गई है, जबकि पहले सस्ती दर क्रमश: 5 रुपए और 10 रुपए थी।

(2) विभिन्न वर्गों के नाविकों के लिए मध्य समुद्री भत्ते की मंजूरी 100 रुपए से 200 रुपए प्रति मास की गई।

केन्द्रीय सरकार के मछली पकड़ने वाले नाविकों के विरुद्ध कोई उत्पीड़िन नहीं है।

मीनाचिल सिंचाई परियोजना

1235. **श्री स्कारिया थामस** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने केरल में 50 करोड़ रुपए की लागत की मीनाचिल नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) मीनाचिल सिंचाई परियोजना की परियोजना रिपोर्ट केरल सरकार से 10-2-1984 को ही केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई है तथा केन्द्रीय जल आयोग में परीक्षणाधीन है।

(ख) रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना की अनुमानित लागत 49·56 करोड़ रुपए है तथा मीनाचिल की सहायक नदी के ऊपर 75 मीटर ऊंचे बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है और मीनाचिल, कोट्टायम तथा चांगनचेरी तालुकों में पीने के पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त कोट्टायम जिले में हर वर्ष 9960 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने की इसमें व्यवस्था है ।

(ग) परियोजना को पूरा करने की अवधि परियोजना के शुरू होने से आठ वर्ष बताई गई है ।

लोगों का दिल्ली में आगमन

1236. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों से प्रतिवर्ष कितने लोग आते हैं;

(ख) क्या सरकार का यह विचार है कि शहर के बुनियादी ढाचे में 1 करोड़ लोगों से अधिक की व्यवस्था नहीं हो सकती है;

(ग) यदि हां, तो क्या राजधानी के विस्तार को रोकने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जन-गणना आंकड़ों के आधार पर दिल्ली में वार्षिक आप्रवासन 1971-81 के दशक में 1·3 लाख कूता है ।

(ख) प्रक्षेपित जनसंख्या की आवश्यकताओं के समकक्ष अद्य संरचना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता होगी ।

(ग) तथा (घ) सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक योजना द्वारा सरकार दिल्ली के विस्तार को नियंत्रणीय सीमाओं के भीतर रखने का इरादा रखती है । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है (जिसमें दिल्ली तथा कुछ क्षेत्र हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों के हैं) तथा 1971 की जनगणना के अनुसार लगभग 140 लाख की अनुमानित जनसंख्या है । आगामी विस्तार तथा जनसंख्या को दिल्ली से रिंग नगरों तथा प्रतिकारी नगरों में अपवर्तित करके सम्पूर्ण क्षेत्र का एक संतुलित विस्तार करना योजना का उद्देश्य है ।

चेमरावेट्टम सिंचाई परियोजना

1237. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने चेमरावेट्टस सिंचाई परियोजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) चेमरावेट्टम सिंचाई परियोजना पर परियोजना रिपोर्ट तकनीकी जांच तथा योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग में अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

लाल किले के सामने अनधिकृत दुकानें

1238. **श्री हीरा लाल आर० परमार** :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि लाल किला, दिल्ली के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने कुछ अनधिकृत दुकानें बनाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय लाल किले के मुख्य द्वार पर कितनी अनधिकृत दुकानें चल रही हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का लाल किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर इन सभी अनधिकृत दुकानों/ढांचों को गिरा देने के लिए दिल्ली प्रशासन को निर्देश देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इन सभी दुकानों को कब तक गिरा दिया जाएगा ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि लाल क़िले के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने इस प्रकार की कोई दुकान नहीं बनी है ।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

कृषि उत्पादों की खरीद के समय बिचौलियों को हटाने के लिए मार्ग निर्देशन

1239. **श्री चतुर्भुज** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कृषि उत्पादों की सुव्यवस्थित खरीद और इस काम के लिए बिचौलियों को हटाए जाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रणाली को अपनाने में कितना समय लगेगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) वसूली मौसम के प्रारम्भ में, राज्य सरकारों और वसूली एजेन्सियों को किसानों के लाभ के लिए यथावश्यक समर्थन खरीदारियां करने के लिए आवश्यक प्रबन्ध करने के लिए परामर्श दिया जाता है। सरकार की नीति खरीद परिचालनों से यथासम्भव बिचौलियों को निकालने की है। भारतीय खाद्य निगम पंजाब और हरियाणा को छोड़कर, जहां कच्चे आढ़तियों के माध्यम से विनियमित मंडियों में खरीदारियां की जाती हैं, सभी राज्यों में किसानों से खाद्यान्नों की सीधी वसूली कर रहा है। वसूली परिचालनों से पक्का आढ़तियों की संस्था को सामान्यतया समाप्त कर दिया गया है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

1240. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्रमुख बाधा बैंकों से मिलने वाली अपर्याप्त वित्तीय सहायता है;

(ख) यदि हां, तो समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु समय पर पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बैंकों से सहयोग करने के सम्बन्ध में उनका मंत्रालय क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रहा है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) कुल मिलाकर बैंक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। वैसे, ऐसे भी इलाके हैं, जिन्हें पर्याप्त सहायता नहीं मिली है।

(ख) और (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ऋण सहायता से सम्बन्धित उच्च स्तरीय समिति समय-समय पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ऋण संबंधी प्रगति और नीतियों/प्रक्रियाओं की समीक्षा करती है तथा उपचारी कदम उठाती है। इसके अलावा, बैंकिंग प्रभाग (आर्थिक कार्य विभाग), भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि प्रक्रिया संबंधी और अन्य कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं का समाधान खोजा जा सके।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत गेहूं और चावल का आबंटन

1241. **श्री नित्या नन्द मिश्र** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत काम करने वाले लोगों को मजदूरी का भुगतान करने हेतु विभिन्न राज्यों को गेहूं और चावल आबंटित किया है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा को उपर्युक्त काम के लिए 1983-84 में कुल कितने टन चावल और गेहूं दिया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत 1984-85 में चावलभोजी राज्यों को अधिक चावल आबंटित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा को उपर्युक्त कार्यक्रम के अंतर्गत 1984-85 में कुल कितना चावल आबंटित करने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) जी हां, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्नों (गेहूं तथा चावल) के आबंटन की राज्यवार स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । जैसा कि विवरण में देखा जा सकता है, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उड़ीसा को कुल 21950 मीटरी टन गेहूं की मात्रा आबंटित की गई है ।

(ग) व (घ) इस समय विभिन्न राज्यों को आबंटित खाद्यान्नों की किस्म के पैटर्न में परिवर्तन करना सम्भव नहीं होगा । वर्ष 1984-85 के लिए आबंटनों को अगले वर्ष अन्तिम रूप दिया जाएगा ।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 के दौरान गेहूं तथा चावल के आबंटन की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(मीटरी टनों में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम			ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम		
	गेहूं	चावल	कुल	गेहूं	चावल	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	—	29850	29850	—	6000	6000
2. असम	—	6570	6570	—	1000	1000
3. बिहार	40546	—	40546	8382	—	8382
4. गुजरात	8666	—	8666	1778	—	1778
5. हरियाणा	1568	—	1568	323	—	323
6. हिमाचल प्रदेश	1164	—	1164	364	—	364
7. जम्मू तथा कश्मीर	900	900	1800	—	375	375
8. कर्नाटक	—	17538	17538	—	3200	3200

1	2	3	4	5	6	7
9. केरल	—	12130	12130	—	2400	2400
10. मध्य प्रदेश	21200	4000	25200	4571	1000	5571
11. महाराष्ट्र	29538	—	29538	6077	—	6077
12. मणिपुर	—	320	330	—	69	69
13. मेघालय	—	480	480	—	100	100
14. नागालैण्ड	—	150	150	—	63	63
15. उडीसा	18200	—	18200	3750	—	3750
16. पंजाव	2750	—	2750	563	—	563
17. राजस्थान	6776	—	6776	1412	—	1412
18. सिक्किम	—	90	90	—	50	50
19. तमिलनाडु	—	30858	30858	—	6000	6000
20. त्रिपुरा	—	990	990	—	206	206
21. उत्तर प्रदेश	55040	—	55040	11367	—	11367
22. पश्चिम बंगाल	31100	—	31100	6417	—	6417

1	2	3	4	5	6	7
केन्द्र शासित क्षेत्र						
23. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	28	28	—	62	62
24. अरुणाचल प्रदेश	6	80	80	—	44	44
25. चण्डीगढ़	—	—	6	7	—	7
26. दादरा तथा नगर हवेली	70	50	50	—	36	36
27. दिल्ली	366	—	70	18	—	17
28. गोवा, दमन तथा दीव	—	—	366	75	—	75
29. मिजोरम	—	46	46	—	40	40
30. लक्षद्वीप	—	74	14	—	13	13
31. पाण्डिचेरी	—	232	232	—	62	62
योग	217890	104336	322226	45103	20720	65823

जनकपुरी, पाकेट "बी" के स्व-वित्त पोषी योजना के फ्लैट

1242. **श्री केशव राव पारधी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** जनकपुरी, पाकेट "बी" में स्ववित्त पोषी योजना के फ्लैटों के बारे में दिनांक 19 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4266 उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जनकपुरी पाकेट "बी" के स्ववित्त पोषी योजना के फ्लैटों को "शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने" के आश्वासन के बावजूद अब तक कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस स्थिति में सुधार के लिए यदि कोई विशेष कदम उठाए गए हैं, तो वे क्या हैं और इन फ्लैटों को पूरा करने और उन्हें आबंटितियों को सौंपने का कार्य कब तक हो जाने की आशा है; और

(ग) इन फ्लैटों को पूरा करने में असाधारण विलम्ब के लिए जिम्मेवार संबंधित ठेकेदारों और अधिकारियों के विरुद्ध यदि कोई दंडनीय कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) ठेकेदार द्वारा हाल ही के महीनों में कार्य की काफी प्रगति कराई गई है और भवन सामग्री की उपलब्धता की शर्त पर कार्य को सितम्बर, 1984 तक पूरा कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों के विरुद्ध दण्डनीय कार्यवाही करने के लिए समय-समय पर नोटिस जारी किए गए हैं और आगे की कार्यवाही उचित समय पर की जायेगी।

तेल व्यापारियों द्वारा वनस्पति घी में गाय की चर्बी की मिलावट का अविवेकपूर्ण प्रचार

1243. **श्री दलबीर सिंह** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति घी में गाय की चर्बी के अविवेकपूर्ण प्रचार के पीछे तेल व्यापारियों का हाथ रहा है और उनके धन से पूरे देश में ऐसा वातावरण पैदा हो गया कि लोगों ने वनस्पति घी खाना कम कर दिया और तेल के मूल्यों में वृद्धि हो गई; और

(ख) गाय की चर्बी की मिलावट के प्रारम्भ के समय खाने के तेल का औसत प्रति किलो मूल्य क्या था और अब क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) वनस्पति में पशु चर्बी की मिलावट के आरोपों के बावजूद, वनस्पति का उत्पादन, जो इसकी

मांग का भी सूचक है, कुल मिलाकर सन्तोषजनक रहा और वास्तव में वर्ष 1982 की तुलना में 1983 में यह अधिक रहा 1 मई 1983 में और इस समय कुछ देशी खाद्य तेलों के थोक मूल्य सूचकांक नीचे दिए गए हैं :—

		सरसों	मूंगफली	तिल
मई	1983	256.4	305.6	306.5
फरवरी	1984	350.0	311.1	315.6

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में क्रियाविधि सम्बन्धी परिवर्तन

1244. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में क्रिया-विधि सम्बन्धी कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो सुझाए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी राशि वितरित की गई; और

(घ) योजना की शेष अवधि में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी राशि दी जाएगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) हाल ही में क्रियाविधि सम्बन्धी कोई मुख्य परिवर्तन नहीं सुझाए गए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों में उपयोग में लाई गई निधियों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(घ) छठी योजना की शेष अवधि में महाराष्ट्र को 8 लाख रुपए प्रति खण्ड प्रति वर्ष की दर से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु आबंटन उपलब्ध होगा। 296 खण्डों सहित वर्ष 1984-85 में महाराष्ट्र का आबंटन 2368 लाख रुपए होगा जिसमें से 50 प्रतिशत केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा सहायक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

विवरण

	1980-81	1981-82	1982-83
1. कुल आवंटन (लाख रुपए में)	1,480.00	1,776.00	2,368.00
2. कुल व्यय (लाख रुपए में)	1,272.11	1,346.65	2,099.80
3. कुल आवधिक ऋण (लाख रुपए में)	3,049.16	3,183.62	4,776.62

तिलहन की प्रमुख फसलों की उपज

1245. **श्री आर० आर० भोले** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सभी प्रमुख तिलहन फसलों की उपज दर विश्व औसत की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो तिलहन फसलों की उत्पादकता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सूखे की स्थितियों को सहने वाली कीट और रोग प्रतिरोधी फसलों की किस्मों की खोज के लिए कोई अनुसंधान कार्य किया गया है; और

(घ) क्या सरकार तेल के मूल्यों पर नियंत्रण करने और किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए तिलहन की फसलों के लिए क्षेत्र बढ़ाने पर विचार करेगी ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) प्रमुख तिलहनों की विश्व (1982) और भारत (1981-82/1982-83 के दौरान अधिकतम पैदावार) की प्रति हैक्टर औसत पैदावार नीचे दी गयी है :—

(किलोग्राम प्रति हैक्टर)

फसल	*विश्व (1982)	भारत (1981-82 और 1982-83 के बीच अधिकतम पैदावार)
1	2	3
मूंगफली	973	972 (1981-82)
अरंडी	544	615 (1982-83)
रामतिल	286	228 (1981-82)

1	2	3
तोरिया और सरसों	1099	589 (1982-83)
अलसी	538	271 (1982-83)
कुसुम	729	563 (1981-82)
सूरजमुखी	1245	564 (1981-82)
सोयाबीन	1772	750 (1981-82)

*खाद्य और कृषि संगठन का 1982 का शब्द-कोष

(ख) तिलहन फसलों की उत्पादकता में सुधार लाने के उद्देश्य से अधिक पैदावार प्रबंध प्रौद्योगिकी के विकास के प्रयासों के साथ-साथ अधिक पैदावार देने वाली किस्मों और संकर किस्मों के प्रजनन सम्बन्धी अनुसंधान कार्य को तेज किया गया है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) भारत सरकार तिलहन फसलों, विशेषकर रबी/गर्मी की मूंगफली, सूरजमुखी और सोयाबीन के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि के उपाय पहले से ही कर रही है । तिलहन विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत किसानों को विभिन्न मदों के लिए राजसहायता सुलभ करायी जा रही है ।

उड़ीसा में खेल गतिविधियों का विकास

1246. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में खेल-गतिविधियों के विकास के लिए क्या कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

खेल विभाग में उप-मंत्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) और (ख) "खेल" एक राज्य का विषय होने के नाते, यह राज्य सरकार का काम है कि वे राज्य में खेल कार्यकलापों को विकसित करने के लिए कार्यक्रम तैयार करें । तथापि, खेलों को बढ़ावा देने से सम्बन्धित विभिन्न केन्द्रीय योंजनाओं का लाभ उड़ीसा के लिए भी उतना ही स्वीकार्य है जितना कि अन्य राज्यों के लिए ।

महानगरीय और शहरीय डेयरियों के लिए दूध के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले तत्वों का जारी रहना

1247. **श्री राम अवध** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 फरवरी, 1984 तक के अनुसार प्रत्येक महानगरीय और शहरी डेयरियों को दूध

के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले तत्वों के स्तर को बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए अथवा तैयार किए जा रहे कार्यक्रमों के ब्यौरे सहित प्रत्येक नगर/कस्बा-वार सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का विचार है; और

(ख) क्या सरकार नगरों में दुग्धपूर्ति को बनाए रखने के लिए यूरोपियन आर्थिक समुदाय के उपहारों पर इस प्रकार की निर्भरता से सन्तुष्ट है, यदि नहीं, तो किन सुधारात्मक उपायों का विचार किया गया है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) इस मन्त्रालय में दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी के लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों से ताजे दूध की अधिप्राप्ति में वृद्धि करने के उपाय किए हैं। राज्यों में दुग्ध की सप्लाई बनाए रखना सम्बन्धित राज्य सरकारों और राज्य डेरी संघ नियमों का उत्तरदायित्व है और उन डेरियों के मामले में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड उत्तरदायी है जिनका प्रबन्ध उसके द्वारा किया जाता है। भारतीय डेरी निगम यूरोपीय आर्थिक समुदाय से उपहार स्वरूप प्राप्त सप्रेटा दुग्ध चूर्ण और बटर आयल/बटर भण्डार तथा स्वदेशी स्टाक की उपलब्धता के अनुसार विभिन्न डेरियों का इन जिंसों को निर्मुक्त करता है ताकि उत्पादन क्षमता की तुलना में ताजे दूध की कमी को पूरा कर सके। तथापि, डेरियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ताजे दूध की अधिप्राप्ति के लिए इष्टतम प्रयास करें। ये डेरियां बाजार से स्वदेशी सप्रेटा दुग्ध चूर्ण और दुग्ध वसा की खरीद करने के लिए भी स्वतन्त्र है।

(ख) भारत सरकार और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच हुए करार की शर्तों के अनुसार आपरेशन फ्लड-2 परियोजना के कार्यान्वयन के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय से दुग्ध चूर्ण, बटर आयल और मक्खन के उपहार की सप्लाई प्राप्त हो रही है।

उड़ीसा में पूरी होने वाली सिंचाई परियोजना और बाढ़ नियन्त्रण परियोजना

1248. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कौन सी बड़ी सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण परियोजना पूरी की जानी है;

(ख) क्या इन्द्रावती बहु प्रयोजनीय परियोजना निर्धारित समय के अनुसार पूरी हो रही है और यदि नहीं, तो क्यों और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सहायता के लिए कुछ अन्य बहु-प्रयोजनीय परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) उड़ीसा में रेंगाली बांध परियोजना तथा बिहार में सुवर्णरेखा बांध परियोजना बहु-प्रयोजनी परियोजनाएं हैं जो इस समय निर्माणाधीन हैं और जिनसे उड़ीसा को बृहत् सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण सम्बन्धी लाभ होंगे। ब्राह्मणी नदी पर रेंगाली बांध पूरा होने वाला है तथा वस्तुतः जून, 1985 तक पूरा हो जाएगा।

(ख) अपर इन्द्रावती परियोजना को मूलतः नौ वर्षों की अवधि में पूरा करने की योजना थी । तथापि, आबंटित निधियों की अपर्याप्तता, भूमि-अधिग्रहण में देरी, सीमेंट तथा दक्ष मजदूरों इत्यादि की कमी जैसी बाधाओं के कारण अब राज्य सरकार का इस परियोजना को तेरह वर्षों की अवधि अर्थात् 1990-91 तक पूरा करने का प्रस्ताव है ।

(ग) उड़ीसा सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि विहार में सुवर्णरेखा पर निर्माणाधीन चांडिल बांध के लिए उड़ीसा को आबंटित किए जाने वाले बाढ़ नियन्त्रण भाग के घटक का अंशदान दें ।

स्वामी दयानन्द कालोनी, दिल्ली की दीवारों की मरम्मत

1249. **श्री के० लकप्पा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने स्वामी दयानन्द कालोनी (एक गंदी बस्ती) सराय रोहिल्ला दिल्ली की दीवारों के मरम्मत का कार्य प्रारम्भ किया था;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने ब्लाकों की दीवारों की मरम्मत कर दी गई है और कितने ब्लाकों की दीवारों की मरम्मत होनी है;

(ग) इस उद्देश्य से कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(घ) शेष दीवारों की मरम्मत के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस कार्य को कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पुष्टि की है कि मरम्मत कार्य आरम्भ कर दिया गया है ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि ए, बी, सी, डी, ई. तथा एफ. ब्लाकों की दीवारों की मरम्मत कर दी गई है तथा शेष छः ब्लाकों में मरम्मत अभी आरम्भ नहीं किया गया है ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार, इस वर्ष के लिए स्वीकृत की गई राशि 50170 रुपये थी ।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कहा है कि शेष ब्लाकों में दीवारों की दशा का सर्वेक्षण किया जाएगा तथा यदि आवश्यक समझा गया तो 1984-85 के दौरान मरम्मत कार्य आरम्भ किया जाएगा ।

डी० डी० ए० द्वारा सीरी फोर्ट स्थित एशियाड फ्लैटों की बिक्री

1250. **श्रीमती कृष्णा साही :**

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीरी फोर्ट स्थिति एशियाड फ्लैटों की बहुचर्चित बिक्री के सम्बन्ध में अप्रवासी भारतीयों द्वारा कम रुचि दिखाए जाने के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण असमंजस की स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को कुछ अवधि के लिए बढ़ाने का है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एशियाई खेल ग्राम कम्प्लैक्स में विदेशी मुद्रा में भुगतान करने पर फ्लैटों के विक्रय के लिए आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख 29-2-1984 थी। इस योजना के तहत छः राष्ट्रीयकृत बैंकों के विदेशी शाखाओं में आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिन्हें भारत में उनके समन्वित शाखाओं के माध्यम से दिल्ली विकास प्राधिकरण को भेज दिया गया है। शीघ्र ही स्थिति का पुनरीक्षण किया जाएगा।

किसानों को घटिया बीजों की सप्लाई

1251. **श्री राम लाल राही** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982-83 में वर्ष 1981-82 की तुलना में चावल का उत्पादन 67 लाख टन कम हुआ;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में यह कमी किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध न करा पाने के कारण हुई; और

(ग) यदि हां, तो किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं और उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) 1982-83 के दौरान भारत में 464.8 लाख मीटरी टन चावल का उत्पादन हुआ था, जबकि 1981-82 के दौरान 532.5 लाख मीटरी टन चावल का उत्पादन हुआ था।

(ख) जी नहीं। वर्ष 1982-83 के दौरान चावल के 8,88,919 क्विंटल प्रमाणीकृत/अच्छे बीजों का वितरण किया गया, जबकि 1981-82 में 5,59,790 क्विंटल बीजों का वितरण किया

गया था। चावल के उत्पादन में गम्भीर सूखे आदि के कारण कमी आई, न कि बीजों की आपूर्ति में किसी अड़चन की वजह से।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विदेशों से प्राप्त बटर आयल की मात्रा

1252. **श्री नवीन रावणी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान विदेशों से कितना बटर आयल प्राप्त हुआ;

(ख) दिल्ली में सुपर बाजार और दूध के बूथों में बटर आयल उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली और देश के अन्य भागों में बेचे जाने वाले बटर आयल की सप्लाई को विनियमित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) इस समय ओपरेशन फ्लड 2 परियोजना के क्रियान्वयन के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय से उपहार के रूप में बटर आयल प्राप्त किया जा रहा है। बटर आयल की क्वालिटी भारतीय सरकार और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच किए गए वार्षिक करार में विनिर्दिष्ट क्वालिटी मानक के अनुसार होती है। अभी तक बटर आयल की क्वालिटी के बारे में डेरी संयन्त्रों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) यूरोपीय आर्थिक समुदाय से बटर आयल की उपहार के रूप में सप्लाई का अभिप्राय: मुख्यत: इसको मिलाकर तैयार करने के लिए डेरियों को इसकी सप्लाई करना है। तथापि, बटर आयल के सीमित स्टाक, जिसे मिलाकर तरल दूध तैयार करने के आयोग्य पाया जाता है लेकिन जो खाना पकाने के उपयोग में लाने के लिए ठीक रहता है, को भारतीय डेरी निगम द्वारा उपभोक्ताओं को खाना पकाने के माध्यम के रूप में बेचा जाता है। उपभोक्ताओं को ऐसे बटर आयल की खुदरा बिक्री तभी की जाती है, जब स्टाक उपलब्ध होता है। भारतीय डेरी निगम उपभोक्ताओं को नियमित रूप से बटर आयल की खुदरा बिक्री नहीं करता।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना

1253. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना को समाप्त करके एक नई योजना बनाने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को किन मुख्य कारणों से इस योजना को समाप्त करने पर मजबूर होना पड़ा है; और

(ग) क्या इसके स्थान पर कोई नया कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) लागू नहीं है ।

(ग) तथा (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के स्थान पर कोई नया कार्यक्रम प्रवृत्त नहीं किया जा रहा है । 1973 में उच्च शक्ति प्राप्त परामर्शी बोर्ड द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना संशोधित तथा आधुनिक बनाई जा रही है ।

दिल्ली में पुनर्वास कालोनियों में मकानों का वाणिज्यिक उपयोग

1254. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में मालवीय नगर, कालकाजी जैसी और अन्य पुनर्वास कालोनियों में मकानों के मूल आबंटितियों द्वारा किए गए पट्टेदारी दस्तावेज में ऐसे मकानों के किसी भाग का वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए प्रयोग करने का कोई प्रावधान विद्यमान है;

(ख) क्या आबंटितियों के परिवार के सदस्य मूल आबंटिति नहीं हैं और इन कालोनियों में ऐसे मकानों में दुकानें भी चला रहे हैं और यदि हां, तो क्या इसके लिए भूमि और विकास अधिकारी अथवा उनके मंत्रालय के अन्य किसी सम्बन्धित अधिकारी की अनुमति प्राप्त थी और यदि नहीं तो, तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(ग) क्या कालकाजी कालोनी में कुछ मकानों में वाणिज्यिक उद्देश्य से एक से अधिक दुकानों का एक गली में और एक मुख्य सड़क पर उपयोग किया जा रहा है और क्या ऐसा करने की अनुमति है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) कोई भी सम्पत्ति पट्टाधारी की मृत्यु के बाद उसके वैध उत्तराधिकारियों के नाम कर दी जाती है तथा उसकी स्थिति वही रहती है जो प्रारम्भिक आबंटी/पट्टाधारी की थी । कुछ व्यवसायों को सरकार द्वारा समय-समय पर "क्षम्य उल्लंघनों" के रूप में छूट दे दी जाती है तथा आवासों में इनके अतिरिक्त व्यवसाय चलाना अनुमेय नहीं है ।

(ग) ऐसे मामले अनुमेय नहीं हैं तथा जब कभी ऐसे मामले भूमि तथा विकास कार्यालय के ध्यान में आते हैं, पट्टाविल्लेख की शर्तों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है ।

उचित दर की दुकानें

1255. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1984 तक देश में आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए राज्यवार उचित दर दुकानों की संख्या क्या थी;

(ख) क्या सरकार ने इन दुकानों के वास्तविक कार्य का पता लगाने के लिए कोई पुनरीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकले और चालू वित्तीय वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्य में सुधार के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) इस विभाग में उपलब्ध नवीनतम आंकड़े के अनुसार, 1-10-1983 को देश में 2,97,097 उचित दर की दुकानें कार्यरत थीं। उचित दर की दुकानों की संख्या राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दक्षतापूर्वक चलाने के लिए मुख्य आवश्यकता यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शामिल की जाने वाली चुनी वस्तुओं के उत्पादन, अधिप्राप्ति, ढुलाई, भण्डारण और वितरण के बीच उचित सम्बन्ध स्थापित किया जाए। भारत सरकार का नागरिक पूर्ति विभाग इस प्रकार का समन्वय नए 20 सूत्री कार्यक्रम से सम्बन्धित स्थायी समिति, जिसकी बैठक प्रति माह सचिव (नागरिक पूर्ति) की अध्यक्षता में बुलाई जाती है और परामर्शदात्री परिषद, जिसकी बैठक खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री की अध्यक्षता में प्रत्येक छः महीनों में होती है, के माध्यम से बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। सभी राज्य नागरिक पूर्ति मंत्री इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली सम्बन्धी परामर्शदात्री परिषद के सदस्य हैं। यह परिषद देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की समीक्षा करती है। परिषद की पिछली बैठक 7 नवम्बर, 1983 को आयोजित की गई थी और उसमें निम्नलिखत बातों पर आम सहमति व्यक्त की गई :—

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधार को सुनियोजित विस्तार, उचित प्रबन्ध और दुर्गम तथा दूर-दूर बिखरी आबादी वाले इलाकों तक इसे पहुंचा कर मजबूत बनाने की आवश्यकता;

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अधिक वस्तुओं को शामिल करने की आवश्यकता;

(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर कड़ी निगरानी रखने और उसकी नियमित परिवीक्षा की आवश्यकता ।

देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कुल मिलाकर सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रही है । फिर भी, सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों पर इस बात के लिए बल दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस प्रणाली को मजबूत तथा सुप्रवाही बनायें, ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान की जा सके ।

विवरण

देश में उचित दर की दुकानों की संख्या और उसके तहत लाई गई जनसंख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1-10-1983 को उचित दर की दुकानों की सं०		
		शहरी	ग्रामीण	कुल
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	5,663	24,961	30,624
2.	असम	—	—	20,151
3.	बिहार	—	—	38,711
4.	गुजरात	—	—	10,551 दुर्गम क्षेत्र
5.	हरियाणा	1,417	4,281	5,698
6.	हिमाचल प्रदेश	194	2,548	2,742
7.	जम्मू तथा कश्मीर	—	—	2,336
8.	कर्नाटक	3,954	10,860	14,814
9.	केरल	—	—	12,018
10.	मध्य प्रदेश	4,568	13,162	17,730
11.	महाराष्ट्र	7,189	24,182	31,371
12.	मणिपुर	137	1,055	1,192
13.	मेघालय	—	—	1,987
14.	नागालैण्ड	102	61	163

1	2	3	4
15. उड़ीसा	2,971	16,254	19,225
16. पंजाब	—	—	10,801
17. राजस्थान	2,540	8,735	11,275
18. सिक्किम	572	478	1,050
19. तमिलनाडु	—	—	18,009
20. त्रिपुरा	90	823	913
21. उत्तर प्रदेश	11,997	10,210	22,207
22. पश्चिम बंगाल	5,283	13,541	18,824
23. अण्डमान व निकोबार	—	—	204
24. अरुणाचल प्रदेश	43	235	278
25. चण्डीगढ़ प्रशासन	183	25	208
26. दादरा तथा नगर हवेली	—	42	42
27. दिल्ली प्रशासन	—	—	2,970
28. गोवा, दमन तथा द्वीव	92	313	405
29. लक्षद्वीप	11	13	24
30. मिजोरम	60	323	383
31. पाण्डिचेरी	100	91	191
		योग :	2,97,097

सामुदायिक विकास खण्डों का बनाया जाना

1256. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन प्रतिनिधियों की मांग अथवा राज्य सरकारों की पहल पर देश में वर्तमान विकास खण्डों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण अथवा उनके विभाजन द्वारा नए सामुदायिक विकास खण्ड बनाए जाने के लिए सरकार के कोई स्पष्ट मार्गनिर्देश हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में नए विकास खण्ड बनाए जाने के लिए कोई मांग प्राप्त हुई है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा ऐसी कितनी मांगे की गई हैं; और

(घ) इस अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों की मांग पर मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य-वार कितने नए विकास खण्ड खनाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) सामुदायिक विकास खण्ड बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों का आबंटन निर्धारित करने के सन्दर्भ में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अतिरिक्त सामुदायिक विकास खण्डों का बनाया जाना

1257. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1983 तक प्रत्येक राज्य में कितने सामुदायिक विकास खण्ड थे और कितने अतिरिक्त खण्ड बनाए जाने का विचार है;

(ख) लम्बित पड़े सभी मामलों पर किस तारीख तक निर्णय लिया जाएगा; और

(ग) क्या कठिन भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक खण्ड के लिए जनसंख्या के मापदण्ड में छूट देकर पहाड़ी राज्यों/क्षेत्रों के दावों को प्राथमिकता दी जाएगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) राज्यों तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों से प्राप्त हुई सूचना के आधार पर तैयार किया गया एक विवरण संलग्न है। ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचारांधीन नहीं है।

(ग) खण्डों के सृजन का दायित्व राज्य सरकारों का है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के तैयार करने के सन्दर्भ में योजना आयोग द्वारा गठित ग्रामीण विकास से सम्बन्धित एक कार्यकारी दल समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन सहायता पाने के लिए खण्डों की पात्रता हेतु मान-दण्ड सुझाने के प्रश्न की जांच कर रहा है।

विवरण

खण्डों का राज्यवार वितरण

क्रमांक	राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र	खण्डों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	330
2.	असम	134
3.	बिहार	587
4.	गुजरात	218
5.	हरियाणा	93
6.	हिमाचल प्रदेश	69
7.	जम्मू तथा कश्मीर	119
8.	कर्नाटक	175
9.	केरल	151
10.	मध्य प्रदेश	459
11.	महाराष्ट्र	296
12.	मणिपुर	26
13.	मेघालय	30
14.	नागालैण्ड	21
15.	उड़ीसा	314
16.	पंजाब	118
17.	राजस्थान	236
18.	सिक्किम	4
19.	तमिलनाडु	378
20.	त्रिपुरा	17
21.	उत्तर प्रदेश	887
22.	पश्चिम बंगाल	335

1	2	3
केन्द्रशासित क्षेत्र :		
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	5
24.	अरुणाचल प्रदेश	48
25.	चण्डीगढ़	1
26.	दादरा तथा नागर हवेली	1
27.	दिल्ली	5
28.	गोवा, दमन और दीव	12
29.	लक्षद्वीप	5
30.	मिजोरम	20
31.	पाण्डिचेरी	4
	योग :	5098

विशेष टिप्पणी : इनमें से 5047 खण्डों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन आबंटन के लिए मान्यता दी गई है और 45 खण्ड विचाराधीन हैं। जम्मू तथा काश्मीर द्वारा हाल ही में सूचित किए गए 6 खण्डों के बारे में योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श नहीं किया गया है।

हिमाचल प्रदेश में भूमिगत पानी का पता लगाने हेतु छिद्रण के लिए रिगों का आबंटन

1258. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक और चालू वित्त वर्ष के दौरान भूमिगत पानी का पता लगाने हेतु छिद्रण के लिए कितने रिग आबंटित किए गए;

(ख) क्या राज्य सरकार ने धन की कमी के कारण इस काम के लिए अधिक धनराशि का नियतन करने की कोई मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कुल कितनी मांग की गई और क्या चालू वर्ष के दौरान इसे पूरा किया जाएगा ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) हिमाचल प्रदेश में भूमिगत जल का पता लगाने हेतु छिद्रण कार्य के लिए केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड द्वारा पिछले तीन वर्षों में हर वर्ष तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान लगाए गए रिगों की संख्या इस प्रकार है :

रिग का प्रकार	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
स्व-चक्रीय	2	1	—	—
प्रघात	1	1	1	1
	3	2	1	1

(ख) और (ग) जी, हां। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पथरीले क्षेत्रों में भूमिगत जल का पता लगाने के लिए पहले से ही लगाए गए एक प्रघात रिग के अतिरिक्त ऐसा ही एक और रिग के लिए केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड से अनुरोध किया है। तथापि, बाद में ऐसी रिगों की अनुपलब्धता के कारण,यह अनुरोध चालू वित्त वर्ष के दौरान नहीं किया जा सकता है।

खाद्यान्नों का उत्पादन लक्ष्य

1259. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कराए गए एक सर्वेक्षण के अन्तर्गत वर्ष 1984 में खाद्यान्नों के अधिक उत्पादन की आशाएं बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उनके मंत्रालय को आशा है कि 1983-84 कृषि वर्ष में पहली बार खाद्यान्नों का उत्पादन लक्ष्य से अधिक उत्पादन होगा; और

(ग) यदि हां, तो जनवरी, 1984 के अन्त तक खाद्यान्नों के लक्ष्य की कितनी प्राप्ति हुई है और सरकार को उसकी प्राप्ति में किस सीमा तक वृद्धि होने की आशा है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) फसल वर्ष 1983-84 (जुलाई-जून) के दौरान कृषि मंत्रालय की खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन होने की आशा है। उत्पादन का पूर्वानुमान वर्षा और जलवायु परिस्थितियों पर उपलब्ध सूचना, विभिन्न फसलों के तहत क्षेत्र पर राज्यों से प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्टों, अधिक उपज देने वाली किस्मों के तहत अनुमानित क्षेत्र, उर्वरकों का उपयोग और नमूना आधार पर औसत उत्पादन का जायजा लेने के लिए किए गए सामान्य प्राक्कलत सर्वेक्षण से प्राप्त सूचना पर आधारित है।

(ख) और (ग) वर्तमान मूल्यांकन से यह आशा की जाती है कि 1983-84 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत 1420 लाख मीटरी टन के स्तर पर निर्धारित खाद्यान्नों के उत्पादन के लक्ष्य से उत्पादन अधिक होगा। ऐसा पहले भी कुछ वर्षों में हुआ है। अधिक उत्पादन वाले वर्ष में विपणन योग्य फालतू मात्रा भी अधिक होती है।

दिल्ली में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा

1260. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या उनके मंत्रालय को दिल्ली में सरकारी भूमि पर गैर-कानूनी निर्माणों तथा अवैध कब्जा किए जाने के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में सरकारी भूमि पर गैर-कानूनी निर्माणों तथा अवैध कब्जा किए जाने के कितने मामलों का पता अब तक लगाया गया है;

(ग) सरकारी भूमि पर गैर-कानूनी निर्माणों तथा अवैध कब्जा करने में संलग्न लोगों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या इन लोगों से सख्ती से निपटने के लिए कोई कानून बनाने का प्रस्ताव है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) दिल्ली में सरकारी भूमि पर पता लगाए गए अवैध निर्माणों तथा अतिक्रमणों तथा उनके विरुद्ध अपने क्षेत्राधिकार के भीतर विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। तथापि, दिल्ली नगर निगम के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी, हां। चार विधेयक, दो निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा तथा दो गृह मंत्रालय द्वारा इस विषय पर लोक-सभा के पिछले सत्र में पेश किए गए हैं।

विवरण

क्रमांक	प्राधिकरण का नाम	पता लगाए गए अवैध निर्माणों तथा अतिक्रमणों के बारे में स्थिति	अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों के विरुद्ध की गई कार्यवाही
1	2	3	4
1.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	वर्ष 1980-83 के दौरान 52,274 अतिक्रमणों का पता लगाया गया।	1980-83 के दौरान 34110 अतिक्रमणों को हटाया गया।
2.	दिल्ली छावनी बोर्ड	दिल्ली छावनी में सरकारी भूमि पर 313 अवैध निर्माणों का पता लगाया गया है।	छावनी बोर्ड ने बताया है कि पता लगाए गए सभी मामलों में छावनी अधिनियम तथा लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा न्यायालयों के माध्यम से कार्यवाही प्रगति पर है।
3.	दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान	संस्थान से सम्बन्धित भूमि पर 226 झुग्गियों तथा 63 पक्की संरचनाओं का पता लगाया गया है।	संस्थान ने लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत सभी 63 पक्की संरचनाओं के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी है, झुग्गियों के मामले में संस्थान ने सूचित किया है कि कानून के प्रावधान के अनुसार तथा अन्य सम्बन्धित अभिकरणों के परामर्श से हटाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

1	2	3	4
4.	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	कालका जी एक्सटेंशन में 66 के० वी० सब-स्टेशन के लिए भूमि तथा पंजाबी बाग में स्टाप क्वार्टरों के लिए डेसू से सम्बन्धित भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।	डेसू ने कालकाजी एक्सटेंशन में 66 के०वी० सब-स्टेशन के लिए भूमि के बारे में अनधिकृत अतिक्रमणों को हटाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा पुलिस विभाग के साथ इस मामले को उठाया है तथा पंजाबी बाग में स्टाफ क्वार्टरों के लिए भूमि से अनधिकृत अतिक्रमणों को हटाने के लिए कानूनी कार्यवाही आरम्भ कर दी है।
5.	नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र	सरकारी भूमि पर अवैध निर्माणों तथा अतिक्रमणों की अब तक पता लगाई गई संख्या 2074 है।	नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अधिकांश अवैध निर्माण/अतिक्रमण रिहायशी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जा रही झुग्गियों/झौंपड़ियों के रूप में हैं। नई दिल्ली नगर पालिका ने इन झुग्गियों को गिराने के लिए तथा पुनर्वास कालोनियों में, जहां अनुमेय हो, वैकल्पिक स्थलों के आबंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को ब्यौरे दे दिए हैं।

राज्यों में सौर ऊर्जा जल पम्पों का उपयोग

1261. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें सौर ऊर्जा जल पम्पों को सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जा रहा है तथा प्रत्येक राज्य में उपयोग में लाये जा रहे इस प्रकार के पम्प सैटों की संख्या कितनी है तथा उन पम्पों की सहायता से कितने भूमि क्षेत्र में खेती की जाती है; और

(ख) क्या सरकार इस योजना को अन्य क्षेत्र में भी लोकप्रिय बनाने पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) सिंचाई जल पम्पिंग के लिए सौर ऊर्जा के प्रयोग को प्रोत्साहन देने हेतु सिंचाई मंत्रालय ने एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम शुरू की है जिसके अन्तर्गत छोटे तथा सीमान्त किसानों को 75% तक तथा अन्य किसानों को $33\frac{1}{3}$% तक सब्सीडी उपलब्ध होगी। यह सब्सीडी केन्द्र तथा राज्य दोनों को बराबर-बराबर वहन करनी होती है। सौर सिंचाई पम्प की यूनिट लागत 25000 रुपए है तथा सब्सीडी सीमा छोटे और सीमान्त किसानों के लिए 19,000 रुपए तथा अन्य किसानों के लिए 8300 रुपए है। यह स्कीम छठी योजना अवधि के लिए वर्ष 1982-83 में शुरू की गई थी। वर्ष 1982-83 के दौरान सौर पम्पों के लिए निम्नलिखित राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी गई थी—

राज्य का नाम	केन्द्रीय सहायता की राशि (लाख रुपए में)
बिहार	4.00
कर्नाटक	3.39
मध्य प्रदेश	0.84
उड़ीसा	2.03

वर्ष 1983-84 के दौरान लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र को 2.0 लाख रुपए की राशि दी गई है जिसमें पवन चक्कियों/व्यक्ति/पशु द्वारा संचालित पम्पों के लिए केन्द्रीय सहायता भी शामिल है। राजस्थान से प्राप्त स्कीम स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

उपर्युक्त स्कीम के अतिरिक्त, ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोत विभाग ने विभिन्न राज्यों में प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सौर पम्पों के प्रतिष्ठापन की स्कीम भी शुरू की है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 90 पम्पों को प्रतिष्ठापित किया गया है जिसमें से 53 सिंचाई प्रयोजनों के लिए हैं। ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। इस प्रकार के सौर पम्प 5 से 8 मीटर की कुल गहराई तक साफ मौसम वाले दिन रोजाना 30,000 से 40,000 लीटर तक जल सप्लाई करने तथा एक हैक्टेयर भूमि की सिंचाई करने के सक्षम हैं।

विवरण

राज्य का नाम	31-12-1973 तक जलपम्पों की कुल संख्या	31-12-1983 तक सिंचाई के लिए उपयोग किए गए पम्प
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	4	2
2. असम	10	4
3. बिहार	2	1
4. गुजरात	4	2
5. हरियाणा	1	—
6. हिमाचल प्रदेश	2	1
7. जम्मू और काश्मीर	1	1
8. केरल	2	1
9. मध्य प्रदेश	5	5
10. महाराष्ट्र	5	3
11. मेघालय	1	—
12. उड़ीसा	1	1
13. पंजाब	4	2
14. राजस्थान	3	1
15. तमिलनाडु	5	2
16. त्रिपुरा	21	21
17. उत्तर प्रदेश	15	1
18. पश्चिम बंगाल	1	1
19. गोवा, दमन और दीव	2	3
20. मिजोरम	3	2
21. दिल्ली तथा भारत के बाहर	6	—
योग	98	53

त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को निर्धारित धनराशि

1262. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा प्रयोजित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 के दौरान ग्रामीण जल योजना के लिए प्रत्येक राज्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई;

(ख) प्रत्येक राज्य विशेषत: गुजरात राज्य में अब तक किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) दिसम्बर, 1983 तक प्रत्येक राज्य में इस योजना के अन्तर्गत अभी तक सम्मिलित न किए गए समस्याग्रस्त गांवों की संख्या कितनी है; और

(घ) समस्त ग्रामीणों को पेय जल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

***निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ)** : (क) यह सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है ।

(ख) और (ग) 1-4-80 तक समस्याग्रस्त ग्रामों का राज्यवार विवरण, दिसम्बर, 1983 तक लाभान्वित समस्याग्रस्त ग्राम और शेष बचे समस्याग्रस्त ग्राम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं ।

गुजरात सरकार ने बताया है कि 1-4-1980 तक के 5318 समस्याग्रस्त ग्रामों में से 31 दिसम्बर, 1983 तक 2,443 ग्रामों को लाभान्वित कर दिया गया है ।

(घ) यह प्रस्ताव है कि 1-4-1980 तक पता लगाए गए सभी 2,30,784 समस्याग्रस्त ग्रामों को मार्च, 1985 तक कम से कम पेय जल का एक स्रोत मुहैया कराकर लाभान्वित कर दिया जाएगा । अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल पूर्ति तथा स्वच्छता दशक के उद्देश्यों के अंग के रूप में शत-प्रतिशत जनसंख्या को लाभान्वित किए जाने का प्रस्ताव है ।

विवरण—I

केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम 1983-84

क्र० सं०	राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र	त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम – कार्य घटक		कार्यनिष्पादन पर आधारित ग्रामीण जलपूर्ति की नई योजना के अन्तर्गत दी गई निधियां (लाख रुपयों में)
		वितरण	दी गई निधियां (लाख रुपयों में)	
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	561.88	553.24	400.00
2.	असम	768.63	623.21	420.00

1	2	3	4	5
3.	बिहार	761.55	761.55	277.00
4.	गुजरात	113.61	363.61	250.00
5.	हरियाणा	शून्य	250.00	450.00
6.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	250.00	200.00
7.	जम्मू और कश्मीर	1446.26	1446.26	शून्य
8.	कर्नाटक	714.73	714.73	60.00
9.	केरल	1121.30	1121.30	400.00
10.	मध्य प्रदेश	1244.20	1244.20	600.00
11.	महाराष्ट्र	720.05	720.05	93.00
12.	मणिपुर	107.89	107.89	110.00
13.	मेघालय	602.11	530.20	शून्य
14.	नागालैण्ड	235.28	235.28	80.00
15.	उड़ीसा	807.82	807.82	450.00
16.	पंजाब	53.58	276.00	150.00
17.	राजस्थान	3363.83	3363.83	750.00
18.	सिक्किम	227.06	219.04	100.00
19.	तमिलनाडु	688.31	688.31	40 .00
20.	त्रिपुरा	36.63	111.63	शून्य
21.	उत्तर प्रदेश	401.16	3335.16	750.00
22.	पश्चिम बंगाल	1552.28	1552.28	200.00
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	56.56	12.00	शून्य
24.	अरुणाचल प्रदेश	134.87	67.00	शून्य
25.	चण्डीगढ़	—	—	—
26.	दिल्ली	शून्य	—	शून्य

1 2	3	4	5
27. दादरा और नगर हवेली	—	—	—
28. गोवा, दमन और द्वीव	51.07	51.07	4·00
29. लक्षद्वीप	—	—	—
30. मिजोरम	13.94	6.00	शून्य
31. पांडिचेरी	25.60	15.00	शून्य
योग :	19500.00	19426.66	6144.00

1-3-1984 की स्थिति

विवरण—II

क्र० सं० राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1-4-80 को समस्या ग्रस्त ग्राम	दिसम्बर, 83 तक लाभन्वित समस्या-ग्रस्त ग्राम	शेष बचे समस्या-ग्रस्त ग्राम
1 2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	8206	5900	2306
2. असम	15743	5461	10282
3. बिहार	15194	10095	5099
4. गुजरात	5318	2443	2875
5. हरियाणा	3440	1169	2271
6. हिमाचल प्रदेश	7815	4117	3698
7. जम्मू और कश्मीर	4698	1138	3560
8. कर्नाटक*	15456	13748	1708
9. केरल	1158	3398	760
10. मध्य प्रदेश*	24944	22191	2753
11. महाराष्ट्र*	12935	8554	4381
12. मणिपुर	1212	527	685

1	2	3	4	5
13.	मेघालय	2927	361	2566
14.	नागालैण्ड	649	294	355
15.	उड़ीसा	23616	13283	10333
16.	पंजाब	1767	311	1456
17.	राजस्थान	19803	12249	7554
18.	सिक्किम	296	158	138
19.	तमिलनाडु	6649	5304	1285
20.	त्रिपुरा*	2800	1714	1086
21.	उत्तर प्रदेश	28505	13607	14898
22.	पश्चिम बंगाल*	25243	7582	17661
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	173	92	81
24.	अरुणाचल प्रदेश	1740	930	810
25.	चंडीगढ़	—	—	—
26.	दिल्ली	99	89	10
27.	दादरा तथा नगर हवेली	—	—	—
28.	गोवा, दमण तथा द्वीव	66	44	22
29.	लक्ष द्वीप	—	—	—
30.	मिजोरम	214	57	157
31.	पांडिचेरी	118	88	30
	योग :	230784	131964	98820

*इन राज्यों के आंकड़ों में आंशिक रूप से लाभान्वित ग्राम शामिल हैं और दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुई तिमाही के आंकड़े अनन्तिम हैं।

राज्यों को बाढ़ सहायता के प्रावधान में भेदभाव

1263. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विपक्षी दलों के शासन वाले कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आरोप लगाया है कि

बाढ़, सूखे अथवा तूफान पीड़ित लोगों के लिए उन राज्यों को धन/वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में भेदभाव किया जाता है;

(ख) 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक राज्य को कितनी राशि की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई; और

(ग) अन्तर के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) वर्ष 1980-81 से 1983-84 के दौरान बाढ़, तूफान आदि से प्रभावित राज्यों को मंजूर की गई केन्द्रीय सहायता सम्बन्धी राज्यवार जानकारी संलग्न विवरण-I में तथा सूखा सम्बन्धी जानकारी विवरण-II में दी गई हैं।

(ग) आपदा की तीव्रता, प्रमाणित जनसंख्या तथा सस्यगत क्षेत्र और आपदा के कारण हुई अन्य हानियों की सीमा में भिन्नता के अनुसार केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा में अन्तर होगा। एक अन्तर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल राज्यों का दौरा करता है और क्षति का मौके पर जायजा लेने तथा राज्य सरकार के अधिकारियों से उस पर विचार-विमर्श करने के बाद राज्यों की धन-राशि की आवश्यकता का मूल्यांकन करता है। इसके बाद केन्द्रीय दल की सिफारिशों पर भारत सरकार के स्तर पर राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जाता है, जिनकी सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक राज्य के पक्ष में केन्द्रीय सहायता की अधिकतम मंजूरी दी जाती है। सहायता की कुछ मदों के लिए समान मापदंड तथा समान प्रक्रिया है, जो सभी राज्यों के सम्बन्ध में अपनायी जाती है। अतः किसी भी आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का प्रश्न ही नहीं होता।

विवरण—I

बाढ़, हिम झंझावात, चक्रवात आदि के लिए राज्यों को मंजूर की गई केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा प्रदर्शित करने वाला विवरण

(करोड़ रुपये)

क्र०सं०	राज्य/संघराज्य क्षेत्र	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	8.40	0.12	---	96.70
2.	असम	12.72	—	9.47	11.07
3.	बिहार	26.47	20.70	17.48	—
4.	गुजरात	18.98	—	72.91*	39.22
					4.45††

1	2	3	4	5	6
5.	हरियाणा	5.24	—	1.75	17.07
6.	हिमाचल प्रदेश	—	2.41	4.03	8.29
7.	जम्मू व कश्मीर	—	0.40	—	1.00**
8.	कर्नाटक	3.48	2.81	4.42	3.29
9.	केरल	9.09	8.43	0.11	—
10.	मध्य प्रदेश	—	—	2.21*	5.69 1.00††
11.	महाराष्ट्र	—	—	—	14.91
12.	मणिपुर	—	—	1.60	—
13.	मेघालय	—	—	0.33	0.16
14.	उड़ीसा	42.89	0.56	170.52	22.98††
15.	राजस्थान	—	45.06	0.32	8.93
16.	सिक्किम	—	2.22	0.17	—
17.	त्रिपुरा	—	—	0.56	4.50
18.	उत्तर प्रदेश	79.05	45.46	67.23	56.43 9.35†
19.	पश्चिम बंगाल	23.56	18.18	7.57	—
20.	गोवा, दमन और दीव	—	—	0.11	—
21.	पांडिचेरी	—	—	—	0.16
		229.88	148.69	359.19	275.78 29.43 आगे लाया ——— गया बकाया 305.21

* इसमें गुजरात के लिए 30.97 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश के लिए 0.14 करोड़ रुपए का 1981-82 के लिए नियतन शामिल है।

†1984-85 के लिए आगे लाया गया बकाया।

**रबी तथा खरीफ 1982 के दौरान हुई हानियों के लिए मंजूर की गई है जो सीमान्त धन राशि में से पूरी की जानी है।

††1982-83 से आगे लाया गया बकाया।

विवरण II

सूखा राहत के लिए विभिन्न राज्यों को मंजूर की गई केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा प्रदर्शित करने वाला विवरण

(करोड़ रुपए)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	42.97	26.25	68.77	28.26
2.	असम	—	—	—	—
3.	बिहार	24.80	—	25.01	8.98
4.	गुजरात	6.12	—	30.60	9.18
5.	हरियाणा	4.02	8.25	11.82	—
6.	हिमाचल प्रदेश	10.01	2.65	13.02	—
7.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—
8.	कर्नाटक	6.65	13.81	8.81	14.00
9.	केरल	—	—	4.10	42.46
10.	मध्य प्रदेश	47.90	—	40.99*	22.29
11.	महाराष्ट्र	16.25	—	50.81	11.63
12.	मणिपुर	—	—	—	—
13.	मेघालय	—	—	—	—
14.	नागालैण्ड	—	—	—	—
15.	उड़ीसा	17.66	—	19.78*	24.65
16.	पंजाब	—	—	—	—
17.	राजस्थान	40.31	87.83	74.00	39.85
18.	तमिलनाडु	—	49.77	18.39	59.15
19.	त्रिपुरा	—	1.10	0.91	—

1	2	3	4	5	6
20.	उत्तर प्रदेश	47.52	—	—	1.57
21.	पश्चिम बंगाल	—	1.50	74.27	30.59
22.	पांडिचेरी	—	—	0.31	0.44
23.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	019
24.	मिजोरम	—	—	—	1.37
	योग	264.23	191.16	441.59	294.51

*मध्य प्रदेश (6.63), उड़ीसा (3.80) के संबंध में 1982-83 के लिए 1981-82 का आगे लाया गया बकाया शामिल है ।

ग्रामीण निर्धन आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम का विस्तार

1264. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान (राज्य-वार) ग्रामीण निर्धन आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम के विस्तार का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या कुछ राज्यों में लक्ष्य में संशोधन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा के लिए क्या मूल लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा उड़ीसा के विभिन्न जिलों के लिए क्या संशोधित लक्ष्य रखे गए हैं; और

(घ) उड़ीसा में छठी योजना में ग्रामीण निर्धन आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम के कार्यन्वयन में अब तक के बारे में वर्ष-वार किए गए विस्तार का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (घ) ग्रामीण निर्धन आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम एक राज्य योजना है । जिसे उड़ीसा में राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है । ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी नहीं कर रहा है, क्योंकि यह योजना पूर्णतया एक राज्य योजना है ।

फसल पद्धति का विविधिकरण

1265. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान फसल पद्धति का विविधिकरण करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस प्रयोजन से उड़ीसा में कियान्वित की जा रही योजनाओं के नाम क्या हैं; और

(घ) उनका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। देश में वर्तमान फसल पद्धति का विविधिकरण करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। 1966-67 से शुरू किए गए अधिक उपज देने वाली किस्म कार्यक्रम से विभिन्न राज्यों में फसल प्रतिमान के विविधीकरण में सहायता मिली है। उदाहरणार्थ, पंजाब और हरियाणा में मक्का और बाजरा की परम्परागत खरीफ की फसल को चावल की अधिक उपज देने वाली किस्म से बदल दिया गया है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों के परम्परागत चावल उत्पादक राज्यों में गेहूं, रबी फसल के रूप में उभर आई है। गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा राज्यों में रबी--ग्रीष्म के मौसम में फसल पद्धति में मूंगफली दूसरी फसल के रूप में शुरू की गयी है। मध्य प्रदेश में खरीफ खेती में सोयाबीन लोकप्रिय हो रहा है। ग्रीष्म में तिलहन, गन्ना, आलू और गेहूं के पश्चात् मूंग की अल्पावधि किस्मों की खेती उत्तरी राज्यों में अन्तः फसल के रूप में लोकप्रिय हो रही है। चावल की सामुदायिक नर्सरियों की स्थापना और विभिन्न फसलों से संबंधित मिनीकिट प्रदर्शन की केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं फसल पद्धति के विविधिकरण में सहायता कर रही हैं।

(ग) और (घ) फसल पद्धति में विविधिता लाने के लिए किसानों की सहायता हेतु उड़ीसा राज्य में निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं :—

(1) चावल की सामुदायिक नर्सरियां स्थापित करने की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के लिए 1500 रुपए प्रति हैक्टार की दर से राजसहायता;

(2) विभिन्न फसलों के मिनीकिट प्रदर्शनों की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना—निःशुल्क बीज वितरण;

(3) दलहन के विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना—प्रमाणीकृत/सही रूप से लेवल लगे बीज, वनस्पति रक्षण रसायनों/उपस्करों, प्रचालनात्मक शुल्क रिजोवियम खेती और प्रदर्शनों पर राजसहायता;

(4) नये सिंचित क्षेत्रों में तिलहन के विस्तार हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना--प्रदर्शनों, मिनीकिटों, वनस्पति रक्षण रसायनों और प्रचालनात्मक शुल्कों आदि पर राज-सहायता।

उपर्युक्त के अतिरिक्त उड़ीसा सरकार "फसल पद्धति की विविधिकरण" नामक एक योजना का क्रियान्वयन कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत वर्षा सिंचित क्षेत्रों के किसानों की विस्तार एजेंसी के माध्यम से निरन्तर प्रेरित किया जा रहा है ताकि वे भूमि के फसल प्रतिमान में विविधिता ला सकें और धान को दलहन, तिलहन और मौटे अनाजों जैसी अन्य फसलों से बदल सकें।

वजीराबाद, दिल्ली का "रैनी वैल नं० 1"

1266. **श्री निहाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वजीराबाद में वर्ष 1969 में निर्मित 2.5 एम०जी०डी० की क्षमता के आर०सी०सी० रैनी वेल नं० 1 के रास्ते का वर्ष 1970 की बाढ़ में वह जाने के कारण उपयोग नहीं किया गया;

(ख) क्या उपर्युक्त रैनी वैल पर मार्च, 1979 तक नाव द्वारा ही पहुंचा जा सकता था और यदि हां, तो उस कुएं के वर्ष 1975 में तीन पम्पों को कैसे निकाला गया तथा वजीराबाद के उपर्युक्त रैनी वैल नं० 1 पर वर्ष 1970 से मार्च 1980 तक चौकीदार कैसे ड्यूटी देते रहे; और

(ग) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त रैनी वैल के रख-रखाव पर किए गए व्यय के बारे में सरकार ने कोई जांच कराई है अथवा कराने का प्रस्ताव है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने कहा है कि 1971 की बाढ़ के दौरान, यमुना नदी की संकरी खाड़ी का अस्थायी बन्ध जिस पर रेनी कूप नं० 1 से वितरण लाईन बिछाई गई थी, बह गया था तथा तब से कूप पुनः चालू नहीं किया गया है ।

(ख) संस्थान ने सूचित किया है कि कूप नं० 1 पर लगाए गए पम्पिंग सैटों को कूप नं० 2 पर लगाने के लिए हटा लिया गया था परन्तु पाइपों, ऊपरी क्रेन, ट्रांसफार्मर आदि जिन्हें हटाया नहीं गया था, की देखभाल के लिए चौकीदारों को बरकरार रखा गया था । यह भी बताया गया है कि रैनी कूप तक एक चक्करदार कच्चा मार्ग जाता था ।

(ग) संस्थान के अनुसार यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

मुर्गी-पालन और मछली-पालन का विकास

1267. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में और विशेषकर उड़ीसा और अन्य पिछड़े राज्यों में मुर्गी-पालन और मछली-पालन के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : कृषि मंत्रालय द्वारा किए गए कुछ प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं :-

कुक्कुट-पालन :

1. चार केन्द्रीय कुक्कुट-प्रजनन फार्म क्षेत्रीय आधार पर स्थापित किए गए हैं, इनमें से एक फार्म भुवनेश्वर (उड़ीसा) में है ।

2. अंडे देने और चूजों (ब्रायलर) की जांच करने के लिए चार यदृच्छा नमूना जांच एकक स्थापित किए गए हैं, इनमें से एक एकक भुवनेश्वर (उड़ीसा) में है।

3. विभिन्न प्रदेशों में आहार नमूनों का विश्लेषण करने के लिए तीन प्रादेशिक आहार विश्लेषण प्रयोगशालाएं स्थापित की गयी हैं, इनमें से एक भुवनेश्वर (उड़ीसा) में है।

4. उच्च कोटि के अंडे देने वाली अच्छी किस्म की बत्तखों की उत्पत्ति और आपूर्ति के लिए हेसरघट्टा (बंगलौर) में एक केन्द्रीय बत्तख प्रजनन फार्म स्थापित किया गया है।

5. एक केन्द्रीय कुक्कुट उत्पादन और प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान, हेसरघट्टा (बंगलौर) में स्थापित किया गया है। इस संस्थान के पास भी आहार विश्लेषण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

6. भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) को राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तरों पर अंडों और कुक्कुटों के विपणन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

मत्स्यपालन :

7. वैज्ञानिक विधि से मत्स्यपालन के लिए मत्स्यपालकों को तालाब और टैंक पट्टे पर दिए जाते हैं। वैज्ञानिक विधि से मत्स्यपालन के अन्तर्गत 16,000 हैक्टार जलक्षेत्र को शामिल करने के लिए उड़ीसा के 11 जिलों में ग्यारह मत्स्यपालक विकास अभिकरण कार्य कर रहे हैं।

8. खारे पानी में मत्स्यपालन के विकास के लिए उड़ीसा में क्षेत्र विकास नीति वाली एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गयी है।

9. मत्स्यबीज उत्पादन के लिए आधारभूत ढांचे का सृजन किया गया है। लगभग 740 लाख आंगुलिक (फिंगरलिंग्स) मछलियों के उत्पादन के लिए उड़ीसा में पांच मत्स्यबीज फार्म/हैचरियों की मंजूरी दी गयी है और ये फार्म/हैचारियां विकास के विभिन्न चरणों पर हैं।

10. तालाबों का सुधार करने और ऋण और राजसहायता के रूप में आदानों का प्रावधान करने के लिए मत्स्यपालकों के लिए वित्तीय सहायता का प्रबंध किया जाता है।

11. उड़ीसा सहित सभी नौवाहन राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में परम्परागत जलपोतों के लिए अवतरण और लंगर डालने की सुविधाओं का विकास किया गया है।

12. मत्स्यपालकों को वैज्ञानिक विधि से मत्स्यपालन में प्रशिक्षित किया गया है।

13. मत्स्यपालकों को विस्तार सहायता देने के लिए आधारभूत ढांचे का सृजन किया गया है।

14. मत्स्यन नौकाएं, नाइलॉन धागा, गियर और अन्य मत्स्यन संबंधी मदों को प्राप्त करने के लिए कुछ राज्यों/संघशासित क्षेत्रों द्वारा राजसहायता और ऋण दिए जाते हैं।

15. उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों में सक्रिय मत्स्यपालकों के लिए ग्रुप दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई है ।

16. मत्स्यपालक समुदाय का तकनीकी-सामाजिकार्थिक सर्वेक्षण करने की योजना को मंजूरी दी गयी है ।

राज्य सरकारें और संघशासित क्षेत्रों के प्रशासन भी अनेक कुक्कुट और मत्स्य विकास योजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं । इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी कुक्कुट और मत्स्यपालन संबंधी शिक्षा और विस्तार कार्यक्रमों, जिनका इन क्षेत्रों के विकास पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, को कार्यान्वित कर रही है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में उपलब्धि

1268. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में वर्ष 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 (दिसम्बर 1983 तक) के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन में उपलब्धि प्राप्त हुई;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रधान मंत्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा के बालासौर तथा मयूरभंज जिलों में क्या कार्यक्रम चलाया गया; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) वर्ष 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान उड़ीसा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार सृजन, निधियों के उपयोग तथा सृजित परिसम्पत्तियों के रूप में हुई उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) केन्द्रीय स्तर पर जिलावार सूचना नहीं रखी जाती है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

वर्ष 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा में उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

1. सृजित रोजगार	(लाख श्रमदिन)
1981-82	194.31
1982-83	167.77
1983-84	87.60 (दिसम्बर, 83 तक)

2. **उपयोग में लाई गई निधियां** (लाख रुपए में)

1981-82	1476.22
1982-83	1283.62
1983-84	818.36 (दिसम्बर, 83 तक)

3. **सृजित परिसम्पत्तियां**

क्रम संख्या	परिसम्पत्तियों का स्वरूप	यूनिट	1981-82	1982-83	1983-84 (सितम्बर, 83 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	वनरोपण के अन्तर्गत क्षेत्र तथा सरकारी भूमि पर सामाजिक वानिकी कार्य	हैक्टेयर	40,981	13,883	308
2.	लगाए गए वृक्ष	(संख्या लाख में)	—	—	3.50
3.	पेयजल कुएं, सामुदायिक सिंचाई कुएं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिए सामूहिक आवास तथा भूमि सुधार	(संख्या)	648	1,135	54
4.	ग्रामीण तालाबों का निर्माण	(संख्या)	856	1,947	1098
5.	लघु सिंचाई कार्यों से लाभान्वित क्षेत्र जिसमें बाढ़ सुरक्षा कार्य, नालियां तथा जल-लग्नता निवारक कार्य मध्यम तथा मुख्य नालियों का निर्माण, सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र में भूमि को समतल बनाने तथा खेत में नालियां बनाने के कार्य शामिल हैं	(हैक्टेयर)	6175	4,875	932
6.	भूमि तथा जल संरक्षण तथा भूमि सुधार से लाभान्वित क्षेत्र	(हैक्टेयर)	5015	4,812	282

1	2	3	4	5	6
7.	ग्रामीण सड़कों का निर्माण/ सुधार	(किलोमीटर)	10,949	9,865	596
8.	स्कूल तथा बालबाड़ी भवन, पंचायत घर, सामुदायिक केन्द्र, पेयजल कुएं, जंगली पशुओं के लिए पेयजल स्रोत, पशुओं के लिए तालाब, पिंजरापोल, गौशालाएं, सामुदायिक मुर्गीपालन तथा सूअर गृह, कपड़े धोने तथा नहाने के प्लेटफार्म आदि	(संख्या)	2,435	3,712	1,624
9.	अन्य विविध निर्माण कार्य	(संख्या)	967	655	658

1986 के एशियाई खेलों के लिए टीमों का प्रशिक्षण

1269. **श्री के० प्रधानी** : क्या **खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1986 में सियोल में होने वाले एशियाई खेलों में भाग लेने वाली भारतीय टीमों को प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी विस्तृत रूपरेखा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में उप-मंत्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) से (ग) भारतीय टीमें इस समय जुलाई-अगस्त, 1984 में लास-एन्जिल्स में होने वाले ओलम्पिक खेलों के लिए तैयारी कर रही है। आगामी ओलम्पिक्स पूरे हो जाने के बाद एशियाड के लिए तैयारियां आरम्भ की जायेंगी।

केरल को पामोलीन का आबंटन

1270. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल को पामोलीन का आबंटित कोटा मद्रास पत्तन से नियमित रूप से समय पर उपलब्ध नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) निकटतम पत्तन से इसकी शीघ्र सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) दिसम्बर, 1983 से आगे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पामोलीन की उपलब्धता कम हो गई है। अत: राज्य सरकारों को पामोलीन की सप्लाई करना सम्भव नहीं हो सका है। तथापि, राज्य सरकारों को अब पामोलीन के स्थान पर सोयाबीन का तेल आबंटित किया जा रहा है और आयातित तेलों के कुल आबंटन को बिना कोई कमी किए कायम रखा जा रहा है। राज्य व्यापार निगम को निदेश दिए गए हैं कि वे राज्य सरकारों को विभिन्न आयातित तेलों की आबंटित मात्रा की सप्लाई सुनिश्चित करें।

मध्य प्रदेश में बारानी खेती को प्रोत्साहन देना

1271. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बारानी खेती को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में छठी योजना के दौरान अब तक कुल कितने हैक्टेयर भूमि को बारानी खेती के अन्तर्गत लाया गया है; और

(ग) छठी योजना की शेष अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में कुल कितने हैक्टेयर भूमि को उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य में उन्नत बारानी खेती के आधार के रूप में भूमि विकास तथा मृदा संरक्षण सालाना 1 से 4 लाख तक के क्षेत्र में किया जा रहा है। जहां तक उन्नत बारानी खेती करने की प्रौद्योगिकी का सम्बन्ध है, अब तक इसके अन्तर्गत 3 से 5 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को लाया गया है।

(ग) छठी योजना की शेष अवधि के दौरान इसके अन्तर्गत 8 लाख हैक्टार का अनुमानित क्षेत्र लाने का प्रस्ताव किया गया है।

मध्य प्रदेश में बीजों के प्रमाणीकरण के लिए कार्यक्रम

1272. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य में किसानों को बेहतर बीजों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न फसलों के बीजों के प्रमाणीकरण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या फसलों के निरीक्षण के लिए भी कोई कार्यक्रम आरम्भ किया गया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में किसानों को कितने प्रमाणित बीज सप्लाई किए गए हैं; और

(घ) प्रमाणित बीज रोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाई गई भूमि से प्राप्त प्रति हैक्टर उपज का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) मध्य प्रदेश राज्य बीज, प्रमाणीकरण एजेंसी, मध्य प्रदेश समिति पंजीयन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत पंजीकृत की गई थी और 1980 में इसकी स्थापना की गई। किसी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत इस एजेंसी की स्थापना नहीं की गई।

(ख) इस एजेंसी द्वारा अपनी स्थापना के समय से निरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(ग) राज्य सरकार के अनुसार, मध्य प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान वितरित किए गए प्रमाणीकृत बीजों की मात्रा नीचे दी गई है :—

वर्ष	प्रमाणीकृत बीजों की कुल मात्रा (क्विंटल)
1980-81	12,848.00
1981-82	17,109.00
1982-83	45,399.06

(घ) मध्य प्रदेश में ऐसी कोई योजना नहीं है।

मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध परियोजना के पूरा होने पर जलमग्न होने वाली भूमि

1273. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में खंडवा में नर्मदा सागर बांध परियोजना का निर्माण पूरा हो जाने पर कुल कितने हेक्टेयर वन और कृषि योग्य भूमि के जलमग्न हो जाने की सम्भावना है;

(ख) उपरोक्त बांध परियोजना के क्रियान्वित किए जाने पर कितने गांव और कुल कितने लोग विस्थापित हो जाएंगे; और

(ग) विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय करने का विचार है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार

द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार नर्मदा सागर परियोजना में कुल जलमग्न होने वाली 91348 हैक्टेयर भूमि है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वन भूमि	37481 हैक्टेयर
कृषि भूमि	31854 हैक्टेयर
आर्द्र भूमि	12509 हैक्टेयर
परती एवं क्षुप	5903 हैक्टेयर
शैल दृश्यांश	3601 हैक्टेयर
कुल	91,348 हैक्टेयर

इस परियोजना से 16,100 परिवारों के 80,500 व्यक्तियों के सहित 254 ग्राम प्रभावित होंगे।

मध्य प्रदेश सरकार ने प्रभावी पुनर्वास के प्रयोजन से और विस्थापितों के लिए मुआवजे की व्यवस्था करने हेतु एक पुनर्वास समिति का गठन किया है। विस्थापितों के पुनर्वास के लिए निम्न-लिखित उपाय परिकल्पित हैं :—

(एक) भूमि और मकानों के लिए मुआवजे का भुगतान।

(दो) यथासम्भव उपलब्ध कृषि-योग्य भूमि विकल्प के रूप में देने की व्यवस्था।

(तीन) परियोजना के निर्माण-कार्यों पर रोजगार अवसर।

(चार) वन से उत्पादनों, मछलियों तथा ऐसी अन्य आर्थिक गतिविधियों से उत्पादनों को एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहन।

(पांच) परिवहन एवं पुनर्वास अनुदान की व्यवस्था।

(छः) मकान-प्लाट की व्यवस्था।

(सात) प्राइमरी स्कूल, पंचायत घर, औषधालय, बीजघर, पार्क, ग्राम ताल, पेय जल आपूर्ति, वृक्ष प्लेट फार्म, पूजा स्थल, सम्पर्क सड़कों, विद्युत सप्लाई आदि जैसी सुविधाओं के साथ नई पुनर्वास कालोनियों का विकास।

पश्चिम बंगाल में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत खर्च की गई धनराशि

1274. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन जैसे पिछड़े क्षेत्र में रहने वाले निर्धन वर्गों को सहायता

के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा आरम्भ किए गए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ने उस क्षेत्र में अधिक प्रगति नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) पश्चिम बंगाल में, विशेषत: सुन्दरवन क्षेत्र में इस कार्यक्रम पर कुल कितना धन व्यय किया गया; और

(घ) क्या इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की स्थापना और अन्य प्रारम्भिक कार्रवाइयों को पूरा करने में कुछ समय लगा और इसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कुछ देरी से शुरू हुआ। वैसे, कार्यान्वयन की गति तेज हो गई है और निधियों के उपयोग में काफी प्रगति हो रही है।

(ग) पश्चिम बंगाल में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर 1981-82 में 2.11 करोड़ रुपए और 1982-83 में 0.56 करोड रुपए का व्यय हुआ था। 24 परगना जिला, जिसमें सुन्दरवन का इलका भी आता है, में 1981-82 में 9.20 लाख रुपए और 1982-83 में 84,23 लाख रुपए का व्यय हुआ था।

(घ) इस कार्यक्रम के अधीन गतिविधियों की रफ्तार तेज करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और इनमें संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाना, अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, ऋण देने वाली संस्थाओं के साथ अधिकाधिक समन्वय तथा मानिटरिंग के लिए और ज्यादा प्रभावी प्रबन्ध करना शामिल है।

छोटे और सीमांत किसानों को राजसहायता

1275. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** :

श्री भीम सिंह :

श्री मोती भाई आर० चौधरी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को दी जाने वाली राजसहायता का भार वहन न करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी कुल राशि कितनी होगी और उन संस्थाओं के नाम क्या हैं, जिसके द्वारा राजसहायता वहन किए जाने का केन्द्रीय सरकार ने सुझाव दिया है;

(ग) इन पर उन संस्थाओं की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार को स्वयं इस भार को वहन करने में क्या आपत्ति है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता । तथापि, यह कहा जा सकता है कि 1983-84 के दौरान कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे तथा सीमांत किसानों को सहायता देने की केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना के तहत छोटे तथा सीमान्त किसानों को लघु सिंचाई सम्बन्धी कार्यों, जलावन की लकड़ी तथा फलों के वृक्षों का रोपण करने, भूमि विकास तथा तिलहनों तथा दलहनों के लिए बीजों तथा उर्वरकों के मिनिकिटों का निःशुल्क वितरण करने के लिए राजसहायता दी जा रही है ।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में कदाचार

1276. **श्री के० प्रधानी** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राजसहायता के वितरण में सरकारी अधिकारियों द्वारा किए जा रहे अनेक कदाचारों की उन्हें जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में कदाचारों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या उड़ीसा में, विशेषत: आदिवासी क्षेत्रों में राजसहायता वितरण कार्यक्रम तीव्र कार्यान्यिन के अनुरूप नहीं है, और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा निर्धन वर्गों के हितों की रक्षा लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) सहकारी समितियों को धनराशि जुटाने तथा इसमें उनका अंशदान बढ़ाने के लिए क्या भूमिका सौंपी गई ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र): (क) जी हां । कुछ रिपोर्टें मिली हैं ।

(ख) जहां कहीं से विशिष्ट शिकायतें प्राप्त हुई हैं उन्हें सम्बन्धित राज्य सरकार के पास जांच-पड़ताल तथा समुचित कार्रवाई करने के लिए भेज दिया गया है । कदाचारों को कम करने के लिए कुछ कार्यविधि परिवर्तनों पर भी विचार किया जा रहा है ।

(ग) 1982-83 में उड़ीसा में कुल आबंटित निधियों में से उनके उपयोग की प्रतिशतता 91 प्रतिशत थी जो काफी अच्छी है । जहां तक उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों का सम्बन्ध है, गत वर्ष में प्रमुख आदिवासी क्षेत्रों में आबंटन की तुलना में किए गए व्यय को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । कोरापुट को छोड़कर, उपयोग की प्रतिशतता 88 प्रतिशत से लेकर 142 प्रतिशत तक है । इस वर्ष कोरापुट की स्थिति में भी सुधार हुआ है ।

(घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए अपेक्षित ऋण की व्यवस्था करने में सहकारी समितियों से मुख्य भूमिका अदा करने की आशा की गई है। परन्तु बाद में ऋण में उनके अंशदान में गिरावट आ गयी है। इस मामले को भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से उठाया गया है।

विवरण

1982-83 के दौरान उड़ीसा के आदिवासी जिलों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों का उपयोग

(लाख रुपए में)

क्रमांक	एजेंसी का नाम	कुल आबंटन	व्यय	कुल आबंटन में व्यय
1.	कोरापुट	336.00	84.12	25.00
2.	क्योंझर	108.00	95.89	88.78
3.	गंजम	232.00	330.13	142.29
.	फुलबनी	120.00	117.96	98.3
5.	मयूर भंज	208.00	190.13	9 .40
6.	अन्य जिले	1628.00	1592.51	97.82
	योग :	2512.00	2292.78	91.27

ग्रामीण विकास के अन्तर्गत नई नीतियों का कार्यान्वयन

1277. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में कुछ नई नीतियों को क्रियान्वित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो कब तक तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन नीतियों के कार्यान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को क्या लाभ होने की सम्भावना है; और

(ग) इन नीतियों की पूर्ण क्रियान्विति कब तक होने की सम्भावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) अप्रैल, 1985 से आरम्भ होने वाली सातवीं योजना में ग्रामीण विकास की नीतियों पर सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु योजना आयोग द्वारा एक कार्यकारी दल गठित किया गया है। इस प्रयोजन के लिए छठी योजना के वर्तमान कार्यक्रमों और नीतियों की भी पुनरीक्षा की जा रही है। मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में निर्धन लोगों को अधिक प्रभावी रूप से लाभ पहुंचाया जाए।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्रस्ताव

1278. **श्री हरीश रावत** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के पिथोरागढ़ और अल्मोड़ा जिलों से उनके मंत्रालय को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) इनमें से कितने प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई है और स्वीकृत प्रस्तावों पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की सम्भावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) इस मंत्रालय द्वारा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसके अधीन राज्य सरकारों को अनुमोदन के लिए परियोजनाएं प्रस्तुत करनी होती हैं। राज्य सरकार से पिथोरागढ़ जिले और अल्मोड़ा जिले की परियोजनाएं इस कार्यक्रम के अधीन शुरू की जाने के लिए प्राप्त हुई थीं। बाद में, राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं पर विचार विमर्श को स्थगित रखने का अनुरोध किया था ताकि इन्हें संशोधित किया जा सके। राज्य सरकार से संशोधित परियोजनाओं के प्राप्त होने की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश में पशुधन का विकास

1279. **श्री हरीश रावत** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर पशुधन विशेषज्ञ दल ने राज्य में पशुधन के विकास की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए कुछ समय पहले राज्य का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उस दल ने केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार से सिफारिशें की हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

उत्तर प्रदेश में गंदी बस्तियों में रह रहे लोग

1280. **श्री हरीश रावत** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने लोग गन्दी बस्तियों में रह रहे हैं;

(ख) गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले तीन योजना वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि दी गई है;

(ग) क्या इस राज्य ने सारी धनराशि का उपयोग किया है और लक्ष्य को प्राप्त कर लिया;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या उनका मंत्रालय उत्तर प्रदेश को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि प्रदान करेगा ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कार्यकारी दल की रिपोर्ट के मुताबिक, सन् 1971 में उत्तर प्रदेश में नगरीय मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों की संख्या लगभग 35.50 लाख थी।

(ख) तथा (ग) छठी योजना में 10 करोड़ रुपये के प्रावधान पर विचार किया गया था और वर्ष 1980-83 के दौरान राज्य सरकार ने 6.32 करोड़ रुपए व्यय किए हैं।

(घ) तथा (ङ) शहरी मलिन बस्तियों की पर्यावरणीय सुधार योजना राज्य क्षेत्र में है। तथापि, 1983-84 के लिए, केन्द्रीय सरकार ने निर्धारित लक्ष्यों से अधिक मलिन बस्तियों की आबादी को लाभान्वित करने के लिए प्रोत्साहन अनुदान दिया था। राज्य सरकार को 49 लाख रुपए की राशि प्रोत्साहन अनुदान की पहली किश्त के रूप में मंजूर की गई है।

लारेंस रोड, दिल्ली में सरकारी जमीन पर अनधिकृत निर्माण

1281. **श्री हरीश रावत** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** लारेंस रोड में सरकारी जमीन पर अनधिकृत निर्माण के बारे में 22 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4575 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लारेंस रोड आवासीय योजना के ब्लाक सी-5 के आखिरी स्थान पर किए गए अनधिकृत निर्माण को हटाने में दिल्ली विकास प्राधिकरण को क्या बाधाएं हैं;

(ख) क्या स्थानीय कानून व्यवस्था पर्याप्त पुलिस बल आदि जैसी बाधाओं को दूर कर लिया गया है; और

(ग) इस अनधिकृत निर्माण को हटाने का समयबद्ध कार्यक्रम क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि यह अनधिकृत निर्माण मन्दिर होने के कारण कानून-व्यवस्था की समस्या एवं लोगों की धार्मिक भावना के कारण हटाया नहीं जा सका।

(ग) कोई समय सीमा निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है।

बेला रोड, दिल्ली में अनधिकृत कब्जा

1282. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेला रोड पर दिल्ली नगर की ऐतिहासिक पुरानी दीवार के एक भाग को गिरा दिया गया और उस स्थान पर एक परिवहन कम्पनी ने अनधिकृत रूप से गोदाम कार्यालय स्थापित कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अनधिकृत कब्जे के विरुद्ध और ऐतिहासिक दीवार के अनुरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उचित लाइसेंस प्राप्त किए बिना अन्तर्राज्यीय बस अड्डे, कश्मीरी गेट के समीप लोअर बेला रोड पर पुराने शहर की दीवार के नीचे एक ट्रान्सपोर्ट कम्पनी नामतः मैसर्स सचदेव रोड लाइन्स लि०, दिल्ली ने एक गोदाम स्थापित कर लिया था। दिल्ली नगर निगम ने बहुत बार फर्म पर मुकद्दमा चलाया तथा अन्ततः 28.1.84 को गोदाम सील कर दिया। पार्टी न्यायालय में चली गई। न्यायालय के आदेशों के अधीन दिल्ली नगर निगम ने प्रार्थी को 16.2.84 से 18.2.84 के बीच गोदाम से अपना सामान हटाने के लिए अनुमति दे दी तथा गोदाम 18.2.84 को पुनः सील कर दिया गया। फिलहाल यह सील हुआ पड़ा है।

तथापि, बेला रोड पर पुराने शहर की दीवार का भाग, जैसा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सूचित किया है, केन्द्रीय सुरक्षा के अधीन नहीं है, जिन्होंने यह भी कहा है कि अन्तर्राज्यीय बस अड्डे से मोरी गेट तक शहरी दीवार के भाग पर अतिक्रमण है जो केन्द्रीय सुरक्षाधीन है।

राज्य व्यापार निगम की कालोनी में निर्मित समाज सदन असुरक्षित घोषित करना

1283. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में अरविंद मार्ग स्थित राज्य व्यापार निगम आवास कालोनी में एक समाज सदन का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कब किया गया था और उस पर कितनी लागत आई थी;

(ग) क्या तकनीकी विशेषज्ञों ने उक्त समाज सदन को असुरक्षित घोषित कर दिया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसका निर्माण करने वाले ठेकेदार का ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

मास्टर प्लान के अनुसार तिब्बिया कालेज हेतु भू-स्थल का विकास

1284. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के मास्टर प्लान के अनुसार, तिब्बिया कालेज हेतु भू-स्थल को, सार्वजनिक स्थान की श्रेणी के अन्तर्गत "शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान" के रूप में नियत किया गया है और इसे तदनुसार सार्वजनिक और अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएं मिलेंगी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) मास्टर प्लानों के अनुसार भू-स्थल के विकास करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या मास्टर प्लान को ध्यान में रखते हुए इस भू-स्थल का विकास किया जाएगा और कब किया जाएगा ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) विद्यमान कालेज स्थल का क्षेत्रफल लगभग 36 एकड़ है ।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

वर्ष 1984-85 के दौरान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए सरकारी क्वार्टर

1285. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान दिल्ली, नई दिल्ली में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए टाइप एक, दो, तीन तथा चार के कितने क्वार्टर जारी किए जाने की सम्भावना है;

(ख) दिल्ली तथा नई दिल्ली में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने क्वार्टर निर्माणाधीन हैं;

(ग) क्या दिल्ली तथा नई दिल्ली में कार्यरत कुछ कर्मचारियों के लिए कुछ विशेष पूल भी बनाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो दिल्ली, नई दिल्ली में ऐसे मंत्रालयों, सचिवालयों के नाम क्या हैं जिनके लिए विशेष पूल बनाए गए हैं;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेष पूल के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को आबंटित (टाइप एक, दो, तीन तथा चार) के क्वार्टरों की संख्या कितनी थी; और

(च) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) डाक तथा तार विभाग के लिए 360 सहित—2774, 60 लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय के लिए, 112 लेडी हार्डिंग मेडिकल कालिज तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी हास्पिटल के लिए संसद सदस्यों को आबंटित वैस्टर्न कोर्ट होस्टिल/होस्टिल सूटों में 32 सर्वेंट क्वार्टर तथा 125 राष्ट्रपति एस्टेट के लिए।

(ख) डाक तथा तार विभाग के लिए 360 शामिल करके 6371, 60 लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय के लिए, 112 लेडी हार्डिंग मेडीकल कालिज तथा श्रीमती सुचेता कृपालानी हास्पीटल के लिए संसद सदस्यों को आबंटन वैस्टर्न कोर्ट होस्टिल/होस्टिल सूटों में 32 सर्वेंट क्वार्टर तथा 125 राष्ट्रपति एस्टेट के लिए।

(ग) जी, हां।

(घ) इसके अतिरिक्त, सामान्य पूल जो निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा नियंत्रित है तथा जिसमें महिला अधिकारी पूल तथा केन्द्रीय सरकार अथवा दिल्ली प्रशासन में सेवावधि आधार पर नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा से सम्बद्ध अधिकारियों का पूल भी है, निम्नलिखित विभागों के वास के अपने विशिष्ट पूल हैं :—

(i) डाक तथा तार विभाग

(ii) रेलवे

(iii) प्रतिरक्षा मंत्रालय

(iv) आयकर, सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय आबकारी विभाग

(v) नागर विमानन विभाग

(vi) विदेश संचार सेवा

(vii) दिल्ली प्रशासन

(viii) दिल्ली पुलिस

(ix) लोक सभा सचिवालय

(x) सफदर जंग, लोकनायक जयप्रकाश नारायण तथा डा० राम मनोहर लोहिया हास्पिटल्स

(xi) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा

(ङ) तथा (च) विशेष पूल पृथक-पृथक विभागों द्वारा अनुरक्षित किए जा रहे हैं तथा आबंटन के उनके अपने-अपने नियम हैं। इन पूलों में कर्मचारियों को आबंटित क्वार्टरों की संख्या के बारे में निर्माण और आवास मंत्रालय में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मध्यावधि समीक्षा

1286. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिन्न राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मध्यावधि समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त कार्यक्रमों की क्रियान्विति में राज्य-वार क्या उपलब्धि रही; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) योजना आयोग या इस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की राज्य स्तर पर समग्र रूप से कोई मध्यावधि समीक्षा नहीं की गई है। वैसे, समय-समय पर इस मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जाती है।

(ख) तथा (ग) इन दोनों कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्य-वार उपलब्धियों को दर्शाने वाले विवरण 1 और 2 संलग्न हैं।

विवरण—1

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980-83 के दौरान लक्ष्य की तुलना में प्रगति को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र का नाम	लक्ष्य 1980-83 (लाभभोगी परिवारों की संख्या)	उपलब्धियां 1980-83 (लाभभोगी परिवारों की संख्या)
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	583200	690112

1	2	3
2. असम	241200	82044
3. बिहार	1056600	891153
4. गुजरात	392400	395382
5. हरियाणा	156600	285831
6. हिमाचल प्रदेश	124200	128722
7. जम्मू तथा काश्मीर	135000	72481
8. कर्नाटक	315000	330222
9. केरल	259200	304718
10. मध्य प्रदेश	824400	779731
11. महाराष्ट्र	532800	472191
12. मणिपुर	46800	14753
13. मेघालय	43200	18769
14. नागालैंड	37800	29286
15. उड़ीसा	565200	491569
16. पंजाब	210600	248663
17. राजस्थान	417600	387661
18. सिक्किम	7200	3449
19. तमिलनाडु	678600	885111
20. त्रिपुरा	30600	30274
21. उत्तर प्रदेश	1576800	2094126
22. पश्चिम बंगाल	603000	200360
23. अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	9000	73
24. अरुणाचल प्रदेश	86400	22342
25. चण्डीगढ़	1800	405

1	2	3
26. दादरा तथा नगर हवेली	1800	249
27. दिल्ली	9000	9628
28. गोवा, दमन तथा दीव	21600	16992
29. लक्षद्वीप	9000	312
30. मिजोरम	36000	4169
31. पांडिचेरी	7200	4834
अखिल भारत	9019800	8895612

विवरण—2

वर्ष 1980-81 से 1982-83 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार सृजन, लक्ष्यों तथा उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

(31-10-1983 की स्थिति)

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	रोजगार सृजन (लाख श्रमदिन)				
		1980-81	1981-82		1982	
		उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	476.99	320.45	503.55	325.00	336.08
2.	असम	14.85	87.27	53.20	80.00	49.00
3.	बिहार	343.96	414.86	318.70	484.00	450.64
4.	गुजरात	9.75	122.18	56.55	122.00	216.53
5.	हरियाणा	257.17	21.33	44.22	81.30	13.72
6.	हिमाचल प्रदेश	36.47	19.86	6.89	15.00	16.17
7.	जम्मू तथा काश्मीर	34.77	24.00	11.00	26.00	17.08
8.	कर्नाटक	16.32	220.80	233.94	254.00	271.22
9.	केरल	130.97	104.87	128.32	75.00	107.32

1	2	3	4	5	6	7
10.	मध्य प्रदेश	661.31	316.80	365.43	262.97	279.93
11.	महाराष्ट्र	430.77	358.74	468.00	500.00	188.42
12.	मणिपुर	शून्य	3.00	0.20	3.00	3.02
13.	मेघालय	शून्य	3.20	शून्य	2.80	2.36
14.	नागालैंड	94.00	3.43	1.36	3.40	3.62
15.	उड़ीसा	321.67	196.80	194.31	160.00	167.77
16.	पंजाब	6.40	31.18	33.48	52.00	28.29
17.	राजस्थान	259.52	80.23	95.48	31.20	48.16
18.	सिक्किम	0.47	2.56	1.00	1.90	2.18
19.	तमिलनाडु	147.53	296.00	448.19	196.00	459.13
20.	त्रिपुरा	77.45	9.72	14.90	13.60	13.73
21.	उत्तर प्रदेश	479.36	534.40	367.15	660.00	415.36
22.	पश्चिम बंगाल	328.51	179.73	195.38	237.00	360.22
	केन्द्र शासित क्षेत्र :					
23.	अण्डेमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	5.58	1.48	2.02	2.00	2.99
24.	अरुणाचल प्रदेश	0.18	1.01	0.07	1.90	1.16
25.	चण्डीगढ़	—	—	—	अप्राप्य	—
26.	दादरा तथा नगर हवेली	—	—	—	0.50	0.01
27.	दिल्ली	—	—	—	अप्राप्य	—
28.	गोवा, दमन तथा दीव	—	—	—	अप्राप्य	2.28
29.	लक्षद्वीप	—	—	—	अप्राप्य	0.49
30.	मिजोरम	0.55	1.92	1.41	1.90	6.54
31.	पांडिचेरी	1.26	1.48	0.24	2.70	1.56
	कुल	4135.81	3357.30	3545.19	3532.17	3500.98

"हुडको" द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मकानों की व्यवस्था

1288. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :**

श्री मूलचन्द डागा : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों को मकान देने के लिए "हुडको" ने क्या कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) विभिन्न राज्यों को उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कितना धन आबंटित किया है;

(ग) इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) चालू पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान उक्त कार्य में कितनी प्रगति होने की आशा है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) छठी योजना में आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) द्वारा योजना अवधि के दौरान 600 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश पर विचार किया गया है, जिसका 30 प्रतिशत समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए है।

(ख) वर्ष 1983-84 के लिए, आवास तथा नगर विकास निगम ने आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के आवास के लिए ऋण की मंजूरी के लिए 70·5 करोड़ रुपए की राशि उद्दिष्ट की है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरू में आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उस सीमा की सूचना देता है जिस सीमा तक संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में आवास तथा नगर विकास अभिकरणों को उसके मार्ग निर्देशनों के अनुसार आवास तथा नगर विकास की योजनाएं आरम्भ करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा सकती है। तथापि, आवास तथा नगर विकास के मार्ग-निर्देशनों के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त योजनाओं के मुताबिक वास्तविक स्वीकृति विनियमित की जाती है।

(ग) स्वीकृत योजनाओं की संख्या, ऋण और रिहायशी एककों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) वर्ष 1984-85 के लिए, देश के विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की आवास योजनाओं के लिए 75 करोड़ रुपए की ऋण सहायता मंजूर करने की हुडको से आशा है।

विवरण

राज्यवार हुडको कार्यक्रम (3-1-1984 की स्थिति के अनुसार)

राज्य संघ राज्य क्षेत्र	योजनाओं की संख्या	स्वीकृत ऋण (करोड़ों में)	स्वीकृत रिहायशी एकक		
			योग	आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	निम्न आय वर्ग
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	285	110.66	182405	143377	26745
असम	11	5.36	2201	96	794
बिहार	36	23.97	37767	32337	3024
गुजरात	317	138.10	235002	171154	38673
हरियाणा	85	49.01	30785	12204	9900
हिमाचल प्रदेश	40	7.24	2483	174	824
जम्मू तथा कश्मीर	22	10.06	2755	2392	107
कर्नाटक	223	83.81	29131	276992	10313
केरल	113	70.30	160947	149576	5765
मध्य प्रदेश	162	52.11	48223	31663	9922
महाराष्ट्र	325	146.16	114590	38356	46956
मणिपुर	3	2.09	282	—	—
नागालैंड	1	1.57		वाणिज्यिक योजना	—
उड़ीसा	71	37.87	39998	25410	7835
पंजाब	121	51.81	47109	30468	8277
राजस्थान	286	125.44	113422	67747	24588
तमिलनाडु	332	117.90	113675	73392	21418
उत्तर प्रदेश	215	133.60	100116	60799	24218
पश्चिम बंगाल	49	35.13	14566	4349	3146

1	2	3	4	5	6
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	1	00.09	15	—	—
चण्डीगढ़	29	25.47	15259	3082	6140
दिल्ली	19	21.65	14112	5829	5658
गोआ, दमन तथा दीव	2	00.11	123	88	16
पांडिचेरी	5	2.08	1341	247	742
योग	2753	1251.59	1570310	1129602	255057

*मध्य प्रदेश में 5,300 रिहायशी एककों के निर्माण के लिए 31.46 करोड़ रुपए की ऋण सहायता से हुडकों—विश्व बैंक द्वारा मिलजुल कर परियोजना की उचित व्यवस्था की गई, को छोड़ कर ।

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिसों को क्रियान्वित करना

1289. **श्री सूरज भान :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन 1976 में किया गया था और उसने अपना प्रतिवेदन 1980 में प्रस्तुत कर दिया था;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त आयोग की सिफारिशों को शीघ्रता से क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों और कुछ केन्द्रीय एजेंसियों को संबंधित मार्गनिर्देश और अनुदेश 1981 में भेज दिए गए थे, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में राज्यवार तत्संबंधी क्या प्रगति हुई है; और

(ग) उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम का सुझाव दिया गया है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) राज्यों के सिंचाई मंत्रियों के सितम्बर, 1981 में हुए छठे सम्मेलन में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया गया था जब यह निर्णय किया गया था कि राज्य सरकार और केन्द्रीय एजेंसियां सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई करेंगी । राज्यों के सिंचाई मंत्रियों के दिसम्बर, 1982 में हुए सातवें सम्मेलन में पुनः यह

मामला विचार-विमर्श करने के लिए प्रस्तुत किया गया था जब राज्य सरकारों से सिफारिशों के क्रियान्वयन का कार्यक्रम तैयार करने का अनुरोध किया गया था। यद्यपि आंध्र प्रदेश, मणिपुर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारें निरन्तर यह सूचित करती रही हैं कि उन्होंने विभिन्न शिफारिशों पर कार्रवाई की है, परन्तु उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम की कोई अनुसूची नहीं दी है। राज्य सरकारों को विभिन्न सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए उनके द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना भेजने के लिए लिखा जा रहा है।

राजनैतिक दलों और अन्य संगठनों को सरकारी आवास

1290. **श्री सूरज भान :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** राजनैतिक दलों और श्रम संगठनों को आबंटित सरकारी आवास के बारे में 5 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1876 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राजनैतिक दलों और अन्य संगठनों और संस्थानों को उनके कार्यालयों तथा कर्मचारियों के आवास के लिए दिल्ली में आबंटित सरकारी आवास (प्रत्येक निर्मित क्षेत्र और पते सहित) का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक मामलों में कितनी धनराशि बकाया है;

(ग) आबंटन के संबंध में सरकार की नीति क्या है; और

(घ) क्या भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली यूनिट से उनके दिल्ली कार्यालय के लिए आवास का आबंटन करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ था और यदि हां, तो कब और इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क), (ख) तथा (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) इस प्रकार की केवल उन्हीं राजनैतिक पार्टियों या ग्रुपों को आवास आबंटित किए जाते हैं जिन्हें अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। अन्यथा, "सामान्य पूल" वास नई दिल्ली/नई दिल्ली के भीतर स्थित सामान्यतया पात्र केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों और उनके कर्मचारियों को आबंटित किया जाता है। तथापि, उन कार्यालयों/व्यक्तियों को जो पात्र नहीं है, सामान्य पूल वास के आबंटन के अनुरोधों पर भी प्रत्येक मामलों के गुणा व गुणों के आधार पर विचार किया जाता है और उम्मीद स्वरूप मामलों में आबंटन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किए जाते हैं।

दूध का उत्पादन तथा उसका प्रबंध

1291. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत में दूध का उत्पादन तथा उसकी प्रबंध व्यवस्था की स्थिति के बारे में दिनांक 8 अक्तूबर, 1983 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" दिनांक 15 अगस्त, 1983 के "सूर्य" नवम्बर तथा दिसम्बर, 1983 के "इलस्ट्रेटिड वीकली" तथा 4-10 दिसम्बर, 1983 के "वीक" में प्रकाशित हाल ही के समाचारों की ओर गया है;

(ख) वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1982-83 के दौरान पृथक रूप से भारत में राज्यवार दूध उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया तथा वास्तव में दूध का कितना उत्पादन हुआ और प्रत्येक आंकड़े किस आधार पर निर्धारित किए गए; और

(ग) कलकत्ता, मद्रास तथा दिल्ली जैसे महानगरों को दूध की सप्लाई करने में उपहार के रूप में प्राप्त आयातित दूध संघटकों पर अत्यधिक निर्भरता को रोकने के लिए सरकार का क्या सुधारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1982-83 के लिए राज्यवार लक्ष्य और दुग्ध उत्पादन के आंकड़े विवरण में दिए गए हैं। ये प्रमुखत: राज्य सरकारों के योजना आयोग के साथ वार्षिक योजना के बारे में हुए विचार-विमर्श पर आधारित हैं ।

(ग) विनियमित आधार पर आपरेशन फ्लड-2 परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आजकल यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सप्रेटा दुग्ध-चूर्ण और बटर आयल के उपहारों की सप्लाई मिल रही है। आपरेशन फ्लड-2 कार्यक्रम में "फीडर" संतुलक डेरियों की स्थापना करके फालतू दूध को दुग्ध-चूर्ण और मक्खन के रूप में परिवर्तित करने की व्यवस्था है । दुग्ध-चूर्ण और शिशु दुग्ध आहार का देसी उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए गोपशु और भैंस विकास संबंधी कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है ।

विवरण

राज्यवार दुग्ध उत्पादन के लक्ष्य और उपलब्धियां

(हजार मीटरी टन)

क्रमांक	राज्य	लक्ष्य			उपलब्धियां		
		1979-80	1980-81	1982-83	1979-80*	1980-81	1982-83
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2260	2350	2500	1802	2350	2500
2.	असम	461	471	243	460	501	543
3.	विहार	1950	2020	2133	1860	1942	2133
4.	गुजरात	2200	2250	2464	2115	2153	2317
5.	हरियाणा	1800	1900	2200	1950	2107	2300
6.	हिमाचल प्रदेश	293	305	356	304	315	358
7.	जम्मू व कश्मीर	235	270	290	235	250	270
8.	कर्नाटक	1170	1240	1350	1375	1154	1350
9.	केरल	730	870	1010	854	924	1010
10.	मध्य प्रदेश	2210	2400	2510	2210	2282	2510

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	महाराष्ट्र	1375	1545	1739	1506	1620	1857
12.	मणिपुर	57	60	63	58	60	63
13.	मेघालय	54	56	60	54	56	60
14.	नागालैंड	3.25	3.50	3.60	3	3.3	4.0
15.	उड़ीसा	225	264	268	238	310	322
16.	पंजाब	3060	3236	3750	3059	3221	3599
17.	राजस्थान	3300	3350	3400	3085	3250	3400
18.	तमिलनाडु	1390	1830	1900	1860	1800	1900
19.	त्रिपुरा	16.0	16.0	18.0	15	16.5	18.5
20.	उत्तर प्रदेश	5688	5452	6250	5665	5721	6203
21.	पश्चिम बंगाल	1238	1282	1370	1231	1280	2012
22.	सिक्किम	17.50	17.25	19.00	16.0**	17.0	19.0

*स्रोत :—भारत में कृषि सम्बंधी स्थिति, फरवरी, 1982

**योजना आयोग के राज्य वार्षिक योजना के विचार-विमर्श 1984-85 के कार्यवृत्त पर आधारित ।

उचित दर की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की वितरण प्रणाली

1292. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :**

श्रीमती प्रमिला दण्डवते :

श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उचित दर/राशन की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की वितरण-प्रणाली बिगड़ गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारी फसल और अधिक उत्पादन होने के बावजूद भी राशन से सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं का कोटा कम कर दिया गया है; और

(घ) आवश्यक वस्तुओं की नियमित और पर्याप्त की सप्लाई बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गठन और पर्यवेक्षण प्राथमिक जिम्मेदारी विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की सरकारों की है। इनसे समय-समय पर प्राप्त रिपोर्टों को देखने के पता चलता है कि यह सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रही है, यद्यपि विशाल आकार की प्रणाली को चलाने में कभी-कभी अस्थायी स्वरूप की कुछ स्थानीय समस्याओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कुछ आवश्यक वस्तुओं का आबंटन, केन्द्रीय पूल में स्टाक की समग्र उपलभ्यता, विभिन्न राज्यों की तुलनात्मक आवश्यकताओं, बाजार में इनकी उपलभ्यता और अन्य संगत बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपभोक्ताओं की सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं है, अल्कि इसका उद्देश्य खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं की उपलभ्यता की बनुपूर्ति करना है। केन्द्रीय सरकार ने पहले ही राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे माल को उठाने, उसकी ढुलाई, भण्डारण और वितरण में बेहतर तालमेल करके यह सुनिश्चित करें कि जो वस्तुएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जारी करने के लिए हैं, वे वास्तविक उपभोक्ताओं के समय से और पूर्व निर्धारित मूल्यों पर मिलें।

नर्मदा नदी पर सरदार बांध के लिए ठेका

1294. **श्री उत्तम राठौर** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नर्मदा नदी पन बिजली परियोजना के अन्तर्गत सरदार बांध का एक ठेका दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि सरदार सरोवर परियोजना के मुख्य कंक्रीट बांध के निर्माण के लिए अभी ठेका नहीं दिया गया है । बांध के बायें तट पर दस गैर जलप्रवाह ब्लाकों के ठेके हाल ही में दिए गए हैं ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए निर्धारित लक्ष्य

1295. **श्री उत्तम राठौर** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक क्या प्रगति हुई तथा कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया; और

(ग) वर्तमान पंचवर्षीय योजना की बकाया अवधि के दौरान कितनी प्रगति का अनुमान है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 हेतु रोजगार सृजन के लक्ष्य तथा आबंटन और उनके मुकाबले में हुई उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ग) कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार सृजन के निर्धारित लक्ष्य को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त कर लिए जाने की आशा है । यह भी आशा की जाती है कि वर्ष के दौरान कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध कुल निधियों में से 25 प्रतिशत निधियों जिन्हें एक वर्ष से दूसरे वर्ष में ले जाने की अनुमति है, को छोड़कर बाकी को उपयोग में ले लिया जाएगा ।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 के लिए किए गए आबंटन, रोजगार सृजन हेतु निर्धारित लक्ष्य तथा उनके मुकाबले में हुई उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	राज्य के अंश सहित आबंटित निधियां (लाख रु० में)	जनवरी 1984 तक उपयोग में लाई गई निधियां (लाख रु० में)	रोजगार लक्ष्य (लाख श्रम दिन)	जनवरी 1984 तक वास्तव में सृजित रोजगार (लाख श्रम दिनों में)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	3980.00	1915.25	295.50	156.66

1	2	3	4	5	6
2.	असम	876.00	256.12	65.70	25.62
3.	बिहार	5744.00	2209.51	405.46	190.73
4.	गुजरात	1300.00	1082.51	86.66	88.30
5.	हरियाणा	340.00	210.84	15.68	8.10
6.	हिमाचल प्रदेश	240.00	135.23	11.64	9.97
7.	जम्मू और कश्मीर	300.00	160.22	18.00	8.00
8.	कर्नाटक	1900.00	1452.59	175.38	148.39
9.	केरल	1860.00	860.34	121.30	75.46
10.	मध्य प्रदेश	2940.00	1550.28	252.00	152.43
11.	महाराष्ट्र	3200.00	1241.62	295.38	79.76
12.	मणिपुर	44.00	अनुसूचित	3.30	1.88
13.	मेघालय	60.00	3.31	4.80	0.35
14.	नागालैंड	40.00	14.91	1.50	1.70
15.	उड़ीसा	1820.00	915.15	182.00	96.77
16.	पंजाब	550.00	350.09	27.50	12.22
17.	राजस्थान	960.00	525.47	67.76	38.64
18.	सिक्किम	32.00	23.84	0.90	2.47
19.	तमिलनाडु	3600.00	2299.74	308.58	254.91
20.	त्रिपुरा	132.00	77.58	9.90	5.52
21.	उत्तर प्रदेश	6880.00	3950.15	550.40	262.68
22.	पश्चिम बंगाल	1110.00	1838.48	311.00	218.95
	केन्द्र शासित क्षेत्र				
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	32.00	12.51	0.28	1.98

1	2	3	4	5
24. अरुणाचल प्रदेश	32.00	35.46	0.80	3.12
25. चण्डीगढ़	8.00	4.45	0.06	0.21
26. दादरा और नगर हवेली	16.00	6.23	0.50	0.48
27. दिल्ली	13.80	3.29	0.70	0.06
28. गोवा, दमन और दीव	36.80	51.38	3.66	3.30
29. लक्षद्वीप	8.00	13.02	0.14	1.59
30. मिजोरम	32.00	7.50	0.46	0.97
31. पांडिचेरी	32.00	22.57	2.32	2.24
योग :	48118.60	21229.64*	3222.26	1853.36*

*प्राप्त सूचनाओं के अनुसार

दतिया वाहक नहर

1296. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **सिचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश की दतिया वाहक नहर का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर से नहर के एक भाग से होकर गुजरने के कारण उत्तर प्रदेश की सहमति के लिए लम्बित पड़ा है;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने 20-6-83 की हुई अधिकारी स्तर बैठक में दतिया वाहक नहर के लिए सहमति का अश्वासन दिया था;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश ने अपनी सहमति दे दी है; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मध्य प्रदेश के सिचाई मंत्री ने इस समस्या के हल के लिए उनसे अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा क्या कर्यवाही की गई है ?

सिचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाली दतिया वाहक नहर के प्रस्तावित संरेखण का उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के इंजीनियरों ने 20-6-1983 को निरीक्षण किया था तथा उसके बाद 15-7-1983 को हुई बैठक में किए गए निर्णय के अनुसार संरेखण सहित गांव के नक्शे उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को उपलब्ध करा दिए गए थे ताकि वे इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले सकें ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक वाहक नहर के अपने क्षेत्र में संरेखण के सम्बन्ध में अपनी विशिष्ट सहमति नहीं दी है। उत्तर प्रदेश द्वारा दिए गए मुख्य कारण ये हैं कि मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तावित संरेखण उनकी परियोजना में बाधा डालता है तथा यह कि धुकवान वीयर के पुनरूपेण का कार्य राजघाट परियोजना के एक हिस्से के रूप में कार्यान्वित किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने राजघाट तथा माताटीला बांधों के मध्यवर्ती क्षेत्र में मध्य प्रदेश द्वारा निर्मिन/प्रस्तावित स्कीमों के ब्यौरे भी मांगे हैं।

(घ) तथा (ङ) दिसम्बर, 1983 में मध्य प्रदेश के सिंचाई मंत्री ने दतिया बाहक नहर के संरेखण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश से स्वीकृति के लिए अनुरोध किया था।

तथापि, यह पता चला था कि दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों के बीच ऐसे द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करने के लिए दिसम्बर, 1983 में एक बैठक होनी थी, जो स्थगित कर दी गई थी। अतः, जनवरी, 1984 में मध्य प्रदेश के सिंचाई मंत्री को यह सुझाव दिया गया था कि चूंकि यह मामला मुख्यतः मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एक द्विपक्षीय मामला है, इसलिए यह उचित होगा यदि इस मुद्दे पर दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों की अगली बैठक में विचार-विमर्श किया जाए। वैसे, उन्हें यह बता दिया गया था कि यदि इस मुद्दे को द्विपक्षीय विचार-विमर्श के द्वारा तय करना सम्भव नहीं हुआ तो राज्यों को भारत सरकार की सद्भावना सेवाएं उपलब्ध होंगी। मध्य प्रदेश से आगे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

राजघाट परियोजना से नहर

1297. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का संयुक्त उद्यम है;

(ख) क्या राजघाट परियोजना से उत्तर प्रदेश के क्षेत्र की सिंचाई करने वाली नहर का निर्माण कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) राजघाट बांध परियोजना जिसमेंएक बांध तथा बांध के निचले भाग में बिजली घर का निर्माण करना शामिल है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक संयुक्त उपक्रम है। दोनों राज्यों में नहर प्रणालियों का निर्माण सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है। उत्तर प्रदेश अपने जल के हिस्से का उपयोग राजघाट उच्च स्तर नहर पर निर्माण-कार्यों, जखलौन पम्प नहर, बेतवा नहर के पुनरूपेण तथा गुड़सराय मुख्य नहर जिन पर कार्य प्रगति पर है, के जरिए करना चाहता है जिसकी सिंचाई क्षमता लगभग 1.53 लाख हैक्टेयर है।

उत्तर प्रदेश में नहर प्रणाली का निर्माण कार्य 1980-81 में आरम्भ किया गया था। नहर प्रणाली की 45 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के प्रति 1983-84 तक 11.35

करोड़ रुपए व्यय किए जाने की सम्भावना है । नहर प्रणाली के सातवीं योजना के अन्त तक पूर्ण किए जाने की आशा है ।

मिट्टी के कटाव के कारण कम उत्पादन

1298. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी प्राप्त है कि कुछ राज्यों में प्रति एकड़ कृषि भूमि से कम उत्पादन होने के मुख्य कारणों में मिट्टी का कटाव एक प्रमुख कारण है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं जो वर्तमान योजना अवधि के दौरान उपर्युक्त कारण से कृषि उत्पादों में पिछड़े रहे;

(ग) क्या यह सच है कि उड़ीसा भी ऐसे राज्यो में एक राज्य है;

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए अथवा करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग सभी राज्य और संघशासित क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार के मृदा अपरदन होता है और भूमि की कोटि में गिरावट आती रहती है । तथापि देश में ऐसी समस्या वाले क्षेत्रों की मात्रा ज्ञात करने के लिए कोई व्यापक सर्वेक्षण अभी तक नहीं किया गया है । अनुमान है कि देश के लगभग 3290 लाख हैक्टार भौगोलिक क्षेत्र में से 1750 लाख हैक्टार क्षेत्र भूमि कटाव से प्रभावित है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) तथा (ङ) उड़ीसा में मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के लिए राज्य योजना के अन्तर्गत चालू 13 स्कीमें हैं । किए जा रहे क्षरणरोधी विशेष उपायों में कॉन्टूर बांध तथा टैरेस बनाना, बेकार भूमि तथा खड़ी पर्वतीय ढलानों में वृक्षारोपण, बहुत अधिक कटाव वाली भूमि में चरागाहों का विकास, पर्वतीय भू-भाग में पानी के बहाव पर नियन्त्रण पाने के लिए विभिन्न मृदा संरक्षण इंजीनियरी संरचनाओं का विनिर्माण तटीय रेत के टीलों का स्थिरीकरण तथा जल अवरुद्ध संरचनाओं का विनिर्माण करना शामिल है ।

छठी योजना के दौरान निम्नलिखित योजना के माध्यम से उड़ीसा और अन्य राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है :

(1) 17 राज्यों तथा एक संघ शासित क्षेत्र में फैले हुए 28 जलग्रहण क्षेत्रों में नदी घाटी परियोजनाओं में जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण ।

(2) 7 राज्यों तथा एक संघ शासित क्षेत्र में स्थित 8 जलग्रहण क्षेत्रों की प्रवण नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में समेकित जल विभाजक प्रबन्ध।

(3) 11 हिमालीय राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में मृदा, जल और वृक्ष संरक्षण।

(4) 101 चुनींदा जिलों में ग्रामीण जलाऊ लकड़ी वृक्षारोपण सहित सामाजिक वानिकी।

(5) 13 राज्यों के 69 जिलों में सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम।

(6) 3 राज्यों में मरु विकास कार्यक्रम।

(7) संघ शासित क्षेत्रों में झूम खेती का नियंत्रण।

(8) संघ शासित क्षेत्रों में मृदा सर्वेक्षण संगठन का सुदृढ़ीकरण।

(9) 15 राज्यों के वर्षा सिंचित क्षेत्र में कुल उत्पादन को स्थिर करने तथा उसमें वृद्धि करने के लिए जल संरक्षण/संचयन, प्रौद्योगिकी के प्रसार हेतु एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना।

स्टेडियम बनाने के लिए राज्यों को धनराशि

1299. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने स्टेडियम बनाने के लिए राज्यों को धनराशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां केन्द्रीय सहायता से स्टेडियम बनाए गए हैं;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने कलिंग स्टेडियम के निर्माण के लिए उनके मंत्रालय से केन्द्रीय सहायता देने का अनुरोध किया था;

(घ) यदि, हां तो स्टेडियम बनाने के लिए उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता मंजूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में उप-मंत्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) जी, हां।

(ख) सभी राज्यों को स्टेडियमों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त हो चुकी हैं।

(ग) से (ङ) उड़ीसा सरकार ने भुवनेश्वर में "कलिंग स्टेडियम" नामक एक खेल कम्पलैक्स के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता स्वीकृत करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था, 5 लाख रुपए की कुल सहायता, जो योजना के अन्तर्गत अधिकतम स्वीकार्य अनुदान है, उक्त स्टेडियम के लिए संस्वीकृत की गयी थी। उड़ीसा सरकार को 1982-83 में केन्द्रीय अनुदान की पहली किस्त के रूप

में 2.50 लाख रुपए की धनराशि मुक्त की गई थी। राज्य सरकार को, 2.50 लाख रुपए की दूसरी किस्त, पहले मुक्त किए गए अनुदान के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर मुक्त की जाएगी।

उड़ीसा में अपर्याप्त भण्डारण-क्षमता

1300. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय राज्यों को पर्याप्त भण्डारण सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता कर रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा राज्य को उपलब्ध कराई गई भण्डारण सुविधाएं बहुत ही अपर्याप्त हैं और जिसकी वजह से खाद्यान्नों के वितरण और कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के रख-रखाव तथा कृषि उत्पादों को बेचने में बहुत सी परेशानियां हैं;

(ग) यदि हां, तो इन परेशानियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उठाने का विचार है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) कृषि मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम कृषि उत्पाद की पर्याप्त भण्डारण क्षमता की सुविधाओं का निर्माण करने, किसानों को कृषि आदानों की सप्लाई करने तथा ग्रामीण इलाकों में आवश्यक उपभोक्ता जिन्सों का वितरण करने के लिए विभिन्न स्तरों पर सहायता कर रहा है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने अब तक उड़ीसा को 3.84 लाख मीटरी टन की क्षमता के 1928 ग्रामीण गोदामों तथा 552 विपणन गोदामों की मंजूरी दी है। इनमें से 1982-83 के अंत तक 1.96 लाख मीटरी टन की भण्डारण क्षमता वाले 1036 ग्रामीण गोदाम तथा 302 विपणन गोदाम पूरे हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने हाल ही में एक अन्य परियोजना (राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम-3) तैयार की है, जिसका अभी विश्व बैंक द्वारा अनुमोदन किया जाना है, जिसके तहत उड़ीसा के लिए 2.62 लाख मीटरी टन के भण्डारण क्षमता के 1225 सहकारी गोदान हैं। आशा है कि स्वीकृत हो जाने पर यह परियोजना 1984-85 के दौरात किसी समय शुरू हो जाएगी।

जलपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान के कर्मचारियों की भविष्य निधि की धनराशि का दुरुपयोग

1301. **श्री निहाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यहबताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियमानुसार जलपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान के कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि जी०-8 रसीद बुक द्वारा काटकर निगम की ट्रेजरी में जमा करनी होती है लेकिन ऐसा

नहीं किया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1978 से अब तक 56,000 रुपए की धन-राशि का दुरुपयोग किया गया है;

(ख) क्या उपर्युक्त धनराशि के दुरुपयोग के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा भी अपने प्रतिवेदन में बार-बार टिप्पणियां की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि संस्थान के कर्मचारियों का भविष्य निधि अंश-दान उनके वेतन बिलों से काटा जाता है तथा चैकों के माध्यम से डाकघर में जमा किया जाता है जहां कि भविष्य निधि लेखों का लेखाजोखा रखा जाता है ।

(ख) तथा (ग) संस्थान के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित 56,000 रुपए राशि, शायद कोषा-गार में जी०-8 रसीदों के माध्यम से जल प्रभारों की वसूली की कम जमा के बारे में 1978-79 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए गए पैराग्राफ से सम्बन्धित है। संस्थान ने सूचित किया है कि इस मामले में शामिल कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है तथा पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। पुलिस से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान को ऋण

1302. **श्री निहाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जल सप्लाई और मल व्ययन संस्थान को 1978-79 से 1983-84 के वर्षों के दौरान कितनी धनराशि दी तथा इसमें से कितनी धनराशि ऋण के रूप में दी गई;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त ऋण किन शर्तों पर दिया गया तथा क्या उन शर्तों के अनुसार सरकार को ऋण की किस्तों की अदायगी की जा रही है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा उक्त संस्थान पर ऋण और ब्याज की कितनी धनराशि बकाया है; और

(ग) क्या यह सच है कि गत पांच वर्षों के दौरान किया गया खर्च उसे प्राप्त आय से अधिक है, यदि हां, तो आय से अधिक व्यय किए जाने के क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

सुवर्णरेखा परियोजना का पूरा होना

1303. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्यीय सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय योजना के पूरा होने में बहुत विलम्ब किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस योजना के कार्यान्वयन के लिए पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की सरकारें सहमत हैं;

(घ) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या योजना के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी गई थी और यदि हां, तो विश्व बैंक की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) 480.90 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली सुवर्णरेखा बहुप्रयोजनी परियोजना में दो बांधों—एक चांडिल में सुवर्णरेखा नदी पर और दूसरा ईचा में खरकई नदी पर, दो बराजों—एक गुलुडीह में सुवर्णरेखा नदी पर और दूसरा गंजिया में खरकई नदी पर—के निर्माण तथा बिहार के सिंहभूमि जिले में 2,41,873 हैक्टेयर (5,97,426 एकड़) क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए बिहार में स्थित उपर्युक्त सभी संरचनाओं से नहरें निकालने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों को सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण के लाभ प्रदान करने के लिए चांडिल और खरकई में स्थित जलाशयों में जल-संचयन की व्यवस्था की गई है। ईचा जलाशय में संचित जल से उड़ीसा के क्षेत्र में भी सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। इस परियोजना से बिहार में म्युनिस्पल तथा औद्योगिक प्रयोजनों के लिए 740.60 मिलियन घनमीटर (0.6 मिलियन एकड़ फुट) जल की सप्लाई होगी। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में उनके अपने-अपने राज्यों में निर्माण-कार्यों के लिए अलग-अलग परियोजनाएं हैं।

बिहार की अन्तर्राज्यि सुवर्णरेखा बहुपयोजनी स्कीम के क्रियान्वयन में मुख्यत: रूप से वन भूमि की अनुपलब्धता और सीमेंट की कम सप्लाई तथा कुछ हद तक वित्तीय कठिनाइयों के कारण कुछ विलम्ब हुआ है। इन कठिनाइयों को अब हल कर लिया गया है और परियोजना पर निर्माण-कार्य किए जा रहे हैं।

यह स्कीम, सुवर्णरेखा और खरकई बेसिन के जल संसाधनों के उपयोग के सम्बन्ध में बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सरकारों के बीच 1978 में हुए त्रिपक्षीय करार में हुए निर्णयों के अनुसार, तैयार की गई और क्रियान्वयन के लिए आरम्भ की गई है।

(ङ) सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना (बिहार और उड़ीसा) के लिए 127 मिलियन अमरीकी

डालर की ऋण सहायता के लिए 1982 में विश्व बैंक के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए।

उड़ीसा में समस्याग्रस्त गांवों के लिए नलकूप

1304. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में जिला-वार समस्याग्रस्त गांवों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या वर्ष 1984 के दौरान इस प्रकार के प्रत्येक गांव में एक नलकूप की व्यवस्था करने की सरकार द्वारा कोई योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई और इस कार्य के कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) तथा (ग) 1983-84 के दौरान उड़ीसा सरकार ने 5060 समस्याग्रस्त ग्रामों सरकार से को पेय जल के कम से कम एक स्रोत के प्रावधान से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। राज्य प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में हैण्ड पम्प सहित नलकूप सफलतापूर्वक चालू किए गए हैं।

उपर्युक्त कार्यक्रम के लिए 1983-84 के दौरान उड़ीसा सरकार के पास उपलब्ध राशि नीचे दी गई है :—

(i) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 725 लाख रुपए।

(ii) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरितग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई राशि : वर्ष 1983-84 के दौरान 807.82 लाख रुपए।

(iii) कार्य निष्पादन पर अधारित केन्द्रीय सहायता की नई प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत दी गई राशि: 450 लाख रुपए।

उड़ीसा सरकार ने 1983-84 के दौरान 31 दिसम्बर, 1983 तक 4488 समस्याग्रस्त ग्रामों को पहले ही लाभान्वित कर लिया है।

विवरण

उड़ीसा में जिलावार समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या

क्र० सं०	जिले का नाम	1-4-1980 की स्थिति के अनुसार उन समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या जिनमें अभी भी जलपूर्ति मुहैया कराई जानी है ।
1.	कटक	2,900
2.	पुरी	2,781
3.	बालासौर	2,791
4.	गनजम	1,905
5.	फूलबनी	1,002
6.	सम्बलपुर	2,299
7.	बालनगिर	1,739
8.	कलाहांडी	1,182
9.	सुन्दरगढ़	1,227
10.	कौंझर	1,508
11.	ढंकनल	1,965
12.	कोरापुट	995
13.	मयूरभंज	1,322
	योग :	23,616

पुनपुन नदी की बाढ़ से सुरक्षा के लिए बिहार की योजना

1305. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनपुन नदी की बाढ़ के कारण पटना और गया जिलों के किसानों की करोड़ों रुपए के मूल्य की फसलें प्रतिवर्ष नष्ट हो जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि नदी के दोनों किनारों को बांध कर तथा दोनों ओर बिजली उपलब्ध कराकर तथा बरसाती जल की नहरों का निर्माण करके न केवल बाढ़ों को ही रोका जा सकता है बल्कि जल को भी सिंचाई के काम में लाया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या बिहार सरकार द्वारा कोई योजना उनको भेजी गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) राज्य सरकार द्वारा पिछले चार वर्ष के दौरान गया जिले में किसी बाढ़ क्षति के होने की सूचना नहीं दी गई है। पटना जिले में 1980 1982 और 1983 के दौरान फसलों को बाढ़ से क्षति हुई थी। इसमें पुनपुन के कारण हुई बाढ़ क्षति भी शामिल हो सकती है।

(ख) से (घ) राज्य सरकार द्वारा 976 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 1977 में एक एकीकृत स्कीम नामशः पुनपुन तटबन्ध स्कीम तैयार की गई थी। इसमें पुनपुन, दरधा तथा नोरहर नदियों पर तटबन्ध का निर्माण करना परिकल्पित था। इस स्कीम की गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग में जांच की गई थी और तटबन्धों को चरणों में निर्मित करने की सिफारिश की गई थी।

पुनपुन और दरधा नदियों के दक्षिण तट पर लगभग 14 किलोमीटर की लम्बाई में तटबन्ध के निर्माण के लिए संशोधित स्कीम को 165.46 लाख रुपए की लागत पर योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। इससे पहले वाम तट पर प्रतिप्रवाह भागों में पंचनाना नाले तक वर्तमान तटबन्ध को ऊंचा करने और सुदृढ़ करने के साथ-साथ तटबन्ध का निर्माण करने के लिए 313.28 लाख रुपए की पटना सुरक्षा निर्माण-कार्यों के साथ योजना आयोग द्वारा एक अन्य स्कीम जून, 1980 में स्वीकृत की जा चुकी थी।

गया और पटना जिलों के क्षेत्रों के लाभ के लिए पुनपुन-दरधा सिंचाई स्कीम को अलग से तैयार किया गया है जिस पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणी पर राज्य सरकार के स्पष्टीकरणों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

बाढ़ नियन्त्रण के लिए बिहार की योजनाएं

1306. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने बाढ़ नियन्त्रण के लिए कुछ योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उक्त कितनी योजनाओं को स्वीकृति दी है; और

(घ) उनके कार्यान्वयन के लिए सिंचाई मंत्रालय द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) बिहार सरकार ने बहुत सी

स्कीमें तैयार की हैं तथा ये स्कीमें स्वीकृति एवं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। स्कीमों का क र्यान्वयन राज्यों के वार्षिक बजट में निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत वार्षिक योजना दस्तावेज के अनुसार, छठी योजना से पहले चल रही 24 स्कीमें क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। राज्य सरकार ने छठी योजना के दौरान शुरू की गई या शुरू करने के लिए विचार की गई 41 स्कीमों की भी सूची तैयार की है तथा सम्पूर्ण राज्य में जल-निकास, शहर की सुरक्षा तथा कटविरोधी कार्यों के लिए एकमुश्त प्रावधान किया है।

(ग) योजना आयोग ने कलैण्डर वर्ष 1982 तथा 1983 के दौरान 76.73 करोड़ रुपए अनुमानित लागत की बाढ़ नियन्त्रण घटक सहित 6 स्कीमों को स्वीकार्य पाया है।

(घ) बाढ़ नियन्त्रण स्कीमों का कार्यान्वयन राज्य सरकार अपने वार्षिक योजना बजट में से करती है।

सिंचाई योजनाओं के लिए बिहार का प्रस्ताव

1307. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार द्वारा सिंचाई योजनाओं की एक सूची केन्द्रीय मंत्रालय को प्रस्तुत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं की क्रियान्विति पर कितनी व्यय होने का अनुमान है;

(घ) क्या राज्य सरकार द्वारा इन योजनाओं को कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी धनराशि क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ङ) बिहार सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्राथमिकता के आधार पर राज्य द्वारा पूरा किए जाने के लिए प्रस्तावित 35 चालू वृहत् तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का निर्धारण किया है तथा उनकी सूची भेजी है। इन स्कीमों के नाम, उनकी अनुमानित लागत, संचयी व्यय, इन परियोजनाओं से सिंचाई लाभ आदि संलग्न विवरण में दिए गए हैं। राज्र सरकार ने इन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए किसी विशेष वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध नहीं किया है। तथापि, सिंचाई एक राज्य विषय होने के कारण इन परियोजनाओं की वित्त-व्यवस्था उनके अपने बजट के अन्तर्गत की जाती है। केन्द्र, राज्यों को ब्लाक ऋण तथा अनुदान देता है जो विकास के किसी सेक्टर या परियोजना से जुड़े हुए नहीं होते। राज्य द्वारा 1984-85 के लिए अलग-अलग स्कीम के लिए आवश्यक निधियों की मांगों पर योजना आयोग के एक कार्यकारी दल द्वारा पुनरीक्षा की गई थी तथा संलग्न

विवरण में शामिल इन अभिज्ञात परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए, योजना आयोग ने आवश्यक आबंटन कर दिए हैं ।

[ग्रंथालय में रखे गया । देखिये संख्या एल० टी० 7872/84]

राजभाषा अधिनियम, 1983 की धारा 3(3) का कार्यान्वयन

1308. **श्री रामवतार शास्त्री** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित 14 मुद्दों को "क", "ख" और "ग" तीनों श्रेणियों के राज्यों में द्विभाषी रूप में क्रियान्वित करने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1981-82, .982-९3 तथा 1983-84 के दौरान "क" "ख" और "ग" श्रेणियों के राज्यों में स्थित उनके मंत्रालयों, विभागों, सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों तथा उपक्रमों द्वारा धारा 3(3) के कार्यान्वयन की प्रतिशतता का राज्यवार तथा वर्षवार का पृथक रूप से ब्यौरा क्या है;

(ग) तीनों श्रेणियों के राज्यों में उपर्युक्त सभी 14 मुद्दों के कार्य को शत प्रतिशत द्विभाषी करने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां ।

(ख) सिंचाई मंत्रालय द्वारा धारा 3(3) के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों के राज्यों में स्थित सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा उपक्रमों के सम्बन्ध में ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है और सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ग) और (घ) राजभाषा अधिनियम, 1963 में उल्लिखित कागजात से सम्बन्धित धारा 3(3) के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस उपाय की आवश्यकता पर विभिन्न सरकारी बैठकों तथा हिन्दी सलाहकार समिति आदि की बैठकों के दौरान भी जोर डाला जाता है ।

विवरण

क्र० सं०	कागजात	1981-82				1982-83				1983-84			
		द्विभाषिक	अंग्रेजी	कुल	%	द्विभाषिक	अंग्रेजी	कुल	%	द्विभाषिक	अंग्रेजी	कुल	%
1.	संकल्प अधिसूचना नियम	205	—	205	100%	164	—	164	100%	176	—	176	100%
4.	प्रशा० रिपोर्ट	1	—	1	100%	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	प्रेस विज्ञप्तियां	3	—	3	तदैव	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	संसद में प्रस्तुत किए गए कागजात	484	—	484	तदैव	847	—	847	100%	637	—	637	100%
7.	संविदाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	लाइसेंस	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	परमिट	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	नोटिस	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	टैण्डर फार्म	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	अन्य रिपोर्टें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	करार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	सामान्य आदेश	1429	275	1704	84%	914	860	1774	52%	1023	1155	2178	47%

कमान क्षेत्र के अन्तर्गत अतिरिक्त सिंचाई परियोजनाएं

1309. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने कमान क्षेत्र के अन्तर्गत कुछ और अतिरिक्त सिंचाई परियोजनाएं लाने का निर्णय किया; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्यवार ब्यौरा क्या है और छठी पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल की गई नई परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है । इस सम्बन्ध में छठी पंचवर्षीय योजना के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

राज्य	परियोजना का नाम
1	2
आन्ध्र प्रदेश	1. स्वर्ण परियोजना
	2. वम्सधारा चरण-एक परियोजना
	3. पड्डावागु परियोजना
महाराष्ट्र	1. मंजरे परियोजना
	2. खडकवासला परियोजना
	3. अपर गोदावरी परियोजना
	4. सूर्य परियोजना
तमिलनाडु	1. स्थानुर परियोजना
	2. परम्बीकुलम अलियार परियोजना
मध्य प्रदेश	1. महानदी परियोजना
	2. पैरी परियोजना
पश्चिम बंगाल	1. तीस्ता बराज परियोजना
असम	1. कलियाबोर लिफ्ट सिंचाई स्कीम
	2. सुकला परियोजना
मणिपुर	1. सकमाई बराज परियोजना

1	2
गुजरात	1. धरोई परियोजना
	2. पानम परियोजना
	3. भादर परियोजना
	4. दन्तीवाड़ा परियोजना
	5. हथमारी परियोजना
	6. माछु परियोजना
	7. मेशो परियोजना
	8. दमनगंगा परियोजना
राजस्थान	1. माही बजाज सागर परियोजना
जम्मू और कश्मीर	1. मरवल परियोजना
	2. बानीमुल्ला मनुलजाबूरा परियोजना
	3. नियू कोरवा यूसमार्ग परियोजना
	4. लेथापीर परियोजना
हिमाचल प्रदेश	1. गिरि सिंचाई परियोजना

भारतीय खाद्य निगम के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन दल

1310. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** :
श्री के० टी० कोसलराम :
श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के कार्य-निष्पादन के बारे में किसी अध्ययन दल ने देश के प्रमुख खरीद क्षेत्रों तथा उपभोक्ता क्षेत्रों का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रशासनिक सुधार विंग ने भारतीय खाद्य निगम में मार्गस्थ तथा भण्डारण में खाद्यान्नों की हानियों के बारे में एक अध्ययन किया था ताकि ऐसी हानियों को कम करने के लिए सुझाव दिए जा सकें इस सम्बन्ध में एक दल ने कई एक मन्डियों/क्रय केन्द्रों, भण्डारण डिपुओं, रेल-शीर्षों आदि के फील्ड दौरे किए थे ताकि उनसे सम्बन्धित कार्यविधियों और पद्धतियों को समझा जा सके ।

(ख) रिपोर्ट और सिफारिशों में जिन मुद्दों के बारे में चर्चा की गई थी वे मुख्यतया उच्च निरीक्षण प्रणाली, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, राज्य भण्डागारण निगम में हानि, धान की हानि, तौल-कार्य विधि, पटसन के बोरों और पटसन की सुतली की किस्म, स्टाक की प्रत्यक्ष जांच, खाद्यान्नों के संचलन और रेलवे के साथ अन्तरपृष्ठ आदि से सम्बन्धित हैं। इस रिपोर्ट पर सरकार द्वारा उपयुक्त कार्रवाई हेतु विचार किया जाएगा।

गन्ने के न्यूनतम सरकारी मूल्य की अदायगी

1311. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्ना उत्पादकों को वास्तविक भुगतान करने के लिए राज्य-वार गन्ने के क्या नवीनतम मूल्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) गन्ने की सप्लाई के साथ ही उत्पादकों को मूल्यों के तुरन्त भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) गन्ना उत्पादकों की देश में राज्य-वार मिलों की ओर बकाया धनराशि कितनी है तथा बिहार में मिल वार बकाया राशि कितनी है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) केन्द्रीय सरकार गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1969 के अन्तर्गत चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। 1983-84 मौसम के लिए 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी पर 13.50 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया गया है जिसमें अधिक रिकवरी पर आनुपातिक प्रीमियम देने की भी व्यवस्था है। तथापि, कुछेक राज्यों में फैक्ट्रियां केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए सांविधिक न्यूनतम मूल्य से अधिक मूल्य अदा करती हैं। एक विवरण (I) संलग्न है जिसमें न्यूनतम मूल्यों का रेंज तथा फैक्ट्रियों द्वारा वास्तव में दिए जा रहे मूल्यों का ब्यौरा दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7873/84]**

(ख) गन्ना (नियंत्रण) आदेश के उपबन्धों के अनुसार, फैक्ट्रियों से गन्ना खरीदने की तारीख से 14 दिनों के अन्दर गन्ने की बकाया राशि का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है। यदि इस अवधि के बाद तक भी जो राशि बिना अदा किए रह जाती है, तो उस दशा में 15 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज देना पड़ता है। गन्ने के मूल्य आदि का भुगतान करना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रमुख्यतया राज्य सरकारों की होती है जिनके पास इस प्रकार के भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक फील्ड संगठन और अपेक्षित शक्तियां होती है। राज्य सरकारों को परामर्श देने के अलावा, केन्द्रीय सरकार ने ऐसे पग उठाए हैं जिनका उद्देश्य उद्योग की तरलता में सुधार करना है ताकि वह गन्ने के मूल्य का समय पर भुगतान कर सके। इन पगों में उदार बैंक ऋण सुविधाएं सुलभ करना, बफर स्टाक का सृजन करना, जिसके प्रति 100 प्रतिशत बैंक ऋण

उपलब्ध है, सूझ-बूझ के साथ निर्मुक्तियां विनियमित कर मुक्त बिक्री की चीनी के मूल्यों पर निगरानी रखना, उत्पादन शुल्क में छूट देना आदि शामिल हैं।

(ग) विवरण II और III संलग्न हैं जिनमें 1983-84 के लिए तथा अतीत के मौसमों की 31.1.84 तक गन्ने के मूल्य की बकाया राशि की राज्यवार स्थिति और बिहार में बकाया राशि की मिलवार स्थिति का ब्यौरा दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7873/84]

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में गोदाम का निर्माण न करना

1312. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1976-77 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 77,500 टन क्षमता वाले एक रक्षित भण्डार के गोदाम का निर्माण करने के लिए विश्व बैंक ने सहायता देने की पेशकश की थी; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1976-77 से अब तक उपर्युक्त गोदाम के निर्माण कार्य को प्रारम्भ न करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) विश्व बैंक की सहायता प्राप्त खाद्यान्न भण्डारण परियोजना के अधीन बस्ती में 77,500 मीटरी टन की भण्डारण क्षमता का निर्माण करने का प्रस्ताव था। तथापि, जिस भूमि का चुनाव किया गया था, उसे अर्जित नहीं किया जा सका था क्योंकि भूमि के मालिकों द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका पर न्यायालय ने रोक आदेश दे दिया था। वैकल्पिक स्थान प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास अभी तक सफल नहीं हुए हैं। इसके फलस्वरूप, विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजना के अन्तर्गत इस स्थान पर भण्डारण क्षमता का निर्माण करना सम्भव नहीं हुआ है।

खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि

1313. **श्री रातलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलहन विकास परियोजना को 20-सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया है और यदि हां, तो वर्ष 1980-84 में तिलहन के उत्पादन में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि अतीत की तुलना में तिलहन का उत्पादन बढ़ा है तो इसके मूल्यों में 1980 के मूल्यों की तुलना में इस समय तीन गुना वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार खाद्य तेलों का मूल्य निर्धारित करने के पक्ष में है, यदि हां, तो अन्तिम

रूप से इसकी घोषणा कब तक की जाएगी और उपभोक्ताओं को जमाखोरों के शोषण से बचाया जाएगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) नये 20-सूत्री कार्यक्रम के तहत तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने को उच्च प्राथमिकता दी गयी है । 1980-84 के दौरान तिलहनों का उत्पादन इस प्रकार था :—

वर्ष	उत्पादन (लाख मीटरी टनों में)
1979-80	87.4
1980-81	93.7
1981-82	121.9
1982-83	105.5
1983-84	125.0 (अनन्तिम)

(ख) 31-10-1983 को समाप्त तेल वर्ष 1982-83 कठिनतम वर्षों में से एक रहा है । जिन राज्यों में मूंगफली की पैदावार होती है, उनमें व्यापक सूखे के कारण तथा बाद में गुजरात में आई बाढ़ के कारण, जिससे 480 लाख हैक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ था, मूंगफली के उत्पादन में भारी गिरावट आई। मूंगफली के उत्पादन में आई इस गिरावट के परिणामस्वरूप न केवल देशी तेलों की उपलभ्यता में कमी आई बल्कि उनके मूल्य भी बढ़ गए ।

(ग) सरकार देशी खाद्य तेलों के अन्तिम खुदरा मूल्य नियत करने के पक्ष में नहीं है । आयातित तेल, जो देश भर में उचित दर की दुकानों पर घरेलू उपभोक्ताओं उपलब्ध है, पहले से ही राज्य सरकारों द्वारा नियत मूल्यों पर उपभोक्ताओं को जारी किए जा रहे हैं । इसके अलावा, वनस्पति, जो कि पूरे देश में आसानी से उपलब्ध है, के मूल्यों पर स्वैच्छिक मूल्य नियन्त्रण है ।

उपभोक्ताओं को, बेईमानी व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, बाट तथा माप, मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977, भण्डारण नियन्त्रण आदेशों तथा मूल्य और भण्डार प्रदर्शन आदेशों के उपबन्धों को लागू किया जा रहा है ।

सिंचित और असिंचित क्षेत्र

1314. **श्री छांगुर राम** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितना सिंचित क्षेत्र है और असिंचित क्षेत्र कितना है;

(ख) इसमें से कुल कितना सिंचित और असिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है;

(ग) क्या कृषि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया गया है; और

(घ) राष्ट्रीय आय का कुल कितना भाग सिंचाई पर खर्च किया जा रहा है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) अद्यतन भूमि उपयोग आंकड़े 1978-79 के अनुसार, स्थिति इस प्रकार है :—

(मिलियन हैक्टेयर में)

	कुल बुआई क्षेत्र	कुल सिंचित क्षेत्र	असिंचित क्षेत्र	बुआई क्षेत्र के प्रति कुल सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता
भारत	142.94	37.96	104.98	26.6
उत्तर प्रदेश	17.48	8.89	8.59	50.9

(ग) जी, हां ।

(घ) छठी योजना के कुल 97,500 करोड़ रुपए के परिव्यय में से, बृहद, मध्यम, लघु तथा कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम सहित सिंचाई सेक्टर के लिए 11078 करोड़ रुपए के परिव्यय की परिकल्पना की गई है। यह कुल योजना परिव्यय के 11 प्रतिशत से अधिक है ।

नालंदा में कृषि-उद्योगों का विकास

1315. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि-उद्योगों की स्थापना और विकास के लिए बिहार राज्य के नालन्दा जिले का चुनाव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) कृषि उद्योगों की स्थापना करने के लिए भारत सरकार की किसी योजना के तहत विशेष रूप से नालन्दा जिले को नहीं चुना गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हुडको द्वारा सम्पत्ति बन्धक ऋणों पर वसूल किया जा रहा ब्याज

1316. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 8.5 प्रतिशत से अधिक ब्याज वाले ऋणों के मामले में हुडको हमेशा सम्पत्ति बन्धक करने अथवा बैंक गारंटी के लिए आग्रह करता है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार बैंकों ने हाऊसिंग एजेन्सियों को आवश्यक गारन्टी उपलब्ध करना हाल ही में बन्द कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो विशेषत: इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सभी मामलों में हाऊसिंग एजेन्सियां पर्याप्त सम्पत्तियों को बन्धक करने की स्थिति में नहीं हो सकतीं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवास कार्यक्रमों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, उठाए गए कदमों का यदि कोई है, ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) 8 जनवरी, 1983 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को हुडको, राज्य आवास बोर्डों तथा ऐसे ही निकायों के पक्ष में सिवाय ऐसे मामलों के जहां अल्पावधि के लिए मात्र उनकी अन्तरिम प्रतिभूति की अपेक्षा हो जो अन्ततः अचल सम्पत्तियों के रहन द्वारा बदली जानी हो, बैंक गारन्टी न देने का अनुदेश दिया था ।

2 फरवरी, 1984 को भारतीय रिजर्व बैंक ने हुडको तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लाभार्थ आवास कार्यक्रमों में लगे अन्य राज्य स्तर के संस्थानों से प्राप्त अभ्यावेदन की दृष्टि से बैंकों को हुडको के पक्ष में इसके राज्य स्तर के संस्थानों को ऋणों के बारे में कुछ शर्तों के अधीन गारन्टी इस बात के अधीन जारी करने की अनुमति दी है कि गारंटी की अवधि हुडको द्वारा स्वीकृत ऋणों की अदायगी की अवधि के साथ ही समाप्त हो जाएगी जो 20 वर्ष से अधिक न होगी ।

विशेषज्ञ दल द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार खाद्य भण्डार का बनाया जाना

1317. **श्री पी० के० कोडियन** :

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य सचिव की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक समिति द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दो वर्षों की आवश्यकता के लिए देश में एक खाद्यान्न रक्षित भण्डार स्थापित किया जाना चाहिए;

(ख) क्या सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया था;

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार एक रक्षित भण्डार स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इस समय रक्षित भण्डार में खाद्यान्नों की कुल कितनी मात्रा है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) सरकार द्वारा वर्ष 1981 में नियुक्त किए गए तकनीकी ग्रुप द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने यह निर्णय किया है कि वर्ष की विभिन्न अवधियों में 1165 से 4 लाख मीटरी टन के रेंज के बीच के परिचालन स्टाक के अलावा बफर स्टाक 100 लाख मीटरी टन के स्तर पर बनाए रखा जाना चाहिए ।

(ग) इस स्टाक को बनाने के लिए जो पग उठाए जा रहे हैं उनमें खाद्यान्नों की वसूली में तेजी लाना, यथावश्यक और यथाव्यवहार्य विदेशों से गेहूं और चावल का आयात करना और उपयुक्त स्टाक प्रबंध नीति शामिल हैं ।

(घ) सरकारी एजेन्सियों के पास पहली फरवरी, 1984 को कुल लगभग 154 लाख मीटरी टन खाद्यन्नों का स्टाक था ।

महानगरों में गगनचुम्बी भवनों का निर्माण

1318. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महानगरों में गगनचुम्बी भवनों के निर्माण की अनुमति देते समय उसके लाभ और हानियों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऊंचे भवनों के निर्माण में किस प्रकार की नीति अपनाने का विचार है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) नगर विकास राज्य का विषय है । महानगरीय शहरों या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों में गगनचुम्बी भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई नीति निर्धारित नहीं की गई है ।

मत्स्य उद्योग संबंधी विश्वविद्यालय

1319. **श्री पी० के० कोडियन** :

श्री ए० के० बालन :

श्री जी० एम० बनातवाला : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवीं योजना अवधि के दौरान मत्स्य-उद्योग संबंधी एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल सरकार ने इसे केरल में स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । फिर भी छठी योजना के दौरान भा० कृ० अ० प० ने बम्बई में स्थित केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान को सुदृढ़ बनाने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं । मात्स्यिकी में अध्यापन, अनुसंधान और विस्तार कार्यक्रमों में सहायता के लिए अवस्थापन सुविधाएं बढ़ाने के लिए भा० कृ० अ० प० प्रणाली में मात्स्यिकी शिक्षा का यह मुख्य संस्थान है । आखिरकार, इस संस्थान को मात्स्यिकी विश्वविद्यालय के रूप में (डीम्ड विश्वविद्यालय) विकसित होना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर विशेष विषयों में स्नातकोत्तर और डाक्टरेट की उपाधि से सम्बन्धित कार्यक्रमों से सम्बद्ध होना चाहिए तथा भा० कृ० अ० प० के अन्य मात्स्यिकी संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं को भी उपयोग में लाना चाहिए ।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) उपरोक्त "क" में जैसा उल्लेख किया गया है, मंत्री (कृषि) ने केरल के मुख्य मंत्री को सूचित कर दिया है कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है/कार्यवाही की जानी है ।

यूकिलिप्टस के सबन्ध में राष्ट्रीय गोष्ठी

1320. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूकिलिप्टस के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय गोष्ठी हाल ही में त्रिचूर (केरल) के नजदीक पीची में आयोजित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो यूकिलिप्टस के पेड़ लगाने के सम्बन्ध में गोष्ठी में क्या मुख्य सिफारिशों की गई थीं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) गोष्ठी में की गई सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

विवरण

यूकिलिप्टस के संबंध में केरल वन अनुसंधान संस्थान, पीची (केरल) में राष्ट्रीय गोष्ठी हुई, जिसमें भारत में यूकिलिप्टस के पेड़ लगाने के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया, उसमें निम्नलिखित सिफारिशें की गई :—

1. परिस्थिति की प्रणाली को बनाए रखने की महत्ता को मानते हुए यूकिलिप्टस पेड़ों को, परिस्थितिकी के प्रति संवेदनशील वन क्षेत्रों में नहीं लगाना चाहिए और देशी प्रजातियों से इस प्रकार के क्षेत्रों को फिर से हरा-भरा करने के लिए सभी भरसक प्रयास किए जाने चाहिएं ।

2. जलावन की लकड़ी वाले तथा छोटे आकार की इमारती लकड़ी के लिए लोगों/ग्रामीण जल समूहों की बढ़ती मांग तथा दैनिक आवश्यकताओं का अनुभव करते हुए उपयुक्त क्षेत्रों में यूकिलिप्टस के पेड़ लगाना जारी रखा जाना चाहिए ताकि मांग तथा सप्लाई के अन्तर को यथासंभव पाटा जा सके।

3. घर बनाने तथा अन्य प्रयोजनों के लिए यूकिलिप्टस के बहुउद्देशीय उपयोग को देखते हुए, इमारती लकड़ी की व्यवस्था करने के लिए रोपणों में यूकिलिप्टस के सीमान्त वृक्षों को बड़े आकार में उगाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

4. काष्ठ की गुणवत्ता, जैविक सामग्री, पोषक तल के स्तरों, विभिन्न मृदीय तथा जलवायु संबंधी परिस्थितियों के तहत, सतही जल अपवाह, भूमिगत जल तथा जल संरक्षण तथा उर्वरक और कृमिनाशी औषधियों के प्रयोग पर यूकिलिप्टस की विभिन्न प्रजातियों के प्रभाव के संबंध में आगे अध्ययन करना आवश्यक है, अतः इन पहलुओं पर अनुसंधान को तीव्र किया जाना चाहिए।

5. विभिन्न कृषि-जलवायु के क्षेत्रों के लिए अनुकूल यूकिलिप्टिस की उपयुक्त आनुवंशिक प्रजातियों का विकास करने की दृष्टि से प्राथमिक आधार पर आनुवंशिक अनुसंधान को तीव्र किया जाना चाहिए।

6. चूंकि छोटी इमारती लकड़ी, जलावन की लकड़ी तथा लुगदी की लकड़ी के रूप में उपयोग की जाने वाली लघु चक्र फसल के रूप में यूकिलिप्टस के वृक्ष लगाए जा रहे हैं तथा इनका प्रबंध गुल्मवन प्रणाली के तहत किया जा रहा है। अतः गुल्मवनकरण की शक्ति की सीमा तथा गुल्मवन के चक्रों की संख्या और उपज के बारे में विस्तृत अन्वेषण किए जाने चाहिएं।

7. चूंकि यूकिलिप्टस के वृक्ष, किसानों द्वारा खेतों की सीमाओं पर और कभी-कभी गन्ना, गेहूं तथा अन्य विभिन्न कृषि फसलों के साथ बीच की फसल के रूप में बड़े पैमाने पर लगाए जा रहे हैं, अतः विभिन्न कृषि फसलों के साथ यूकिलिप्टसों की पारस्परिक क्रिया पर विस्तृत अनुसंधान किए जाने चाहिएं।

8. भविष्य में, आदिवासी क्षेत्रों में यूकिलिप्टस का वृक्षारोपण करने से पहले आदिवासी जनसंख्या के कल्याण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन सावधानी से शुरू किया जाना चाहिए।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ की गई योजनाएं

1321. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के पूर्वी चम्पारन जिले में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी योजनाएं आरम्भ की गई हैं और प्रत्येक योजना में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि इन योजनाओं में भारी अनियमितताएं और अपव्यय हुआ है;

(ग) प्रत्येक योजना पर कितना व्यय किया गया है, इसमें कितने लोगों को लाभ हुआ और इन योजनाओं के परिणामस्वरूप कितने लोगों को रोजगार दिया गया; और

(घ) इन योजनाओं को पूरा करने के लिए कितने ठेकेदार नियुक्त किए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से सक्षम कोई भी परियोजना शुरू की जा सकती है, जो उस इलाके के लिए उपयुक्त हो। पूर्वी चम्पारण में जो परियोजनाएं शुरू की गई हैं, वे मुख्य रूप से कृषि, सिंचाई, पशु-पालन, सेवा और ग्रामोद्योग के क्षेत्रों से संबंधित हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन, राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को निधियां निर्धारित मानदंड के आधार पर हर जिले को वितरित किए जाने हेतु प्रदान की जाती हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तैयार की गई शैल्फ आफ प्रोजेक्टस में से जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा अनुमोदित कार्य उपलब्ध निधियों से शुरू किए जाते हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन किए गए कार्यों तथा कितने लोगों को लाभ हुआ अथवा कितने लोगों को रोजगार दिया गया, इसकी जिलावार सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। वर्ष 1982-83 से लेकर 1983-84 तक (नवम्बर, 1983 तक) पूर्वी चम्पारण में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन शामिल किए गए लाभभोगियों की संख्या तथा उन पर हुए व्यय का एक विवरण संलग्न है।

बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की कमियों के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं जिन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बारे में ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धांतों में विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया है कि इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्माण-कार्यों को करवाने के लिए कोई ठेकेदार या बिचौलिया नहीं लगाया जाए। वैसे, कुछ शिकायतें मिली हैं कि ठेकेदार इस पद्धति में मुखिया (मेट) आदि के रूप में धीरे-धीरे घुस रहे हैं। बिहार सरकार से कहा गया है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए कि इस कार्यक्रम के अधीन निर्माण-कार्यों के निष्पादन हेतु किसी ठेकेदार को अनुमति नहीं दी जाए और यह भी कि इस कार्यक्रम के पूरे लाभ ग्रामीण गरीबों को मिलें जिनके लिए ये कार्यक्रम बनाए गए हैं।

विवरण

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्वी चम्पारन (बिहार) में किए गए व्यय तथा लाभान्वित परिवारों को दर्शाने वाला विवरण

	1982-83	1983-84 (नवम्बर, 1983 तक)
किया गया व्यय (लाख रुपए)	17.00	53.45
लाभान्वित परिवार	15,328	5537

बिहार में मोतिहारी का विकास

1322. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के मुख्यालय मोतिहारी के विकास की कोई योजना अब तक सरकार ने स्वीकृत नहीं की है जबकि बिहार के कई नगरों के विकास के सम्बंध में सरकारी घोषणा कर दी गई है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मोतिहारी के चारों ओर ऐसी प्राकृतिक स्थिति है कि इस नगर के बीच में स्थित मोतीझील के कारण इसे बिहार के दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है और नेपाल जाने वाले पर्यटकों के लिए ठहरने का स्थान बन सकता है; और

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों का एकीकृत विकास करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के तहत बिहार को 15 नगर नियत किए गए थे। राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिशों पर अब तक सभी 15 कस्बों को लाभान्वित किया गया है। मोतिहारी नगर अनुमोदित नगरों की सूची में नहीं है।

(ख) तथा (ग) राज्य सरकार ने बताया है कि यह सच है कि इस नगर के चारों ओर प्राकृतिक सौन्दर्य है और इस नगर के बीच में बड़ी मोती झील है। यदि इसका उचित विकास किया गया तो यह नगर पर्यटक स्थल बन गया है। बिहार सरकार से मालूम हुआ है कि यह योजना पहले ही राज्य सरकार के विचाराधीन है।

आस्ट्रेलिया से कीटनाशी दवाओं से युक्त गेहूं का आयात

1323. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 दिसम्बर, 1983 के "इकोनोमिक टाइम्स" नई दिल्ली में "रिलीज आफ आस्ट्रेलियन व्हीट हेल्ड अप" (आस्ट्रेलियाई गेहूं की निकासी को रोका जाना) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है जिसमें आस्ट्रेलिया से अत्यधिक कीटनाशी दवाओं से युक्त गेहूं के आयात का उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह गेहूं मानव उपयोग के योग्य है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके आयात के क्या कारण हैं और इस सौदे में सरकार को कितनी हानि हुई है; और

(घ) इस प्रकार के सौदे की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) जी हां। 1981-83 के दौरान अच्छी किस्म का कुल 7.61 लाख मीटरी टन आस्ट्रेलियन गेहूं प्राप्त हुआ था। इस गेहूं का फेनीट्रोथियन से उपचार किया गया था। यह एक कीटनाशक दवाई है जिसका विभिन्न देशों में अनाज संरक्षी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह कीटनाशक अवशेष यद्यपि खाद्य कृषि संगठन/विश्व स्वास्थ्य संगठन की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के अन्दर है, लेकिन वह हमारे देश में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बनाए गए नियमों में विहित अनुमेय सीमाओं से अधिक है। खरीदी गई गेहूं की किस्म ठेकाबद्ध विनिर्दिष्टियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप थी और यह बफर स्टाक के प्रयोजन के लिए थी और उस दशा में भी सामान्य भण्डारण के लिए संरक्षी दवाइयों का इस्तेमाल करना आवश्यक होता है। समय व्यतीत होने पर भण्डारण में इस कीटनाशक अवशेष का प्रभाव समाप्त हो जाता है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे और सीमान्त किसानों को दी गई आर्थिक सहायता

1324. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 2 अक्तूबर, 1983 से अब तक छोटे काश्तकारों, सीमान्त किसानों, आदिवासियों और अन्य लाभ प्राप्त-कर्ताओं को आर्थिक राज सहायता के रूप में राज्य वार और संघ शासी क्षेत्र वार अलग-अलग कुल कितनी धनराशि दी गई;

(ख) क्या सरकार ने गरीबी की रेखा से ऊपर उठाए गए व्यक्तियों की राज्य वार संख्या का पता करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) सूचना सम्भवतः

2-10-1980, जब से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को देश के सभी खण्डों में लागू किया गया था, के बाद की अवधि के बारे में मांगी गई है। विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयोग में लाई गई धनराशि जिसका अधिकांश भाग 1-4-1980 से लेकर 31-12-1983 तक आर्थिक सहायता के रूप में है, को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। विभिन्न श्रेणियों के लाभभोगियों के लिए अलग-अलग धनराशि उपलब्ध कराई गई।

(ख) कुछेक राज्य सरकारों द्वारा कुछ अध्ययन किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम का मूल्यांकन कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने आरम्भ किया है।

विवरण

1-4-1980 से लेकर 31-12-1983 तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया व्यय

लाख रुपए (अनन्तिम)

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	कुल व्यय
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	8496.64
2.	असम	1514.14
3.	बिहार	9219.38
4.	गुजरात	4379.31
5.	हरियाणा	2180.53
6.	हिमाचल प्रदेश	1386.49
7.	जम्मू और कश्मीर	723.60
8.	कर्नाटक	4459.87
9.	केरल	2821.02
10.	मध्य प्रदेश	9001.29
11.	महाराष्ट्र	6139.57
12.	मणिपुर	250.25
13.	मेघालय	152.99

1	2	3
14.	नागालैण्ड	359.11
15.	उड़ीसा	5645.37
16.	पंजाब	3298.87
17.	राजस्थान	6119.96
18.	सिक्किम	51.53
19.	तमिलनाडु	9722.11
20.	त्रिपुरा	400.19
21.	उत्तर प्रदेश	17841.23
22.	पश्चिम बंगाल	1558.24
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.46
24.	अरुणाचल प्रदेश	435.28
25.	चण्डीगढ़	2.17
26.	दादरा और नगर हवेली	4.40
27.	दिल्ली	133.15
28.	गोवा, दमन और दीव	274.51
29.	लक्ष्यद्वीप	18.12
30.	मिजोरम	178.79
31.	पांडिचेरी	66.89
	अखिल भारत	97626.71

कृषि में सुधार के बारे में कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रभाव

1325. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि के क्षेत्र में समाज सुधार लाने में पृथक-पृथक कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित संस्थानों के प्रभाव का समय-समय पर मूल्यांकन किया

जाता है यदि हां, तो किस तरह और कब-कब और यदि नहीं, तो किन कारणों से ऐसा नहीं किया गया है;

(ख) अनुसंधान परियोजनाओं की उपयोगिता की अनेक अंशदान के रूप में मूल्यांकन करने के लिए क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जाती है;

(ग) क्या 'प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम' अनुसंधानों को खेतों तक पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इसके प्रभाव का राज्य स्तर पर मूल्यांकन किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इनके प्रसार के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के कार्य का मूल्यांकन पंचवर्षीय समीक्षा दल द्वारा प्रत्येक पांच वर्षों के बाद व्यापक रूप से किया जाता है। इस समीक्षा दल में सम्बन्धित विषयों के बड़े विशेषज्ञ होते हैं। पंचवर्षीय समीक्षा दल की रिपोर्ट की परिषद के मुख्यालय में विस्तृत रूप से जांच की जाती है और प्रत्येक सिफारिश पर विचार करने तथा प्रस्तावित कार्यवाई के अनुमोदन के लिए उसे शासी निकाय और भा०कृ०अ०प० के प्रेसीडेंट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद, ये सिफारिशें प्रत्येक संस्थान के योजना कार्यक्रम के विकास के लिए आधार तैयार करती हैं।

दूसरी तरफ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले कृषि विश्वविद्यालयों में चलाई जाने वाली विशिष्ट अनुसंधान प्रयोजनाओं का भा०कृ०अ०प० द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। यह मूल्यांकन विभिन्न विश्वविद्यालयों में चलाई जाने वाली प्रत्येक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के लिए गठित मध्य-अवधि समीक्षा दल द्वारा तथा विशेष रूप से दौरा करने वाले दलों द्वारा किया जाता है। ये दल यू० जी० तथा पी० जी० कार्यक्रमों के लिए शिक्षण सुविधाओं के विकास के लिए दी गई सहायता के उपयोग के मूल्यांकन हेतु दौरा करते हैं। केन्द्रीय एजेन्सी द्वारा सम्पूर्ण विश्वविद्यालय के मूल्यांकन हेतु कोई विद्यमान पद्धति नहीं है क्योंकि ये विश्वविद्यालय राज्य सरकार के अपने निजी प्रशासकीय नियन्त्रण में होते हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों तथा अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रयोजनाओं द्वारा प्राप्त की गई महत्वपूर्ण अनुसंधान उपलब्धियों को बाद में भा०कृ०अ०प० के विस्तार कार्यक्रमों तथा विश्वविद्यालयों के पास पहुंचा दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उन्हें कृषकों में और आगे प्रसार के लिए विकास एजेन्सियों को हस्तान्तिरित करने से पहले कृषकों के खेतों में चयन के आधार पर उनकी जांच की जा सके। जिन प्रयोजनाओं से निश्चित परिणाम प्राप्त नहीं होते उन्हें वार्षिक/द्विवार्षिक वर्कशापों में, जो भा०कृ०अ०प० की

प्रत्येक समन्वित प्रयोजना के लिए आयोजित किए जाते हैं, नियमित रूप से समाप्त कर दिया जाता है ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) जी हां, श्रीमान् । प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन परिषद के मुख्यालय के प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण केन्द्रों, क्षेत्रीय समन्वयक यूनिटों और विस्तार शिक्षा प्रभाग तथा क्षेत्र के दौरे एवं वर्कशाप को आयोजित करके अर्द्धवार्षिक आधार पर किया जाता है । परिषद ने इस कार्यक्रम के प्रभाव का गहराई से मूल्यांकन करने के लिए एक मूल्यांकन समिति का गठन किया है । इस उद्देश्य के लिए यह समिति विभिन्न राज्यों के विभिन्न स्थानों का दौरा कर रही है ।

(ङ) सातवीं योजना में एवं मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम के आकार और क्षमता में वृद्धि की जा रही है । किसी भी क्षेत्र में, जहां इसका प्रभाव पूरा नहीं पाया जाएगा, वहां इसे और अधिक कारगर बनाने के लिए इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में उपयुक्त रूप से सुधार लाया जाएगा ।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड और इंडियन डेरी निगम द्वारा पशु-सम्पदा की आनुवंशिकी में सुधार हेतु किया गया कार्य

1326. **श्री नवीन रावणी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पशु सम्पदा की आनुवंशिकी में सुधार के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड और इंडियन डेरी कारपोरेशन द्वारा किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान दूध का उत्पादन बढ़ाने में और गाय तथा भैंसों सहित दूध देने वाले राष्ट्रीय पशुओं के नसल सुधार में इसे कहां तक सहायता मिली है; और

(ग) पशुओं के लिए चारे की समस्या को दूर करने के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) आपरेशन फलड के अन्तर्गत, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड/भारतीय डेरी निगम ने सांड मदर फार्मों, वीर्य उत्पादन केन्द्रों और वीर्य बैंकों की स्थापना की है "फील्ड" कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने वाली विभिन्न एजेन्सियों को समय-समय पर सांड "मदर" फार्मों में पैदा किए गए सांड/सांड बछड़े सुलभ कराए गए हैं ।

(ख) केवल उपरोक्त उपायों से दुग्ध उत्पादन में हुई वृद्धि के बारे में ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, अनुमान है कि देश में दुग्ध उत्पादन 1977-78 के 283.6 लाख मीटरी टन से बढ़कर 1982-83 में 347.4 लाख मीटरी टन (प्रत्याशित उपलब्धि) हो गया है । राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड/भारतीय डेरी निगम द्वारा आपरेशन फलड के तहत पशु सम्पत्ति में आनुवांशिक सुधार लाने के लिए किए गए उपाय भी अन्य घटकों के साथ दुग्ध उत्पादन में होने वाली वृद्धि में सहायक हुए हैं ।

(ग) भारतीय डेरी निगम ने राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की सहायता से ग्रामीण सहकारी डेरियों के किसान-सदस्यों को मिनीकिटों की सप्लाई की व्यवस्था की है। इन मिनीकिटों में बीजों और उर्वरकों के सम्पुट और अपनाई जाने वाली कृषि प्रणालियों के बारे में पत्रक होते हैं। विस्तार सेवाओं द्वारा इसे प्रोत्साहित किया जाता है और अग्रणी दल के सदस्यों द्वारा इस पर अमल किया जाता है। यह कार्यक्रम चारे की खेती को लोकप्रिय बनाने और चारे की उन्नत किस्तों को शुरू करने में कारगर सिद्ध हुआ है आपरेशन फलड कार्यक्रम के अन्तर्गत इन कार्यकलाप को विस्तृत करने का प्रावधान है।

तिलहनों और दालों का उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी गोष्ठी

1327. **श्री नवीन रावणी** :

श्री मोहन लाल पटेल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलहनों और खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए हाल ही में नई दिल्ली में एक गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) देश में तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए इस गोष्ठी में क्या सुझाव दिए गए;

(ग) क्या सरकार देश में राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने में यह कहां तक लाभप्रद होगी ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां।

(ख) देश में तिलहन उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इस गोष्ठी में की गई मोटी सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(1) आदानों की सप्लाई और सिंचाई के जल में वृद्धि करना, तिलहन की फसल विशेषकर रबी/ग्रीष्म की मूंगफली की फसल के लिए अधिक जल उपलब्ध कराना, सक्षम जल प्रबन्ध तथा छिड़काव सिंचाई;

(2) मृदा परीक्षणों पर आधारित उर्वरकों को लोकप्रिय बनाना, फास्फेटयुक्त उर्वरकों का उपयोग तथा सोयाबीन और मूंगफली में रायजोबियम खेती तथा जैव-उर्वरकों के उत्पादन की वृद्धि करना;

(3) बीज उत्पादन कार्यक्रम को सुदृढ़ करना तथा प्रमाणित तथा सही रूप से लेबल लगे बीजों के लिए उपयुक्त राजसहायता; तथा वनस्पति रक्षण उपायों की व्यवस्था करना;

(4) मध्यकालीन ऋण सुविधाओं में वृद्धि करना, विशेष रूप से गैर-सिंचित क्षेत्रों के लिए अधिक उपज देने वाली किस्मों के विकास तथा ऊत्तक कल्चर के लिए अनुसंधान प्रयासों को तीव्र करना;

(5) तिलहन के उत्पादन के लिए प्रशिक्षण तथा दौरे की पद्धति के प्रयासों को तीव्र करना;

(6) राजस्थान और मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती का विस्तार करना;

(7) तिलहन के उत्पादकों के लिए समर्थन मूल्य को अधिक प्रोत्साहक बनाना;

(8) समवर्ती और आवधिक मूल्यांकन करना;

(9) तिलहन जैसे काफी जोखिम वाली फसलों के लिए बीमे की व्यवस्था उपलब्ध कराना।

(ग) जी हां।

(घ) राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना का कार्यान्वयन वर्ष 1984-85 में किए जाने का विचार है। वर्ष 1983-84 के दौरान 125 लाख मीटरी टन तिलहनों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, उसमें 1984-85 में 14.45 लाख मीटरी टन की और वृद्धि करने का विचार है।

शहरों में ऊंची इमारतों के निर्माण पर प्रतिबन्ध

1328. **श्री के० मालन्ना** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें महानगरों में ऊंची इमारतों का निर्माण करने की प्रवृत्ति के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार नगरों में वाणिज्यिक तथा आवासीय प्रयोजनों के लिए ऊंची इमारतों के निर्माण की वर्तमान स्थिति से सन्तुष्ट है अथवा इनके निर्माण पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने का उसका विचार है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) नगर विकास राज्य का विषय है। भवन नक्शों की स्वीकृति भू-उपयोग विनियमों, भवन उप-विधियों, बृहद योजना विनियमों तथा सम्बद्ध कानूनी प्रावधानों के अनुसार स्थानीय निकायों आदि द्वारा दी जाती है। शहरों में वाणिज्यिक तथा रिहायशी प्रयोजनों के लिए ऊंचे भवन निर्माणों के पक्ष में प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के समक्ष नहीं है।

अनुसंधान और विकास एककों द्वारा विकसित दालों के बीजों की नई किस्में

1329. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीजों की नई किस्मों के विकास की सफलताओं के अनेक दावों के बावजूद अनेक वर्षों से दालों के उत्पादन में गत्यावरोध रहा है (विजनैस स्टेन्डर्ड 13 जनवरी, 1984);

(ख) क्या सरकार के पास पिछले दस वर्षों के दौरान कृषि विश्वविद्यालयों सहित केन्द्रीय अनुसंधान और विकास एककों द्वारा विकसित किए गए, पता किए गए/जारी किए गए दाल के बीजों की नई किस्मों का ब्यौरा है और यदि हां, तो वह क्या है तथा इस क्षेत्र में प्रति हैक्टेयर कितनी पैदावार का दावा किया गया और प्रत्येक किस्म के बीजों की खेती कितने एकड़ भूमि में की गई; और

(ग) देश में विकसित की गई सभी नई किस्मों का दालों के समग्र उत्पादन पर क्या प्रभाव रहा है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) निम्नलिखित आंकड़े प्रमाण हैं कि पिछले तीन दशकों के दौरान दालों का उत्पादन बिल्कुल स्थिर नहीं रहा है।

	1950-51	1965-66	1980-81	1981-82	1982-83
क्षेत्र (मिलियन हैक्टेयर)	19.3	22.71	22.45	23.84	22.38
उत्पादन (मिलियन टन)	8.41	9.94	10.62	11.50	11.56
उपज (क०/है०)	441	438	473	482	516

(ख) पिछले एक दशक के दौरान या उसके आस-पास विभिन्न दालों की कई किस्में विकसित की गई हैं। इनमें से प्रमुख किस्मों का नाम नीचे दिया जा रहा है :—

फसल	किस्मों के नाम
1	2
चना	जी-130, जी-235, के-208, एच-235, के-468, बी जी 209, पन्त जी-114, पूसा-212, जे जी-62 अन्नेगेरी, छफ्फा, आर एस-10, काबुली एल-550
उड़द	टी-9, टी-27, माश-28, खरगांव-3, पन्त यू-19, पन्त यू-30
लोबिया	पूसा फाल्गुनी, पूसा-दोफसली, एफ एस-63, सी-152
मूंग	टी-44, पूसा बैसाखी, पी एस-16, एस-8, एस-9, पी एस-7, पी एस-10, वर्षा, जी-65
मसूर	एल-9-12, टी-36, पन्त एल-639, पन्त-209, पन्त एल-406

1	2
मटर	टी-163, हंस, एल-116, ई सी-33866, रचना
अरहर	प्रभात, यू पी ए एस-120, पन्त ए-3, पन्त ए-1, मुक्ता, टी-21 पूसा अगेती, शारदा, पूसा-74
खेसरी	पूसा-24

उन्नत किस्मों में बेहतर उत्पादन क्षमता काफी हद तक प्रमुख कीटों के प्रति प्रतिरोधिता और अन्य वांछनीय गुण पाए जाते हैं। हाल की विकसित की गई चना और अरहर की किस्मों ने कृषकों के खेतों में 20-25 क्विं० प्रति हैक्टर पैदावार दी है। इसी तरह मूंग, उड़द, लोबिया आदि की उन्नत किस्में भी उपलब्ध हैं जिनसे कृषकों के खेतों में 10-15 क्विं०/हैक्टेयर पैदावार प्राप्त हुई है। प्रत्येक किस्म की खेती कितने एकड़ में की जाती है इससे सम्बन्धित सूचना देश में उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) दाल उत्पादन में कठिन स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है तथा नगण्य मात्रा में निवेशों के उपयोग से वर्षा पर निर्भर तथा छोड़ी गई भूमियों में दालों की खेती करना एक समस्या होने के कारण इस क्षेत्र में अधिक प्रगति नहीं की जा सकी है। प्रति हैक्टेयर राष्ट्रीय औसत उत्पादकता की तुलना में अच्छी व्यवस्था के अन्तर्गत कृषकों के खेतों में उन्नत किस्मों ने बेहतर पैदावार दी है। नई किस्मों में अधिक उत्पादन क्षमता है जिनका उपयोग अच्छी प्रबन्ध विधियों के द्वारा किया जा सकता है।

खाद्य के मामलों में असुरक्षा की स्थिति

1330. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य के मामले में भारत असुरक्षा की स्थिति में है जैसा कि खाद्यान्नों, दूध और तिलहनों आदि के भारी आयात से परिलक्षित होता है;

(ख) क्या पर्याप्त मात्रा में भंडारण के स्थान के बिना, जिससे कि भारी मात्रा में भंडारण की हानि होती है, आयात करना राष्ट्रीय हित में है;

(ग) क्या उपहार के रूप में दुग्ध उत्पादों का आयात करना, जिसके कारण हमारी स्वतंत्र राजनीतिक विचारधारा कठिनाई में पड़ जाती है, राष्ट्रीय हित में है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई प्रोद्योगिकी परस्पर संतुलन आधार नहीं रखती जैसा कि डेरी बोर्ड ने बताया है; और

(ङ) क्या सरकार को उन अध्ययनों की जानकारी है जिनसे यह जाहिर होता है कि छोटे और सीमांत किसानों की उत्पादित दूध के प्रत्येक लीटर पर वास्तव में भारी हानि होती है?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं। 1982-83 में देश के कई भागों में सूखे

की स्थिति के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर पड़े भारी दबाव के कारण बफर स्टाक में वृद्धि करने के लिए खाद्यान्नों का सीमांत आयात करना आवश्यक समझा गया था। सप्रेटा दुग्ध पाउडर का वाणिज्यिक आयात 1975-76 से बन्द कर दिया गया था। सरकार की ओर से तिलहनों का कोई आयात नहीं किया जाता।

(ख) वर्तमान स्टाक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के पास पर्याप्त भंडारण क्षमता उपलब्ध है।

(ग) आपरेशन फ्लड 2 परियोजना के क्रियान्वयन के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई०ई०सी०) से अभी सप्रेटा दुग्ध पाउडर और बटर आयल उपहार के रूप में प्राप्त हो रहे हैं।

(घ) डेरी परिसंस्करण पैमाने के प्रति उदासीन नहीं है और इसकी आर्थिक व्यावहार्यता के लिए प्रचालनात्मक आकार के एक न्यूनतम स्तर की आवश्यकता पड़ती है।

(ङ) सरकार को इस तरह के किए जा रहे किसी अध्ययन की जानकारी नहीं है।

बन संरक्षण आयोग की नियुक्ति

1331. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 जनवरी, 1984 के "इलस्ट्रेटिड वीकली" में कानून के लागू करने में शिथिलता के कारण बनों के काटे जाने और व्याप्त अन्य भ्रष्टाचारों के सम्बन्ध में प्रकाशित विश्लेषणात्मक जांच की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गढ़वाल और हिमाचल प्रदेश में हिमालय का अपवाह क्षेत्र परिस्थिति की दृष्टि से एक संवेदनशील क्षेत्र है और यदि हां, तो इन क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार का हमारे बनों की सुरक्षा और उनकी वृद्धि करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त वन संरक्षण आयोग की स्थापना करने का है?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

ऐसे क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं :

(1) केन्द्रीय सरकार के वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का बनाया जाना।

(2) वन संसाधनों के संरक्षण के लिए संरक्षण संबंधी उपायों का बढ़ाया जाना, जिसमें राज्य सरकारों आदि द्वारा बनाए गए उपयुक्त कानून भी शामिल हैं। उदाहरणार्थ

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया "उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 ।"

(3) योजना आयोग द्वारा पहाड़ी राज्यों को केन्द्रीय सहायता के लिए विशेष क्षेत्र माना गया है। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए योजना का कुल परिव्यय पांचवीं पंचवर्षीय योजना के 447 करोड़ रुपए से बढ़कर छठी पंचवर्षीय योजना में 3915 करोड़ रुपए हो गया है।

(4) इस क्षेत्र में वनरोपण तथा मृदा संरक्षण के निम्नलिखित उपाय किए जाना :—

1. नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण।
2. बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबंध।
3. हिमालय के क्षेत्रों में मृदा, जल तथा वृक्ष संरक्षण।
4. भू उपयोग की उन्नत पद्धतियों को अपनाना।
5. उत्तर प्रदेश में हिमालय क्षेत्र की पनधारा प्रबंध परियोजना।
6. सामाजिक वानिकी, जिनमें ग्रामीण जलावन का पौदरोपण किया जाना भी शामिल है।
7. वनों के प्रबंध के लिए मानदण्ड तैयार करना।

(ग) जी, नहीं। इस संबंध में पहले ही निम्नलिखित विकास कार्य कर रहे हैं, जो वन संरक्षण तथा वनरोपण के संबंध में सरकार को सलाह देते हैं :—

1. केन्द्रीय वानिकी बोर्ड
2. केन्द्रीय वानिकी आयोग
3. राष्ट्रीय भू बोर्ड
4. राष्ट्रीय भू संसाधन संरक्षण और विकास आयोग।

ज्वार के डंठल से गुड़ तैयार करना

1332. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निम्बकार कृषि अनुसंधान संस्थान, फालतन, सतारा महाराष्ट्र ने ज्वार के डंठल से गुड़ का उत्पादन करने की विधि विकसित की है और यदि हां तो नई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है (देखिए टाईम्स आफ इंडिया, 25 जनवरी, 1984);

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अथवा अन्य कोई सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थान इस पद्धति पर कार्य करता रहा है और यदि हां, तो उसकी खोज का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का अनुसंधान अधिकांशतः अभौतिक विषयों पर होता है अथवा आयातित बीजों और प्रौद्योगिकी पर आधारित होता है जैसा चावल, गेहूं और फूलगोभी (स्नोवाल) के बीजों के बारे में हैं; और

(घ) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के भंडक निर्णय (हिन्दुस्तान टाइम्स, 17 जनवरी, 1984, के परिप्रेक्ष्य में सरकार उपयुक्त कदम उठाएगी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में लाएगी ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) निंबकर कृषि अनुसंधान संस्थान, फाल्टन ने ज्वार के तने के रस से गुड़ बनाने पर कुछ परीक्षण किए हैं। यह प्रायोजना भा०कृ०अ०प० द्वारा प्रायोजित नहीं है। इस बारे में किए गए कार्य और उसकी प्रगति के बारे में विवरण अभी चूंकि उपलब्ध नहीं हैं इसलिए संस्थान से इसके बारे में जानकारी मांगी गई है यथाशीघ्र इस बारे में बता दिया जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में भी ज्वार के मिठास पर अध्ययन किया गया है। परन्तु परिणामों से पता चला है कि ज्वार से गुड़ बनाना लाभदायक नहीं होगा।

(ग) जी नहीं, श्रीमान। यह वास्तविकता नहीं है। भा०कृ०अ०प० द्वारा विभिन्न फसलों पर अखिल भारतीय समन्वित फसल सुधार परियोजनाओं के माध्यम से अनुसंधान किया जाता है जो बहु-शाखीय उपयोग और बहु-स्थानिक परीक्षण की धारणा पर विचार करती हैं। अनुसंधान देश में विद्यमान कृषि विश्वविद्यालयों और संस्थानों तथा विदेश में अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग द्वारा किए जाते हैं। इन सतत् प्रयासों के बल पर ही देश की विभिन्न कृषि-जलवायवीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त उन्नत किस्में काफी संख्या में देश में ही विकसित की गई हैं। कुछ विदेशी प्रभेद/किस्में भी पर्याप्त मूल्यांकन के बाद भारतीय कृषि के हित के लिए किसानों को उपलब्ध कराई गई हैं। कुछ भारतीय प्रभेद/किस्मों ने अन्य देशों में भी अच्छा प्रदर्शन किया है।

(घ) सरकार को भा०कृ०अ०प० की विभिन्न संस्थाओं के कर्मचारियों द्वारा दायर मामलों पर दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 16-12-83 निर्णय की जानकारी है। यह निर्णय वर्ष 1972-74 के समय में 3-4 व्यक्तियों के मामले से संबंधित है। यह पहले ही निश्चय किया जा चुका है कि कर्मचारियों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय की गई पद्धति पर सहायता दी जाए। भा०कृ०अ०प० की कार्य प्रणाली की कई अवसरों पर जांच की जा चुकी है। एक उच्च स्तरीय समिति नामतः भा०कृ०अ०प० जांच समिति सर्वोच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश, श्री पी० बी० गजेन्द्रगडकर की अध्यक्षता में जून, 1972 में भा०कृ०अ०प० की नियुक्ति नीतियों की जांच करने हेतु गठित की गई थी। इस समिति ने जनवरी, 1973 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी। समिति की रिपोर्ट पर मंत्रिमंडल द्वारा विचार किया गया और फिर मंत्रिमंडल द्वारा गठित एक समिति ने इसके प्रमुख मुद्दों पर विचार किया। इस समिति में प्रधान मंत्री द्वारा मनोनीत मंत्रियों का एक दल था। इस समिति ने जांच समिति की प्रमुख सिफारिशों पर विचार किया तथा बाद में

मंत्रिमंडल ने इनको अनुमोदित किया। इस संबंध में तत्कालीन कृषि मंत्री जी ने लोक सभा/राज्य सभा में दिनांक 12-11-73 जांच समिति की सिफारिशों पर आधारित भा०कृ०अ०प० के पुनर्गठन संबंधी सरकारी निर्णय पर वक्तव्य दिया था। पुन: लोक सभा की आकलन समिति ने अपनी 35वीं रिपोर्ट में (छठी लोक सभा) (1978-79) भा०कृ०अ०प० की कार्यप्रणाली की काफी गहराई से जांच करने के बाद समीक्षा की। इस रिपोर्ट में भा०कृ०अ०प० की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए काफी सिफारिशें की गईं।

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पस्ट होता है कि भा०कृ०अ०प० ने अपनी कार्मिक नीतियों को एक वैज्ञानिक संगठन की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के दृष्टिकोण से पर्याप्त रूप में प्रतिक्रियात्मक बना लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी कुछ टिप्पणियां उस समय से संबद्ध पुराने मामलों के बारे में दी हैं जो भा०कृ०अ०प० की नई कार्मिक नीतियों के प्रारंभ होने से पूर्व के हैं। भा०कृ०अ०प० की समीक्षा की गई नीतियां प्रभावी रूप में कार्य कर रही हैं तथा इस समय भा०कृ०अ०प० को कार्मिक नीतियों की पुन: जांच करने के लिए आगे कदम उठाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों का भरना

1333. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित वर्ग एक से वर्ग चार के रिक्त पदों को भरा जाना है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित इन रिक्त पदों को भरने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं; और

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्त पदों के कब तक भरने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी हां। केवल समूह 'क' की श्रेणी के पदों को छोड़कर।

(ख) मुख्यत: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अपेक्षित अर्हताओं वाले उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण पद रिक्त चले आ रहे हैं। गृह मंत्रालय की हिदायतों के अनुसार, यदि केवल एक रिक्ति आरक्षित बिन्दु पर आते हुए भर्ती वर्ष में होती है, तो उसे अनारक्षित समझा जाता है और आरक्षण को अगले वर्षों में भरे जाने के लिए रख लिया जाता है।

(ग) अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को इन्हीं समुदायों

के उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने के प्रयास किए जाते हैं। इसके लिए निर्धारित आरक्षण रोस्टर रखे जाते हैं और यथा अपेक्षित नियमों के अन्तर्गत बिना भरी रिक्तियों को अगले वर्षों में भरे जाने के लिए रख लिया जाता है। सीधी भर्ती के जरिए रिक्तियों को भरने के लिए आरक्षित रिक्तियों के बारे में स्थिति की सूचना संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग आदि संबंधित भर्ती एजेंसियों को विधिवत दी जाती है। पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए उन सभी अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति के उम्मीदवारों पर विचार किया जाता है, जो इस विषय पर गृह मंत्रालय की हिदायतों के अनुसार विचार किए जाने के क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं।

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को किस निश्चित तिथि तक भरा जा सकता है, उसे बताना कठिन है।

मरुस्थल विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

1334. **श्री राम विलास पासवान** :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्री सतीश अग्रवाल : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मरुस्थल विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद् में सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसे उचित महत्व देने की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78 से क्रियान्वित किया जा रहा है। सितम्बर 1983 तक इस कार्यक्रम पर 70.89 करोड़ रुपये का व्यय हो चुका है। वन-रोपण, रेत के टीले जमाना, सिंचाई, भूमि तथा नमी संरक्षण, बागवानी विकास और पशु-पालन इस कार्यक्रम के मुख्य घटक हैं। इस कार्यक्रम की प्रगति की मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) और (ग) इस कार्यक्रम की सातवीं पंचवर्षीय योजना के निर्माण के सन्दर्भ में जांच की जा रही है।

विवरण

आरम्भ से लेकर सितम्बर, 1983 तक मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अधीन वास्तविक उपलब्धियां

क्षेत्र	कार्य की मुख्य मदें	वास्तविक उपलब्धियां
वनरोपण	1. पौध रोपण (हैक्टेयर)	55623
	2. वायुरोधी पौध-रोपण (किलोमीटर)	30458
	3. रेत के टीले जमाना (हैक्टेयर)	11289
सिंचाई	सृजित संभाव्यता (हैक्टेयर)	5126
कृषि	भूमि तथा नमी संरक्षण के अन्तर्गत लिया गया क्षेत्र (हैक्टेयर)	3644
पशु-पालन	1. स्थापित किए गए नए पशु चिकित्सालय/ केन्द्र (संख्या)	114
	2. स्थापित किए गए नए ऊन विस्तार केन्द्र (संख्या)	30
सृजित रोजगार (000 श्रम दिन)		9468.658

गुजरात में गांवों को पेयजल सुविधाएं देने का लक्ष्य

1335. **श्री छोतू भाई गामित** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में वर्ष 1982-83 के दौरान गांवों को पेयजल सुविधाएं देने के लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य में वर्ष 1983-84 के दौरान कितने गांवों को इसके कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए जाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) वर्ष 1982-83 के दौरान 800 समस्याग्रस्त ग्रामों के लक्ष्य की तुलना में गुजरात राज्य ने 712 समस्याग्रस्त ग्रामों को पेयजल पूर्ति मुहैया कराने की सूचना दी है।

(ख) राज्य सरकार से कारणों का पता लगाया जा रहा है।

(ग) वर्ष 1983-84 के दौरान गुजरात सरकार का 1,125 समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय-जल पूर्ति मुहैया कराने का प्रस्ताव है।

खाद्य तेलों का आयात

1336. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981, 1982 और 1983 के दौरान कितनी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात किया गया और आयातित किए गए तेल का क्या ब्यौरा है;

(ख) खाद्य तेल के आयात पर प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) चालू वर्ष के दौरान इसका कितनी मात्रा में आयात किए जाने की सम्भावना है;

(घ) इसे उपभोक्ताओं को किस तरह वितरित किया जाता है;

(ङ) राज्यवार कितना कोटा निश्चित किया गया है; और

(च) आयात से बचने के लिए देश की खाद्य तेल की मांग को पूरा करने के लिए देश में खाद्य तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) सरकार द्वारा किसी एक वर्ष में आयात की जाने वाली मात्रा का निर्णय देश में, खाद्य तेलों के उत्पादन, खाद्य तेलों की मांग, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में उनके मूल्यों के रुख, विदेशी मुद्रा की उपलभ्यता तथा ऐसे अन्य पक्षों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर किया जाता है । चालू वर्ष 1984 के दौरान आयात की जाने वाली मात्रा का पूर्वानुमान लगाने का समय अभी नहीं आया है ।

(घ) उपभोक्ताओं को आयातित खाद्य तेलों के वास्तविक वितरण की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकार की है । केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्य सरकारों को खाद्य तेलों का आबंटन किया जाता है। राज्य व्यापार निगम द्वारा भी राज्य सरकार के अधिकृत नामितों को तेल की सुपुर्दगी दी जाती है । यह राज्य सरकार के निर्णय पर छोड़ दिया जाता है कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए दिशानिर्देशों की सीमा में यह निर्णय करे कि वितरण किस प्रकार किया जाना है ।

(ङ) प्रत्येक राज्य के कोटे का निर्णय, आमतौर पर प्रत्येक महीने के शुरू में, राज्य सरकारों से प्राप्त हुई मांगों, खपत के स्वरूप, उस राज्य अथवा क्षेत्र में देशीय तेल की उपलभ्यता, राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध भण्डार तथा राज्य सरकार द्वारा तेल उठाने की गति आदि को ध्यान में रखते हुए मास-दर-मास आधार पर किया जाता है ।

(च) देश में वनस्पति तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए संयुक्त प्रयास किए जा

रहे हैं। तथापि, इन प्रयासों के बावजूद, खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना सम्भव नहीं हो सका है, क्योंकि इनके उत्पादन में वृद्धि होने के साथ-साथ तेलों की मांग भी बढ़ती जा रही है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही है :—

(1) तिलहनों उत्पादक राज्यों में तिलहनों के विकास के लिए गहन कार्यक्रम चलाना। इस योजना का उद्देश्य कृषकों के खेतों में प्रदर्शन आयोजित करना, बीजों के उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था को मजबूत बनाना, पौध संरक्षण उपायों का विस्तार करना, सिंचित क्षेत्र का विस्तार करना आदि।

(2) गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में मूंगफली तथा मध्य प्रदेश में सोयाबीन के उत्पादन के लिए विशेष परियोजनाएं आरम्भ करना।

(3) न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना।

(4) तिलहन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना।

(5) गैर-पारम्परिक तिलहनों, जैसे सोयाबीन और सूरजमुखी की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना तथा वृक्ष और वन मूल के तिलहनों, चावल की भूसी आदि का उपयोग करना।

(6) वनस्पति उद्योग द्वारा तेल के उपयोग के बारे में उचित नीति अपनाना, ताकि गैर-पारम्परिक तेलों के अधिक प्रयोग को बढ़ावा मिल सके।

विवरण

खाद्य तेलों के आयात का तेलवार ब्यौरा तथा उनकी कीमत दर्शाने वाला विवरण

पंचाग वर्ष	लाख मात्रा (मी० टनों में)	कीमत करोड़ रु० में
1	2	3
1981	11.54	549.18
1982	8.94	390.89
1983	12.56	628.10
तेलवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—		
1981		
एस० बी० ओ०	5.51	265.31
आर० एस० ओ०	1.74	84.11

1	2	3
एन० पी० ओ०	0.95	44.24
आर० बी० डी० पी० ओ०	0.67	31.72
आर० बी० डी० पी० एल०	2.67	123.80
	11.54	549.18
1982		
एस० बी० ओ०	3.65	158.15
आर० एस० ओ०	0.71	31.94
एन० पी० ओ०	1.09	47.64
आर० बी० डी० पी० ओ०	0.88	35.90
आर० बी० डी० पी० एल०	2.61	117.26
	8.94	390.89
1983		
एस० बी० ओ०	4.96	255.30
आर० एस० ओ०	1.35	70.41
एन० पी० ओ०	0.87	38.83
आर० बी० डी० पी० ओ०	1.88	90.39
आर० बी० डी० पी० एल०	3.50	173.17
	12.56	628.10

नर्मदा सागर परियोजना के बारे में मध्य प्रदेश राज्य योजना बोर्ड और नर्मदा आयोजना एजेंसी के बीच मतभेद

1337. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा सागर परियोजना के बारे में राज्य योजना बोर्ड, मध्य प्रदेश और नर्मदा आयोजना एजेंसी के बीच गम्भीर मतभेद उठ खड़े हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनको दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जब यह मामला समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था, तो इसकी ओर मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित विचार राज्य सरकारों के नहीं माने जा सकते। राज्य सरकार द्वारा नर्मदा जल-विवाद न्यायाधिकरण के पंचाट के निर्णयों पर आधारित नर्मदा सागर परियोजना रिपोर्ट, तकनीकी जांच और योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्रवाई करने के लिए प्रस्तुत की गई है।

मध्य प्रदेश में कृषि विस्तार परियोजनाओं से लाभ प्राप्त न कर पा रहे छोटे और सीमान्त किसान

1338. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही कृषि विस्तार परियोजनाओं से छोटे और सीमांत किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने में कृषि विस्तार परियोजनाओं की असफलता के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) मध्य प्रदेश के छोटे तथा सीमांत किसान कृषि विस्तार परियोजना के तहत निम्नलिखित तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं :—

(1) उन सम्पर्क किसानों के बीच उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, जो क्षेत्र के विस्तार कार्यकर्त्ताओं तथा अनुयायी किसानों के मध्य सम्पर्क बनाने की व्यवस्था करने के लिए चुने जाते हैं;

(2) कृषि विश्वविद्यालय/अनुकूली परीक्षण केन्द्रों द्वारा वर्षा सिंचित खेती के विशेष संदर्भ के साथ उनके दुर्लभ संसाधनों के अनुरूप कम लागत वाली तथा स्थान-विशेष के लिए उपर्युक्त विशिष्ट प्रौद्योगिकी का विकास करना;

(3) तकनीकी मार्गदर्शन के लिए दौरे तथा सीमांत किसानों के खेतों का विस्तार कार्यकर्ताओं द्वारा नियमित तथा ठीक समय पर दौरा करना।

(ख) तथा (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

खाद्यान्न उत्पादन गति की वृद्धि दर

1339. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970-71 से 1980-81 के दशक में देश में केवल पांच राज्यों में ही खाद्यान्नों का उत्पादन औसत वृद्धि दर से अधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त दशक के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन में 2.28 प्रतिशत की दर से ही वृद्धि हुई है;

(ग) क्या कुछ राज्यों में जो कि 55 प्रतिशत भू-भाग वाले उत्पादन दर राष्ट्रीय औसत से कम है;

(घ) यदि हां, तो वे कौन से राज्य हैं जहां उत्पादन वृद्धि दर लक्ष्य से अधिक थी और किन-किन राज्यों में खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य से कम रहा; और

(ङ) उन राज्यों में खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है जहां उत्पादन राष्ट्रीय औसत से कम था ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, पंजाब और त्रिपुरा में 1970-71 से 1980-81 के दशक के दौरान खाद्यान्न उत्पादन की विकास दर राष्ट्रीय औसत से अधिक थी। 1970-71 से 1980-81 के दौरान अखिल भारतीय सूचकांक पर अधारित खाद्यान्न उत्पादन की मिश्रित विकास दर प्रति वर्ष 2.32 प्रतिशत थी।

(ग) उन राज्यों, जहां विकास दर राष्ट्रीय औसत से कम रिकार्ड की गई है, में देश के कुल सस्यगत क्षेत्र का 66.88 प्रतिशत शामिल है।

(घ) जैसा, कि ऊपर बताया गया है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, पंजाब और त्रिपुरा राज्यों में खाद्यान्न उत्पादन की विकास दर राष्ट्रीय औसत से अधिक थी। 1980-81 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन के परिचालन लक्ष्य को उत्तर प्रदेश ने पार कर लिया था जब कि अन्य राज्यों में यह उपलब्धि परिचालन लक्ष्यों से कम थी।

(ङ) वर्धित कृषि/खाद्यान्न उत्पादन के लिए उत्पादन नीति और कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल हैं : —

(1) फसल की अधिक सघनता प्राप्त करना है;

(2) अधिक उपज देने वाली और अन्य उन्नत किस्मों के बीज, उर्वरक, बिजली और सिंचाई के लिए डीजल जैसे आदानों की समय पर और पर्याप्त सप्लाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना;

(3) कृषि अनुसंधान और विस्तार प्रयासों को तेज करना;

(4) सिंचित क्षेत्र का विस्तार और भूमि और जल का उचित प्रबन्ध;

(5) अन्तराल फसल और अन्त: फसल पद्धति के माध्यम से फसल की अल्पावधि किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि करना;

(6) सस्यागत ऋण की अधिक सप्लाई;

(7) किसानों के लिए लाभकारी मूल्य ।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का कार्यान्वयन

1340. **श्री बी० वी० देसाई**: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अव्यवस्थित कार्यान्वयन पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ क्षेत्रों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वितों का चयन तदर्थ आधार पर किया गया है;

(ग) क्या कुछ मामलों में उक्त व्यक्तियों के लाभ के लिए बनाई गई परियोजनाएं उचित ढंग से तैयार नहीं की गई हैं या प्रभावकारी ढंग से क्रियान्वित नहीं की गई हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के मामले में अनेक क्षेत्रों में खाद्यान्नों का वितरण धीमी गति से हुआ है;

(ङ) क्या फरवरी, 1984 में राज्यों के ग्रामीण विकास सचिवों का एक दो-दिवसीय सम्मेलन हुआ था जिनमें उन्होंने इन सभी बातों का उल्लेख किया था तथा ग्रामीण विकास योजना की स्थिति पर चिंता व्यक्त की थी;

(च) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में राज्यों को कोई भी निर्देश जारी किए गए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जहां लाभभोगियों के चयन और परियोजनाओं के तैयार करने का कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है, वहां सम्बन्धित राज्य अधिकारियों के परामर्श से स्थिति की समीक्षा की जाती है और उपचारी कदम उठाने की सलाई दी जाती है ।

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन कुछ राज्यों में खाद्यान्नों का वितरण सन्तोषजनक नहीं रहा है।

(ङ) जी हां।

(च) और (छ) यह सम्मेलन अनेक कार्यान्वयन सम्बन्धी समस्याओं का पता लगाने तथा

संगठनात्मक और अन्य कमियों जो इन कार्यक्रमों के शीघ्र कार्यान्वयन में अड़चन डालने वाले कारण हैं, को प्रकाश में लाने में उपयोगी रहा । इस सम्मेलन में सार्वजनकि क्षेत्र के बैंकों के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था और ऋण जुटाने की समस्याओं एवं ऋणों की वसूली पर भी प्रकाश डाला गया था । कार्यान्वयन एजेंसियों से कहा गया है कि वे मालूम हुई अड़चनों और कमियों को दूर करके इन कार्यक्रमों की आयोजना और कार्यान्वयन की गति एवं क्वालिटी को सुधारने में सम्मिलित कार्रवाई करें ।

श्रमिकों को राजसहायता प्राप्त दरों पर गेहूं और चावल के वितरण के लिए राज्यों को आवश्यक अग्रिम धन देना

1341. **श्री बी०वी० देसाई** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रधान मंत्री द्वारा हाल ही में घोषित योजना को शीघ्रता से कार्यान्वित करने के लिए, श्रमिकों को ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन राजसहायता प्राप्त दरों पर गेहूं और चावल के वितरण हेतु राज्यों को आवश्यक अग्रिम धन देने की इच्छुक है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों को उक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक धन के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है; और

(ग) ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन श्रमिकों को राजसहायता प्राप्त दरों पर गेहूं और चावल के वितरण के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी अग्रिम राशि दी जाएगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य कर रहे मजदूरों को रियायती दरों पर खाद्यान्नों का वितरण करने की प्रक्रियाएं तैयार की गई हैं। राज्यों को 1984-85 से खाद्यान्नों के आबंटन सहित आर्थिक सहायता की धनराशि अग्रिम के रूप में दी जाएगी । आवश्यक समायोजन वास्तविक उपयोग के आधार पर बाद में किए जाएंगे । चालू वर्ष अर्थात् 1983-84 के दौरान राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे फिलहाल राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले से उपलब्ध की गई धनराशि में से आर्थिक सहायता की लागत को वहन करें । यह अनुमान है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम दोनों के लिए 1983-84 के दौरान आर्थिक सहायता के लिए अपेक्षित राशि लगभग 4.00 करोड़ रुपये और 1984-85 के दौरान 24.5 करोड़ रुपये होगी ।

तमिलनाडु से स्वीकृति हेतु प्राप्त सिंचाई परियोजनाएं

1342. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु सरकार की कितनी सिंचाई परियोजनाएं केन्द्र के पास स्वीकृति हेतु पड़ी हैं; और

(ख) ऐसी सिंचाई परियोजनाएं कितनी हैं जिन्हें केन्द्र ने स्वीकृति कर दिया है लेकिन राज्य सरकार द्वारा अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तमिलनाडु सरकार से प्राप्त चार बृहद सिंचाई परियोजनाओं अर्थात् (1) पेरियार वैगई का आधुनिकीकरण चरण-एक (2) परम्बीकुलम अलियार परियोजना अयाकट विस्तार—1980 (3) परम्बीकुलम अलियार परियोजना अयाकट विस्तार—1982 (4) कावेरी डेल्टा प्रणाली का आधुनिकीकरण, तथा दो मध्यम सिंचाई परियोजनाओं अर्थात् (1) अनन्तनार चैनल कोडियार प्रणाली का आधुनिकीकरण (2) अनई मदुवा जलाशय की राज्य के प्राधिकारियों की सलाह से तकनीकी जांच की जा रही है। कावेरी डेल्टा आधुनिकीकरण स्कीम के सम्बन्ध में राज्य ने टिप्पणियों के आधार पर हाल में एक अ.शोधित रिपोर्ट भेजी है और उसकी जांच की जा रही है तथा अन्य स्कीमों के सम्बन्ध में राज्य ने केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर भेजने हैं।

(ख) योजना आयोग द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान चार मध्यम सिंचाई स्कीमें अर्थात् (1) वेम्बा कोट्टई (2) वनियार जलाशय (3) इचमबेदी तथा कोल्लावरपल्ली अनुमोदित की गई थीं और ये स्कीमें निर्माण की उन्नत अवस्था में हैं।

ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं आदि के लिए राज्यों को सहायता

1343. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ग्रामीण जलपूर्ति, मकान निर्माण के लिए भूस्थल देने और गन्दी बस्तियों के वातावरण में सुधार करने की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न राज्यों को सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न राज्यों में उक्त योजनाओं की कितनी प्रगति हुई है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकार पता लगाए गए समस्याग्रस्त ग्रामों को जल-पूर्ति मुहैया करने में राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा दे रही है और केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के तहत अनुदान दिए जाते हैं। कार्य निष्पादन पर आधारित ग्रामीण जलपूर्ति के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित नवीन योजना के तहत वर्ष 1983-84 के दौरान 75 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। दी गई धनराशि के ब्यौरे संलग्न अनुलग्नक-1 (क) और 1 (ख) में दिए गए हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7874/84]**

2. आवास स्थलों के बारे में, आवास राज्य का विषय होने के नाते केन्द्रीय सरकार समेकित अनुदान प्रदान कर रही है जो किसी योजना से सम्बद्ध नहीं होते हैं।

3. शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों की पर्यावरणीय सुधार योजना भी राज्य क्षेत्र में है और राज्य सरकारों द्वारा इनका कार्यान्वयन अपनी वार्षिक योजनाओं में किए गए परिव्ययों के माध्यम से किया जा रहा है। तथापि, केन्द्रीय सरकार मलिन बस्ती सुधार कार्यों में तेजी लाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन अनुदान देती है, जिसके ब्यौरे अनुलग्नक-II में दिए गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 7874/84]

(ग) उपर्युक्त तीन योजनाओं की विभिन्न राज्यों में प्रगति अनुलग्नक-III (क) और (ख), IV और V में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 7874/84]**

राजस्थान नहर के निर्माण में देरी

1344. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर परियोजना जो पहले 1970 में और बाद में 1985 में पूरी होने वाली थी उसमें और देरी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए अब कौन सी तारीख निश्चित की गई है; और

(घ) इस परियोजना के पूरा हो जाने पर उस पर कुल कितनी लागत आएगी ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग), राजस्थान नहर परियोजना के चरण-एक का निर्माण-कार्य लगभग पूरा हो गया है। 1970 में तय किए गए इसके वर्तमान लक्ष्य के अनुसार, परियोजना के चरण-दो को 1980-81 तक पूरे किए जाने का कार्यक्रम था। राज्य सरकार ने अब तक कार्यक्रम अपनाया है जिसके अन्तर्गत मुख्य नहर पूरी तरह से और अधिकांश कच्ची वितरण चैनलें काफी हद तक 1985 तक पूरी की जाएंगी। पूर्ण किए जाने वाले शेष निर्माण-कार्यों का और वितरण नहरों के पक्का करने के कार्य को सातवीं योजना में ले जाया जाएगा।

राज्य सरकार ने नहर को गधरा रोड तक बढ़ाने और वाम तट पर कुछ लिफ्ट स्कीमों को शामिल करने के लिए भी आगे निर्णय किया है। इस प्रस्ताव के लिए अन्वेषण किए जा रहे हैं और राज्य सरकार द्वारा अभी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

इसके पूरे होने में देरी के मुख्य कारण राज्य सरकार द्वारा निधियों का अपर्याप्त आबंटन तथा प्रारम्भिक अवस्था में पीने तथा निर्माण के प्रयोजनों के लिए पानी की अनुपलब्धता बताया गया है।

(घ) राज्य सरकार द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार चरण-एक की लागत 237.4 करोड़ रुपये और चरण-दो की लागत 320.0 करोड़ रुपए होने की सम्भावना है।

सुपर बाजार में कुप्रबन्ध

1345. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले दो वर्षों में सुपर बाजार, नई दिल्ली में कुप्रबन्ध के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वहां के प्रबन्ध में सुधार के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) सरकार को सुपर बाजार के बारे में समय-समय पर कुछ शिकायतें मिलती रहती हैं। इनकी सुपर बाजार के साथ परामर्श करके जांच की जाती है और जहां कहीं आवश्यक हो, उचित कार्य-वाही की जाती है। सरकार सुपर बाजार के कार्य-निष्पादन की भी समय-समय पर पुनरीक्षा करती है।

ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को अवासीय सहायता

1346. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में भूमिहीन मजदूरों को दी जा रही आवासीय सहायता सम्बन्ध योजना की क्रियान्विति में हुई प्रगति से सन्तुष्ट है; और

(ख) यदि हां, तो 1982-83 के दौरान बनाए गए मकानों की संख्या तथा उसके लिए उड़ीसा को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आवास राज्य का विषय होने के कारण, सभी आवास योजनाओं का कार्यान्वयन स्वयं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय सरकार केवल आवास के लिए समेकित अनुदानों के रूप में सहायता प्रदान करती है जो किसी योजना विशेष से सम्बद्ध नहीं होती है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ग्रामीण भूमिहीन कामकारों को आवास स्थल तथा निर्माण सहायता की व्यवस्था करने की योजना जो नए 20-सूत्री कार्यक्रम का एक अंग है, का प्रबोधन करती है।

(ख) वर्ष 1982-83 के दौरान, उड़ीसा में 10,940 परिवारों को आवास-स्थल दिए गए और 3,800 परिवारों को निर्माण सहायता दी गई। तथापि, इस अवधि के दौरान बनाए गए मकानों के ब्यौरे सुलभता से उपलब्ध नहीं हैं।

सरकारी कर्मचारियों की कालोनियों के निवासियों की शिकायतें

1347. **श्री भीखा भाई :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राधिकारियों द्वारा सरकारी कर्मचारियों की कालोनियों विशेषकर नानकपुरा, सैक्टर 12, रामाकृष्णापुरम, नई दिल्ली, की उपेक्षा की जा रही है और सड़कों में गड्ढे और दरारो के कारण वे वाहनों के लिए असुरक्षित हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, विशेषकर बागवानी विभाग से सरकारी कर्मचारियों की कालोनी में रहने वाले लोग असन्तुष्ट हैं;

(ग) क्या उनकी शिकायतों पर तत्काल ध्यान नहीं दिया जाता है; और

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षणाधीन नानकपुरा, सेक्टर-12, सहित केन्द्रीय सरकार की कालोनियों में पहुंच मार्गों का निधियों की सीमा के अन्तर्गत बहुत अच्छी स्थिति में अनुरक्षण किया जा रहा है।

स्थानीय निकायों के अधीन केन्द्रीय सरकार की कालोनियों में सेवा सड़कों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी, नहीं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का उद्यान स्कन्ध कालोनियों में उद्यान से सम्बन्धित आवश्यकताओं की सन्तोषजनक रूप से देखभाल कर रहा है।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि निवासियों की शिकायतों पर तत्काल ही ध्यान दिया जाता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा, कमजोर वर्गों को दुकानों का आबंटन

1348. **श्री भीखा भाई :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज के कमजोर वर्गों के हजारों बेरोजगार तथापि प्रतिभावान स्नातक युवकों को दुकानों के आबंटन न किए जाने के कारण उनको अपना व्यापार/कारोबार करने से वंचित रखा जा रहा है क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण सभी दुकानों की नीलामी करता है क्या कमजोर वर्गों के बेरोजगारों के लिए उन दुकानों को अत्यधिक दरों पर नीलामी द्वारा खरीदना सम्भव नहीं हो पाता; और

(ख) दिल्ली में दुकानों को धनी व्यक्तियों को नीलामी द्वारा देने की बजाए उनको ड्रा द्वारा आबंटित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का विक्रय) नियम, 1981 के तहत निर्धारित उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नीलामी/निविदा के माध्यम से निर्मित वाणिज्यिक एककों का विक्रय किया जाता है। इनमें निम्नांकित आरक्षण किया गया है :—

(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	12.8 प्र०श०
(ii) वे व्यक्ति जिनकी भूमि सरकार द्वारा अधिगृहीत की गई है	10 प्र०श०
(iii) शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति	5 प्र०श०
(iv) भूतपूर्व सैनिक	2 प्र०श०
(v) स्वतन्त्रता सेनानी	1 प्र०श०

इसके अतिरिक्त,, समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के बेरोजगार प्रतिभावान स्नातक युवकों को दुकानों के आबंटन के लिए कोई आरक्षण नहीं किया जाता है।

प्रीतमपुरा, दिल्ली के निवासियों को नागरिक सुविधाएं प्रदान करना

1349. **श्री भीखा भाई** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के प्रीतमपुरा क्षेत्र में स्थित कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की कालोनियों के बहुत से निवासियों को पेय जल, मल व्ययन दूध जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं; और उनकी दशा दयनीय है;

(ख) यदि हां, तो प्राधिकारियों द्वारा उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उक्त क्षेत्र में सीवर लाइन कब तक पूरी हो जाएगी ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

चीनी के उत्पादन में कमी

1350. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान सीजन के पहले तीन महीनों के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चीनी का उत्पादन लगभग चार लाख टन कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या प्रमुख कारण हैं;

(ग) दिसम्बर, 1983 से फरवरी, 1984 के दौरान चीनी उत्पादन की क्या नवीनतम स्थिति है; और

(घ) इसको सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) पहले तीन महीनों में उत्पादन में इस गिरावट के आने का मुख्य कारण फरवरी, 1983-अक्तूबर; 1983 के दौरान देश के विभिन्न भागों में कृषि-मौसम स्थितियों में व्यापक उतार चढ़ाव होना था । तथापि, उत्पादन के अनुमानों से यह संकेत मिलता है कि चीनी के उत्पादन के बारे में छठी योजना के लक्ष्य में वर्ष 1983-84 के लिए जिस स्तर की परिकल्पना की गई थी, उत्पादन न्यूनाधिक उसी स्तर पर होगा ।

(ग) 1-12-1983 से 15-2-1984 तक 31.39 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ है ।

(घ) चीनी के उत्पादन को वांछित स्तर पर बनाए रखने के उद्देश्य से चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ना उत्पादकों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिया जा रहा है और उत्पादकों को उनके गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करवाने के लिए चीनी फैक्ट्रियों को उदार बैंक ऋण सुलभ करने की दिशा में भी पग उठाए गए हैं । जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, आशा है कि जिस लक्ष्य को छठी योजना में निर्धारित किया गया था, उत्पादन के उस अनुमानित स्तर को प्राप्त कर लिया जाएगा और यह मात्रा तथा पिछली बची हुई लगभग 46 लाख मीटरी टन की मात्रा चीनी वर्ष 1983-84 की आन्तरिक खपत तथा निर्यात सम्बन्धी आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए पर्याप्त से भी अधिक होनी चाहिए ।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करना

1351. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की क्रियान्विति उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में सन्तोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम की क्रियान्विति में असफलता के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त कार्यक्रम में क्या मुख्य कमियां पाई गई हैं और उक्त क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाने का सुझाव दिया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के कुछ इलाकों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन सन्तोषजनक नहीं रहा है।

(ख) उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों तथा अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधियों का एक कार्यकारी दल गठित किया है।

(ग) तथा (घ) कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट का मसौदा तैयार कर लिया है जिसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यतः आर्थिक एवं तकनीकी आधारभूत ढांचे की कमियां ऋण सुविधाओं को प्राप्त करने में कठिनाईयां तथा संगठनात्मक और प्रशासनिक कमियां देखने में आई हैं। आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने हेतु जो उपाय सुझाए गए हैं उनमें बैंकों की और शाखाएं खोलना, अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा इन कार्यक्रमों के लिए संस्थागत सहायता सृजित करने के लिए अधिक धन लगाना भी शामिल है।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड की बैठक

1352. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में गोहाटी में हुई बैठक में ब्रह्मपुत्र बोर्ड विशेषकर ब्रह्मपुत्र बेसिन के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के लिए किया गया अनुसंधान और सर्वेक्षण करने की समीक्षा की गई थी;

(ख) क्या बैठक के दौरान ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की गई देहांग और सुबनसिरि परियोजनाओं सम्बन्धी प्रतिवेदनों पर भी चर्चा की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनके बारे में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने 8 फरवरी, 1984 को गोहाटी में हुई बैठक में ब्रह्मपुत्र बोर्ड के कार्य की पुनरीक्षा की थी जब देहांग और सुबनसिरि परियोजनाओं पर बोर्ड द्वारा किए गए अन्वेषण तथा परियोजना तैयार करने सम्बन्धी कार्य की भी पुनरीक्षा की गई थी।

पुनरीक्षण बोर्ड को सूचित किया गया था कि देहांग और सुबनसिरि परियोजनाएं, जिनका ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा अन्वेषण किया गया है, ब्रह्मपुत्र बेसिन के जल संसाधनों के विकास के लिए मास्टर योजना के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में पाई गई हैं और बड़ी मात्रा में जल-विद्युत का उत्पादन करने तथा ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ की मात्रा को कम करने में सक्षम हैं।

परियोजना की, जैसा कि प्रस्तावित है, 25000 मेगावाट की काफी बड़ी प्रतिष्ठापति

क्षमता है और सरकार द्वारा इस मामले में किसी निर्णय पर विचार करने से पहले, सम्बन्धित केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा उसकी विस्तृत संवीक्षा करनी अपेक्षित होगी।

मांडला, सरगुजा और उज्जैन में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं

1353. **श्री मनोहर लाल सैनी :**

श्रीमती किशोरी सिन्हा :

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मांडला, सरगुजा और उज्जैन के आदिवासी क्षेत्रों में अनेक सिंचाई परियोजनाएं काफी लम्बे अर्से से निर्माणाधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक योजना कब शुरू की गई थी;

(ग) दिसम्बर, 1983 के अन्त तक प्रत्येक परियोजना के निर्माण में क्या प्रगति हुई है;

(घ) उनके कब तक पूरा होने की सम्भावना है; और

(ङ) इन परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ङ) छठी योजना से पहले आरम्भ की गई जनजातीय क्षेत्रों को लाभ देने वाली मांडला जिले में एक मध्यम सिंचाई परियोजना तथा सरगुजा जिले में तीन मध्यम परियोजाएं प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त, सरगुजा जिले में छठी योजना में आरम्भ की गई दो मध्यम परियोजनाएं भी प्रगति पर हैं। उज्जैन जिले के जनजातीय क्षेत्र में किसी बृहद अथवा मध्यम सिंचाई परियोजना पर कार्य नहीं चल रहा है। लघु सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में ब्यौरा केन्द्र में प्राप्त नहीं होता और न ही रखा जाता है।

यह विवरण संलग्न है जिसमें उपर्युक्त स्कीमों के नाम और उनके आरम्भ होने का वर्ष, उन पर हुई प्रगति तथा पूर्ण होने का सम्भावित वर्ष दिया गया है।

विवरण

जिले का नाम परियोजना का नाम	आरम्भ करने की तारीख	अद्यतन अनुमानित लागत	सिंचाई क्षमता	3/83 तक हुआ व्यय	पूर्ण होने का सम्भावित वर्ष
1	2	3	4	5	6
व० माण्डला जिला					
छठी योजना-पूर्व					
1. मटियारी	1979-80	1600	10.0	313	1986

1	2	3	4	5	6
सरगुजा जिला					
छठी योजना-पूर्व					
1. झुमका	1977-78	440	2.9	400	1984-85
2. बंकी	1977-78	710	4.0	309	1986
3. घूंघटा	1976-77	2000	10.0	407	सातवीं योजना के दौरान
छठी योजना					
4. गेज	1980-81	996	4.1	11	-तदेव-
5. बरनई	1983-84	400	2.4	—	-तदेव-

यमुना तटों के साथ पड़ी भूमि का उपयोग

1354. **श्री मनोहर लाल सैनी** :

श्रीमती किशोरी सिन्हा :

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यमुना-तटों के साथ पड़ी भूमि के सम्बन्ध में एक योजना दिल्ली विकास प्राधिकरण के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना को पूरा करने के लिए क्या कार्यक्रम निश्चित किया गया है; और

(घ) इस योजना पर कुल कितना व्यय होगा ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली-2001 के लिए भावी विकास योजना को बनाने के एक भाग के रूप में इस समय दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की सीमा में यमुना नदी के कुल्यिकाकरण के लिए अध्ययन किया जा रहा है।

सरकारी आवास के लिए लाइसेन्स शुल्क

1355. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी आवास के लिए लाइसेन्स शुल्क सरकारी कर्मचारियों के वेतन से काट लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो सम्पदा निदेशालय से फिर सरकारी कर्मचारियों को बकाया किराया प्राप्त न होने के नोटिस आते रहते हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि इसके बाद इसकी वजह से किसी सरकारी कर्मचारी को परेशान नहीं किया जाएगा और किराए की रसीद देखने के लिए सम्पदा निदेशालय की बजाए वेतन देने वाले और वेतन वितरण करने वाले प्राधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां ।

(ख) वेतन तथा लेखा अधिकारी से लाइसेन्स फीस की वसूली की सूचना प्राप्त न होने, वेतन न लेने, स्थानान्तरण, सेवा निवृत्ति मृत्यु आदि के कारण ।

(ग) तथा (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में दिए गए कारणों से आबंटी को लेखा विवरण जारी करना अनिवार्य हो जाता है । इससे सरकार तथा आबंटी को लाइसेन्स फीस लेखा अद्यतन रखने में सुविधा रहती है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अधीन काम करने वाले श्रमिकों को गेहूं और चावल देना

1356. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अधीन काम करने वाले श्रमिकों को गेहूं और चावल क्रमशः 1.50 रुपए और 1.85 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से उपलब्ध कराया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो उस पर राजसहायता के रूप में राजकोष से कितनी धनराशि व्यय होगी; और

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम को सभी खण्डों में शुरू किया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अधीन कार्य कर रहे मजदूरों को उनकी मजदूरी के भाग के रूप में प्रति व्यक्ति प्रति दिन एक किलो खाद्यान्न रियायती दरों पर दिया जाएगा । उन्हें गेहूं 1.50 रु० प्रति किलो की दर से दिया जाएगा । चावल के मामले में, सामान्य चावल 1.85 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बांटा जाएगा । सामान्य किस्म का चावल उपलब्ध न होने पर बढ़िया और सबसे बढ़िया किस्म के चावल सप्लाई किए जाएंगे । बढ़िया किस्म के चावल की कीमत 1.95 रु० प्रति किलो और सबसे बढ़िया किस्म के चावल की कीमत 2.10 रु० प्रति किलो की दर से ली जाएगी ।

(ख) चालू वर्ष के दौरान आर्थिक सहायता पर लगभग 4.00 करोड़ रुपए की लागत आएगी तथा वर्ष 1984-85 में यह धनराशि लगभग 24.50 करोड़ रुपए होगी ।

(ग) यह योजना देश के सभी खंडों पर लागू होती है ।

मध्य प्रदेश में मकानों के निर्माण के लिए हुडको द्वारा स्वीकृत ऋण

1357. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में मकानों के निर्माण के लिए 'हुडको' द्वारा कितना ऋण स्वीकृत किया गया था;

(ख) हुडको द्वारा मध्य प्रदेश में किन स्थानों पर विभिन्न श्रेणियों के मकान बनाए गए हैं उन स्थानों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के लिए हाल ही में कुछ नई 'हुडको' आवास परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के अधीन मकानों के निर्माण के लिए कितनी राशि निश्चित की गई हैं; और

(ङ) उन हुडको परियोजनाओं की स्थापना के लिए पता लगाए गए कौन से स्थान चुने गए हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि 1980-85 के दौरान, 31-1-1984 तक हुडको ने मध्य प्रदेश सरकार को 22.02 करोड़ रु० का ऋण स्वीकृत किया है । इसके अतिरिक्त, हुडको विश्व बैंक के साथ-साथ 31.46 करोड़ रुपये की ऋण सहायता से एक नगर विकास परियोजना को धन दे रहा है ।

(ख) हुडको ने मध्य प्रदेश राज्य में कोई मकान निर्मित नहीं किए हैं ।

(ग) से (ङ) 26-12-1983 को हुई इसके बोर्ड की 79वीं बैठक में, हुडको ने मध्य प्रदेश के राजनन्दगांव, इन्दौर तथा रतलाम नगरों तथा रायपुर, भोपाल, सेहोर, विदिशा, रायसेन, सीधी तथा सतना जिलों के बहुत से ग्रामों की परियोजनाओं के लिए 1.29 करोड़ रुपए की ऋण सहायता स्वीकृत की है ।

गन्दी बस्तियों का विकास

1358. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गन्दी बस्तियों के विकास के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) वर्ष 1983-84 के दौरान विभिन्न राज्यों में गन्दी बस्तियों के विकास के लिए उन राज्यों को स्वीकृत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन राज्यों द्वारा वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है और उन राज्यों द्वारा आज तक किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) शहरी क्षेत्र में मलिन बस्ती सुधार योजना राज्य क्षेत्र में है और राज्य सरकारों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं में किए गए परिव्ययों से कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 1983-84 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को वार्षिक योजना लक्ष्यों से भी अधिक मलिन बस्ती जनसंख्या को लाभान्वित करने के लिए प्रोत्साहन अनुदान देने की व्यवस्था की है।

(ख) वर्ष 1980-1984 के दौरान की प्रगति अनुलग्नक-I तथा II में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7875/84]

(ग) मलिन बस्तियों के सुधार के लिए वर्ष 1983-84 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को स्वीकृत अनुदान राशियों के ब्यौरे अनुलग्नक-III में दिए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7875/84]

(घ) यह सूचना अनुलग्नक-IV तथा V में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7875/84]

केरल में पाम आयल मिल की स्थापना करना

1359. **श्री स्कारिया थामस** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पाम आयल मिल स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) मिल लगाने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है। यह मिल, आयल पाम इंडिया लि० द्वारा केरल में लाल तेल ताड़ बागानों के उत्पादों में से तेल निष्कर्षण कार्य की जरूरतों को पूरा करेगी।

कृषि के अधीन क्षेत्र का फसल-वार ब्यौरा

1360. **श्री चतुर्भुज** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 से 1983-84 (1-1-1984 तक) के दौरान देश में चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 (1-1-1984 तक) वर्षों के दौरान अलग-अलग कितनी भूमि कृषि हेतु उपयोग में लाई गई है;

(ग) देश में ऐसी कुल कितनी भूमि है जिसको कृषि योग्य बनाया जा सकता है और 1-1-1984 तक ऐसी कुल कितनी भूमि को कृषि योग्य बनाया गया जिसको कृषि उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जा सके;

(घ) देश में प्रति व्यक्ति भूमि का औसत क्या है;

(ङ) देश में कितने प्रतिशत लोगों को औसतन, अधिकतम तथा न्यूनतम भूमि प्राप्त है; और

(च) इस समय सिंचित और असिंचित भूमि पर अलग-अलग प्रति हैक्टेयर औसतन उत्पादन क्या है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) देश में 1980-81 से 1982-83 तक के वर्षों में चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार हैं :—

प्रमुख फसलों के उत्पादन

1980-81 से 1982-83 तक

(दस लाख मीटरी टनों में)

फसल	1980-81	1981-82	1982-83
चावल खरीफ	50.1	49.2	42.7
रबी	3.5	4.0	3.8
योग	53.6	53.2	46.5
गेहूं	36.3	37.5	42.5
दालें			
तुर	1.96	2.24	1.92
अन्य खरीफ की दालें	1.80	2.09	2.00
चना	4.33	4.64	5.09
अन्य रबी की दालें	2.54	2.54	2.56
कुल दालें	10.63	11.51	11.57

अधिकतर राज्यों से 1983-84 के उत्पादन के अंतिम अनुमान अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, वर्तमान अनुमान के आधार पर चालू फसल वर्ष में चावल का उत्पादन 570 लाख मीटरी टन पहुंच सकता है। दालों का उत्पादन 120 लाख मीटरी टन हो सकता है और गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष के रिकार्ड उत्पादन से अधिक हो सकता है।

(ख) कृषि के अंतर्गत क्षेत्र को दर्शाते हुए भूमि उपयोग आंकड़े 2-3 वर्षों के विलम्ब के बाद प्राप्त होते हैं। नवीनतम वर्ष, जिसके पूर्ण आंकड़े उपलब्ध हैं, वह 1980-81 है और इस वर्ष के दौरान कुल रोपाई किया गया शुद्ध क्षेत्र 140.3 मिलियन हैक्टार है।

(ग) मौजूदा भूमि उपयोग वर्गीकरण के अनुसार "कृषि योग्य भूमि" का अभिप्राय रोपा गया शुद्ध क्षेत्र, वर्तमान परती भूमि, पुरानी परती भूमि और खेती योग्य बेकार भूमि से है। वर्ष 1980-81 में इस प्रकार के क्षेत्रों का योग 181.6 मिलियन हेक्टार था।

(घ) वर्तमान परती भूमि सहित खेती योग्य भूमि की उपलब्धता ग्रामीण आबादी के प्रति व्यक्ति 0.3 हेक्टार होने का अनुमान है।

(ङ) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए भूमि जोतों से संबंधित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 26वें सर्वेक्षण के अनुसार एक हेक्टार (2.5 एकड़ तक) भूमि वाले ग्रामीण परिवारों की प्रतिशतता 53.0 थी और 6.08 हेक्टार (15 एकड़ और उससे अधिक) भूमि वाले ग्रामीण परिवारों की प्रतिशतता 5.3 थी।

(च) चावल और गेहूं की उपज के प्रति हेक्टार आंकड़े जो सिंचित और असिंचित अलग-अलग हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सिंचित और असिंचित फसलों की प्रति हेक्टार उपज 1981-82

(किलोग्राम में)

राज्य		राज्य		गेहूं	
	मौसस	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित
1	2	3	4	5	6
अन्ध्र प्रदेश	खरीफ	2104	1036		
	रबी	2338	—		
असम	खरीफ	1296	814		
	शीत	1524	1107		

1	2	3	4	5	6
गुजरात	खरीफ	1972	1195		
हिमाचल प्रदेश	खरीफ	1456	980		
कर्नाटक	खरीफ	1566	1449		
केरल	शीत	1821	1539		
मध्य प्रदेश	खरीफ	1123	776	1600	812
पंजाब	खरीफ	2997	844	3028	560
राजस्थान	खरीफ	2001	687	1895	871
उत्तर प्रदेश	खरीफ	1463	967	1755	1115
प० बंगाल	खरीफ	1741	936	1428	878
	शीत	1301	940		
हरियाणा				2402	1537
महाराष्ट्र				1168	150

ये उत्पादन राज्यों द्वारा सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षणों के उप-नमूनों के स्तरीकरण करने के बाद किए गए विश्लेषण पर आधारित हैं ।

केरल को अधिक उपज वाले राज्यों से लेवी मुक्त चावल खरीदने की अनुमति

1361. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पूल से केरल के **चावल** के आबंटन में कटौती और केन्द्र से समय पर अनुमति मिलने के कारण इस राज्य द्वारा आवश्यकता से अधिक उपज वाले राज्यों से पर्याप्त मात्रा में लेवी मुक्त चावल खरीदने में असमर्थता की वजह से राज्य में खाद्य समस्या उत्पन्न हो गई है;

(ख) क्या केरल सरकार के चावल आबंटन में पर्याप्त वृद्धि करने और आवश्यकता से अधिक उपज वाले राज्यों से लेवी मुक्त चावल खरीदने की समय पर अनुमति देने के अनुरोध पर सरकार ने इस बीच विचार क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से

(ग) केन्द्रीय पूल से केरल सहित विभिन्न राज्यों को चावल का आबंटन केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार-उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किया जाता है। केरल को इस समय 1,10,000 मीटरी टन चावल का मासिक आबंटन किया जा रहा है जबकि पिछले वर्ष तदनुरूपी अवधि के दौरान 95,000 मीटरी टन चावल का आबंटन किया जाता था। हाल ही में राज्य सरकार ने अधिशेष राज्यों से, 1,50,000 मीटरी टन चावल खरीदने के लिए अनुमति मांगी थी। सामान्यतया राज्य सरकारों द्वारा अन्तर्राज्यीय सौदे करने के बारे में इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए अनुमति नहीं दी जाती है कि राज्य सरकारों द्वारा खुले बाजार से इस प्रकार खरीदारियां करने से बाजार उपलब्धता और मूल्यों तथा केन्द्रीय पूल के लिए वसूली पर भी प्रभाव पड़ेगा।

समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल सुविधाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित लक्ष्य

1362. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के शुरू में कितने गांवों में (राज्य-वार) स्वच्छ पेय जल सुविधा नहीं थी;

(ख) योजना के अधीन कितने गांवों में (राज्य-वार) इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में वर्ष-प्रति वर्ष क्या वार्षिक के लक्ष्य रखे गए और वह कहां तक मंजूर हो सके और क्या इस उद्देश्य के लिए राज्यवार रखे गए धन में से कितना खर्च किया गया था अथवा क्या उसमें अधिक धन खर्च किया गया ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) और (ख) 1-4-1980 तक पता लगाए गए समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या तथा 31 दिसम्बर, 1983 तक लाभान्वित समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या और शेष बचे समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान लाभान्वित समस्याग्रस्त ग्रामों का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है। 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान निर्धारित लक्ष्य तथा 1982-83 और 1983-84 (31 दिसम्बर, 19.3 तक) के दौरान लाभान्वित ग्रामों की संख्या संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980-81, 1981-82

तथा 1982-83 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई निधियां तथा उपयोग में लाई गई निधियां संलग्न विवरण-III में दी गई हैं।

विवरण—I

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1-4-80 को समस्याग्रस्त ग्राम	दिसम्बर, 83 तक लाभान्वित समस्याग्रस्त ग्राम	शेष बचे समस्याग्रस्त ग्राम
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	8206	5900	2306
2.	असम	15743	5461	10282
3.	बिहार	15194	10095	5099
4.	गुजरात	5318	2443	2875
5.	हरियाणा	3440	1169	2271
6.	हिमाचल प्रदेश	7815	4117	3698
7.	जम्मू और कश्मीर	4695	1158	3560
8.	कर्नाटक*	15456	13748	1708
9.	केरल	1158	3398	760
10.	मध्य प्रदेश*	24944	22181	2753
11.	महाराष्ट्र*	12935	8554	4381
12.	मणिपुर	1212	527	685
13.	मेघालय	2927	361	2536
14.	नागालैण्ड	649	294	354
15.	उड़ीसा	23616	13283	10333

1 2	3	4	5
16. पंजाब	1767	311	1456
17. राजस्थान	19803	17169	7554
18. सिक्किम	296	158	138
19. तमिलनाडु	6649	5364	1285
20. त्रिपुरा*	2800	1714	1086
21. उत्तर प्रदेश	28505	13607	14898
22. पश्चिम बंगाल*	25243	7582	17661
23. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	173	92	81
24. अरुणाचल प्रदेश	1740	930	810
25. चण्डीगढ़	—	—	—
26. दिल्ली	99	89	10
27. दादर तथा नागर हवेली	—	—	—
28. गोवा दमण तथा द्वीव	66	44	20
29. लक्षद्वीप	—	—	—
30. मिजोरम	214	57	157
31. पांडिचेरी	118	88	30
योग :	230784	131964	98820

*इन राज्यों के आंकड़ों में आंशिकरूप से लाभान्वित ग्राम शामिल हैं और दिसम्बर, 1983 को प्राप्त हुई तिमाही के आंकड़े अनन्तिम हैं ।

विवरण—II

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लाभान्वित समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या		समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या			
		1980-81	1981-82	1982-83		1983-84, 31-12-83 तक	
				लक्ष्य	लाभान्वित	लक्ष्य	लाभान्वित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	487	2023@	3061	2641@	1478	7 0
2.	असम	963	1148	1902	1728	2380	1622
3.	बिहार	2660	2700	3084	3015@	2760	1720
4.	गुजरात	525	581@	800	712@	1000	625
5.	हरियाणा	240	295	285	350	355	284
6.	हिमाचल प्रदेश	1166	1180	1240	1020	800	751
7.	जम्मू तथा कश्मीर	321	304	407	402	460	111
8.	कर्नाटक	2063	2906@	6000	5500@	7728*	3279**
9.	केरल	78@	83@	108	113@	200	124

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	मध्य प्रदेश	7195@	5562@	6447	5206@	6000 f	4228 f f f
11.	महाराष्ट्र	2674@	2932@	2763	2313@	3563	635
12.	मणिपुर	34	210	199	203@	145	80
13.	मेघालय	52	95	205	268	415	46
14.	नागालैण्ड	72	82	75	75	80	65
15.	उड़ीसा	1630	2447	2280	4718@	5060	4488
16.	पंजाब	80	50	77	77	125	104
17.	राजस्थान	2402	3854	3400	3800@	3200	2193
18.	सिक्किम	21@	30@	85	51@	88	56
19.	तमिलनाडु	710	749	1060	2951@	1400	954
20.	त्रिपुरा	193@	579	662	577	633	365@@@
21.	उत्तर प्रदेश	912	870	3675	5619@	8000	6206
22.	पश्चिम बंगाल	874@@	1148@@	4025	4144 f f	2400	1416
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	18	7@	36	36@	63	31
24.	अरुणाचल प्रदेश	172	291	350	227	430	140
25.	चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	दिल्ली	35	27	27	15	Nil	12
27.	दादर तथा नागर हवेली	—	—	—	—	—	—
28.	गोआ, दमण तथा दीव	7	9	22	22	14	6
29.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
30.	मिजोरम	Nil	13	29	30	39	14
31.	पांडिचेरी	8	39	38	31	30	10
	योग :	25978	29837	42342	45844	48846	30305

@आंशिक रूप से लाभान्वित ग्राम ।

@@न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थल स्रोतों के जिला परिषद् कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित नहीं हैं ।

@@@सितम्बर-दिसम्बर, 1983 के दौरान प्राप्त नल जल पूर्ति द्वारा लाभान्वयन शामिल नहीं हैं ।

f 'कठिनाई' वाले गांव शामिल हैं ।

f f न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थल स्रोतों के जिला परिषद् कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वयन के समर्थित ब्यौरों की प्रतीक्षा है ।

f f f 2578 कठिनाई वाले गांवों में से 1796 ग्राम शामिल हैं ।

*पिछले वर्षों के आंशिक रूप से लाभान्वित 2741 समस्याग्रस्त ग्राम शामिल हैं ।

**पिछले लाभान्वित (आंशिक रूप से) 2741 ग्रामों में से 620 ग्राम शामिल हैं ।

विवरण—III

समस्या ग्रस्त ग्रामों को पेयजल पूर्ति—त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम – कार्य घटक उपलब्ध तथा उपयोग में लायी गई निधियां

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1980-81		1981-82		1982-83	
		उपलब्ध निधियां	उपयोग निधियां	उपलब्ध निधियां	उपयोग निधियां	उपलब्ध निधियां	उपयोग निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	495.00	531.75	370.75	350.00	494.25	485.61
2.	असम	460.00	469.12	400.75	392.99	589.26	443.84
3.	बिहार	965.00	965.05	862.50	862.50	863.75	863.76
4.	गुजरात	354.00	369.59	396.25	461.44	281.00	438.57
5.	हरियाणा	355.00	355.00	335.00	307.70	300.30	288.81
6.	हिमाचल प्रदेश	561.77	583.14	360.50	609.90	273.73	292.06
7.	जम्मू तथा कश्मीर	313.00	302.35	435.40	428.34	1062.56	1064.45
8.	कर्नाटक	253.00	228.07	510.43	471.86	980.07	778.07
9.	केरल	393.00	323.38	595.87	583.82	653.05	695.96

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	मध्य प्रदेश	690.00	721.56	1033.75	1119.42	1397.50	1362.11
11.	महाराष्ट्र	659.00	786.47	552.00	1888.59	716.50	1989.44
12.	मणिपुर	105.00	110.59	146.00	138.52	161.48	172.94
13.	मेघालय	149.00	121.80	269.20	176.01	293.67	221.76
14.	नागालैण्ड	150.00	153.70	178.50	122.18	205.50	207.88
15.	उड़ीसा	307.00	306.30	593.70	418.22	941.98	942.73
16.	पंजाब	128.95	46.12	171.00	170.61	183.39	85.02
17.	राजस्थान	616.00	490.69	1629.50	1417.50	2441.55	2471.68
18.	सिक्किम	45.49	31.48	83.75	39.68	106.50	98.48
19.	तमिलनाडु	500.00	387.21	676.50	563.71	963.29	850.50
20.	त्रिपुरा	116.00	243.94	85.50	89.18	81.50	89.89
21.	उत्तर प्रदेश	1001.00	384.63	1634.50	572.49	3000.00	2247.00
22.	पश्चिम बंगाल	961.45	738.75	794.00	740.09	941.41	988.43
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	6.00	11.99	19.50	2.64	23.50	4.32

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	अरुणाचल प्रदेश	84.62	19.68	99.94	40.71	89.23	57.23
25.	चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—
2..	दिल्ली	13.50	37.33	9.50	33.81	Nil	—
27.	दादर तथा नागर हवेली	—	--	—	—	—	—
28.	गोआ, दमण तथा दीव	11.50	5.75	20.00	21.44	26.50	24.07
29.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
30.	मिज़ोरम	45.83	5.31	40.52	9.84	33.68	15.57
31.	पांडिचेरी	11.00	10.96	12.04	11.98	14.56	12.21
	योग :	9751.11	8641.71	12320.85	12038.17	17122.71	17192.68

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन

1363. **श्री माधवराव सिन्धिया : ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार शुरू की गई योजनाओं और उनके क्रियान्वयन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन योजनाओं के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र में कोई भी परियोजना/योजना जो लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाती हो, आरम्भ की जा सकती है। दुधारू पशु, बोझा ढोने वाले पशु, लघु सिंचाई, ठेले, छोटी दुकानें, ग्रामोद्योग तथा अन्य गतिविधियां निदर्शी स्वरूप की योजनाएं हैं।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 मिलियन परिवारों के निर्धारित लक्ष्य में से जनवरी, 1984 तक 11.02 मिलियन परिवारों को लाभ पहुंचा है। राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाले विवरण संलग्न है।

विवरण

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत के लिए गए लाभभोगी

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों का नाम	1980-83	1983-84 (जनवरी, 84 तक)	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	690112	132273	822385
2.	असम	82044	46380	128424
3.	बिहार	891153	240280	1131433
4.	गुजरात	395382	114185	509567
5.	हरियाणा	285831	74113	359944
6.	हिमाचल प्रदेश	128722	34208	162930
7.	जम्मू और काश्मीर	72481	18093*	90574
8.	कर्नाटक	330222	94945	425167
9.	केरल	304718	82286	387004

1 2	3	4	5
10. मध्य प्रदेश	779731	191091	970822
11. महाराष्ट्र	472191	142005	614196
12. मणिपुर	14753	4369	19122
13. मेघालय	18769	588	19357
14. नागालैंड	29286	5307	34593
15. उड़ीसा	491569	134674	626243
16. पंजाब	248663	61550	310213
17. राजस्थान	387661	112976	500637
18. सिक्किम	3449	1359	4808
19. तमिलनाडु	885111	173431	1058542
20. त्रिपुरा	30274	5897	36171
21. उत्तर प्रदेश	2094126	381395	2475521
22. पश्चिम बंगाल	200360	62414	262774
23. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	73	257	330
			24032
24. अरुणाचल प्रदेश	22342	1690	405
25. चण्डीगढ़	405	असूचित	522
26. दादरा तथा नगर हवेली	249	273	12189
27. दिल्ली	9628	2561	22533
28. गोवा, दमन तथा दीव	16992	5541	508
29. लक्षद्वीप	312	195	7686
30. मिजोरम	4169	3616*	—
31. पांडिचेरी	4834	1213	6047
अखिल भारत :	8895612	2129066	11024678

*नवम्बर, 1983 तक की सूचना ।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का क्रियान्वयन

1364. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू करने का है जिनमें अब तक कोई कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है;

(ख) क्या इस प्रकार के कार्यक्रम को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के गांवों में क्रियान्वित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम दिल्ली के गांवों में कब शुरू किया जा रहा है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) सरकार ने 15 अगस्त, 1983 से ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम नामक एक नई योजना सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में आरम्भ की है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारों को ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए दिए गए निर्देशों के अनुसार परियोजना प्रस्ताव तैयार करने हैं तथा उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की केन्द्रीय समिति को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना है। दिल्ली प्रशासन से एक परियोजना प्राप्त हुई है तथा उसकी जांच की जा रही है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन दी गई राजसहायता का दुरुपयोग

1365. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली राजसहायता के दुरुपयोग और उसके परिणामस्वरूप होने वाले कदाचारों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कदाचारों को रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) कुछ दुरुपयोगों की सूचना मिली है।

(ख) और (ग) आर्थिक-सहायता के दुरुपयोग को कम करने हेतु प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ

परिवर्तनों की छान-बीन की जा रही है। एक सुझाव शिक्षित बेरोजगारों के लिए घोषित सहायता की पद्धति को अपनाने की सम्भावना से सम्बन्धित है जिसका इस मंत्रालय में परीक्षण किया जा रहा है। इस पद्धति में आर्थिक-सहायता के लाभभोगियों को प्राप्त होने वाले ब्याज सहित बैंक में जमा किया जाता है तथा वसूलियों की किस्तों, जब वे देय हों, में समायोजित किया जाता है।

बिचौलियों की भूमिका को कम करने के लिए विपणन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम

1366. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विपणन व्यवस्था को मजबूत करने और बिचौलियों की भूमिका को कम करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) कृषि विपणन राज्य का विषय है। अधिकांश राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों ने कृषि बाजारों को नियमित करने हेतु कानून लागू कर दिए हैं जिसमें उत्पादकों के शोषण को रोकना भी शामिल है।

चुने हुए नियमित/ग्रामीण बाजारों के विकास की योजना के अन्तर्गत भारत सरकार कृषि बाजारों के लिए आधारभूत ढांचे की सुविधाओं का विकास करने हेतु निम्नलिखित दरों पर केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है :—

(1) वाणिज्यिक फसलों से संबंधित नियमित बाजार (जूट, कपास, मूंगफली, काजू, नारियल, तम्बाकू, आलू, प्याज, मिर्च तथा पान के पत्ते)
—4 लाख रुपए प्रति बाजार

(2) कमांड क्षेत्रों में स्थिति नियमित बाजार —5 लाख रुपए प्रति बाजार

(3) फलों तथा सब्जियों के सीमान्त बाजार —15 लाख रुपए प्रति बाजार

(4) प्राथमिक ग्रामीण बाजार —1.50 लाख रुपए प्रति बाजार

(5) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम तथा पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल किए गए पिछड़े इलाकों के थोक बाजार
—5 लाख रुपए प्रति बाजार

इस योजना के अन्तर्गत 31-3-1985 तक विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के 2420 कृषि बाजारों के विकास हेतु 3794 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई है।

गुजरात सरकार द्वारा की गई वस्तुओं की मांग

1367. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार द्वारा जनवरी, 1983 से दिसम्बर, 1983 तक की प्रत्येक तिमाही में चावल, गेहूं, अनाज, चीनी, खाद्य तेल, कंट्रोल का कपड़ा और मिट्टी के तेल की कितनी मांग की गई थी और उसमें से कितनी मांग स्वीकृत की गई थी तथा वास्तव में कितनी मात्रा में सप्लाई की गई थी और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ख) गुजरात की उक्त वस्तुओं की मांग को पूरा न करने के क्या कारण हैं और इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इस संबंध में अन्य ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

गेहूं : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं की गुजरात की मांग जनवरी-मार्च, 1983 तथा अप्रैल-जून, 1983 की प्रत्येक तिमाही के लिए 120,000 मीटरी टन तथा जुलाई-सितम्बर, 83 और अक्तूबर-दिसम्बर, 1983 की तिमाहियों के लिए क्रमश: 60,000 मी० टन और 50,000 मीटरी टन थी । इन चारों तिमाहियों के लिए प्रत्येक तिमाही में 52,500 मीटरी टन मात्रा का आबंटन किया गया है ।

चावल : चावल की मांग 75,000 मी० टन रही है, जबकि वर्ष 1983 की प्रत्येक चारों तिमाहियों के लिए प्रत्येक तिमाही में 22,500 मी० टन मात्रा आबंटित की गई है ।

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आबंटन, केन्द्रीय पूल में स्टाक की समग्र उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की तुलनात्मक जरूरतों, बाजार में इनकी उपलब्धता तथा अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए मास-दर-मास आधार पर किया जाता है । मासिक समीक्षाओं के परिणामस्वरूप, जहां कहीं जरूरी होता है; आबंटनों में वृद्धि/कमी की जाती है । केन्द्रीय पूल से किया जाने वाला आबंटन केवल खुले बाजार में उपलब्ध मात्रा की अनुपूर्ति के रूप में किए जाते हैं ।

चीनी : गुजरात को जनवरी-मार्च, 83, अप्रैल-जून, 83 और जुलाई-सितंबर, 83 की तीनों तिमाहियों में प्रत्येक तिमाही के लिए 43,299 मीटरी टन तथा अक्तूबर-दिसंबर, 83 के लिए 46,083 मी० टन का कोटा दिया गया है । इस कोटे के अतिरिक्त राज्य में सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों के लिए भी कुछ मात्रा दी गयी है । इसके अलावा, गुजरात सरकार को अक्तूबर और नवम्बर, 1983 के महीनों के दौरान त्यौहारों के लिए 2,456 मी० टन चीनी आबंटित की गयी थी । सितंबर, 1983 में, राज्य सरकार ने अनुरोध किया था

कि 1981 से आबादी में हुई वृद्धि के आधार पर उनका मासिक कोटा बढ़ाकर 15,512 मी० टन किया जाए । तथापि, 1-10-1983 को अनुमानित आबादी के आधार पर अक्तूबर, 1983 से राज्यवार लेवी-कोटे में वृद्धि किए जाने के परिणामस्वरूप गुजरात सरकार को 15,361 मी० टन का मासिक कोटा आबंटित किया जा रहा है, जोकि राज्य सरकार द्वारा मांगी गई वृद्धि से केवल थोड़ा सा ही कम है ।

खाद्य तेल : जनवरी-मार्च, 1983, अप्रैल-जून, 1983 तथा जुलाई-सितम्बर, 1983 की तिमाहियों में खाद्य तेल की मांग प्रति तिमाही 29,250 मी० टन है और अक्तूबर-दिसंबर, 1983 की तिमाही के लिए 27,084 मी० टन रही है । इन चार तिमाहियों में क्रमश: 9,780 मी० टन, 11,700 मी० टन, 21,000 मी० टन और 19,000 मी० टन खाद्य तेल आबंटित किए गए ।

खाद्य तेल का सीमित मात्रा में आयात करने के कारण केन्द्रीय सरकार के लिए किसी राज्य सरकार की सम्पूर्ण आवश्यकता को पूरा करना सम्भव नहीं है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आबंटित किए जाने वाले आयातित खाद्य तेल, केवल राज्य में देशीय तेलों की उपलभ्यता की अनुपूर्ति के लिए होते हैं । किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को प्रति माह आबंटित किए जाने वाले आयातित खाद्य तेलों की वास्तविक मात्रा का निर्धारण, राज्य में देशीय तेल की उपलभ्यता, राज्य व्यापार निगम के पास मौजूद भंडार, खपत के स्वरूप, पिछले वर्षों में तेल उठाने की गति तथा अन्य संगत बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ।

मिट्टी का तेल : गुजरात राज्य को जनवरी-मार्च, 83, अप्रैल-जून, 83, जुलाई-सितम्बर, 83 तथा अक्तूबर-दिसंबर, 1983 की तिमाहियों में मिट्टी के तेल का क्रमश: 1,29,700 मी० टन, 1,19,100 मी० टन, 1,22,100 मी० टन तथा 1,35,000 मी० टन आबंटन किया गया । इन तिमाहियों के दौरान इसकी बिक्री क्रमश: 1,22,159 मी० टन, 1,19,807 मी० टन, 1,22,776 मी० टन व 1,34,765 मी० टन हुई ।

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिनमें गुजरात शामिल है, की मिट्टी के तेल की आवश्यकता का निर्धारण, उन्हें विगत में किए गए आबंटनों/उनके द्वारा विगत में की गई बिक्री तथा ऐसे आबंटनों/बिक्री पर 5 प्रतिशत की वृद्धि की दर के आधार पर किया जाता है । आबंटन, इस उत्पाद की समग्र उपलभ्यता, संचलन क्षमता आदि को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं । नियमित आबंटनों के अलावा, बाढ़, तूफान, सूखे आदि जैसी विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी, उचित समझे जाने पर, तदर्थ आबंटन किए जाते हैं । जुलाई, 1983 के दौरान गुजरात राज्य को 3,000 मी० टन का एक तदर्थ आबंटन किया गया था ।

कंट्रोल का कपड़ा : सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

1983 के दौरान सिंचाई सुविधाओं का लक्ष्य

1368. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जनवरी, 1983 से दिसम्बर, 1983 की अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) प्रत्येक राज्य द्वारा यह लक्ष्य कहां तक पूरा किया गया है और लक्ष्य पूरा न किए जाने के कारण क्या हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अपने-अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए जारी किए गए अथवा जारी किए जाने वाले निदेशों का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) लक्ष्यों और उपलब्धियों को कलेण्डर वर्ष के आधार पर नहीं दिया जाता है। 1982-83 के लिए लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे कुछ उपाय ये हैं (1) निर्माणाधीन परियोजनाओं को उनके लिए संभव अधिकतम निधियां आबंटित करके पूर्ण करने में प्राथमिकता देना, (2) जिन निर्माण सामग्रियों की कमी है उनकी पर्याप्त मात्रा में सप्लाई तथा इसके साथ-साथ इन सामग्रियों की परियोजना स्थलों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर विशेष प्रयास करना, (3) परियोजनाओं की राज्य स्तर पर तथा चुनी हुई परियोजनाओं को केन्द्रीय स्तर पर मानीटरिंग करना, तथा (4) निजी व्यक्तिगत/सामुदायिक लघु सिंचाई स्कीमों को शुरू करने हेतु छोटे एवं सीमान्त किसानों की सहायता करने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा 1983-84 के दौरान एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम को आरंभ करना।

विवरण

लक्ष्य एवं बृहद और मध्यम परियोजनाओं से 1982-83 के दौरान सृजित की जाने वाली अतिरिक्त क्षमता (प्रत्याशित)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लक्ष्य			उपलब्धियां		
		बृहद एवं मध्यम	लघु	कुल	बृहद एवं मध्यम	लघु	कुल
1	2	3	3	4	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	81	55	136	103	57·1	160·1
2.	असम	9	19	28	16	20·4	36·4
3.	बिहार	95	161	256	95	196.0	291
4.	गुजरात	47	41·6	88·6	45	21.0	66
5.	हरियाणा	31	42	73	34	29·5	63·5
6.	हिमाचल प्रदेश	—	4	4	—	4	4
7.	जम्मू और कश्मीर	1	3.8	4·8	8	4·4	12·4
8.	कर्णाटक	87	26	113	49	22·6	71·6
9.	केरल	24	18	42	18	17·7	35·7
10.	मध्य प्रदेश	80	90	170	73	56·3	129.3
11.	महाराष्ट्र	119	46	165	119	51·6	170·6

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	मणिपुर	6	2	8	13	1·5	14.5
13.	मेघालय	—	2	2	—	2·9	2·9
14.	नागालैण्ड	—	1	1	—	2·82	2·82
15.	उड़ीसा	15	93	108	33	23·0	56·0
16.	पंजाब	22	40	62	49	40	89
17.	राजस्थान	74	28	102	77	39	116
18.	सिक्किम	—	1.5	1·5	—	1·0	1·0
19.	तमिलनाडु	10	25	35	11	32·51	3·51
20.	त्रिपुरा	—	1·30	1·30	—	2·10	2·10
21.	उत्तर प्रदेश	175	643	818	135	703	838
22.	पश्चिम बंगाल	19	104·5	123·5	25	55·80	8 .80
	उप-जोड़ राज्य	895	1447·6	2342·6	903	1384·23	2287·23
	संघ राज्य क्षेत्र	—	2·4	2·4	—	7·21	7·21
	कुल योग	895	1450	2345	903	1391·44	2294·44

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् संस्थानों के लिए बजट योजना व्यय

1369. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के प्रत्येक संस्थान में 1 सितम्बर, 1983 तक बजट योजना व्यय कितने प्रतिशत हुआ और उसके बाद 1 मार्च, 1984 तक प्रतिमाह कितने प्रतिशत व्यय हुआ तथा इसके साथ-साथ जहां कहीं भी खर्चे की दरें असमानुपातिक पाई गई वहां परिषद् मुख्यालय के वित्त निदेशक ने क्या कोई कार्रवाई की है, यदि हां, तो क्या कार्रवाई की गई;

(ख) कुल वेतन और भत्ते; कार्यालय के आकस्मिक खर्चे, अन्य खर्चे, औजार, संयंत्र और उपकरण, भर्ती व्यय, पशुओं का चारा और देखरेख के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् बकरी संस्थान में 1981-82, 1982-83, में 1 अक्तूबर, 1983 तक तथा उसके बाद 1983-84 में 1 मार्च, 1984 तक हर महीने अलग-अलग उप-मदवार कितनी योजना धनराशि स्वीकृत की गई और कितनी वास्तव में उत्तरोत्तर खर्च हुई है;

(ग) वर्ष 1983-84 की पहली छमाही में और उसके बाद प्रतिमाह 1 मार्च, 1984 तक उप-मद वार उत्तरोत्तर स्वीकृत धनराशि की तुलना में अधिक व्यय का क्या औचित्य हैं; और

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बकरी संस्थान तथा प्रत्येक अन्य संस्थान द्वारा की गई वित्तीय असंगतियों के लिए सरकार का विचार क्या कार्रवाई करने का है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) संस्थानों के 1983-84 के बजट प्लान और सितम्बर, 1983 की समाप्ति तथा इसके बाद जनवरी, 1984 तक महीने वार व्यय के ब्यौरे के संबंध में विवरण संलग्न है (अनुबन्ध) । **[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7876/84]** माह फरवरी, 1984 के व्यय के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। संस्थानों में बजट आकलन के संबंध में व्यय की प्रगति की हर माह समीक्षा की जाती है। आवर्ती मदों जैसे स्थापना व्यय और आनुषंगिक व्यय आदि आनुपातिक होंगे, पूंजी गत मदों जैसे भवन और वस्तुओं का व्यय आनुपातिक नहीं हो सकता, क्योंकि सामान्य तौर पर इन्हें वर्ष के दूसरे भाग में बुक किया जाता है। संस्थानों की वास्तविक आवश्यकताओं को संशोधित अनुमान स्तर पर अनुसंधान संस्थानों के निदेशकों की सलाह से परिवर्तित किया जाता है और संशोधित अनुमानों के संबंध में व्यय की प्रगति पर भा०कृ०अ०प० के मुख्यालय में प्रतिमाह अनुश्रवण किया जाता है ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान से सूचना प्राप्त की जा रही है तथा इसे बाद में लोक सभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

(घ) यदि किन्हीं वित्तीय अनियमितता के मामलों का लेखा परीक्षा अथवा अन्य प्रकार से पता चलता है तो उसकी परिषद की शासी निकाय द्वारा जांच की जाती है तथा शासी निकाय के निर्णय के अनुसार उस पर विचार किया जाता है ।

कृषि सचिव के विदेश दौरे के बारे में रिपोर्ट

1370. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **कृषि मंत्री** कृषि सचिव के विदेश दौरे पर रिपोर्ट के बारे में 5 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2006 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेश जाने वाले प्रत्येक सचिव से उसके स्वदेश लौटने के एक महीने के भीतर उससे लिखित रिपोर्ट मांगती है या केवल मौखिक रूप से जैसा कि सचिव, डी० ए० आर० ई० के मामले में किया गया है तथा क्या सचिव से प्राप्त इस प्रकार की रिपोर्टों को शीघ्र कार्रवाई के लिए मंत्रालय में सभी सम्बन्धित लोगों में परिचालित किया जाता है;

(ख) स्वदेश लौटने पर सचिव डी० ए० आर० ई० को प्रतिनिधिमंडल के प्रत्येक सदस्य ने अपनी रिपोर्ट किस किस तारीख को दी तथा प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष ने प्रत्येक सदस्य को ऐसी रिपोर्ट देने के लिए किस तारीख को अनुरोध किया था;

(ग) सचिव (डी० ए० आर० ई०) ने सरकार को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की; और

(घ) अगस्त, 1982 में चीन का दौरा करने वाले प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य क्या था तथा इसमें शामिल प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा क्या है और उन्हें किस आधार पर प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया गया था ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) विदेशों में सरकारी यात्राओं पर भेजे वाले अधिकारियों को एक महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट देनी होती है। ऐसी रिपोर्टों में की गयी सिफारिशों की जांच की जाती है और जहां-जहां आवश्यक हो सभी सम्बन्धित अधिकारियों आदि को आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही के लिए भेजा जाता है ।

(ग) ऐसी रिपोर्ट को अन्तिम रूप देना एक निरन्तर प्रक्रिया थी और इसमें सदस्यों द्वारा प्रारम्भिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, उनके साथ हुए विचार-विमर्शों, पुनः मसौदा लेखन, सम्पादन और शिष्टमण्डल के नेता के साथ हुए विचार-विमर्श को भी साथ-साथ दिया जाता है । इसकी समेकित रिपोर्ट को सम्बन्धित सदस्यों को उनके अन्तिम सम्पादन और विचार जानने के लिए पुनः दिया गया था । इन समस्त औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद, इस लम्बी रिपोर्ट को अन्तिम रूप देकर प्रस्तुत किया जा सकता है ।

(ग) सचिव, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग तथा महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नेतृत्व में चीन में गए भारतीय शिष्टमण्डल की लिखित रिपोर्ट को अक्तूबर, 1983 के दौरान प्रस्तुत किया गया था ।

(घ) इस शिष्टमण्डल के विचारणीय विषय हित के निम्नलिखित क्षेत्रों तक परिसीमित थे :—

(i) संकर चावल का उत्पादन और इससे सम्बद्ध कृषि तकनीकें;

(ii) आलू, तम्बाकू और मूंगफली की फसल उत्पादन तकनीकें;

(iii) समाकलित कीट तथा रोग प्रबन्ध प्रणाली;

(iv) फार्म तथा पशु छीजन का पुनचर्चक्र;

(v) बायोगैस प्रौद्योगिकी;

(vi) ऐजोला कल्चर;

(vii) चावल प्रतिरोपण तथा अन्य कृषि मशीनरी;

(viii) अन्तः जल जीव जन्तु पालन;

(ix) फसल पशुधन समाकलित प्रणाली;

(x) कृषि-वानिकी; तथा

(xi) मृदा तथा जल संरक्षण, जल प्रबन्ध तथा निकासी ।

शिष्टमण्डल के प्रत्येक सदस्यों का विवरण नीचे दिया गया है :—

	नाम	शाखा	दर्जा
1.	डा० ओ० पी० गौतम, महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा सचिव, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग, नई दिल्ली ।	सस्य विज्ञान	नेता
2.	डा० एन० जे० जोशी, वन उप-महानिरीक्षक, कृषि तथा सहकारिता विभाग, नई दिल्ली ।	वानिकी	सदस्य
3.	डा० एम० वी० राव, उप-महानिदेशक, (फसल विज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ।	फसल विज्ञान	सदस्य
4.	डा० एस० एन० द्विवेदी, निदेशक, केन्द्रीय मात्स्यकी शिक्षा अनुसंधान संस्थान, बम्बई ।	मात्स्यिकी	सदस्य

	नाम	शाखा	दर्जा
5.	डा० आर० वी० सूर्यनारायण, निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।	जल प्रबंध	सदस्य
6.	डा० एन० एन० गोस्वामी, प्रभागाध्यक्ष, मृदा विज्ञान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ।	मृदा कार्बनिक पुनर्चक्र और वायोगैस	सदस्य

अलग-अलग शाखाओं जैसे सस्य विज्ञान, वानिकी, फसल विज्ञान, मात्स्यिकी, प्रबंध और जल मृदा विज्ञान का प्रतिनिधित्व करने के लिए इन सदस्यों को शामिल किया गया था ।

दाने और चारे पर खर्च की गई धनराशि

1371. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रत्येक परियोजना के अन्तर्गत छठी और सातवीं योजना के दौरान 1-3-1984 तक वर्षवार व केन्द्रवार पशुओं की प्रत्येक जाति के लिए दाने और चारे पर कुल कितना खर्च हुआ; तथा इसकी तुलना में वार्षिक राजस्व कितना प्राप्त हुआ;

(ख) इनमें से प्रत्येक केन्द्र कब शुरू हुआ तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने दिनांक 15 फरवरी, 1984 तक उनके लिए कुल कितनी धनराशि जारी की है;

(ग) अनुसंधान के निष्कर्षों के ऐसे केन्द्रवार और परियोजनावार परिणाम क्या रहे जहां किसानों को पशुओं के सुधार के लिए इन्हें क्रियान्वित किया गया था, इन्हें कहां और कब क्रियान्वित किया गया था और जहां कहीं इन्हें अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है तो उसके क्या कारण हैं तथा उन निष्कर्षों को क्षेत्र स्तर पर कब क्रियान्वित किया जाएगा; और

(घ) ऐसे सम्बद्ध परियोजना समायोजकों का निदेशकों के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्रवाई करने का है जहां इतनी भारी धनराशि के खर्च करने तथा इतना समय बीत जाने के बावजूद कोई लाभकारी परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं और यदि कोई कार्रवाई करने का विचार नहीं है, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसे यथासम्भव सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन करनाल स्थित डेरी संस्थान के वैज्ञानिकों में असन्तोष

1372. **श्री कमला मिश्र मधुकर** :

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के करनाल स्थित डेरी संस्थान के वैज्ञानिकों के

बीच फैले असंतोष की जानकारी 1983 में हुई एक बैठक के दौरान डेरी संस्थान के तत्कालीन संयुक्त निदेशक की उपस्थित में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक को व्यक्तिगत रूप से दे दी गई थी, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया ब्यौरा क्या है तथा महानिदेशक ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं;

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक द्वारा करनाल डेरी के 1982, 1983 और 15 फरवरी, 1984 तक किए गए प्रत्येक दौरे की तारीख और उद्देश्य क्या रहे; और

(ग) सरकार का विचार करनाल डेरी संस्थान में कार्य की स्थिति सामान्य बनाने के लिए क्या कार्रवाई करने का है, ताकि यह संस्थान हरियाणा में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की अपनी भूमिका पूरी कर सके ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कार्मिक तथा वित्तीय प्रबन्ध, वैज्ञानिक कार्यक्रमों के प्रशासन तथा कार्यान्वयन से सम्बन्धित सामान्य हितों के मामलों पर, जिसमें कुछ सामान्य समस्याएं भी हैं, स्टाफ-सदस्यों से विचार-विमर्श करने के लिए मिले थे। उपरोक्त बैठकों में संस्थान के वैज्ञानिकों के बीच असन्तोष के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के नोटिस में कोई बात नहीं लाई गयी। यह सूचना श्री इन्द्रजीत गुप्ता द्वारा पूछे गए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4627 जिसका उत्तर 22-8-83 को दिया जाना था, का जवाब पहले ही लोक सभा सचिवालय को दिया गया था।

(ख) सूचना निम्न प्रकार हैं :—

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के दौरे की तिथि	दौरे का उद्देश्य
13-12-82	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय समिति संख्या 6 की बैठक में भाग लेने हेतु ।
21-7-83	कृषि-वानिका पर कार्यशाला में भाग लेने तथा राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान के दौरे पर ।
6—7-1-84	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संयुक्त कर्मचारी परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए ।

(ग) राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान सामान्य रूप से कार्य कर रहा है । इस संस्थान को कोई आदेश नहीं है कि वह हरियाणा में दूध उत्पादन बढ़ाने के कार्य को पूरा करे क्योंकि वह एक

राज्य का विषय है और यह आशा की जाती है हरियाणा डेरी विकास प्राधिकारी तथा कृषि विश्वविद्यालय इस कार्य को पूरा करेंगे। संस्थान द्वारा विकसित की जाने वाली प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान ने प्रौद्योगिकी को विकसित करने तथा तकनीकी सूचना देने में अपनी भूमिका अदा की है।

छठी योजना के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की योजनाएं

1373. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रत्येक संस्था/ब्यूरो/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र की 1 मार्च, 1984 तक की प्रस्तावित नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) प्रत्येक मामले में स्थान-चुनाव समितियों का ब्यौरा क्या है तथा स्थान निर्धारण को अंतिम रूप से तय करने के लिए क्या मापदंड अपनाए गए;

(ग) इन नए कार्यक्रमों में से प्रत्येक पर कितना धन व्यय किया गया और 1983-84 के दौरान, 1 मार्च, 1984 तक कितना व्यय किया गया तथा इसके साथ-साथ इसके लिए योजना बजट में कितनी धनराशि रखी गई और उत्तरोत्तर संशोधित प्राक्कलन क्या हैं;

(घ) ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध जिन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्थाओं/परियोजना केन्द्रों के लिए, विशेषकर भेड़ अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत भेड़ और बकरी अनुसंधान संस्थानों और सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में अनुसंधान केन्द्रों के लिए गलत स्थानों की सिफारिश की सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्रवाई करने का है तथा इसके साथ ही भेड़ परियोजना के अन्तर्गत केन्द्रों के लिए सिक्किम और हिमाचल प्रदेश का दौरा करके वहां केन्द्रों की उपयुक्तता प्रमाणित करने वाले अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक केन्द्र पर आरम्भ से लेकर अब तक कुल कितना खर्चा हुआ ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) अद्यतन सूचना अनुबंध-I में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०7877/84]

(ख) अद्यतन सूचना अनुबंध-I में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 7877/84]

(ग) अद्यतन सूचना अनुबंध-I में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 7877/84]

(घ) समन्वित प्रायोजनाओं की यूनिटों के स्थान निर्धारण का निर्णय उन राज्यों/कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा लिया जाता है, जहां पर ये स्थित हैं। फिर भी, भेड़ प्रायोजना की सिक्किम

यूनिट के मामले में तत्कालीन निदेशक, केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, भेड़ प्रजनन प्रायोजना ने सिक्किम में अनेक स्थानों का भ्रमण किया और उन्होंने मानव तथा पशु आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रबन्ध पद्धति सहित दो अलग-अलग स्थानों के निर्धारण का सुझाव दिया। दूसरी ओर, हिमाचल प्रदेश में ताल केन्द्र के लिए किसी स्थान चयन समिति का गठन नहीं किया गया है। राज्य सरकार द्वारा पहले से दिखाई गई अपेक्षित भूमि उपलब्ध नहीं हुई।

(ङ) उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए भा०कृ०अ०प० के किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता। दो केन्द्रों के व्यय का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 7877/84]

सरकारी आवास में रह रहे मकान मालिक कर्मचारियों का ब्यौरा

1374. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय और दिल्ली/नई दिल्ली में स्थिति उसके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में काम करने वाले ऐसे कितने सरकारी कर्मचारी हैं जिन्हें गृह निर्माण ऋण मंजूर किया गया है और गत तीन वर्षों के दौरान जिनके मकानों का निर्माण पूरा हो गया है;

(ख) उनमें से कितनों को सरकारी आवास प्राप्त हैं तथा उनमें से कितने सरकारी आवास खाली करके अपने मकानों में चले गए तथा उनमें से कितनों ने अपने सरकारी आवास खाली न करके उन्हें किराए पर दे दिया है; और

(ग) ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, जिन्हें सामान्य पूल आवास के आबंटन नियमों का उल्लंघन करते पाया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) वित्तीय वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 (फरवरी, 1984 तक) के दौरान 35 कर्मचारियों के लिए मकान निर्माण अग्रिम राशि मंजूर की गई थी। इनमें से 14 कर्मचारियों ने निर्माण कार्य पूरा कर लिया है।

(ख) 14 कर्मचारियों में से, 10 कर्मचारियों को सरकारी आवास का आबंटन किया गया था। मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचनानुसार, इनमें से कोई भी कर्मचारी अपने मकान में नहीं गया है अथवा न ही सरकारी आवास को आगे किराए पर दिया है।

(ग) इस समय लागू अनुदेशों के अनुसार, जिन सरकारी कर्मचारियों के अपने मकान हैं, उन्हें सरकारी आवास में निरन्तर रहने की इजाजत है। आवास के आबंटन-नियमों के उल्लंघन का कोई मामला मंत्रालय के नोटिस में नहीं आया है।

निजी मकान होते हुए भी सरकारी मकानों में रहने वाले कर्मचारियों का ब्यौरा

1375. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में तथा दिल्ली और नई दिल्ली स्थित उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में कितने कर्मचारियों को आवास निर्माण ऋण स्वीकृत किया गया और जिन्होंने इस बीच अपने मकानों का निर्माण पूरा भी कर लिया है;

(ख) उपरोक्त कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों के पास सरकारी मकान हैं और उनमें से कितने कर्मचारी सरकारी आवास खाली करके अपने निजी मकानों में चले गए हैं तथा उनमें से कितने कर्मचारियों ने सरकारी आवास खाली नहीं किए हैं बल्कि उन्हें किराए पर चढ़ा दिया है; और

(ग) जनरल पूल आवास नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में कृषि उत्पादन

1376. **श्री आर० आर० भोले** : क्या **कृषि मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में 1973-83 की अवधि के दौरान चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार और दालों का प्रतिवर्ष कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या उक्त राज्य कृषि उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रतिवर्ष गन्ने और रूई का कुल कितना उत्पादन हुआ तथा अन्य फसलों के मुकाबले उक्त फसलों की खेती कितनी भूमि पर की जाती है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) फसल वर्ष 1972-73 से 1982-83 तक के लिए महाराष्ट्र में चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार तथा दालों का उत्पादन प्रदर्शित करने वाला वर्ष-वार विवरण संलग्न है। (विवरण-1)

(ख) यह राज्य सामान्य तौर से खाद्यान्नों में आत्म-निर्भर नहीं है, परन्तु यह अनेक कृषि जिंसों अर्थात् गन्ना, प्याज, कपास आदि का फालतू उत्पादन करता है।

(ग) आवश्यक जानकारी संलग्न विवरण 1 तथा 2 में दी गई है।

विवरण—I

महाराष्ट्र में विभिन्न फसलों का उत्पादन

(100 मीटरी टन/गांठें)

वर्ष	चावल	गेहूं	बाजरा	ज्वार	कुल दालें	गन्ना	कपास (170 कि० ग्राम की प्रत्येक गांठ हजार गांठों में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1972-73	745.8	248.5	204.2	1245.7	451.0	11917.7	1115.3
1973-74	1600.1	514.0	857.1	2835.4	977.4	12943.0	1015.7
1974-75	1398.9	775.7	587.1	3651.8	1041.6	17178.1	1716.6
1975-76	2254.7	1260.2	581.3	3455.4	1168.3	18869.6	771.5
1976-77	2003.3	937.6	680.5	4710.2	977.1	21498.9	832.7
1977-78	2344.1	962.3	648.7	5109.7	1012.5	23319.6	1263.4
1978-79	2200.8	951.3	539.3	4881.4	1034.1	22482.0	1317.1
1979-80	1828.5	1006.0	607.1	5464.1	1037.6	19819.3	1695.0
1980-81	2360.6	931.3	759.9	4427.5	831.2	23590.6	1268.6
1981-82	2435.4	988.5	778.6	4891.1	1039.1	28779.6	1464.8
1982-83	1948.8	803.3	444.9	4652,5	962.9	31360.3	1626.2

विवरण—2

महाराष्ट्र में गन्ना, कपास तथा खाद्यान्नों के अन्तर्गत क्षेत्र

(लाख हैक्टार)

वर्ष	गन्ना	कपास	कुल खाद्यान्न
1	2	3	4
1972-73	1.46	25.31	104.71
1973-74	1.65	22.47	138.33
1974-75	1.85	25.02	133.98
1975-76	2.12	23.10	140.11
1976-77	2.41	21.20	141.88
1977-78	2.46	23.14	144.55
1978-79	2.44	25.08	140.80
1979-80	2.22	25.88	140.76
1980-81	2.56	26.67	140.50
1981-82	2.97	27.10	142.19
1982-83	3.26	26.55	136.04

महाराष्ट्र को कुएं खोदने के लिए राजसहायता

1377. **श्री आर० आर०** : क्या **भोले ०सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में छोटे किसानों को बिना पानी वाली भूमि में कुएं खोदने के लिए 1981-82, 1982-83 और 1984-85 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को राजसहायता के रूप में कितनी धनराशि देने की पेशकश की गई थी; और

(ख) इस प्रकार कितने कुएं खोदे गए तथा इस काम पर राज्य योगदान सहित कितनी धनराशि खर्च की गई ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) संविधान के अन्तर्गत "जल" राज्य-विषय है। लघु सिंचाई की सभी स्कीमें, जिनमें छोटे किसानों की भूमि में कूंओं की खुदाई की स्कीमें शामिल हैं, राज्य सरकार द्वारा आयोजित, स्वीकृति तथा क्रियान्वित की जाती हैं और ये स्कीमें संवीक्षा अथवा स्वीकृति के लिए केन्द्र के पास नहीं आतीं। छोटे किसानों

द्वारा कूओं की खुदाई की मद एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी० पी०) और अब वर्ष 1983-84 के दौरान कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू की गई छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता देने की स्कीम के अन्तर्गत भी सब्सिडी के लिए पात्र है। दोनों स्कीमों में छोटे किसानों के लिए सब्सिडी की दर 25 प्रतिशत है। राज्य सरकार को यह सब्सिडी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत और कृषि मंत्रालय द्वारा लघु और सीमांत किसानों को सहायता देने की स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को 50 प्रतिशत की बराबर की राशि के आधार पर रिलीज की जाती है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, समग्र कार्यक्रम के लिए, जिसमें खुदाई कूओं सहित लघु सिंचाई भी शामिल है, सब्सिडी रिलीज की जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता नीचे दी जाती है :

वर्ष	केन्द्रीय सहायता (लाख रुपए)
1981-82	693.02
1982-83	1038.00
1983-84	926.00 (फरवरी, 1984 तक)

कृषि मंत्रालय ने अपनी स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 के दौरान वर्ष की पहली तीन तिमाहियों के लिए, लघु सिंचाई स्कीम हेतु जिसमें खुदाई कुएं भी शामिल हैं, केन्द्रीय सहायता के रूप में 370 लाख रुपए की धनराशि रिलीज की है।

महाराष्ट्र के बारानी खेती वाले छोटे किसानों को उर्वरकों की सप्लाई

1378. **श्री आर० आर० भोले** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार में बारानी खेती वाले किसानों और सिंचित भूमि वाले किसानों को, 1981 से 1983 के दौरान प्रति वर्ष, कितनी-कितनी मात्रा में उर्वरक सप्लाई किए गए; और

(ख) इन पर कितना व्यय हुआ ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) 1981 से 1983 के दौरान महाराष्ट्र सरकार द्वारा बारानी खेती वाले छोटे किसानों को निम्नलिखित उर्वरक मिनिकिट वितरित किए गए :—

वर्ष	वितरित किए गए उर्वरक मिनिकिटों की संख्या
1981-82	शून्य
1982-83	99984
1983-84	881315

उन किसानों, जिनके पास सिंचित भूमि है, को उर्वरक मिनिकिट वितरित नहीं किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे किसानों को फास्फेट-युक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों के लिए राजसहायता देने की व्यवस्था की गई है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरक मिनिकिटों के वितरण के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा वहन किया गया खर्च नीचे दिया गया है :—

वर्ष	किया गया व्यय (लाख रुपए)
1981-82	शून्य
1982-83	29.99
1983-84	248.37

'अमान' धान की अधिक पैदावार वाली किस्मों का विकास

1379. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'अमान' धान की अधिक पैदावार वाली किस्मों के विकास के लिए कोई अनुसंधान किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां, महोदया।

(ख) सम्मिलित अनुसंधान प्रयत्नों के परिणामस्वरूप, अमन मौसम के लिए उपयुक्त कई अधिक उपज देने वाली किस्में विकसित की गई हैं। सेन्ट्रल वेरायटी रिलीज कमेटी तथा स्टेट वेरायटी रिलीज कमेटी द्वारा निम्नलिखित प्रमुख फसलें रिलीज की गईं :—

रिलीज करने वाली समिति का नाम	शैलो सबमरजेंस	इन्टरमीडिऐट सबमरजेंस
1	2	3
सेन्ट्रल वेरायटी रिलीज कमेटी	पंकज, जगन्नाथ अनामिका, सावित्री	
राज्य		
आंन्ध्र प्रदेश	एन एल आर 9672, नागावली, कोथा	9674, बरूयाहुन्डस,

1	2	3
	स्वर्ग, सौभाग्य,	बदवा माहसुरी
बिहार	—	जानकी, जयश्री
महाराष्ट्र	आई जी पी-37	
उड़ीसा	सामलाई	उतकल प्रभा (सी आर-1030)
पांडिचेरी	पदुनावई पूनवी-1	
	पुन्नी (हह श्री) को 36,	भगवती को 40
	पाईयार-1, को-43	(राजा रत्न) को 42,
उत्तर प्रदेश		मधुकर/जलमग्न
पश्चिम बंगाल	लक्ष्मी, बाकू, कुन्ती,	जलाधि-1, बिरज
	मुनाल	सुरेश

ये किस्में बेहतर उपज क्षमता, पर्याप्त रोगरोधी तथा कीटरोधी तथा अधिक जल दशा के लिए उपयुक्त हैं। उदाहरण के लिए एक किस्म जिसका नाम सावित्री (सी आर-1009) है, इस किस्म से (60 कि०ग्रा० नाइट्रोजन/हैक्टर) माडरेट नाइट्रोजन का उपयोग करके किसानों के खेतों में 40 क्विंटल/हैक्टर से भी अधिक उपज ली गई है।

प्रत्येक राज्य में पूरी होने वाली सिंचाई परियोजाएं

1380. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में विशेष रूप से गुजरात राज्य में, ऐसी कितनी मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनके छठी पंचवर्षीय योजना तक पूरा किए जाने की सम्भावना है; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) विवरण सं० 1 संलग्न है।

(ख) सम्भवत: माननीय सदस्य गुजरात में उन परियोजनाओं की प्रगति जानना चाहेंगे जिसकी छठी योजना के दौरान पूरा होने की सम्भावना है। सूचना विवरण 2 में दी गई है।

विवरण—1

वे परियोजनाएं जिनकी 1984-85 तक पूरा होने की सम्भावना है

क्रम सं०	राज्य	बृहत स्कीमें	मध्यम स्कीमें	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	19	

1	2	3	4	5
2.	असम	शून्य	3	
3.	बिहार	1	16	
4.	गुजरात	3	10	
5.	हरियाणा	8	6	
6.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	2	
7.	जम्मू तथा काश्मीर	शून्य	6	
8.	कर्णाटक	2	4	
9.	केरल	4	शून्य	
10.	मध्य प्रदेश	3	35	
11.	महाराष्ट्र	4	18	
12.	मणिपुर	शून्य	1	
13.	मेघालय	शून्य	शून्य	
14.	नागालैंड	शून्य	शून्य	
15.	उड़ीसा	1	13	
16.	पंजाब	7	शून्य	
17.	राजस्थान	6	शून्य	
18.	सिक्किम	शून्य	शून्य	
19.	तमिलनाडु	2	12	
20.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	
21.	उत्तर प्रदेश	9	9	
22.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	
	संघ राज्य क्षेत्र	शून्य	शून्य	
	अखिल भारतीय जोड़ :	52	144	

विवरण—2

गुजरात में उन परियोजनाओं की प्रगति का विवरण, जिनके छठी योजना में पूरा होने की सम्भावना है

क्रम सं०	परियोजना का नाम	छठी योजना में आगे लाई गई लागत	छठी योजना के दौरान प्रत्याशित व्यय
1	2	3	4
एक—बृहत परियोजनाएं			
1.	साबरमती	2123	2123
2.	माही चरण-एक	394	394
3.	ककरापार	287	298
दो—मध्यम परियोजनाएं			
1.	सुखी	3773	4381
2.	मछनाला	668	705
3.	वीर-दो	672	764
4.	देव	1968	2318
5.	हदाफ	969	1063
6.	कोलिया	847	920
7.	झुज	1388	1495
8.	अबेन	546	580
9.	फोफल	45	44
10.	छप्परवाड़ी (जेतपुर)	50	50

ग्रामीण पेय जल प्रदाय योजना के लिए केरल को दी गई धनराशि

1381. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा ग्रामीण पेय जल प्रदाय योजना के लिए केरल को कुल कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) अब तक उस राज्य द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा इस योजना को कितने गांवों में क्रियान्वित किया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) केन्द्र ने छठी योजना अवधि के दौरान केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल सरकार को 26,1695 करोड़ रुपए की राशि दी है। इसमें से, केरल सरकार ने 1980-81 से 1982-83 तक के दौरान 16,0316 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है। इसके अतिरिक्त, निष्पादन पर आधारित नवीन प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान केन्द्र ने अनुदान सहायता के रूप में 4 करोड़ रुपए की राशि दी है। त्वरित ग्रामीण कार्यक्रम तथा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 1983-84 के लिए नियतन में से खर्च की गई राशि के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत, केरल सरकार को जलपूर्ति कार्यक्रम हेतु छठी योजना में 45 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इसमें से, 1980-81 से 1982-83 तक की अवधि के दौरान 16,2569 रुपए की राशि खर्च की गई है। केरल सरकार ने सूचित किया है कि छठी योजनावधि के दौरान 31 दिसम्बर, 1983 तक 398 समस्याग्रस्त ग्राम जलपूर्ति सुविधाओं से लाभान्वित किए जा चुके हैं।

भारतीय खाद्य निगम में जिला प्रबंधक के पद पर पदोन्नति

1382. **श्री भीखा भाई** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्धकों को हाल में यह सलाह दी है कि जिला प्रबन्धक के पद पर पदोन्नति के लिए सहायक प्रबन्धक (क्यू० सी०) को भी ध्यान में रखा जाए;

(ख) क्या इस निर्णय को लागू कर दिया गया और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उच्च न्यायालय के निर्णय पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी विनियमों के अनुसार जिला प्रबंधक का पद कैडर बाह्य पद है और किसी भी संवर्ग के उप-प्रबंधक को इस पर नियुक्त किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो जिला प्रबंधक के पद पर पदोन्नति/नियुक्ति के लिए सहायक प्रबंधक (क्यू० सी०) उप-प्रबंधक (क्यू० सी०) के मामलों पर विचार न किए जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 3-1-84 के अन्तरिम आदेश में भारतीय खाद्य निगम को याचिका पर और आदेश होने तक जिला प्रबंधक के पद पर प्रोन्नति देने के प्रयोजन हेतु तकनीकी संवर्ग में कार्य कर रहे कार्मिकों के बारे में विचार करने के निदेश दिए थे। इसके उपरान्त

निगम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में अन्तरिम रोक आदेश को निरस्त करने के लिए एक आवेदन पत्र दायर किया था। इस पर न्यायालय ने अपने पिछले आदेश में संशोधन कर दिया था, जिसके अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम को अधिकारी तैनात करते रहने के लिए अनुमति प्रदान कर दी थी। तथापि, भारतीय खाद्य निगम को यह निदेश दिए गए थे कि वे इस प्रकार की तैनाती के लिए पात्र तकनीकी कार्मिकों के बारे में विचार करें। ऐसा रिट-याचिका पर अन्तिम आदेश होने की शर्त पर था।

(ग) और (घ) जिला प्रबंधक का पद भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) विनियम, 1971 में शामिल नहीं है। यह निसंवर्ग का पद नहीं है बल्कि जिले में कार्य करने पर उप-प्रबंधक (सामान्य) के पद का बदला हुआ नाम है। जिला प्रबंधक का पद प्रोन्नति पद नहीं है और केवल जिला कार्यालय का उच्च अधिकारी रखने के इरादे से रखा गया पद है। सहायक प्रबंधकों (गुण-नियंत्रण) का अपने स्वयं के संवर्ग में उप-प्रबंधक (गुण नियन्त्रण) के रूप में प्रोन्नति का अपना चैनल है और इसलिए उनकी उप-प्रबंधक (सामान्य), जिसे जिला प्रबंधक का भी पदनाम दिया गया है, के पद पर प्रोन्नति करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

तमिलनाडु की तूफान-सहायता

13 3. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के तूफान पीड़ित लोगों को कितनी राशि की राहत दी गई है; और

(ख) उस बारे में तमिलनाडु सरकार की मांग क्या थी ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) तथा (ख) तमिलनाडु सरकार ने 7-1-1984 को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें समुद्री तूफान तथा अभूतपूर्व वर्षा के कारण जान तथा माल की क्षति बताई गई है। राज्य सरकार ने 101 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है जो केन्द्रीय दल को दिए गए उनके ज्ञापन में 129 करोड़ रुपए तक बढ़ाई गई, जिसने बाढ़ की स्थिति का मौके पर अध्ययन करने के लिए 29 जनवरी - 1 फरवरी, 1984 के बीच राज्य का दौरा किया। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर कार्यवाही की जा रही है। तथापि राज्य को केन्द्रीय सहायता की अधिकतम मंजूरी दी जाने तक शीघ्र राहत सम्बन्धी उपायों को शुरू करने के लिए तदर्थ आधार पर 15 करोड़ रुपए की रकम अग्रिम साधनोपाय के रूप में निर्मुक्त की गई है।

कर्मचारियों को मंजूर किए गए गृह निर्माण ऋण

1384. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय और दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित उसके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कितने सरकारी कर्मचारियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान गृह निर्माण ऋण मंजूर किए गए और उनमें से कितनों ने अपने मकानों का निर्माण पूरा कर लिया है;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों को सरकारी आवास आबंटित थे और उनमें से कितने

सरकारी आवास खाली करके अपने मकानों में चले गए हैं तथा उनमें से कितनों ने सरकारी आवास खाली नहीं किए हैं वरन् उन्हें किराए पर दे दिया है; और

(ग) उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है जिन्हें सामान्य पूल आवास के आबंटन के नियमों का उल्लंघन करते पाया गया था ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) कृषि मंत्रालय तथा दिल्ली/नई दिल्ली स्थित इसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में गत तीन कैलेण्डर वर्षों अर्थात् 1981, 1982 और 1983 के दौरान 41 सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम आवास निर्माण राशि स्वीकृत की गई थी। इनमें 34 सरकारी कर्मचारियों ने अब तक निर्माण कार्य पूरा कर लिया है।

(ख) और (ग) ऊपर (क) में उल्लिखित 41 सरकारी कर्मचारियों में से 22 सरकारी कर्मचारियों के पास उन्हें अग्रिम आवास निर्माण राशि स्वीकृत करने के समय सरकारी आवास था। उनमें से 21 के पास अब भी सरकारी आवास हैं, जबकि एक सरकारी कर्मचारी ने सेवा-निवृत्ति के बाद सरकारी आवास छोड़ दिया है। सरकारी आवास आबंटन से सम्बन्धित नियमों के अनुसार उन सरकारी कर्मचारियों, जिनके पास अपने मकान हैं, को भी सरकारी आवास आबंटित किया जा सकता है और ऐसे सरकारी आवास को रखने के लिए जैसा कि नियमों में दिया गया है, वसूल किए जाने वाले किराए के नियमन के तहत ऐसा कर्मचारी आबंटित सरकारी आवास को रख सकता है।

उपर्युक्त सरकारी कर्मचारियों द्वारा आबंटित सरकारी आवास को पुनः किराए पर उठाने (सब-लेट करने) के बारे में कोई रिपोर्ट इस मंत्रालय में नहीं प्राप्त हुई है।

"क्लूसा" तिलहन परियोजना

1385. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ी हुई उत्पादकता के उद्देश्य से 1978 में आरम्भ की गई क्लूसा तिलहन परियोजना मूंगफली के बारे में तीन राज्यों में 20 जिलों में थी और यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है और इसके अन्तर्गत आने वाले राज्यों में उत्पादन के सम्बन्ध में क्या उपलब्धि हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि परियोजना के अन्तर्गत अब वह कार्य भी ले लिया गया है जो अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट में नहीं था और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अपने अधिपत्र द्वारा 2 तिलहन कारखाने चलाने जैसे वाणिज्यिक कार्य करने के लिए प्राधिकृत हैं और यदि हां, तो विधि मंत्रालय के विचारों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय डेरी निगम आरम्भ करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि इसके नियुक्तियों के इस प्रकार के कार्यों से इसके कार्यचालन को क्षति न पहुंचे ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता

1386. **श्री मनोहर लाल सैनी :**

डा० सुब्रह्मण्डयम स्वामी :

श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अपनी अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए और वित्तीय सहायता उपलब्ध करने का निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार की मांग स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश को किस सीमा तक अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित सिंचाई स्कीमों तथा सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1983-84 के लिए 39.60 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता मांगी है।

परियोजना	वर्ष 1983-84 के अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)
1. मध्य गंगा नहर चरण-एक	14.00
2. पूर्वी गंगा नहर	8.00
3. सरजू नहर	15.00
4. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	2.60
	39.60

(ग) और (घ) केन्द्र में संसाधनों की कमी के कारण, चालू वर्ष में अतिरिक्त सहायता के अनुरोध पर सहमत होना सम्भव नहीं हो पाया है।

राज्यों में कपास उत्पादकों को राहत

1387. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में कपास उत्पादकों को, जिनकी फसल कीटनाशी दवाइयों से बुरी तरह नष्ट हो गई थी, 10 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या बहुत से राज्यों में कपास उत्पादकों को इस प्रकार नुकसान हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार प्रभावित प्रत्येक राज्य में उत्पादकों को कितनी सहायता दी गई है;

(घ) उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए और अधिक सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या दीर्घावधि उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां। केन्द्र सेरकार ने पंजाब सरकार को 10 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की, जिसमें साधनोपाय पेशगी के लिए 6 करोड़ रु० तथा अग्रिम योजना सहायता के लिए 4 करोड़ रु० शामिल हैं, ताकि कीटों से कपास की खड़ी फसल को क्षति की वजह सें अतिरिक्त व्यय की पूर्ति की जा सके।

(ख) और (ग) कीटों से हरियाणा में तथा महाराराष्ट्र और गुजरात के कुछ भागों में कपास की फसल को हानि हुई। इन राज्यों से सहायता प्राप्त करने के लिए कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। अन्य किसी भी राज्य से फसल की क्षति पहुंचने के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

(घ) पंजाब और हरियाणा राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर कार्यवाही की जा रही है।

(ङ) देश के प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में चल रहे केन्द्र प्रायोजित गहन कपास विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बीज, हवाई छिड़काव, भूमि से छिड़काव और वनस्पतिरक्षण/बुरकावक उपकरण के लिए राजसहायता उपलब्ध कराई जाती है। विस्तार एजेंसी द्वारा उत्पादकों का तकनीकी मार्ग-दर्शन भी किया जाता है।

नारियल के तेल का आयात

1388. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नारियल के तेल का आयात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से नारियल के तेल का आयात किए जाने का विचार है; और

(ग) कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के नारियल के तेल का अब आयात किए जाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) नारियल के तेल की आयात की जाने वाली वास्तविक मात्रा, अन्तर्राष्ट्रीय

बाजार में मूल्य-स्थिति, देशी बाजार में इनकी उपलभ्यता और मूल्य आदि पर निर्भर करेगी । राज्य व्यापार निगम खाद्य तेलों की खरीद करने के लिए साप्ताहिक टेंडर जारी करता है । यह खरीद प्राप्त हुए कोटेशनों के आधार पर, बिना इस बात का ध्यान किए कि किन स्रोतों द्वारा तेल का निर्यात किया जाएगा, की जाती है ।

— — — —

12.00

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको एक नोटिस दिया है कि मध्य प्रदेश के गवर्नर जिसको कानून की रक्षा करनी चाहिए···

अध्यक्ष महोदय : वह मेरे पास आया है । ऐसा है···

श्री राम विलास पासवान : जो संविधान की धारा 159 के अन्तर्गत कसम लेता है कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा और संविधान का आदर करूंगा, वह संविधान की रक्षा नहीं, बल्कि संविधान को डेस्ट्राय करने का काम कर रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : राम विलास जी, उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ।

श्री राम विलास पासवान : मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, मैंने नियम 193 के अधीन चर्चा की सूचना दी है···(**व्यवधान**)

गवर्नर को डिसमिस किया जाय ? यहां संसद में चर्चा करवाइए और राष्ट्रपति जी से आग्रह कीजिए···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : सुन तो लीजिए । देखिए आप गरम हो रहे हैं, मैं आप की ही बात कर रहा हूं ।

(**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : श्रीमन्, वह राष्ट्रपति के सेवक हैं और उन्हें संविधान की रक्षा करनी ही चाहिए । जो कुछ उन्होंने कहा है, यह अत्यधिक अपत्तिजनक है । उन्हें पदच्युत कर दिया जाना चाहिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, हम आपकी सलाह चाहते हैं, गवर्नर के आचरण पर यह सदन किस तरह से चर्चा करे ? हम एक सबस्टेन्टिव मोशन देने के लिए तैयार हैं लेकिन मध्य प्रदेश के गवर्नर ने जो आचरण किया है उस पर आलोचना होनी चाहिए ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मेरा अनुरोध यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यही कह रहा हूं आपसे । इनको जो आया था वह मैंने पढ़ा है । आपने

जो कानून और रूल्स बनाए हैं उसमें आपने लिखा है कि आप सीधे तरीके से गवर्नर और चीफ जस्टिस को यहां डिस्कस नहीं कर सकते ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कभी-कभी आप बात को सुनते क्यों नहीं हैं ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : सुनने की क्या बात है ? आरक्षण के विरुद्ध···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने सिर्फ इतना कहा है कि आप मेरी बात सुन लें । अगर आप नहीं सुनना चाहते तो मैं सुनाना नहीं चाहता । यह सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है । मैं कुछ बातें कह रहा था । वह उसे सुनने को तैयार नहीं हैं । मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूं । मैं कुछ बातें कह रहा हूं जोकि नियमों में हैं । बस यही बात है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेम्बरों की भावनाएं भड़की हुई हैं ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है । मैं कब चाहता हूं कि न भड़कें ? और भड़काइए और जागृत करिए । मैं तो सिर्फ यह कहता हूं···

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : वहां का गवर्नर भड़का रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : बगैर कानून के आप क्या करिएगा ? चलिए, आप बता दीजिए । आपकी बात हाउस माने । अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं । हम एक सबस्टैंटिव मोशन के जरिए यह डिस्कस कर सकते हैं । कानून में, संविधान में सारा कुछ हमारे पास है । लेकिन उसके करने से पहले सिर्फ एक बात मैं आप से बताता हूं कि गृह मंत्री भी यहां बैठे हैं । हमें इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि उन्होंने क्या कहा है ? कनफर्मेशन जरूर होना चाहिए ।

श्री राम विलास पासवान : इसका टेप है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह तो नहीं कहा कि टेप नहीं है या कुछ नहीं होगा । कन्फर्मेशन में आ जाएगा वह और आज इनको इसके लिए कहते हैं आपने इसे मुझे दे दिया है ।

श्री राम विलास पासवान : स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दें । सभी कुछ सामने आ जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कब इनकार किया है ? हाउस करता है मोशन के ऊपर । कानून आपने बनाया, विधान आपने बनाया, रूल्स आपने बनाए हैं ।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री राम विलास पासवान : गृह मंत्री से न कहें कि वह वक्तव्य दें।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आपकी टिप्पणी पर एक बात कहना चाहता हूं।

आपने स्पष्ट कहा है कि इस विषय को मूल प्रस्ताव के जरिए उठाया जा सकता है और आप गृह मंत्रालय को भी बीच में लाए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने भी सिक्किम के राज्यपाल के सम्बन्ध में एक सबस्टैंटिव मोशन रखा था। आप हमेशा ही कहते हैं कि वह आपको विचाराधीन है, लेकिन इन पर विचार नहीं किया जाता। हम नहीं जानते कि इन पर कब चर्चा की जाएगी? सिक्किम राज्यपाल के मामले का क्या हुआ? उनकी अवधि समाप्त होने जा रही है, लेकिन अभी तक प्रस्ताव पर···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मगर वह उसमें नहीं था। मगर कन्फर्म हो जाता तो मुझे कोई ऐतराज नहीं था।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : आपको सलाह देने के लिए कार्यमंत्रणा समिति है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नियम है, पहले हमें इसकी पुष्टि करानी होगी, और फिर नियम के अन्तर्गत मूल प्रस्ताव लाना होगा।

श्री राम विलास पासवान : इसकी पुष्टि कौन करेंगे? राज्यपाल ने इसका खण्डन किया है।

अध्यक्ष महोदय : कन्फर्म तो हमें करना है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्होंने पहले भाषण दिया, जब शोर-शराबा मचा तो उन्होंने खण्डन कर दिया।

गृह-मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : आपके आदेशानुसार, मैं मध्य प्रदेश सरकार से इसकी पुष्टि करूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : प्रश्न यह है : अब आपने कहा है कि गृह-मंत्री पुष्टि करके वक्तव्य दें···

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इसे अध्यक्ष महोदय को प्रेषित कर दिया जाएगा···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इन बातों की पुष्टि करना चाहता हूं, कोई और साधन हो तो आप मुझे बतला दीजिए।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं कह रहा हूं कि समाचार पत्रों की रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यपाल ने एक वाक्य में इसका जोरदार खण्डन किया है। यह भी कहा गया है कि इस भाषण के विडियो टेप भी हैं। अब मैं कह रहा हूं···

श्री राम विलास पासवान : जिस डाक्टर के पास टेप है, उसको हैरेस किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है।

श्री चन्द्रजीत यादव : रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति के पास यह टेप है, उस पर दबाव डाला जा रहा है कि वह इसे गवर्नर आदि को सौंप दें। मैं कह रहा हूं कि जब गृह-मंत्री इसकी पुष्टि करने जा रहे हैं तो उन्हें राज्यपाल के कृत्य के बारे में, सदन द्वारा व्यक्त की गई तीव्र प्रतिक्रियाओं के बारे में भी बता देना चाहिए। और यह भी कोशिश करनी चाहिए कि विडियो टेप सुरक्षित हैं और इस बारे में पता लगाना चाहिए···

अध्यक्ष महोदय : मैं यही कहना चाहता था, चन्द्रजीत जी ! इस किस्म का मसला बड़ा गम्भीर होता है और हमें पूरी अहतियात बरतनी चाहिए और उसके हिसाब से पूरी ठोस हकीकत पता लगानी चाहिए और पता लगाकर मुझे बतलाना चाहिए, क्योंकि प्रेस में जो आता है उस पर पूरी तरह डिपेण्ड नहीं किया जा सकता। अभी कल ही मैं भुवनेश्वर से प्लैन में आ रहा था, रास्ते में मैंने एक पेपर खोला – फ्री प्रेस जर्नल था—शायद सन्डे का था, उसके सेन्टर पेज पर मेरे मुताल्लिक लिखा था कि इनका एक लड़का हरियाणा की असेम्बली का मेम्बर है। मुझे तो आज तक यह पता ही नहीं था, किसी ने बतलाया ही नहीं, लेकिन उनको इतना ज्ञान था···

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उनको कैसे पता लगा ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आगे लिखा—मेरे एक रिश्तेदार हैं जो मेरे भतीजे थे, वह पंजाब असैम्बली के मेम्बर थे···

प्रो० मधु दण्डवते : आपकी जानकारी के बिना वे कैसे जान सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : पता नहीं। मेरे एक भतीजे थे उनकी डेथ हो गई है, वह भी पंजाब में मिनिस्टर थे—यह सब उनको पता लग गया। उनको यह भी पता लग गया कि बंसी लाल जी जो यहां बैठे हैं वे मेरे नजदीक के रिश्तेदार हैं। लेकिन यह मुझे पता नहीं था कि वह मेरे रिश्तेदार हैं। अगर मुझसे ही पूछ लिया होता तो मैं बतला देता, पता नहीं ऐसी बातें क्यों करते हैं। राजस्थान में एक मिनिस्टर थे, जिनके बाप का मुझे पता नहीं, मैं कभी उनके घर नहीं गया, उनके लिए लिख दिया कि वह भी मेरे रिश्तेदार हैं। इस तरह की बातें छापने से पहले उनको पता करना चाहिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपको उस व्यक्ति के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव रखने की अनुमति देनी चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : क्या यह आपके विचाराधीन है ?

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे मोशन दीजिए, वह हमें कन्फर्मेशन देंगे। मैंने पहले ही मंत्री से कहा है कि इसकी पुष्टि करायें।

श्री राम विलास पासवान : या तो मंत्री वक्तव्य दें···(**व्यवधान**)···मैंने मोशन दिया हुआ है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे भी एक निवेदन करना है। अगर किसी विधान सभा में कोई सदस्य यह कहे कि मैं पाकिस्तानी हूं और विधान सभा के अध्यक्ष उस पर कोई कार्यवाही न करें—मैं लोक सभा की सीमाओं को जानता हूं, हम किसी विधान सभा की कार्यवाही पर यहां बहस नहीं करना चाहते हैं—लेकिन एक गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है, एक विधान सभा का सदस्य विधान सभा में खड़ा होकर कह दे कि मैं पाकिस्तानी हूं और वहां के अध्यक्ष ने न तो उस वाक्य को निकाला···

अध्यक्ष महोदय : पहली बात तो यह है कि वह विधान सभा का सदस्य नहीं हो सकता और यह असंवैधानिक है। इसका कैसे एलाऊ किया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता लेकिन मेरी अपनी कठिनाई है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी भी कठिनाई है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तो फिर इसको कैसे करें?

अध्यक्ष महोदय : बैठ कर इस पर बात कर लें। बैठ कर विचार कर लें।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : श्रीमन्, शुक्रवार को आपने मुझे विश्वास दिलाया था कि इस विषय पर मेरी सूचना पर विचार किया जाएगा। जैसाकि आप जानते हैं कि यह बहुत ही अभूतपूर्व बात है कि जम्मू और काश्मीर विधान सभा का एक सदस्य, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति की निन्दा करता है और मकबूल बट्ट को फांसी दिए जाने की आलोचना करता है और अब कहता है कि मैं एक पाकिस्तानी हूं।

अध्यक्ष महोदय : हम इकट्ठे बैठ कर एक-दूसरे से विचार-विमर्श करेंगे। यह एक नई स्थिति है, जिस पर हम सबको विचार करना है।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन्, मैंने पहले ही आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाया है कि सरकार ने दिल्ली के आस-पास के गांवों के किसानों को संसद तक आने की अनुमति नहीं दी। वे भूमि अर्जन अधिनियम में संशोधन के लिए ज्ञापन देना चाहते थे। उनको आने और ज्ञापन देने की अनुमति नहीं दी गई। कृपया इस पर विचार कर निदेश जारी करें कि···

अध्यक्ष महोदय : मैं ज्ञापन प्राप्त करने के लिए हर समय तैयार रहता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया सम्बन्धित मंत्री से कहें कि वे मामले पर वक्तव्य दें।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : आज के अखबारों में यह समाचार आया है कि सुल्तानपुर, जोकि उत्तर प्रदेश में है, वहां पर दो हरिजनों को गोली से उड़ा दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो स्टेट सब्जेक्ट है ।···(**व्यवधान**)···

श्री रामावतार शास्त्री : वे हरिजन हैं ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह हमेशा होता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसमें क्या करूं । यह स्टेट सबजेक्ट है और वह इसमें कुछ कर सकती है। यह स्टेट गवर्नमेंट के अख्तियार की बात है । उसकी जो मर्जी हो, वह करे । मेरे बस् की यह बात नहीं है । अनुमति नही है, उनको भी वही अधिकार, विशेषाधिकार और सुरक्षा मिलनी चाहिए । राज्य विधान मण्डल को चाहिए कि वह इस पर कार्यवाही करे ।

(**व्यवधान**)**

श्री रामावतार शास्त्री : आप इस पर एक कालिंग एटेंशन एलाऊ कर दें ।

अध्यक्ष महोदय : आज कालिंग एटेन्शन इसी पर है ।

श्री रामावतार शास्त्री : इस पर नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : इसी तरह के मसले पर है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : श्रीमन्, श्री वाजपेयी जी और प्रो० तिवारी ने कुछ कहा है उस सन्दर्भ में, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आपने कहा है कि आप कानक्लेव (सम्मेलन) करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा अभिप्राय मात्र सम्मेलन से था ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हां, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन मेरा अभिप्राय यह है कि प्रधानमंत्री ने सारे विपक्ष पर एक सा आरोप लगाया है । उन्होंने कहा है कि हम उग्रवादियों का समूह हैं । जम्मू और काशमीर विधान सभा के किसी सदस्य द्वारा कही गई कुछ बातों के बारे में अगर आपका ध्यान आकर्षित किया गया है तो···

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है ।

(**व्यवधान**)

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : श्रीमन्, मैं जूट मजदूरों की हड़ताल के बारे में कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आज बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग करेंगे ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्रीमन् राज्यपाल का यह वक्तव्य, 18 दिसम्बर, 1983 का है ?

अध्यक्ष महोदय : 18 दिसम्बर ?

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

12.14

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखे और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह वन और बागान विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे को समय पर सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7789/84]

(2) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह वन और बागान विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा-वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 7790/84]

भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) (87)वां संशोधन) विनियम, 1984

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं, खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) (87वां संशोधन) विनियम, 1984, जो 4 फरवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 27/एफ० सं० ई० पी० 16-12/82 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7791/84]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना तथा आठवें वित्त आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने के बारे में अधिसूचना

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, श्री जनार्दन पुजारी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 81 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 28 फरवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण, जिसके द्वारा 25 अगस्त, 1983 की अधिसूचना संख्या 246/83-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि स्टेनलैसस्टील के मैल्टिंग स्क्रेप पर सीमा-शुल्क की छूट के बारे में नियत की गई समय-सीमा को हटाया जा सके ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-7792/84]

(2) अधिसूचना संख्या का० आ० 138 (ङ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसकरण), जो 29 फरवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा आठवें वित्त आयोग के कार्यकाल को 30 अप्रैल, 1984 तक बढ़ाया गया है ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०-7793/84]

गेहूं बेलन आटा मिल्स (लाइसेंस देना और नियन्त्रण) संशोधन आदेश 1983 तथा पेटेन्ट, डिजाइन और व्यापार-चिन्हों के महानियंत्रक का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन

इलैक्ट्रानिक्स विभाग और खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत, गेहूं बेलन आटा मिल्स (लाइसेंस देना और नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 31 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 937 (अ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०-7794/84]

(2) व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम, 1958 की धारा 126 के अन्तर्गत पेटेंट, डिजाइन और व्यापार-चिन्हों के महा-नियंत्रक के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसकरण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-7795/84]

12.15

राष्ट्रपति से प्राप्त सन्देश

अध्यक्ष महोदय : मुझे राष्ट्रपति से प्राप्त दिनांक 2 मार्च, 1984 के निम्नलिखित सन्देश की सूचना लोक सभा को देनी है :

"फरवरी, 1984 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष मेरे द्वारा दिए गए अभिभाषण के लिए लोक-सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए धन्यवाद को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं।"

12.16

पांडिचेरी बजट, 1984-85

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के वर्ष 1984-85 के आय और व्यय के प्राक्कलनों का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

12.16½

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (पांडिचेरी), 1983-84

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के वर्ष 1983-84 की अनुदान की अनुपूरक मांगे दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत करता हूं।

(**व्यवधान**)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : गवर्नर वाले मामले का क्या हुआ, सर ?

अध्यक्ष महोदय : मोशन आ गया।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अगर गवर्ननर ने कह दिया कि हमने ऐसा नहीं किया तो फिर क्या होगा।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : महोदय, आपने प्रेस रिपोर्ट देखी है। एक टेप-रिकार्ड भी है आपको टेप-रिकार्ड सुनना चाहिए और फैसला करना चाहिए। जब टेप-रिकार्ड है तो फिर मध्य प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : गवर्नर वाले मामले में क्लेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। हाउस को इस बात को तय कर लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का मेरे पास कोई जवाब नहीं है।

इन बातों पर निर्णय लेने के लिए जो कुछ भी सामान्य प्रक्रियाएं हैं, उन पर विचार किया जाएगा। मानवीयरूप में जो कुछ भी सम्भव है, वह मैं करूंगा। मैं यही कर सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे बाहर कुछ कहते हैं। आप उस पर कैसा विचार करेंगे ? आप कछ बात कहने के लिए स्वतन्त्र हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति।

12.18

अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा बैंकों और आभूषणों की दुकानों को लूटे जाने और उन पर डाके डाले जाने की घटनाओं में वृद्धि होने और कानून तथा व्यवस्था की स्थिति के लगातार बिगड़ने का समाचार

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति (अमालापुरम) : महोदय, मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि वह उस पर एक वक्तव्य दें :—

"दिल्ली और देश के अन्य भागों में सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा बैंकों और आभूषण की दुकानों को लूटे जाने और उन पर डाके डाले जाने की घटनाओं में कानून और व्यवस्था की स्थिति के लगातार बिगड़ने का समाचार।"

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : महोदय, द्वारा 1980 में कार्यभार सम्भालने के पश्चात दिल्ली में विधि व व्यवस्था में सुधार तथा अपराध स्थिति को कारगर ढंग से नियंत्रित करने को उच्च प्राथमिकता दी गई। सरकार ने आगामी दो-तीन वर्षों में अपराध की बिगड़ती हुई स्थिति पर ध्यान दिया और इस दिशा में कई कदम उठाए। सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप दिल्ली में अपराध की दर में उल्लेखनीय कमी हुई है। फिर भी वर्ष 1983 के दौरान कुछ बढ़ती हुई प्रवृत्तियां, विशेष रूप से कुछ अपराध शीर्षों में देखी गई। मुझे सदन को यह सूचित करने में हर्ष है कि इस प्रवृत्ति को रोक दिया गया और 1983 में सूचित अपराधों की कुल संख्या में मामूली वृद्धि हुई है।

दिल्ली के वर्तमान आकार तथा तेजी से बढ़ रही जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, अपराध की घटनाओं में कुछ परिवर्तन होना सम्भव हो सकता है और इसे विधि व व्यवस्था अथवा अपराध स्थिति में किसी गिरावट का संकेत नहीं माना जाना चाहिए। यह दिल्ली पुलिस का श्रेय है कि

1982 और 1983 के दौरान उसने कई अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों के सम्बन्ध में बहुत ही सफल तथा कारगर सुरक्षा और विधि व व्यवस्था के प्रबन्ध किए।

सन् 1983 में दिल्ली में डकैती के केवल 15 मामले सूचित किए गए हैं जबकि 1982 में ऐसे 22 मामले सूचित किए गए थे। डकैती के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है, 1983 में 211 मामले सूचित किए गए थे जबकि 1982 में 155 मामले सूचित किए गए थे। परन्तु दिल्ली पुलिस कई मामलों को सुलझाने में सफल हुई है। जिन संसनीखेज मामलों को सुलझाया गया है, उनमें जोरबाग डाकखाने में डाली गई डकैती, यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया, ग्रेटर कैलाश, कनारा बैंक, साऊथ एक्स्टेंशन पार्ट-I तथा हेमकुण्ड, गुल मोहर पार्क और डिफेंस कालोनी में रिहायशी मकानों में लूटपाट, चांदी की लूटपाट के मामले, दक्षिण दिल्ली में शराब की दुकान की लूटपाट का मामला करोल बाग में नवम्बर, 1983 में जेवरात की एक दुकान में की गई डकैती का संसनीखेज मामला शामिल हैं।

श्रीमान, माननीय सदस्यों को इसी सत्र में पंजाब और हरियाणा की विधि और व्यवस्था की स्थिति पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श करने का अवसर मिला था। देश के अन्य भागों में विधि और व्यवस्था की स्थिति हाल के महीनों में अधिकांशतया शांतिपूर्ण रही है।

हालांकि विधि और व्यवस्था राज्य का विषय है फिर भी केन्द्र सरकार डकैतियों की घटनाओं से चिंतित है जिसका विस्तार अन्तर्राजीय स्तर पर है और बैंकों को लूटने की घटनाएं हो रही हैं। कुछ राज्यों ने समन्वित रूप से डकैती की समस्या से निपटने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक संयुक्त समन्वय समिति बनायी है। योजना आयोग ने चम्बल घाटी क्षेत्र में डकैती की समस्या से निपटने के लिए एक दीर्घ-कालीन सामाजिक आर्थिक नीति तैयार करने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया है। भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को बैंक में सुरक्षा प्रबन्धों को कड़ा करने के लिए लिखा है। वित्त मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्च-शक्ति प्राप्त कार्यकारी दल ने बैंकों में सुरक्षा प्रबन्धों में सुधार करने के लिए कार्रवाई करने के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट कार्यान्वियन के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, रिजर्व बक आफ इण्डिया और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को भेजी गई हैं।

सरकार अपराध करने में आग्नेय-शास्त्रों के बढ़ते हुए प्रयोग से अवगत है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए, शस्त्र अधिनियम में हाल ही में अनेक संशोधन किए गए हैं।

मैं, विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार के दृढ़ निश्चय को दोहराना चाहूंगा और सदन को अश्वासन देना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में सभी सम्भव उपाय किए जा रहे हैं और किए जाते रहेंगे।

12.20 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सोनकर (बस्ती) : मुझको धकेल दिया गया, मेरा बैग वहां उठा लिया गया। यह क्या हो रहा है। (**व्यवधान**) बताइए यहां पर हाउस में क्या हो रहा है। सदस्यों के साथ क्या बर्ताव हो रहा है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : महोदय, पुलिस ने संसद भवन के बाहर उनके साथ हाथापाई की है। वह संसद सदस्य हैं और वह सभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए संसद में आ रहे थे। संसद के बाहर यहां क्या हो रहा है? महोदय, आप कृपया उनकी बात सुनिए।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। महोदय, माननीय सदस्य श्री कल्पनाथ सोनकर यह दावा करते हैं जब वह संसद भवन में प्रवेश कर रहे थे तो उन्हें पीछे धकेल दिया गया है और पुलिस ने उनका थैला छीन लिया। यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। मेरे विचार से कोई भी सभापति इसे सहन नहीं कर सकता है। माननीय सदस्य को उनके साथ संसद के बाहर घटी घटना को सुनाने के लिए कहा जाए। महोदय, उनका कहना है कि पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। वह किस दल के सदस्य हैं इसका कोई महत्व नहीं है।

(**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : आज से चार दिन पहले हाल्दर जी के साथ ऐसा ही हुआ था।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि तुरन्त जांच की जा रही है।

(**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : महोदय, तुरन्त जांच से आपका क्या तात्पर्य है?

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : फिर आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? कृपया मुझे बताइए कि आप अध्यक्ष पीठ से क्या करवाना चाहते हैं? (**व्यवधान**)

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : महोदय, यह सब संसद भवन के अति निकट घट रहा है। मैं इस सभा के एक माननीय सदस्य के साथ जानबूझ कर की गई गुंडागर्दी को सहन नहीं कर सकता हूं। (**व्यवधान**)

12.24 म० प०

(**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, जब मेम्बर आ रहे थे उस वक्त कल्पनाथ

सोनकर जी को पुलिस पटक दिया। इनका बैग भी ले लिया। इन्होंने अपना आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाया। इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। पिछले दिनों श्री हाल्दर जी के साथ हुई। रोज ऐसा हो रहा है। यह हाउस है या पुलिस राज है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, आप पहले इस प्रक्रिया का पालन करते रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी माननीय सदस्य के साथ दुर्व्यहार किया गया है, चाहे वह किसी भी पार्टी का क्यों न हो, तो आपने उसे तथ्यों को उद्घाटन करने की अनुमति दी है और आपने उसे समझा है और उसके बाद आपने कहा है "मैं मामले की जांच करूंगा।" महोदय, माननीय सदस्य के साथ जो कुछ भी वास्तव में घटा है उसका वर्णन करने के लिए उनसे कहा जाए। समस्त सदन की इसमें रूचि है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा। आप निर्णय लीजिए।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : बैग, अभी भी पुलिस के पास है।...**(व्यवधान)**

श्री कल्पनाथ सोनकर : मैं, रिसेप्सन पर गया था, क्योंकि मेरे आदमियों ने वहां पर आना था। मैं उनको ढूंढ़ने के लिए रेल भवन की ओर गया। बाहर से जब अन्दर आने लगा तो दो दारोगा और तीन पुलिस वालों ने मुझे रोक दिया। मैंने कार्ड दिखाकर कहा कि मैं एम० पी० हूं। इसके बाद उन्होंने मुझसे बैग दिखाने के लिए कहा। इतना कहकर मुझे धक्का दिया और बैग छीनकर रख लिया।...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : उसे तुरन्त ठीक किया जाना चाहिए।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उसे तुरन्त निलम्बित किया जाना चाहिए। सभा के उठने से पूर्व उसे निलम्बित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : हाउस तब नहीं चलेगा, जब हम कोई एक्शन नहीं लेंगे।

श्री राम विलास पासवान : दो दिन पहले हाल्दर साहब के साथ भी ऐसा हुआ था; तो आपने कहा कि मैं एक्शन लूंगा।...**(व्यवधान)**

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : हर बात की एक सीमा होती है।

श्री जगपाल सिंह : पुलिस वालों को यहां बुलाया जाए।...**(व्यवधान)**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हाउस की कार्यवाही नहीं चलेगी।

श्री चन्द्रजीत यादव : सभा के उठने से पूर्व आप उसको निलम्बित कीजिए। यह एक गम्भीर मामला है। हम इसे इतने साधारण रूप से नहीं लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी तुरन्त कार्यवाही करूंगा। शांति से सारे काम होने चाहिए। कोई अनर्गल काम करता है तो उसके खिलाफ फौरन कार्यवाही की जाएगी।

श्री राम विलास पासवान : कम से कम हम तो संसद में नहीं आयेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव : मार्शल को उनके साथ भेजिए । मार्शल को जाने दो । मार्शल को सदस्य के साथ भेजिए ।

12.28 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : जब तक वह आदमी सस्पेन्ड नहीं हो जाता जब तक यहां कार्यकाही नहीं चलेगी ।···(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह पुलिस कर्मिकों द्वारा जानबूझकर किया गया है···यह कल मेरे साथ या अन्य सदस्यों के साथ भी हो सकता है । पुलिस ऐसा कैसे कर सकती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हमें बैठक समाप्त होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए । उनकी बैठक हो रही है ।

श्री राम विलास पासवान : आप आधे घन्टे के लिए सभा स्थगित कीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें इसका समाधान मिल जाएगा । माननीय सदस्यगण स्वयं अध्यक्ष महोदय इसके प्रति विशेष रूचि ले रहे हैं । वह यहां आए थे और उनसे बातचीत कर रहे हैं । (**व्यवधान**) यह क्या हो रहा है ? (**व्यवधान**) तब तो मुझे चुप ही बैठना पड़ेगा ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक मैं आपसे नहीं कहूं तब तक कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाए ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल एक ही वक्ता की बात सुनूंगा । अब कौन बोल रहा है । यदि सभी बोलेंगे तो यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : हम सभी यहां से अध्यक्ष-कक्ष में जायेंगे ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह आप पर निर्भर है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने आपकी भावनाएं समझ ली हैं उन्होंने यहां आकर आपकी बातें सुनी हैं ।

(व्यवधान)

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप सभा स्थगित कीजिए । हम देखते हैं कि क्या होता है । यह एक गम्भीर मामला है । इसको इस प्रकार से नहीं निपटाया जाना चाहिए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं कर सकता । यह कोई तरीका नहीं है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सेठी, क्या आपने अपना वक्तव्य पूरा कर लिया है ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जी, हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति बोलेंगे ।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाए ।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न करें । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मेरा सविनय···**(व्यवधान)***

श्री राम विलास पासवान : निवेदन ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपनी जगह पर बैठ जाएं और उत्तेजित न हो, क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने पहले ही यहां आकर मुझसे पीठ को खाली करने को कह कह दिया है और वह चले गए । अब वह बातचीत कर भाग से रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं ।

12.34 म०प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : मैं तो यह कहने आया हूं कि मैंने सैक्रेटरी जनरल को और वाच एण्ड वार्ड अफसर को माननीय कल्पनाथ सोनकर के साथ मौके पर भेज दिया है और वहीं इमीडिएट ऐलान हो जाएगा ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : तब तक हाउस को ऐडजर्न कर दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप इससे अधिक और क्या चाहते हैं ?

आपकी और हमारी इज्जत दो नहीं है ।

12-35 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट रूप से बताया है कि सरकार द्वारा बहुत से उपाय किए जाने के कारण अपराध दर में, विशेषकर दिल्ली में, उल्लेखनीय गिरावट आयी है। और उसी वक्तव्य में उन्होंने यह भी बताया है कि विशेषकर कुछ अपराधों में बढ़ने की प्रवृत्ति भी दिखाई दी है इसके अतिरिक्त यह अत्यधिक सन्तोष की बात है और मंत्री महोदय ने भी यह स्पष्ट रूप से बताया है कि हाल ही में दिल्ली में हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में पुलिस ने यह सुनिश्चित करने के लिए पग उठाए थे कि कानून और व्यवस्था की स्थिति उचित स्थिति बनी रहे। यह सराहनीय बात है। किन्तु बहुत से स्तरों पर—विशेषकर बैंकों में जान-माल की बढ़ती हुई असुरक्षा और असुरक्षा ने समस्त देश में खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है। वास्तव में, इसने व्यवस्था में लोगों के विश्वास को ही हिला दिया है। किन्तु सरकार कहती है कि सही समय पर सुधारात्मक पग उठाए जा रहे हैं। क्या यह सच है कि समाज में आय और सम्पत्ति में असमानता बढ़ने से अपराधों में वृद्धि हो रही है? विकासशील समाज में, अपराध दर ऊंची होने का कोई कारण नहीं है। किन्तु सरकार कहती है कि अपराध दर पर नियन्त्रण पाने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। बैंकों में लूट और डकैती तथा अन्य सम्पतियों को लूटने की घटनाएं भी वृद्धि पर हैं। इसीलिए, मैं माननीय गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा उठाए गए पग पर्याप्त, प्रभावी और समयोचित नहीं हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यह सच है कि सामाजिक-आर्थिक दशाएं अपराधों में हो रही वृद्धि का बहुत महत्वपूर्ण कारण है। इसीलिए, मैंने कहा है कि योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से इस बारे में यह देखने के लिए कार्यकारी दल गठित किए हैं कि स्थिति में कैसे सुधार लाया जाए। हम उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। जहां तक सुरक्षा उपायों का सम्बन्ध है, मैं पहले ही अपने वक्तव्य में यह बता चुका हूं कि उन्हें कड़ा किया जा रहा है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : वर्ष 1980 से जब यह सरकार सत्ता में आयी है और तब से ही कानून-व्यवस्था की स्थिति में भारी गिरावट आयी है। राष्ट्रीय राजधानी सहित सारे देश में अर्थव्यवस्था दिखाई देती है। ऐसा दिखाई देता है कि सरकार काम नहीं कर रही है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपराधियों को आजकल पुलिस नहीं पकड़ रही है। इस सभा के माननीय सदस्य को दिल्ली पुलिस ने जिसे यहां माननीय मंत्री ने नियुक्त किया है—अपमानित किया है। सभी जानते हैं कि इस देश में क्या हो रहा है। सारे देश में, हत्याएं की जा रही हैं, रेलगाड़ियां लूटी जा रही हैं, बसों को लूटा जा रहा है और लोगों की हत्या की जा रही है। इस देश में सभी बातें हो रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी में डकैती, लूटपाट और दहेज के कारण हुई मृत्यु जैसे अन्य सभी प्रकार के अपराध प्रतिदिन की बातें हो गई हैं। यहां बाबा गुरबचन सिंह की हत्या की गयी थी। इसके बाद विदेशी राजनयिक हत्या की गई थी। एक विदेशी राजदूत पर अपराधियों द्वारा आक्रमण किया गया था। बैंकों को भी लूटा गया है। कई बार, सरकार इस बारे में सरासर गलत आंकड़े बताती है। वे आंकड़े सन्तोषजनक भी नहीं होते हैं। वे सदा यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि कानून-व्यवस्था की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, यद्यपि, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इस देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। यदि राष्ट्रीय राजधानी में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो देश के शेष भागों में उनका क्या होगा? यदि यहां लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, डकैतियां पड़ रही हैं,

हर प्रकार का अपराध यहां किया जा रहा है तो वास्तव में देश के शेष लोगों की क्या दशा होगी ? इससे देश के अन्य भागों के अपराधियों को प्रेरणा मिल रही है। वे महसूस कर रहे हैं कि यदि राष्ट्रीय राजधानी में ही लोगों का जीवन असुरक्षित है, तो वे सारे राष्ट्रीय जीवन, लोगों के जीवन का आसानी से सर्वनाश कर सकते हैं। अपराधी पूरी निर्भयता के साथ सक्रिय हैं। वे कानून और सरकार की तनिक भी परवाह नहीं कर रहे हैं। ऐसा दिखाई देता है कि सरकार पूर्णतया विफल हो चुकी है और अपराधी सरकार से बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। सारे देश में बैंक लूटे जा रहे हैं। ऐसा लगता है अपराधियों ने अपराध करने का एक और क्षेत्र —बैंक –खोज लिया है और उन्होंने उन्हें लूटना आरम्भ कर दिया है। बैंक लूटने के अपराध को रोकने में सरकार पूर्णतया विफल रही है।

रेलगाड़ियों में डकैती डालना भी अपराधियों के लिए दिन प्रतिदिन का काम बन गया है। इस देश में कहीं भी, किसी भी रेलगाड़ों को लूट सकते हैं। इस सभा में इस बात को हमने अनेक बार उठाया है किन्तु सरकार द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं की गयी है। जहां तक उ० प्र०, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि का सम्बन्ध है, ये अपराधियों के लिए स्वर्ग बन गए हैं। वे किसी भी समय कितने ही लोगों की हत्या कर सकते हैं किन्तु उन्हें कोई दण्ड नहीं दिया जा सकता। वर्ष 1980, जब इस सरकार ने सत्ता संभाली तब से हुए अपराधों के कुछ आंकड़े मैं आपको दे सकता हूं। प्रत्येक दिन हम देखते हैं कि समाचार-पत्र अपराधों की सूचनाओं से भरे हुए हैं। 1980 में, जब इस सरकार ने सत्ता संभाली तो कफाल्ता में 16 हरिजन मारे गए थे। उन्हें जीवित जला दिया गया। दिल्ली में 24 हरिजनों की हत्या की गयी। साधूपुर में 10 हरिजनों की हत्या की गई, बहमई में 20 लोगों की हत्या की गई, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में 21 व्यक्तियों की हत्या की गई, यहां तक कि उ०प्र० में उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की भी हत्या की गयी। यह उ० प्र० की स्थिति है और प्रत्येक दिन आप समाचार-पत्रों में अनेक अपराधों की सूचनाएं देख सकते हैं। उ० प्र० के विभिन्न जिलों में हुई बहुत सी हत्याओं की सूचना देख सकते हैं। इसी प्रकार से बिहार के बारे में भी मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं। मुंगेर में बहुत से लोगों की हत्या की गयी थी। पारसबीघा और बढ़हया कांड को तो सभी जानते हैं। पिपरिया में 11 बच्चों की हत्या की गयी और सरकार उनकी जान नहीं बचा सकी। मेरे पास बिहार के बारे में एक समाचार-पत्र की रिपोर्ट है। इस हंगामे में, लगता है, वह पेज खो गया है। यह रहा, मिल गया। यह रिपोर्ट बिहार से प्रकाशित होने वाले हिन्दी समाचार-पत्र 'आर्यवर्त' में छपी है। 16 मार्च, 1983 की यह रपट है कि दो वर्षों के दौरान बिहार में 600 लोगों की हत्या की गयी थी···

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : उन्हें स्थिति को भड़काना नहीं चाहिए। उन्हें आगे कहने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ के लिए अनुमति के बिना इस सभा में जो भी कहा गया है, वह कार्यवाही वृतान्त में नहीं जाता है···

(व्यवधान)**

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिल्लित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पक्ष या उस पक्ष से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, अध्यक्ष पीठ की अनुमति के बिना इस सभा में जो भी कहा जाता है, वह कार्यवाही-वृत्तान्त में नहीं जाता है। मैं माननीय संसद-सदस्यों से नम्र निवेदन करूंगा कि किसी भी माननीय सदस्य को सभा में इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, यह कोई तरीका नहीं है। आप सब आत्म-सम्मानित और सज्जन व्यक्ति हैं और आपका व्यवहार भी वैसा ही होना चाहिए। मैं इस सभा में प्रत्येक सदस्य के आत्म-सम्मान के लिए आदरपूर्वक अपील करूंगा कि जब आप पर दोष निकाला जा रहा हो तो वह आपके आत्म-सम्मान के अनुकूल नहीं है।

मैं आशा करता हूं कि जैसे अध्यक्षपीठ सम्मानीय हैं वैसे ही प्रत्येक माननीय सदस्य भी आत्म-सम्मानित एक सज्जन व्यक्ति हैं। मैं अपेक्षा करता हूं कि माननीय सदस्य कुछ सीमा तक और अधिक आत्म-सम्मानित हैं। मैं माननीय सदस्यों से सीख लेना चाहता हूं।

इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस संसद के पीछे अपना एक इतिहास है। आप महापुरुषों की तस्वीरें देखते हैं। यह संसद विश्व के सबसे बड़े लोकतन्त्र से सम्बद्ध है। यदि विश्व में लोकतन्त्र जीवित रखना होगा तो यह भारत की संसद के कार्यचालन पर भी निर्भर करेगा। इस सभा में आप जो भी कहना चाहें—असंसदीय और अपमानजनक बातों के सिवाय—आपको कहने की अनुमति है। अतः हर बात इस पर निर्भर करती है कि आप किस तरीके से बोलते हैं। हम यहां केवल कार्यवाही को विनियमित करने के लिए बैठे हुए हैं। दुर्भाग्यवश हमें हस्तक्षेप करना पड़ता है क्योंकि आप हमारा ही दोष निकाल रहे है। कुछ माननीय सदस्य आए, उन्होंने कभी भी इसकी परवाह नहीं की कि सभा कार्यवाही को विनियमित करने वाली अध्यक्षपीठ भी है। वे इस बात से अवगत थे कि कार्यवाही चल रही है। आप मुझसे किस प्रकार से कार्य करने की अपेक्षा करते हैं ? हम हाथ में छड़ी नहीं रखना चाहते हैं। नियमों के अधीन, मैं किसी भी माननीय सदस्य को आसानी से निलम्बित कर सकता हूं···

प्रो० मधु दंडवते : मामला समाप्त हो गया है। कृपया उन्हें उत्तेजित मत कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका सुझाव मानता हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : आपने क्या संसद के बारे में जो कहा वह बहुत अच्छी बात है। किन्तु आपने संसद-सदस्यों की प्रतिष्ठा के बारे में कुछ नहीं कहा।

उपाध्यक्ष महोदय : उसके बारे में जितनी रुचि आपको है, उतनी ही मुझे भी है क्योंकि मैं भी एक संसद-सदस्य हूं।

(व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : मैं कह रहा था कि जनता पर जो अपराध किए जा रहे हैं, पुलिस उन्हें नहीं रोक रही है। जनता के बारे में क्या कहा जाए यहां तक कि, जब प्रधान मंत्री बिहार गयी थीं, तब संसद सदस्यों श्री कुंवर राम, श्री तारिक अनवर और श्री रामस्वरूप राम को पुलिस

द्वारा अपमानित किया गया था। मैं कह रहा हूं कि आप अपराधों को रोकने में सक्षम नहीं है। आपकी नीति केवल सदस्यों को अपमानित और परेशान करने की है। अपराधों पर नियन्त्रण करने का विधि सम्मत कार्य पुलिस नहीं करती है। श्री रामस्वरूप राम श्री कुंवरराम को पुलिस द्वारा अपमानित किया गया था। क्योंकि हम विपक्षी दल में हैं, अत: हमें किसी भी समय पुलिस द्वारा परेशान किया जा सकता है।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्हें करने दीजिए; उन्हें अपने जीवन से सीख मिलेगी।

श्री हरिकेश बहादुर : विपक्ष के लोगों को अपमानित और परेशान किया जा रहा है। यहां तक कि संसद के क्षेत्र में भी उन्हें ठीक से काम करने नहीं दिया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके सामने बहुत बड़ी मिसिल रखी हुई है; आप उसका उपयोग कर सकते हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं माननीय मंत्री के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि 16 मार्च, 1983 के 'आर्यवर्त' में एक समाचार था कि दो वर्षों के दौरान—1981 और 1982 में—बिहार में, 6,000 लोगों की हत्या की गयी थी। उस राज्य में कानून और व्यवस्था की यह स्थिति है। इसी प्रकार, यदि आप मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य किसी राज्य की स्थिति देखें, तो आप पाएंगे कि समाचार-पत्रों में हत्या, डकैती तथा अन्य अपराधों से सम्बन्धित बहुत से समाचार प्रकाशित हो रहे हैं। माननीय सदस्य श्री वृद्धि चन्द्र जैन आपको राजस्थान में हुई हत्याओं के बारे में बताएंगे। हाल ही में एक बहुत खतरनाक समाचार प्रकाशित हुआ। अब, इस देश की माननीया प्रधान मंत्री या शायद कांग्रेस (इ) के लोग भी, यह महसूस करते हैं कि वह केवल सत्तारूढ़ दल की प्रधानमंत्री हैं जबकि हम महसूस करते हैं कि वह हमारे सहित इस देश की भी प्रधान मंत्री हैं। वह हमारी भी प्रधान मंत्री हैं। किन्तु न तो वह और न उनका दल यह महसूस करता है कि वह सारे देश की प्रधान मंत्री हैं। वह सुल्तानपुर गयीं, वहां दो हरिजन मारे गए थे। किन्तु मैं नहीं जानता कि वह उस स्थान पर गए या नहीं। मैं नहीं सोचता कि वह उस विशेष स्थान पर उस घटना के कारण गयी थीं। वह केवल एक तमाशे के लिए लिए वहां गयी थीं। अन्यथा वह वहां नहीं जाती।

अब मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। हाल ही में, देहरादून जिले में बड़कोरगांव में, कांग्रेस (इ) के एक नेता ने—मैं उसका नाम भी जानता हूं, किन्तु मैं उनका नाम उद्धृत करना नहीं चाहता हूं—उस गांव के कुछ ग्रामीणों पर आक्रमण किया। पुलिस उस मामले की जांच ठीक प्रकार से नहीं कर रही है क्योंकि पुलिस डरी हुई है कि यदि वे विशेष व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही करते हैं तो उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी और इसी कारण अपराधी इधर-उधर घूमते फिर रहे हैं, और उन्हें पकड़ा नहीं जा रहा है। उस मामले में तीन या चार व्यक्ति घायल हुए थे, जो देहरादून अस्पताल में भरती किए गए थे। इस शासन विशेष में इस तरह की बातें हो रही हैं।

जहां तक पृथकतावादी ताकतों का संबंध है, जिनके बारे में हर समय प्रधानमंत्री भी कहती रहती हैं और वह सुलतानपुर गई थी, उन्होंने विपक्ष पर ऐसी ताकतों का समर्थन करने का

आरोप लगाया; मैं माननीय गृह मंत्री, यदि उन्हें वास्तव में कुछ जानकारी है, को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं नहीं जानता वह क्या सुन रहे हैं, वह मेरी बात नहीं सुन रहे हैं; फिर जब आप उन्हें बुलाएंगे तो वह उत्तर कैसे देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : वह एक वर्ष से आपकी बात सुनते रहे हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : नहीं-नहीं। वह मेरी बात बिलकुल नहीं सुनते रहे हैं। यह स्थिति है। जब गृह मंत्री ही नहीं सुनते तो पुलिस बल का क्या होगा ? वे निश्चित रूप से वह सब कुछ करेंगे जो वे अभी कर रहे हैं।

जहां तक पृथकतावादी ताकतों का संबंध है, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पृथकतावादी ताकतों को प्रोत्साहन विपक्षी दल नहीं बल्कि सत्तारूढ़ दल दे रहा है। जब त्रिपुरा में चुनाव हुए थे, तो त्रिपुरा की युवा उपाजात समिति के साथ चुनाव समझौता किया गया था। वह पूर्णत: पृथकतावादी संस्था है। यदि सत्तारूढ़ दल इस तरह की संस्थाओं को प्रोत्साहन देता रहा, तो वे यह आशा कैसे कर सकते हैं कि देश में पृथवतावादी गतिविधियां नहीं होंगी ? पंजाब में क्या हो रहा है, इस बारे में हमने काफी बातचीत की है। आज पंजाब में आग लगी हुई है और सरकार अभी तक इसका समाधान करने में असफल रही है। देश में हरिजनों पर अत्याचार, सांप्रदायिक दंगे, दहेज के कारण होने वाली मौतें आदि सभी तरह के अपराध हो रहे हैं, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है तथा अपराधी यह महसूस करते रहे हैं देश में सरकार नहीं है, कोई कानून नहीं है। वे जो चाहें कर सकते हैं। वहां अपराध क्यों हो रहे हैं ? यह भी बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि हम यह देख रहे हैं कि देश में विभिन्न स्थानों पर कई समाज-विरोधी तत्त्वों को सतारूढ़ दल तथा साथ ही पुलिस बलों द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। जब सत्तारूढ़ दल के लोग अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, तो निश्चय ही पुलिस अधिकारी भी उन्हें संरक्षण देंगे क्योंकि वे समझते हैं कि यदि वे ऐसे तत्त्वों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करते हैं, तो वे मुश्किल में पड़ जाएंगे।

नारायणपुर में हुई घटना के संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं···**व्यवधान**

महोदय, इससे पहले कि गृह मंत्री यहां से जाएं, मैं एक बात कहना चाहूंगा। इन्दौर में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। वह संभवत: इनका अपना नगर है।

श्री प्रकाश चंद्र सेठी : उसकी चिंता मुझे करनी है, आपको नहीं।

श्री हरिकेश बहादुर : वह ठीक है, लेकिन आप कुछ भी करने में असमर्थ हैं। इसीलिए इसकी चिंता मुझे हो रही है। वह मेरे देश, मेरे राष्ट्र का भाग है। इसीलिए मैं चिंतित हूं। यहां तक कि कांग्रेस (आई) के महासचिव, सदन के एक माननीय सदस्य, श्री राजीव गांधी ने इस विषय पर गृह मंत्री से चर्चा की थी और वह कह रहे हैं कि उनकी सिरदर्दी है। उन्हें चिंता सिर्फ इंदौर की है। समूचे देश की नहीं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपने प्रश्न पर आइए ।.

श्री हरिकेश बहादुर : 25 सितम्बर 1983 को, इंदौर से प्रकाशित 'नयी दुनिया' समाचार पत्र में इसका स्पष्ट जिक्र किया गया है कि श्री राजीव गांधी ने श्री सेठी के साथ चर्चा की और श्री सेठी कुछ भी करने में असमर्थ हैं। वह ऐसे ही कह रहे हैं कि यह उनकी चिंता का विषय है। नारायणपुर घटना के संबंध में मैं कहूंगा कि वहां कुछ हुआ है। न्यायिक जांच की गई थी। न्यायिक जांच के निर्णय के अनुसार नारायणपुर में कुछ नहीं हुआ है। लेकिन 1980 में कार्य भार संभालने के बाद प्रधानमंत्री नारायणपुर गईं। उन्होंने सभा के वर्तमान सदस्य, श्री बनारसीदास के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार को हटा दिया। वह सरकार हटा दी गई। जैसा कि मैंने बताया, अब देश के विभिन्न भागों में कई अपराध हो रहे हैं। कांग्रेस (आई) द्वारा शासित राज्य अथवा जिस राज्य में कांग्रेस पार्टी का शासन है, वहां उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार भेदभाव कर रही है क्योंकि सरकार इन राज्यों के, जहां कांग्रेस (आई) का शासन है, विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती क्योंकि केन्द्र में कांग्रेस ही सत्तारूढ़ है। इसी कारण अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार पूर्णतः असफल रही है। वे न्यायिक जांच भी नहीं करवा रहे हैं क्योंकि अपराधों पर नियंत्रण करने में बिलकुल भी दिलचस्पी नहीं है। इसीलिए मेरा आरोप है कि यह सरकार पूर्णतः विफल हो गई है। इसे सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बेहतर होगा कि गृह मंत्री इसी जगह और अभी अपना इस्तीफा दे दें।

एक माननीय सदस्य : प्रधानमंत्री ही इस्तीफा क्यों न दें ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : सर्वप्रथम मैं इन आरोपों का खंडन करता हूं। उन्होंने कहा कि सरकार पृथकतावादी बलों का समर्थन कर रही है।

जहां तक कानून और व्यवस्था की स्थिति का संबंध है, उन्होंने कहा कि यह स्थिति 1980 में कहीं अच्छी थी। मैं कुछ आंकड़े उद्धृत करना चाहता हूं। 1980 में हुई डकैतियों की कुल संख्या 15194 है जबकि 1983 के पहले छः महीनों में इसकी संख्या 5732 है। मैं समूचे भारत के आंकड़े दे रहा हूं।

1980 में लूटपाट की 23493 घटनाएं हुईं। 1983 के पहले छमाही में इनकी संख्या 10079 है। इससे पता चलता है कि आंकड़ों में सुधार हुआ है।

जहां तक बैंक डकैतियों का संबंध है, अब कुछ कदम उठाए गए हैं। बाहरी दिल्ली की ओर मुख्य सड़कों पर निरीक्षण द्वारा लगाए गए हैं। नाजुक स्थानों पर पुलिस कार्मिकों और निगरानी कार्मिकों की संख्या बढ़ा दी गई है। उग्रवादियों का पता लगाने के लिए होटलों तथा डाक बंगलों की नियमित रूप से जांच की जा रही है। गुप्त स्थलों पर निगरानी रखी जा रही है। वायरलैस लगी मोटर-साइकलें, पुलिस स्टेशन के वाहन तथा नियंत्रण कक्ष कारों से गश्त का प्रबंध किया गया है। कुछ सामरिक स्थलों पर पुलिस का पहरा भी लगाया गया है। संचार प्रणाली को आधुनिक बनाया जा रहा है। सिनेमा हाल तथा अन्य स्थान में हैंड बैग ले जाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।

जहां तक रेलवे में होने वाले अपराधों का संबंध है, कुछ कदम उठाए गए हैं। गाड़ी-चालकों, को निदेश दिए गए हैं कि यदि गाड़ी किसी अनिर्धारित स्थान पर रोक ली जाती है तो वह खतरे की सीटी बजा दें ताकि गार्ड दल को सतर्क किया जा सके। सवारी डिब्बे के सहायकों को सतर्क रहने का निदेश दिया गया है। रेलवे की डिजाइन और स्टैन्डर्डस आरगेनाइजेशन को सलाह दी गई है कि वह ताला लगाने तथा अन्य चीजों के बारे में सुधार करें।

अतः हर संभव कार्यवाही की जा रही है। यह कहना ठीक नहीं है कि अपराधों की स्थिति 1978-79, और 1979-80 की तुलना में खराब है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : बिहार में कानून और व्यवस्था नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैं मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य को देख रहा था। उन्होंने पैरा-2 में लिखा है कि दिल्ली के वर्तमान आकार और तेजी से बढ़ रही जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, अपराध की घटनाओं में कुछ परिवर्तन होना संभव हो सकता है और इसे विधि व व्यवस्था अथवा अपराध स्थिति में किसी गिरावट का संकेत नहीं मानना चाहिए। केवल एक इसी लाइन से आपकी मंशा का पता चल जाता है। अपराधों की बढ़ती हुई स्थिति को आप विधि व्यवस्था में गिरावट नहीं मानते हैं। क्योंकि आप यह समझते हैं कि अपराध विधि व्यवस्था का द्योतक नहीं है। बढ़ते हुए अपराधों का अर्थ विधि-व्यवस्था में गिरावट नहीं होता है।

1.00 म०प०

मुझे आश्चर्य है—मंत्री महोदय बढ़ते हुए अपराधों को विधि-व्यवस्था की गिरावट नहीं मानते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं—इस सरकार ने जब से सत्ता सम्भाली है—इन का इलैक्टोरेट के सामने यही कहना था कि हमारी सरकार वह सरकार है जो काम करती है, लेकिन इन का काम करने का तरीका यह है कि अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यह कह रहे हैं कि विधि-व्यवस्था ठीक है।

आप ने इस वक्तव्य में कुछ आंकड़े दिए हैं, लेकिन हमारे पास भी कुछ आंकड़े हैं, जो सरकार ने राज्य सभा में और इस सदन में विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में दिए हैं। इन वक्तव्य में लिखा है कि 1983 में दिल्ली में डकैतियों के केवल 15 मामले सूचित किए गए, जब कि 1982 में 22 मामले सूचित किए गए थे और इस के आधार पर इन्होंने मान लिया है कि अपराधों की संख्या में कमी हो रही है। मैं गृह मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं—22-12-1983 को राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बतलाया था—1983 में 13 डकैतियां हुई और 1982 में 22 हुई थी। ये आंकड़े आज के वक्तव्य के आंकड़ों से कहां तक मेल खाते हैं—आप स्वयं तुलना करके देख सकते हैं।

इस वक्तव्य के पैरा 3 में आप लिखते हैं—1983 में डकैतियों के केवल 15 मामले सूचित

किए गए, जब कि 1982 में ऐसे 22 मामले सूचित किए गए। लेकिन उसके बाद आप कहते हैं—डकैतियों के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। 1983 में 211 हुई जबकि 1982 में 115 मामले सूचित किए गए। मुझे तो आप के ये आंकड़े समझ में नहीं आते।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : आप डकैती और राबरी में फर्क नहीं कर रहे हैं।

प्रो० अजीत कुमार मेहता : मैं तो आप के ही वक्तव्य को उद्धृत कर रहा हूं। आप ने पैरा 3 में लिखा है कि 1983 में डकैतियों के 15 मामले सूचित किए गए, जब कि 1982 में ऐसे 22 मामले सूचित किए थे। उस के बाद आप कहते हैं कि डकैतियों के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है 1982 में 155 मामले सूचित किए गए थे जब कि 1983 में 211 मामले सूचित किए गए···

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : डकैतियों और लूटपाट की घटनाओं में फर्क होता हैं। यहां टाइपिंग मिस्टेक है।

उपाध्यक्ष महोदय : 'डेकोयटी' का हिंदी अनुवाद क्या है। क्या डेकोयटी के लिए कोई शब्द नहीं है ?

श्री राम विलास पासवान : राबरी का अर्थ है 'लूटपाट'। डेकोयटी का अर्थ है 'डकैती'। अंग्रेजों ने 'डेकोयटी' शब्द हिंदी से लिया क्योंकि इंगलैंड में डकैती नहीं होती थी।

प्रो० अजित कुमार मेहता : पहले चोरी, डकैती, रात के अंधेरे का लाभ उठा कर की जाती थी, लेकिन जब स्थिति यह है कि दिन-दहाड़े भीड़ भरे इलाके में भी डकैतियां होती हैं और आप के अनुसार विधि-व्यवस्था में सुधार हो रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूं—अभी दो-चार दिन पहले की बात है दिल्ली के अन्सारी रोड पर दिन-दहाड़े बहुत बड़ी डकैती हुई। और पुलिस वहां से दूर नहीं थी बल्कि नजदीक में जहां डकैती हुई थी, वहां पुलिस के लोग चाय पी रहे थे। फिर भी डकैती नहीं रोकी जा सकी और अपराधियों को न पकड़ा जा सका। तो यह आप की विधि व्यवस्था में गिरावट आने का एक उदाहरण है।

बिहार में श्री हरिकेश बहादुर ने बहुत से अपराधों की संख्या गिनाई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये अपराध केवल बैंक या हत्या तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि सरकारी अफसर, पुलिस के अफसर, संसद सदस्य और विधान सभा के सदस्य भी नहीं बच पाए हैं। बिहार में एक संसद सदस्य के जीवन पर हमला हुआ और बिहार में ही विधान सभा के एक सदस्य की दिन-दहाड़े हत्या हुई और कुछ दिन पहले एक दूसरे सदस्य के गोली मार दी गई और कालान्तर में उसकी मृत्यु हो गई। देश में दिनदहाड़े हत्या हो रही हैं। एक एस० पी० को रोड पर कुचल दिया गया। क्या कर लिया आप ने इसके लिए। इसके अलावा, पटना में वहां के डी० एम० ने प्रधान मंत्री की सभा में यहां के हरिजन संसद सदस्य श्री राम स्वरूप राम की बेइज्जती की और मना करने पर सत्तारूढ़ दल के श्री तारीक अनवर और एक विधायक की पुलिस से झड़प हुई, जिस में अधिकारियों ने उन पर एफ० आई० आर० भी दर्ज की और आप कहते हैं कि विधि व्यवस्था में गिरावट नहीं आई है।

उपाध्यक्ष महोदय, विधि व्यवस्था में सुधार केवल कुछ तात्कालिक उपाय अपनाने से नहीं होता है। लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि अगर हम अपराध करेंगे, तो अपराध करने पर सजा मिलेगी और अपराध करने पर अपराधी छुटेंगे नहीं और पकड़े जाएंगे। अगर ऐसा होता है, तो स्थिति में काफी सुधार की संभावना है किन्तु ऐसा होता कहां है। अब तो अपराध करने वाले को पुरस्कार दिया जाता है। आप भूले नहीं होंगे कि उत्तर प्रदेश के दो व्यक्तियों को, जो प्लेन को हाइजेक करने में शामिल थे, उन को क्या पुरस्कार दिया गया था। उनको विधान सभा का टिकट दिया गया, जिससे वे सत्ता में आवें। ऐसी स्थिति में क्या आप सोच सकते हैं कि विधि व्यवस्था में सुधार होने की संभावना है ? जो अपराधी है, उसको आप समाज में प्रतिष्ठा देंगे या ऐसा कोई काम करेंगे, जिससे उसको प्रतिष्ठा मिले, तो क्या इससे अपराध रुकेगा। आज कौन नहीं जानता है कि अपराधियों को संरक्षण मिलता है राजनीतिज्ञों से और सत्तारूढ़ दल से, जिसके मैंने उदाहरण गिनाए हैं। होता क्या है कि जब आवश्यकता पड़ती है, जनता के वोटों को तो इनको जरूरत नहीं है, उस वक्त वोट गिनवाने के समय या अपने बक्से में ऐसे ही वोट डलवाने के लिए, ये ऐसे लोगों का सहारा लेते हैं। जनता ने चाहे इन्हें वोट दिए हों या नहीं, ये बदमाशों और अपराधियों से बूथ केप्चर करा कर अपने बक्से में वोट डलवाते हैं और इस तरह से इनका काम चल जाता है और इसीलिए अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है। इसके मैंने उदाहरण दिए हैं कि अपराधियों को आपने संरक्षण दिया है और ऐसे अपराधी किस प्रकार विधान सभा में चुन कर आते हैं, यह मैंने बताया है। उन पर आठ-आठ और दस-दस केस चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं तस्करी और डकैती के और वे चुन कर आ जाते हैं और उनको आपने अपने दल में शामिल किया है। यही नहीं कि चुनाव जीतने से पहले उनको टिकट दिया हो बल्कि चुन कर आने पर आपने उनको अपने दल में शामिल किया है। ऐसा उदाहरण है और काफी दूर का नहीं, बिहार का ही है।

उपाध्यक्ष महोदय, समाज को सही ढंग से संचालित करने के लिए नियम बनाए जाते हैं और उन नियमों का पालन करने के लिए संस्थाएं बनती हैं। इन संस्थाओं के नियमों में समयानुसार परिवर्तन किए जाने चाहिए जो कि समयानुकूल हों। मैं समझता हूं कि कुछ परिवर्तन किए गए हैं लेकिन उनका मूल्यांकन करना भी आवश्यक है। हमें यह भी देखना होगा कि क्या उन परिवर्तनों से लाभ हुआ है या हानि हुई है।

कुछ दिन पहले न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया गया। इससे लाभान्वित कौन हुआ ? न्यायपालिका और कार्यपालिका के अलग हो जाने से लाभान्वित हुए अपराधी। फिर लाभान्वित हुए अधिवक्ता। तीसरे पुलिस लाभान्वित हुई। 1973 में जो दण्ड प्रक्रिया में संशोधन हुआ था, उसके अन्तर्गत न कार्यपालिका और न ही न्यायपालिका का उसके प्रति सम्मान बचा है। ऐसी स्थिति में पुलिस के ऊपर नियन्त्रण करना बड़ा मुश्किल हो रहा है।

पुलिस के साथ जनता का असहयोग रहता है क्योंकि पुलिस को जो प्रशिक्षण अंग्रेजों के जमाने में प्राप्त होता था, उसी प्रकार का प्रशिक्षण आज भी प्राप्त हो रहा है। इसका नतीजा यह होता है कि पुलिस कर्मचारी समाज के प्रति शिष्ट और नम्र नहीं रहता। इसीलिए समाज के शिष्ट

लोग भी उसके साथ कम से कम सम्बन्ध बनाए रखना चाहते हैं और उसके साथ सहयोग नहीं करते हैं ।

जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो पुलिस अपराधियों को पकड़ने में कहां तक सफल होगी, यह आप सोच सकते हैं । इसके अतिरिक्त पुलिस बल में अनुसंधान की आधुनिक तकनीक का अभाव है । इसके कारण भी वह अपराधियों को पकड़ नहीं पाती । अगर पकड़ भी पाती है तो उचित समय पर नहीं पकड़ पाती ।

लोग परेशानी से बचने के लिए एफ० आई० आर० दर्ज नहीं कराते हैं । पुलिस वाले भी दर्ज करने में तरह-तरह के बहाने बनाते हैं । आपने जो आंकड़े दिए हैं कि अपराधों की संख्या में कमी आ रही है, वे गलत हैं । बहुत से अपराध तो आपके यहां दर्ज ही नहीं होते । जब पूरे अपराध दर्ज नहीं होंगे तब यह कहना कि अपराधों की संख्या में कमी आ रही है, सन्तोषजनक स्थिति नहीं है । इससे आप भ्रम में रहेंगे और वास्तविकता से दूर रहेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस बल में जो भर्ती की प्रक्रिया है, उसमें बहुत से लोगों का खयाल है कि उनका झुकाव समाज के उच्च वर्ग और ऊंची जाति की तरफ रहता है । नतीजा यह होता है कि पुलिस बल में समाज के उच्च जाति के लोग ही अधिकतर भरती होते हैं और उनकी सहानुभूति निम्न वर्ग के लोगों से नहीं होती । ऐसी स्थिति में उनसे न्याय की उम्मीद करना बेकार है ।

इसके अलावा बैंकों की सुरक्षा का प्रबन्ध उचित नहीं होता । आपको मालूम होगा कि बहुत से बैंकों में सशस्त्र पहरेदार भी नहीं हैं और पहरेदार हैं तो उनके पास बहुत पुरानी बन्दूकें हैं । आवश्यकता इस बात की है कि बैंक में सशस्त्र पहरेदार रखे जाएं और उनको रिवाल्वर दी जानी चाहिए ताकि वह बदमाशों को उसी समय पकड़ सके । इसके अलावा बैंकों में इलैक्ट्रानिक उपकरणों की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें ऐसी स्थिति में पुलिस स्टेशन पर अलार्म बजे और पता चल जाए कि वहां पर इस तरह की कोई घटना हो रही है ।

आज पुलिस की क्या हालत है । उत्तर प्रदेश में सीतावली गांव में हरिजनों के यहां डकैती हुई और आप सोच सकते हैं डकैती में हरिजनों के यहां से क्या मिल सकता है ? सिर्फ उनका दमन करने के लिए वह डकैती की गई । जब ओमपाल त्यागी नाम के सज्जन ने पुलिस को जानकारी देनी चाही तो उसी को धमकी दी गई । ऐसी स्थिति में आप कैसे सोच सकते हैं कि विधि व्यवस्था में सुधार के कोई आसार हैं । पत्रकार अगर इस बात को सामने लाएं तो पत्रकारों पर भी हमला होता है । उनकी जान ली जाती है । ऐसी स्थिति में आपके सामने कैसे कोई अपराध के उदाहरण ला सकता है ।

ऐसी स्थिति में मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार विधि आयोग की अनुशंसाओं पर विचार करेगी । क्या उसकी अनुशंसा के अनुसार पुलिस प्रशासन में अनुसंधान और विधि व्यवस्था में सुधार किया जाएगा । पुलिस के ऊपर जितने भी आयोग बने हैं उनकी अनुशंसाओं पर क्या कार्यवाही की गई है ।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पुलिस कार्यक्रमों में जनहित के लिए सचेष्ट होने या नागरिकों के प्रति विशिष्ट होने का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था आप करेंगे क्या ?

तीसरा यह कि पुलिस बल में समाज के विभिन्न वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के बारे में क्या आप विचार करेंगे ?

बैंकों की सुरक्षा प्रबन्ध बढ़ाए जाएंगे क्या ?

इन प्रश्नों का उत्तर मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहता हूं ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : माननीय सदस्य ने कई माननीय सदस्यों के साथ बिहार और उत्तर प्रदेश में जो दुर्घटनाएं हुई हैं, उनका जिक्र किया है। इनका मुझे भी अफसोस है । हमारी नजर में सब पार्लियामेंट के सदस्यों का सम्मान होना चाहिए । उनके साथ किसी भी प्रकार का दुरव्यवहार नहीं होना चाहिए। जब कभी इस तरह की घटना मेरी नजर में लाई जाती है मैं तुरन्त उस पर कार्यवाही करता हूं ।

जहां तक बैंकों की सुरक्षा का प्रश्न है, इलैक्ट्रानिक उपकरण लगाने का जो सुझाव दिया गया है, वह उत्तम सुझाव है और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे ।

पुलिस में भरती में किसी जाति विशेष का कोई ध्यान नहीं रखा जाता । पुलिस बल में भरती के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसमें इस प्रकार से प्रतिनिधित्व दिया गया है जिसमें एक हरिजन, एक शेड्यूलकास्ट, एक मायनारिटी, इस प्रकार से उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : जितने लोग भर्ती होते हैं, उनका परसन्टेज निकाल देखेंगे तो पता चल जाएगा ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : परसन्टेज हमारे पास आता है । उससे हमें मालूम हो रहा है कि भर्ती में काफी सुधार हुआ है ।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : बिहार सरकार ने आपके पास गलत रिपोर्ट भेजी है । मैंने इसीलिए दुबारा लिखा है कि यदि सरकार का कहना सही होगा तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं ।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल सिंह कश्यप ।

प्रो० मधु दण्डवते : हमने समझा कि उनके बाद हम दोपहर के भोजन के लिए सभा स्थगित करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अन्तिम सदस्य है ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : वह आधा घंटा लेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या करें ? आप सबको सहयोग देना चाहिए । यदि मैं इसे बीच में ही बन्द कर देता हूं, तो आप मुझे दोषी ठहराएंगे ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं हमेशा सहयोग देता रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कश्यप समय का पालन करेंगे । यह मैं जानता हूं ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी ने लॉ एण्ड आर्डर की समस्या पर जो अपना ब्यान दिया है, उसको देखने से ऐसा मालूम होता है कि जो कानून और व्यवस्था है, वह कुछ उस वर्ग के लिए सीमित रह गई है जिसकी सुरक्षा की सरकार को ज्यादा चिंता है । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह दिल्ली पुलिस का श्रेय है कि 1982-83 के दौरान उसने कई अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों में बहुत ही सफल तथा कारगर सुरक्षा का प्रबन्ध किया था । यह बात ठीक है । वी० आई० पीजी० की व्यवस्था हो जाती है । लेकिन जो साधारण लोग हैं, उनका जीवन कहीं भी सुरक्षित नहीं है । आम जनता यह कहती है कि जितना हमें डाकुओं और असामाजिक तत्वों से डर है, उतना ही पुलिस से डर है । अन्तर इतना है कि डाकुओं से रात को, राहजनी से दिन में और पुलिस से चौबीसों घन्टे डर बना रहता है । पुलिस, मार-पीट ही नहीं करती बल्कि माताओं और बहनों की अस्मत से भी खेलती है । ऐसी हजारों शिकायतें सरकार के सामने हैं । ऐसा मालूम पड़ता है कि अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों में ही आपका प्रशासन उलझा रहता है, उसे आम जनता की सुरक्षा का कोई मौका ही नहीं मिलता । पश्चिमी दिल्ली में क्राइम्स कम हैं और जहां पर पुलिस स्टेशन ज्यादा हैं, वहां क्राइम्स भी कम हैं क्योंकि वहां की जनता ने अपना उत्तरदायित्व समझ लिया है । वे समझते हैं कि पुलिस हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती । जहां पुलिस स्टेशन ज्यादा हैं, वहां पर पुलिस प्रशासन से जनता का विश्वास हटता चला जा रहा है क्योंकि कहीं पर जजों को पीटा जाता है और आज जो कुछ माननीय सांसद् के साथ हुआ, वह सारा का सारा मामला सामने आ गया । बरेली के मामले को ले लीजिए । वहां पर बार एसोसिएशन ने कितने दिनों तक हड़ताल की, इसकी जानकारी आपको है । इस तरह का तमाशा (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : आप डरिए मत, तमाशा शब्द अन-पार्लियामेंटरी नहीं है ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : मैं डरता नहीं हूं । बरेली में पुलिस और वकीलों का युद्ध बन गया है । पुलिस ने हरेक के चैम्बर पर जाकर कहा कि कोई पैरवी नहीं करेगा । पुलिस ने असामाजिक तत्वों को बुलाकर प्रदर्शन करवाया । उसके बार एन० एस० पी० बरेली ने अपने दफ्तर में उन लोगों को चाय पर बुलाया जिन्होंने पुलिस के फेवर में काम किया था । सब शिकायतें आपके पास हैं । आप पत्रकारों के मामले को ले लीजिए । कहीं बांदा में हत्या होती है तो कहीं दूसरी जगह होती है, झूंठे फंसाने की धमकी दी जाती है । उन्हें हमेशा अपनी जान का डर बना रहता है । पूरे देश में यही हालत है । प्रजातन्त्र के जो स्तम्भ हैं, चाहे जुडिशियरी हो, या पत्रकार हों, जनता की तो बात ही कुछ नहीं कही जा सकती, कोई सही सलामत नहीं रह सकता । चाहे बरेली के

भगवानपुर की बात हो या बदायूं की, जो भी मामला पुलिस प्रशासन के खिलाफ होता है तो उसको इतना लम्बा कर दिया जाता है कि लोगों को न्याय ही नहीं मिल पाता ।

क्राइम्स को कैसे कम किया जाय इस बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । पत्रिकायें जो निकलती हैं वही लोग ज्यादा पढ़ते हैं जिनमें क्राइम्स की चर्चा है । सच्ची कहानी है, पूरा का पूरा जजमेंट कोर्ट का और उसमें कुछ मनगढ़न्त कहानी जोड़ कर पत्रिकाओं में छाप देते हैं, भंयकर फोटो छाप देते हैं, औरतों की तस्वीरें होती हैं, पुलिस की क्राइम्स करते हुए छुरी, पिस्तौल मारते हुए तस्वीरें होती हैं जो हमारे समाज में खूब बिकती हैं । आप किसी भी बुकस्टाल पर देख लीजिए, ऐसी पत्रिकायें खूब बिकती हैं । तो क्राइम्स बढ़ेंगे अगर उनका प्रचार होगा । टी० वी० पर या सिनेमा में युवक जाते ही सबसे पहली बात यही सीखता है कि क्राइम कैसे किया जाय और उससे कैसे बचा जाए । पुलिस में और उनमें दोनों के लुकाछिपी है । पुलिस एफ० आई० आर० पूरी नहीं लिखती है । मंत्री जी आप नई दिल्ली स्टेशन पर चले जाइए और बुक स्टाल पर अपनी अटेची रख कर चले जाइए लौट कर आपको वह अटेची वहां नहीं मिलेगी । यहां 200,00 क्रिमिनल्स हैं जो घूमते रहते हैं और पुलिस उनको पहचानती है और यही लोग स्टेशन पर क्राइम करते हैं ।

अगर सही मानें में आप क्राइम कम करना चाहते हैं, क्राइम होता है बन्दूक, रिवाल्वर, पिस्तौल से, जिसका मुकाबला जनता नहीं कर पाती क्योंकि जन-साधारण के पास वह हथियार नहीं होते, बल्कि मामूली डंडा, छुरी चाकू होता है, बन्दूक वगैरह तो अपराधियों के पास होते हैं और उनमें कारतूस चलते हैं । आपको देखना चाहिए कि वह कारतूस क्रिमिनल्स के पास कहां से आते हैं ? या तो लाइसेंस होल्डर्स उनको देते हैं, या फिर पुलिस से उनके पास जाते हैं । बहुत सी ऐसी कहानियां छपी हैं पत्रिकाओं में जहां पुलिस गई जैसे एटा में जब पुलिस गई तो सबसे पहले उसने कारतूस के खोल बटोरने शुरू किए ताकि उनको जमा करके उनकी जगह नए रख दिए जाएं । अखबारों में रोज आता है कि डाकुओं को कारतूस चले जाते हैं । 70 फीसदी क्राइम घट सकते हैं अगर बन्दूक, राइफल, पिस्तौल और रिवाल्वर के कारतूसों की पुश्त पर नम्बर आप अंकित करा दें । जिस लाइसेंस होल्डर का कारतूस होगा अगर वह कारतूस किसी क्रिमिनल के पास पाया जाता है तो वह भी बराबर का जिम्मेदार होगा । अगर आप ऐसा करें तो अपराधियों को असलाह नहीं मिल सकेगा । बाकी जो माममूली हथियार हैं उनका मुकाबला लोग कर सकते हैं । अगर आप विदेशों से कारतूस लेते हैं तो उनसे भी शर्त रख लें कि जब माल बेचें तो कारतूसों पर नम्बर लग जाऐं । इस प्रकार चाहे देश में बने कारतूस हों, या विदेश से आए हुए हों अगर उन पर नम्बर अंकित हो जाएं तो 70 फीसदी क्राइम्स घट सकते हैं । थोड़ी दिक्कत जरूर हो जाएगी कि पुलिस वाले अभी जो दो कारतूस ला कर दफा 25 में चालान कर देते हैं वह नहीं कर पायेंगे । इससे झूठा फांसने में पुलिस को थोड़ी दिक्कत जरूर होगी, लेकिन देश में 70 फीसदी क्राइम घट जाएंगे ।

दूसरी चीज, कानून में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आपको परिवर्तन करना होगा जिससे

बेगुनाह लोग फांसे न जा सकें और गुनाहकार छूट कर ना जा सकें । आपका पुलिस प्रशासन इतना भ्रष्ट हो गया है कि जो इन्वैस्टीगेशन करता है, उसमें भ्रष्टाचार, रिश्वत पैसा हर चीज चलती है । इस दिल्ली में अरबों-अरबों और करोड़ों-करोड़ों रुपया खोमचे वालों और ठेले वालों से हर थाने का महीने में बंधा हुआ है । एक-एक खोमचेवाले, ठेलेवाले और दुकानदार से पैसा लिया जाता है । इससे कितना पैसा बैठता होगा, आप उसे रोक नहीं सकते हैं । इससे और भी समस्याएं खड़ी होती हैं, जिनके बारे में मैं जानना नहीं चाहता हूं । आप इन चीजों पर गम्भीरता से सोचें और क्या सरकार क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में परिवर्तन करेगी ? सरकार पुलिस को काम दे दे, लेकिन जो इन्वैस्टीगेशन का तफतीश का काम है उसके लिए एक मजिस्ट्रेट को लगा दे । हाईकोर्ट के अधीन सैकिंड क्लास मजिस्ट्रेट को एप्वाइंट कर दे या दूसरी मशीनरी कर दे जो कि इन्वैस्टीगेशन का काम करे । इस तरह क्राइम रोके जा सकते हैं ।

आप कहते हैं कि दिल्ली में अपराध घट रहें हैं, आप इसमें आंकड़े दे सकते हैं, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है । आम लोगों में आज बहुत असुरक्षा महसूस की जा रही है । रेलों में बसों में सब जगह यह सुनाई देता है । यहां तक कि अगर किसी खास केस में कोई एडवोकेट अच्छी बहस कर देता है तो क्रिमिनल बाहर निकल कर कहता है कि आपने मेरे खिलाफ ऐसी बहस की, सबूत पेश किए मैं तुम्हें देख लूंगा । वह उसको डराता है । अगर वह किसी क्रिमिनल को डिफैंड कर देता है तो पुलिस वाला कहता है कि वकील साहब कैसी बहस की है, तुम्हें देख लेंगे । ऐसी बहुत सी शिकायतें आती हैं । आपको यह तरीका बदलना पड़ेगा, इस पर गम्भीरता से आप विचार करें । यह पार्टी का मामला नहीं है । संसद्-सदस्य, विधान-सभा सदस्य, बी० आई० पी०, सरकारी कर्मचारी या पत्रकार को बेइज्जत किया जाता है तो उसको कोई संरक्षण नहीं मिल पाता है । इससे देश में बहुत गम्भीर स्थिति पैदा होती जा रही है । ला एण्ड आर्डर पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है । यह सब की समस्यां है । जो भी दल आएगा उसको इसे फेस करना पड़ेगा ।

इस समस्या का समाधान करने के लिए आप जल्द से जल्द कानून में परिवर्तन कीजिए और जो मैंने सुझाव दिए हैं, उन पत्रिकाओं और अखबारों को पाबन्दी लगाइए जिनमें इस प्रकार की घटनाओं को दोबारा छापा जाता है, कहानियां बनाई जाती हैं जिससे लोग क्राइम करना सीखते हैं । क्या सरकार इन क्राइम्स को रोकने के लिए इस तरह के सुझाव पर विचार करने जा रही है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : माननीय सदस्य ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं । एक तो यह है कि ऐसी पत्रिकाएं जो इस प्रकार के क्राइम्स की मनोवृत्ति को बढ़ाने को प्रोत्साहित करती हैं, उन पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए, यह प्रश्न अवश्य विचारणीय है और मैं इस बारे में इन्फार्मेशन ब्राडकास्टिंग मिनिस्टरी के साथ चर्चा करूंगा । जहां तक कारतूस पर निशान लगाने का सवाल है, यह अच्छा सुझाव है चाहे इम्पोर्ट किया हुआ कारतूस हो या भारत में बना हुआ हो, उन पर निशान रहेगा तो बात सही है कि यह पता लगाया जा सकता है कि कारतूस किस लाइसेंस होल्डर को मिला है और अगर कारतूस उसके पास नहीं है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है ।

जहां तक क्रिमिनल प्रोसीजर को अमेंड करने का सवाल है, वह सारा विचाराधीन है लेकिन

इस बीच क्राइस को और इन्वैस्टीगेशन को अलग करने पर गृह-मंत्रालय में अलग से विचार चल रहा है ताकि क्राइम का इन्वैस्टीगेशन दूसरा करे और क्राइम रजिस्टर दूसरी ब्रांच करे। इस बात की हिदायत पुलिस को दी गई है कि एफ० आई० आर० रजिस्टर करने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट न करे और जितनी भी शिकायत आएं उन सब की एफ० आई० आर० तुरन्त दर्ज की जाए।

प्रो० अजित कुमार मेहता : दोनों को अलग-अलग करेंगे ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : अभी तो मैंने कहा है।

1.35 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बज कर 35 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 42 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

2.42 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अन्तर्गत मामले लिए जाएंगे। श्रीमती माधुरी सिंह।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) पूर्णिया (बिहार) में, जिसे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है, अपेक्षित सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता।

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत क्षेत्रीय समस्या की ओर आप का ध्यान दिलवाना चाहती हूं। मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पूर्णिया (बिहार) गत 6 माह से औद्योगिक पिछड़ा क्षेत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित किया गया है, परन्तु जो सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक पिछड़े क्षेत्र को मिलनी चाहिए वह अभी तक इस क्षेत्र में प्राप्त नहीं हो रही है जिसके कारण क्षेत्र में सार्वजनिक उद्योग नहीं लगा पा रहे हैं।

साथ ही विद्युत समस्या भी इस क्षेत्र में बहुत है। इसके समाधान हेतु यहां पर (पूर्णिया) विद्युत घर बनाने हेतु सर्वे हुआ, वह कार्य भी विगत एक वर्ष से लम्बित है।

मैं केन्द्रीय सरकार से पुरजोर अनुरोध करती हूं कि इस समस्या को बिहार सरकार द्वारा हल करवाने का प्रयास किया जाए जिससे लाखों नागरिकों को लाभ मिल सके।

(दो) महालक्ष्मी शुगर मिल्स, इकबालपुर (उत्तर प्रदेश) द्वारा गन्ने की कीमत की बकाया राशियों का भुगतान न किया जाना और इसे सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए जाने की आवश्यकता

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : मैं अपने संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत "दी महालक्ष्मी शुगर मिल्स, इकबालपुर (जनपद सहारनपुर, उ० प्र०)" के कई वर्षों से बीमार चलते रहने की ओर सरकार एवं सदन का ध्यान आकृष्ट कई बार करा चुका हूं और इस मिल का अधिग्रहण करने हेतु अनुरोध भी कर चुका हूं। लेकिन बहुत अफसोस के साथ पुनः कहना पड़ रहा है कि इस संदर्भ में आज तक कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया गया। परिणामस्वरूप गन्ना किसानों का करीब ढाई करोड़ रुपया गत वर्ष एवं चालू पेराई वर्ष में इस मिल पर बकाया पड़ा है और इसकी अदायगी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः सरकार से पुनः अनुरोध है कि "दी महालक्ष्मी शुगर मिल्स, इकबालपुर, जनपद सहारनपुर (उ० प्र०)" पर गन्ना किसानों के बकाए करीब ढाई करोड़ रुपए 15 प्रतिशत ब्याज सहित तुरन्त अदायगी कराने की व्यवस्था करें तथा इस मिल की बीमारी की अवस्था में त्वरित सुधार हेतु जो भी उचित हो, कार्यवाही की जाए तथा मिल का अधिग्रहण सरकार द्वारा किया जाए, अन्यथा मिल की दिन-ब-दिन हालत बदतर होती जा रही है, एक दिन श्रमिकों के लिए ठप्प होकर बेरोजगारी का कारण बन जाएगी और इस पर हमेशा हमेशा के लिए सरकारी नियंत्रण असम्भव हो जाएगा।

(तीन) ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं का अभाव

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति काफी चिन्ताजनक है। हाल ही में केन्द्रीय सर्वेक्षण, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया था, जिसके अनुसार 5,464 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्डर नहीं हैं। जो डाक्टर हैं भी वे उप-केन्द्रों में नहीं जाते क्योंकि उन्हें यातायात की सुविधा नहीं है, उन्हें रहने के लिए घर नहीं है। डाक्टरों के अभाव में देहात में रहने वाले लोगों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। भारत की 60 प्रतिशत से अधिक लोग गांवों में रहते हैं। योग्य और अनुभवी डाक्टरों के अभाव में असहाय लोगों को नीम हकीमों की शरण में जाना पड़ता है। अशिक्षा और अज्ञानता का लाभ उठाकर वे तथाकथित डाक्टर खूब पैसा भी ऐंठते हैं और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी करते हैं। मोतिया बिन्दु, जान्डिस, कालाजार, मलेरिया एवं अन्य गम्भीर रोगों से ग्रसित लोगों को जान का खतरा उपस्थित हो गया है। सरकार को डाक्टरों ने वेतन एवं अन्य सुविधाओं को बढ़ाकर देहातों में डाक्टर उपलब्ध कराने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करती हूं ताकि चिकित्सा तन्त्र की व्यवस्था में सुधार हो सके।

(चार) काम के लिए अन्य राज्यों में जाने वाले काश्मीरी श्रमिकों के लिए सस्ती दर पर आवास तथा चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : काश्मीर से हजारों भूमिहीन श्रमिक विभिन्न

व्यवसायों में कठिन परिश्रम करके अपनी जीविका कमाने के लिए प्रति वर्ष जाड़ों में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ आदि आते हैं। काश्मीर के श्रमिकों को बहुत सस्ता और विश्वसनीय समझा जाता है। इनमें से अधिकांश श्रमिक अशिक्षित होते हैं और अपने राज्य में कार्य न मिलने के कारण पड़ोसी राज्यों में मजदूरों का काम करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। दुर्भाग्य से उनके लिए सराय आदि बनाकर उन्हें शरण देने के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। इन निर्धन और निःसहाय लोगों को वर्षा, बर्फ और कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ता है। वे मस्जिदों अथवा सामूहिक रूप से छोटी-छोटी कोठड़ियां किराए पर ले लेते हैं और अति अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में रहते हैं। राज्य सरकारें इन निर्धन लोगों को आवास तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में सहायता देने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठा रही हैं, जबकि ये लोग अपने खून पसीने से सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए सहयोग दे रहे हैं। केन्द्र को इस मामले पर, जो कि राष्ट्रीय और मानवीय है, ध्यान देना चाहिए। इसे इस मामले पर सम्बन्धित राज्य सरकारों से बात करनी चाहिए तथा उनकी सहायता से अथवा स्वयं उन राज्यों में सराय बनाने चाहिए और उनके लिए चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के अतिरिक्त सस्ती दरों पर आवास की व्यवस्था करनी चाहिए।

(पांच) नारियल की फसल के शैथिल्य रोग को रोकने के उपाय करने की आवश्यकता

प्रो० पी० जे० कुरियन (मावेलीकारा) : नारियल के उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। यहां पर लगभग 1.07 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र में नारियल की खेती होती है और लगभग 5800 मिलियन नारियलों का वार्षिक उत्पादन होता है। शैथिल्य (विल्ट) रोग के कारण फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और हर वर्ष 340 मिलियन नारियलों का नुक्सान होता है। यह बीमारी पहले दक्षिणी केरल के कुछ हिस्सों में देखने में आई थी और अब यह लगातार 8 जिलों अर्थात् त्रिवेन्द्रम, क्विलोन, पठानमथिटा, एलप्पी, कोट्टायम, इदुक्की, एर्णाकुलम और त्रिचूर में पाई जाती है। एक प्रारम्भिक जांच से हाल ही में पता लगा है कि यह बीमारी केरल के शेष सभी 5 जिलों में और तमिलनाडु के सीमावर्ती जिलों में भी पाई जाती है। विस्तृत सर्वेक्षण न किए जाने के कारण भारत के अन्य नारियल उत्पादक राज्यों में भी इस रोग के प्रकोप की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह विश्वास करने का कारण है कि नये क्षेत्रों में रोग फैलना प्रभावित क्षेत्रों से रोपण सामग्री के लाने से जुड़ा हो सकता है क्योंकि मिट्टी संचारण पहले ही स्थापित किया जा चुका है। यदि इस रोग को रोका नहीं गया तो यह स्वस्थ क्षेत्रों में फैल जाएगी तथा इससे काफी मात्रा में फसल का नुक्सान होगा और परिणामस्वरूप तेल उत्पादन में भी कमी होगी। इस सन्दर्भ में 'एपल स्कैब' जो कि 'वैनटूरिया इनएडीक्वैलिस' फुंगी से होती है यह रोग हिमाचल प्रदेश तथा कश्मीर में पाया जाता है। इसके आर्थिक महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने इस राष्ट्रीय महत्व की समस्या समझा है। इसी तरह नारियल के 'विल्ट' रोग को भी राष्ट्रीय समस्या की तरह समझा जा सकता है। इस रोग को रोकने के लिए मैं भारत सरकार से आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(छः) देश में हुए रबड़ के पर्याप्त उत्पादन को देखते हुए उसका आयात रोकने की आवश्यकता

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल (मुवत्तुपुजा) : केरल के रबड़ उत्पादक क्षेत्रों में देर से वर्षा होने के कारण 1983-84 में रबड़ का उत्पादन आशा से अधिक हुआ है। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन और खपत में अन्तर भी कम हुआ हैं। इसलिए अब देश में रबड़ का आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अत: मैं वाणिज्य मंत्री जी से देश में रबड़ के और आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का अनुरोध करता हूं।

हाल ही में केरल के रबड़ उत्पादन क्षेत्रों में श्रमिक मजदूरी भी काफी हद तक बढ़ गई है। अत: मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि हमारे देश के सीमान्त रबड़ किसानों की सुरक्षा करने के लिए रबड़ पर आयात शुल्क बढ़ा दें।

(सात) कल्लाई में इमारती लकड़ी के व्यापार के सम्मुख उत्पन्न कठिनाइयां

श्री ई० के० इम्बीचिबावा (कालीकट) : कल्लाई जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इमारती लकड़ी के व्यापार का केन्द्र है वहां बड़ी गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस समय विभिन्न प्रकार के श्रमिकों के 8000 परिवार बेकार हो गए हैं। लकड़ी की कमी के कारण कल्लाई क्षेत्र में टिम्बर उद्योग बन्द पड़ा है। कल्लाई देश के लिए करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। वर्तमान में कल्लाई तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र बन्द पड़े हुए हैं जबकि हजारों आटा मिलें और अन्य उद्योग दिन और रात काम कर रहे थे। इन मिलों के बन्द होने से इससे सम्बन्धित सैकड़ों तरह के कार्य लगभग बन्द पड़े हुए हैं। जलाने की लकड़ी तथा लकड़ी के बुरादे (छीलन) का अभाव हो गया है तथा कालीकट और इसके उप-नगरीय क्षेत्रों की गृहणियां वैकल्पिक ईंधन ढूंढने के लिए बहुत ही दिक्कत महसूस कर रही हैं।

यह स्थिति बन संरक्षण आदेश को यांत्रिक ढंग से कार्यान्वित करने से पैदा हुई है। वन-कटाई को रोकना चाहिए। साथ ही साथ कल्लाई में इमारती लकड़ी के व्यापार को जीवित रखने के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं। सरकार को उद्योग के लिए आवश्यक लकड़ी वितरित करने के लिए कोई फार्मूला बनाना चाहिए। ज्यादा न पनपने वाले तथा मृत वृक्षों को काटा जा सकता है तथा उनके स्थान पर नये वृक्ष लगाए जा सकते हैं। इमारती लकड़ी की कोटा प्रणाली को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इमारती लकड़ी उद्योग को इस बात की गारन्टी मिलनी चाहिए कि उन्हें अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए सरकारी भण्डारों से आवश्यक मात्रा में लकड़ी मिलेगी।

मैं 8000 परिवारों की दयनीय स्थिति सरकार के नोटिस में लाता हूं जिन्होंने कभी देश के लिए विश्व के सभी भागों से धन तथा ख्याति अर्जित की थी।

(आठ) मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में फसलों की हुई क्षति को देखते हुए वहां वसूलियां रोकने तथा प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

डा० वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : मध्य प्रदेश के किसान रबी की अच्छी फसल की आशा कर रहे थे परन्तु नियति और प्रकृति ने शीत लहर के रूप में इन आशाओं पर पानी फेर दिया यह शीत लहर बे मौसमी तथा तीव्र भी था। गुना और राजगढ़ जिलों में धनियां काफी मात्रा में पैदा किया जाता है। बीनागंज, चाचोढा, खुम्मराज, आरोन, राघवगढ़, बियावरा आदि स्थान धनिया की ए-वन किस्म के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा इन दो जिलों में व्यापक बोई जाने वाली चने की फसल को भी काफी नुक्सान हुआ है इसका कारण 'तुशार' अर्थात् शीत लहर था। इसी प्रकार मछलपुर तथा जीतपुर में सिर्फ पोस्त की खेती होती है वह भी खराब हो गई थी। इस नुक्सान से किसान बहुत ही दुखी हैं।

राज्य सरकार जिसने की भू-राजस्व पहले ही वसूल कर लिया है अब अन्य वसूलियां तकवी, बीजों के लिए राजसहायता, बैंक देयराशि तथा भू-राजस्व आदि वसूल करने में लगी हुई हैं। पटवारी तथा तहसीलदार और सरकारी कर्मचारी सरकार को फसल की सही वास्तविक स्थिति के बारे में नहीं बता रहे हैं। वे अभी भी राजस्व संहिता की पुरानी योजना को लागू करते हैं तथा केवल 25 से 30 प्रतिशत तक नुक्सान का हवाला देते हैं। धनिए का वास्तविक नुक्सान 75 प्रतिशत से अधिक है, चने का 65 प्रतिशत तथा अफीम का शत प्रतिशत नुक्सान हुआ है।

उपरोक्त परिस्थियों को देखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सहानुभूतिपूर्ण तथा मानवीय दृष्टिकोण अपनाये और केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह राज्य सरकार को निदेश दे कि राजगढ़ और गुना जिलों में सभी वसूलियां रोक दी जाएं और वहां के किसानों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाए।

2.55 म०प०

श्री कल्पनाथ सोनकर, सदस्य लोक-सभा, के साथ कथित दुर्व्यवहार की जांच के बारे में

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे एक घोषणा करनी है। मैं इस सदन को सूचित करता हूं कि माननीय श्री कल्पनाथ सोनकर द्वारा सभा में संसद भवन में प्रवेश करते समय उनके प्रति कथित दुर्व्यवहार और रुकावट डालने के बारे में पहले जो शिकायत की गई थी इसकी आवश्यक जांच की जा रही है और जांच पूरी होने तक इस विषय में शीघ्र उपयुक्त कार्यवाही की गई है।

उन्हें निलम्बित किया गया है जब कोई जांच की जाती है तो सम्बन्धित अधिकारी को निलम्बित किया जाता है न कि संसद सदस्य को।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप देना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब यह समाप्त हो गया है । इसके लिए आप एक अलग सूचना दीजिए···

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : इस केस को प्रिवलेज कमेटी को भेजना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप सन्तुष्ट नहीं हैं तो आप अलग से सूचना दीजिए । अब हम अगले विषय पर आते हैं ।

———

2.56 म० प०

रेल बजट, 1984-85—सामान्य चर्चा

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० मधु दण्डवते रेल बजट पर चर्चा के लिए अब आपको शुरूआत करनी है । कृपया सभी व्यक्ति बैठ जाईए ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, 24 फरवरी को माननीय रेल मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए 1984-85 के रेल बजट पर मैं चर्चा करने के लिए शुरूआत करता हूं । मैं रेल मंत्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि जो बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है वह भारतीय रेल का है जो एकमात्र प्रबंध व्यवस्था के अधीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल है । इन रेलों का रास्ता 61,000 किलोमीटर है और वास्तव में 10,000 रेल इंजन होंगे और लगभग इतनी ही संख्या में रेलें भी 7,000 स्टेशनों पर जाती हैं और प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या, उपनगरीय तथा गैर-उपनगरीय रेलों में लगभग एक करोड़ है । इसके साथ ही भारतीय रेल द्वारा ले जाया जाने वाला माल भी 7 लाख से 7.5 लाख टन होगा । रेलों का खर्चा इतना अधिक है कि पूंजीगत व्यय लगभग 7,000 करोड़ रुपये है तथा भारतीय रेलों में पूंजी निवेश 8,000 करोड़

2.56 म० प०

(श्री आर० एन० स्पैरो पीठासीन हुए)

रुपए है । यह रेलों का विस्तार है जो कि माननीय रेल मंत्री जी प्रस्तुत करते हैं तथा बजट को उन्होंने प्रस्तुत किया वह रेलवे के इतने बड़े विस्तार को देखते हुए उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए क्योंकि यह हमेशा बढ़ता जा रहा है और जिस पर यात्री तथा माल यातायात के आधार पर अधिकाधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । मैं माननीय रेल मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह रेलवे की आवश्यकताओं तथा इतने अधिक विस्तार के दावों को देखते हुए 24 फरवरी को प्रस्तुत किए गए रेल बजट से सन्तुष्ट हैं ? मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 24 फरवरी, 1984, को जब माननीय मंत्री जी ने इस सदन में 1984-85 के लिए रेल बजट प्रस्तुत किया उस समय मैंने कुछ प्रतिक्रिया जाहिर की थी । मैंने तब रेल बजट पर अपनी

प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। मैंने अत्यन्त संक्षेप में तीन या चार महत्वपूर्ण बातों को तालिकाबद्ध तरीके से बताया था। मैंने 24 फरवरी को उनके द्वारा प्रस्तुत किए रेल बजट को अकल्पनाशील तथा फीका बताया था। मैंने और आगे कहा था कि यह बजट लगभग 70 करोड़ रुपए के घाटे से वास्तव में रेल प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता और मैंने कहा था कि यह 70 करोड़ के घाटे का बजट वास्तव में भारतीय रेल की वित्तीय पद्धति की गतिहीनता प्रकट करता है। मेरी आगे टिप्पणी यह है कि यदि आपको यह याद है कि संसाधन जुटाने का आधार उचित नहीं है और पूंजी निवेश का तरीका असन्तुलित है, विकास की भावी योजनाओं में रेलवे प्रयोक्ताओं की जरूरतों और आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। अतएव, अपनी प्रतिक्रिया के अन्त में मैंने कहा था कि माननीय रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया रेल बजट ऐसा नहीं होगा जो रेलवे के विस्तार की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हो, जो रेलवे के बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास तथा देश के बढ़ते हुए यात्री तथा माल यातायात के लिए बहुत अनिवार्य हैं।

3.00 म० प०

ये संक्षिप्त प्रतिक्रियाएं भी जो मैंने 24 फरवरी को व्यक्त की थीं। मैं माननीय मंत्री को विश्वास दिला दूं कि मेरी प्रतिक्रिया वाक्पटुता मात्र नहीं थी, यह प्रतिक्रिया मैंने ईमानदारी से व्यक्त की थी।

वर्तमान वाद-विवाद में मेरा यह इरादा होगा कि मैं 24 फरवरी को व्यक्त की गई अपनी प्रतिक्रियाओं को विस्तार से प्रकट करूं, तथा वित्तीय पद्धति की गतिहीनता, रेलवे में पूंजी निवेशों का ढुलमुल आकार तथा प्रगति का गलत परिप्रेक्ष्य जो रेल उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को दृष्टिगत नहीं रखता है तथा इस बारे में मैं पूरी तस्वीर प्रस्तुत करना चाहता हूं।

बजट में हमें बताया गया है कि रेल बजट एक संतुलित बजट है। मैं बहुत निष्पक्षता से यह कह दूं कि यह दृष्टिभ्रम है। भौतिक विज्ञान का छात्र होने के नाते मैं भौतिकी के इस शब्द की व्याख्या करना चाहूंगा। इस बजट को संतुलित बजट बताने में मुझे दृष्टिभ्रम लगता है क्योंकि घाटा 70 करोड़ रुपए का है। यदि आप सकल प्राप्तियों, शुद्ध प्राप्तियों तथा विविध प्राप्तियों पर नजर डालें तथा भारतीय रेलवे के कार्य संचालन खर्च को देखें तथा दोनों में अन्तर निकालें, तो अन्तर 70 करोड़ रुपए का है। इस पर भी रेल मंत्री का यह कहना है कि यह एक संतुलित बजट है। शायद वे यह अनुभव करते हैं कि उनका बजट भी उनके दिमाग की तरह ही संतुलित है। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि मैं यह मानता हूं कि उनका दिमाग संतुलित है, लेकिन यह संतुलन संतुलित बजट में प्रतिबिम्बित नहीं हुआ है, और इसका बहुत सीधा सा कारण है कि घाटा 70 करोड़ रुपए का है।

रेल मंत्री के शब्दों में जो उन्होंने अपने बजट भाषण में प्रयोग किए हैं, यह लाभांश देयता में डाला गया है। अतः प्रत्यक्षतः यह एक संतुलित बजट प्रतीत होता है। ये 70 करोड़ रुपए बहुत चतुराई से उस खाते में स्थानांतरित कर दिए गए हैं और पूंजी संरचना समिति की नई रिपोर्ट आ जाने के बाद यह अनुज्ञेय है क्योंकि पूंजी संरचना समिति ने सिफारिश की है जब रेलवे को घाटा हो रहा हो तो उस समय लाभांश देयता को स्थगित देयता समझा जाना चाहिए जो कि रेलों की

वित्तीय स्थिति अच्छी हो जाने पर सामान्य राजस्व में वापस अदा की जा सकती है। तदनुसार, इसका लाभ उठाते हुए 70 करोड़ रुपए लाभांश देयता में स्थानांतरित कर दिए गए हैं या उसमें डाल दिए गए हैं और प्रत्यक्षतः ऐसा लगता है कि जैसे कोई घाटा नहीं है। लेकिन, जैसे कि मैं कह चुका हूं यह एक दृष्टिभ्रम है।

विशाल परिसम्पत्तियां बनाने तथा प्रणाली को स्थानीय तथा देशीय संसाधनों से आधुनिक बनाने अथवा उसका कम्पयुटरीकरण करके दक्षता बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, और यह देखने का प्रयास किया जाना चाहिए था कि रेलों में उपलब्ध पूंजी निवेश से हमें अत्याधिक लाभ मिल सके। उदाहरण के लिए जब आप ईंधन पर खर्च करते हैं, तो टैक्नोलोजी दृष्टि से आपके पास रेल इंजनों में जो आधुनिकतम प्रणाली है, वह यह निर्धारित करेगी कि ईंधन की खर्च की गई ऊर्जा कितनी है और ईंधन की ऊर्जा का उपयोग कितना है। उस दृष्टि से वास्तव में देशीय दक्षता तथा प्रौद्योगिकी की सहायता से किसी सीमा तक आधुनिकीकरण बहुत आवश्यक है तथा परिसम्पत्तियों को बढ़ाने, अधिक उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण करने, रेलगाड़ियों (रोलिंग स्टाक) बढ़ाने तथा रेल पटरियों को बदलने के लिए कुछ पूंजी निवेश आवश्यक है ताकि लगाई गई पूंजी से परिसम्पत्तियां बेहत्तर वित्तीय लाभ दे सकें। हम देखते हैं कि यह पहलू पूरी तरह उपेक्षित है।

दुर्भाग्यवश, योजना आयोग तथा कुल मिलाकर सरकार का रवैया अधिकतर, वित्त मंत्री के आशीर्वाद से, भारतीय रेलों के लिए संसाधन जुटाने के लिए केवल यात्री किराए तथा माल भाड़े की शरण लेना है। यह एक बहुत दिलचस्प तस्वीर है। 1980 में नई सरकार के सत्ता में आने के आरम्भ से ही यदि आय 1980-81 से 1984-85 के सभी बजटों पर दृष्टि डालें और वास्तव में वास्तविक आंकड़ों को देखें तो आपको एक बहुत दिलचस्प बात देखने को मिलेगी। ऐसी स्थिति में भी, जब कि माल यातायात में वृद्धि हो रही है और जब हम अधिक राजस्व की आशा करते हैं, आप देखेंगे कि किराए तथा माल भाड़े में लगातार और अधिक वृद्धि की गई है।

1980-81 में प्रारम्भिक यातायात 195.93 मिलियन टन था तथा किराए और माल भाड़े में वृद्धि 200 करोड़ रुपए थी। 1981-82 में माल यातायात बढ़कर 221.20 मिलियन टन हो गया तथा किराए और माल भाड़े में वृद्धि 356.25 करोड़ थी। 1982-83 में यातायात बढ़कर 227 मिलियन टन हो गया तथा किराए और माल भाड़े में 264 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई। 1983-84 में प्रक्षेपित माल यातायात 241 मिलियन टन था और हम देखते हैं कि माल भाड़े तथा किराए में वृद्धि 488.99 करोड़ रुपए थी। और अब, 1984-85 के बजट अनुमानों में आशा की गई है, वास्तव में यह बढ़ाकर पेश की गई है, कि 245 मिलियन टन माल का यातायात होगा और निसन्देह, उन्होंने माल भाड़े तथा किराए में 114.22 करोड़ रुपए की कुल वृद्धि की है। अतः आप देख रहे हैं कि जब माल की ढुलाई भी बढ़ रही है, तब भी माल भाड़े तथा किराए में वृद्धि की गई है, क्योंकि योजना आयोग तथा समूची सरकार ने उन्हें बता दिया है कि उनके पास जो एकमात्र स्रोत उपलब्ध होगा वह माल भाड़े तथा किराए में वृद्धि करके आंतरिक संसाधनों को सुदृढ़ करने का होगा। बल्कि यह रेलों को धन-राशि आबंटित करने के मामले में प्रतिकूल रहा है।

श्रीमन्, जहां तक यातायात के लक्ष्यों का सम्बन्ध है, इससे पहले कि मैं पूंजी निवेश तथा विकास परिप्रेक्ष्य के शेष विश्लेषण को आगे बढ़ाऊं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री को यह बताना चाहता हूं कि संशोधित अनुमानों तथा मौजूदा बजट में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वे अवास्तविक लगते हैं। 1982-83 का प्रारम्भिक यातायात, जो कि बहुत अच्छा यातायात माना गया था, सन्तोषजनक माना गया था, फिर भी 228.28 मिलियन टन था, और हमारे माननीय मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हमने 228 मिलियन टन का सर्वाधिक यातायात किया और यह बहुत अच्छा प्रारम्भिक यातायात था और 24 फरवरी, 1984 को रेल बजट प्रस्तुत करने तक 1983-84 का यातायात बहुत कम माना जा रहा था। उन्होंने स्वयं कहा था। वास्तव में उन्होंने इसके बहुत कारण बताए हैं, लेकिन माननीय मंत्री ने अपने भाषण में यह निष्पक्षता से स्वीकार किया है कि 1982-83 की तुलना में 1983-84 में भारतीय रेलों का प्रारम्भिक यातायात असन्तोषजनक तथा कम था, और इसके बावजूद 1983-84 के संशोधित अनुमानों में उन्होंने लक्ष्य 230 मिलियन टन रखा है। और यद्यपि यह 241 मिलियन टन से बेशक काफी कम है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू 1984-85 के बजट में आता है। 1984-85 के लिए यातायात का लक्ष्य 245 मिलियन टन निर्धारित किया गया है। जहां तक इस बजट का सम्बन्ध है, यह मुझे काफी बड़ी अत्युक्ति लगती है। मैं इसकी भलीभांति सामान्य बजट से तुलना कर सकता हूं। सामान्य बजट के बारे में मैंने कहा है कि यह कंजूसी का बजट लगता है जिसका सिद्धान्त यह है कि कम कमाओ, कम खर्च करो। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए सामान्य बजट का यही दर्शन प्रतीत होता है। और उस कंजूसी के पूर्वानुमान में हमारे रेल मंत्री आनुपातिक कंजूस रहे हैं और उन्होंने भी बहुत दिलचस्प प्रकार का बजट पेश किया है जिसके दिशानिर्देश 'कम कमाओ और कम खर्च करो' लगते हैं, चाहे सुरक्षा की तथा यात्रियों की आवश्यकताएं कुछ भी हों। कम कमाओ, कम खर्च करो और यह भी सुनिश्चित करो कि घाटा कम हो—70 करोड़ रुपए का और फिर चुपचाप इसे लाभांश देयता में स्थानांतरित कर दो ताकि जनता के सामने आप यह कह सकें कि आपने संतुलित बजट प्रस्तुत किया है तथा लोग कह सकें कि रेलवे का दृष्टिकोण वास्तव में सन्तुलित है। अब जो चित्र प्रस्तुत किया गया है वह ऐसा है। 1983-84 के लिए निर्धारित भाड़ा राजस्व, 1984-85 के संशोधित अनुमान सम्भवतः गलत सिद्ध होंगे। मैं चेतावनी दे दूं। आशावाद हमेशा अच्छा होता है, लेकिन झूठे तथा अनुचित आशावाद के परिणामस्वरूप कई वित्तीय कठिनाइयां पैदा होंगी। और मुझे विश्वास है कि जब उन्हें पता था कि बजट पेश करने के समय तक कुल माल यातायात काफी कम रहा है, तो 1983-84 तथा 1984-85 के लिए क्रमशः 230 मिलियन टन तथा 245 मिलियन टन का लक्ष्य निर्धारित करना बड़ी अत्युक्ति है।

अब हम रेलवे के कम हो रहे वित्त संसाधनों की ओर आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेलवे के वित्त संसाधन कैसे कम होते जा रहे हैं। आप रेलवे के खर्चे तथा राजस्व वसूली में कुछ महत्वपूर्ण शीर्ष ले सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि वित्त संसाधन कैसे कम होते जा रहे हैं। 'बजट एक नजर में' दस्तावेज के पृष्ठ 1 में 1983-84, 1983-84 के संशोधित अनुमानों तथा 1984-85 के भावी बजट के लिए विभिन्न मदों के लिए विभिन्न संकेतक दिए गए हैं। उदाहरण के लिए शुद्ध यातायात प्राप्तियों को लीजिए। केवल सकल यातायात प्राप्तियां ही

महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि शुद्ध यातायात प्राप्तियां भी महत्वपूर्ण हैं। उनमें से मूल्य ह्रास धनराशि पेंशन निधि में डाली जाने वाली राशि सहित कुल कार्यसंचालन खर्च घटा लीजिए, और तब आपके पास जो शुद्ध यातायात प्राप्तियां बचेंगी, वे एक संकेतक हैं कि रेलों के पुनर्निर्माण; उपयुक्त संचालन तथा कार्यकरण के लिए कितनी राशि उपलब्ध होगी। यह बहुत रोचक है। शुद्ध यातायात प्राप्तियों को लीजिए—1983-84 के बजट अनुमानों को करोड़ों में लीजिए। यह 624.91 करोड़ रुपए था। अब 1983-84 का संशोधित बजट अनुमान क्या कहता है? महोदय, याद कीजिए, 1983-84 के बजट में शुद्ध यातायात प्राप्तियां मूलतः 624.91 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी। 1983-84 के संशोधित बजट अनुमानों में यह घटकर 289.50 करोड़ रुपए हो गई—624 करोड़ रुपए से 289.50 करोड़ रुपए। और अब 1984-85 के बजट में भी वे 1983-84 के बजट अनुमानों के कहीं पास नहीं आते। 1984-85 के बजट अनुमानों में शुद्ध यातायात प्राप्तियां 375 करोड़ रुपए निर्धारित की गई हैं। याद कीजिए, 1983-84 के बजट में ये 624 करोड़ रुपए थीं और 1984-85 के बजट में ये 375 करोड़ रुपए थीं। शुद्ध यातायात राजस्व इस प्रकार नीचे गिरा है। अब, हम शुद्ध विविध प्राप्तियों को लेते हैं। 1983-84 के बजट में ये 46.29 करोड़ रुपए थीं, 1983-84 के संशोधित बजट अनुमान में ये 49 करोड़ रुपए थीं, और अब 1984-85 के बजट अनुमान में ये 45 करोड़ रुपए थीं—49 करोड़ रुपए से 45 करोड़ रुपए। यदि आप शुद्ध रेलवे राजस्व को लें तो यह एक बहुत रोचक संकेतक होगा। जहां तक शुद्ध रेलवे राजस्व का सम्बन्ध है, 1983-84 के बजट में यह 671.20 करोड़ रुपए था, 1983-84 को संशोधित बजट अनुमानों में यह 671 करोड़ रुपए से घटकर 338.50 करोड़ रुपए रह गया है और 1984-85 में यह 420 करोड़ रुपए है। '420' संख्या का कोई विशेष महत्व नहीं है, किन्तु यह '671' करोड़ रुपए से घटकर '420' करोड़ रुपए हो गई है। इस प्रकार रेलवे की शुद्ध आय में काफी कमी हो गई है। आगे कहा गया है कि, 'रेलों के पूंजीगत ढांचे की व्यापक पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता है, वित्त मन्त्रालय के एक विशेषज्ञ द्वारा लिखा गया एक लेख इस समय मेरे पास है। यह लेख भारतीय रेलवे के वित्तीय आयुक्त श्री ए०वी० पुलूस ने लिखा है, इसका शीर्षक है—"भारतीय रेलों की वित्तीय क्षमता—पूंजीगत ढांचे का पुनर्निर्माण"। उन्होंने 9 अप्रैल, 1983 के **इकानामिक्स टाइम्स** में एक अत्यन्त रोचक लेख लिखा है। उन्होंने अन्यन्त महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिए दिए हैं यह पैरा रेल मंत्री को पढ़कर सुनाना उल्टे बांस बरेली को भेजने की भांति है। लेकिन कभी तो बरेली को भी कोयले की जरूरत होती है और इसलिए मैं इसे पढ़ रहा हूं। लेख के अन्तिम पैरे में यह कहा गया है कि :

> "रेल प्रशुल्क जांच समिति के अनुमान के अनुसार अगले दो दशक में 1977-78 के मूल्य स्तर के अनुसार रेलों को 36,000 करोड़ रुपए के संसाधनों की आवश्यकता होगी और मोटे तौर पर इसका दो-तिहाई साज सामान में वृद्धि करने के लिए और एक-तिहाई आस्तियों के पुनर्वास के लिए चाहिए। हाल में रेलों के लिए जो योजना परिव्यय निर्धारित किया गया है वह एक निर्धारित समय-सीमा में इतने बड़े पूंजी निवेश के लिए विश्वास की भावना जागृत करने वाला नहीं है, जबकि रेलें अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए प्रयत्न

कर रही हैं । जब तक नए वित्तीय संसाधन नहीं जुटाये जाते, तब तक रेलों के लिए भावी चुनौतियों का मुकाबला करना सम्भव नहीं होगा ।"

उनन्त विचार विरोधी दल के किसी सदस्य के नहीं हैं, अपितु एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा व्यक्त किए गए हैं जो रेलों की वित्तीय व्यवस्था का उत्तरदायित्व निभा रहा है—वह रेलवे बोर्ड में विशेषज्ञ हैं, उन्होंने स्वयं लेख में यह विचार व्यक्त किया है और मैं भारतीय रेलों के इस वित्त विशेषज्ञ के निष्कर्षों से पूरी तरह सहमत हूं । उन्होंने सर्वथा उचित विचार व्यक्त किया कि जब तक हम 1977-78 के मूल्य स्तर पर 36,000 करोड़ रुपए के संसाधन एकत्र नहीं जुटा पाते तब तक आगामी दो दशक में सारी आवश्यकताएं पूरी करना हमारे लिए सम्भव नहीं होगा । उन्होंने बीस वर्ष की अवधि दृष्टि में रखकर यह विचार व्यक्त किए हैं । इसलिए···

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : मौजूदा मूल्य स्तर पर तो यह 50 हजार करोड़ रुपए बैठेंगे ।

प्रो० मधु दण्डवते : यह ठीक बात है । प्रो० रंगा की सरकार का मैं हूं कि 1977-78 के मूल्य स्तर के 36,000 करोड़ रुपये मौजूदा 1984-85 के स्तर की दृष्टि से 36,000 करोड़ रुपए नहीं हैं । यह रकम अधिक हो जायेगी । 1978-79 के दिन अब लुप्त हो गये हैं । जबकि मूल्यों में स्थिरता की ओर मुद्रा स्फीति की दर गिर गई थी । रुपये का मूल्य इतना कम नहीं हुआ । आज हम 1984 में रह रहे हैं । 1984 महत्वपूर्ण वर्ष है अतः मैं चाहता हूं कि वे इस विशेष पहलू की ओर ध्यान अवश्य दें । यदि ऐसा नहीं किया गया तो वित्तीय दृढ़ता और स्थायित्व की समस्या पूरी तरह हल नहीं की जा सकती है ।

अब मैं असन्तुलित विकास की चर्चा करूंगा । पूंजी निवेश किस प्रकार किया गया है यह जानना रोचक विषय हैं । इस बजट के पीछे दर्शन है उसका मैंने विश्लेषण कर दिया है । और इसके लिए मैं रेल मंत्री को दोष नहीं देता कि चुनावों से पूर्व का बजट है इसलिए उन्होंने ऐसा किया है । मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि देश में शीघ्र चुनाव होने वाले हैं । यदि निर्धारित समय पर भी चुनाव होते हैं अर्थात् 1984 के अन्त में तो भी इसके लिए तैयारियां करना जरूरी है । अतः जब तक प्रयोक्ताओं की आवश्यकता पूरी नहीं हो जाती तब तक थोड़े घाटे का बजट बनाया जाए, और उस अवस्था में आंतरिक संसाधन कम मात्रा में जुटाने का प्रयास किया जाए और लोकप्रिय बजट बनाने की कोशिश की जाए । यह बजट की भावी कल्पनाओं का स्वरूप है । मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पूंजी निवेश सर्वथा असन्तुलित ढंग में हुआ है ।

यहां मैं पुनः पृष्ठ तीन—पूंजी निवेश, योजना शीर्ष, व्याख्यात्मक ज्ञापन—का उल्लेख करता हूं ।

पृष्ठ तीन में मंत्री महोदय ने अनेक शीर्ष दिए हैं । मैं कुछ उदाहरण यहां प्रस्तुत करूंगा । मैं डिब्बों में परिवर्तन का उदाहरण देता हूं । रेल पटरियों के गेज परिवर्तन के लिए बजट में 1983-84 के लिए 50 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे । 1983-84 के संशोधित बजट में यह

रकम बढ़ाकर 55. 9 करोड़ रुपए कर दी गई। लेकिन कम आय, और कम खर्च की विचारधारा को दृष्टिगत करते हुए इस बजट में यह रकम 55.59 करोड़ रुपए से घटाकर 51.72 करोड़ रुपए कर दी गई है।

अब मैं रोलिंग स्टाक का उल्लेख करूंगा। रेलों के विस्तार की आवश्यकताएं बराबर बढ़ रही हैं। इस पर भी 1983-84 का बजट आबंटन रोलिंग स्टाक के लिए 496.46 करोड़ रुपए था। 1983-84 के संशोधित बजट में यह रकम 560 करोड़ रुपए कर दी गई और तदन्तर कम खर्च और कम आय की नीति के अनुसार 560 करोड़ रुपए से घटा कर 524.37 करोड़ रुपए कर दी गई। रोलिंग स्टाक के लिए धनराशि 5 0 करोड़ रुपए से घटा कर अब 524.37 करोड़ रुपए कर दी गई है।

रेल पटरी नवीकरण : रेलों की सुरक्षा रेल पटरियों की नवीकरण पर निर्भर करती है। मैं माननीय मंत्री को सावधान कर देना चाहता हूं कि यदि आप पटरियों का नवीकरण नहीं करते हैं तो भारतीय रेलों की 8000 किलोमीटर लम्बी पटरियां क्षत-विक्षत हो जा सकती हैं, उसी तरह जैसे हमारे शरीर की हड्डियां फ्रेक्चर की दशा में टूट-फूट जाया करती हैं। रेल की पटरी के आठ अथवा नौ टुकड़े हो जाएं और फिर उस पर भारी यातायात रहे तो गम्भीर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है और वह भारतीय रेलों के लिए सचमुच बड़ा खतरा और जोखिम की स्थिति है। अल: मैं बार-बार यह कहूंगा कि पटरियों का नवीकरण बहुत जरूरी है तथा अवश्य किया जाए।

पटरियों के नवीकरण के लिए कितनी पूंजी लगायी जा रही है। 1983-84 के बजट में 268.68 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे। 1983-84 के संशोधित बजट में उसे बढ़ा कर 289.70 करोड़ रुपए कर दिया गया। मंत्री महोदय ने सभा में यह स्वीकार किया है कि पटरियों के नवीकरण का काम काफी तेजी से पिछड़ रहा है। इसके लिए अधिक रकम आबंटित करने की जरूरत है। किन्तु कितनी अधिक ? केवल 350.46 करोड़ रुपए ही। वे स्वयं यह जानते हैं कि केन्द्रीय सहायता के बगैर और रेल पटरी नवीकरण के लिए अधिक आबंटन न किए जाने की स्थिति में नवीकरण का यह काम पूरा नहीं किया जा सकता है और इस स्थिति में भारतीय रेलों के लिए खतरा और जोखिम बढ़ता जाएगा।

विद्युतीकरण परियोजना : इस काम के लिए निसंदेह ही रकम बढ़ाई गई है। 1983-84 के बजट अनुमान में इसके लिए >0.20 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे, जबकि संशोधित बजट में यह रकम बढ़ाकर 85.75 करोड़ रुपए कर दी गई। अब विद्युतीकरण परियोजना के लिए 160.04 करोड़ रुपए रखे गए हैं।

रेल पटरियों के नवीकरण को अधिक महत्व नहीं दिया गया है। पटरियों में टूट फूट से रेलों की सुरक्षा नहीं रहेगी और आज यही स्थिति है।

मेरी यह शिकायत भी है कि वर्तमान केन्द्रीय सरकार पर मोटर परिवहन बहुत हावी है। मोटर परिवहन व्यवस्था में लगे लोग भारत सरकार से राजनितिक संरक्षण प्राप्त करने के लिए

प्रयत्नरत हैं और वे भारतीय रेलों पर जोर दे रहे हैं कि रेलों में पूंजी निवेश कम हो और अधिक आमदनी देने वाला यातायात रेलों से हटकर मोटर-गाड़ियों की ओर आकृष्ट हो। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय रेल ही एकमात्र ऐसी रेल प्रणाली है जहां सामाजिक दायित्व पूरी तरह से भारतीय रेलें द्वारा ही वहन किया जाता है। एकल प्रबन्ध वाले अधिकांश देशों में इसमें हिस्सेदारी होती है। हमारे देश में रेलें सैनिक साज सामान ढोती हैं, लागत से कम खर्च पर अत्यावश्यक वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं, पिछड़े इलाकों में पटरियां बिछा कर रेल यात्रा की व्यवस्था करती हैं तथा ऐसे विभिन्न कार्य करती हैं और इन सब सामाजिक कार्यों पर होने वाला खर्च रेलों द्वारा ही वहन किया जाता है। दुनिया के अन्य देशों में इन सामाजिक दायित्वों की पूर्ति उन देशों की सरकारों के सामान्य राजस्व से की जाती है। हमारे देश में यह समूचा वाहन रेल मंत्री के कंधों पर है।

प्रो० एन० जी रंगा : किन्तु यह परम्परागत रूप से हो रहा है। यह कोई नई बात नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : हमें परम्परा का पालन सदैव नहीं करना चाहिए। इसमें परिवर्तन जरूरी है। अतः इस पहलू की जांच की जानी चाहिए।

प्रो० रंगा को इस पर आपत्ति नहीं होगी कि मोटर परिवहन और रेल परिवहन के बीच के अन्तर हैं उसे हटाने की जरूरत है। एक ओर तो भारतीय रेलें लागत से कम खर्च पर माल की ढुलाई करती हैं और दूसरी ओर पिछड़े इलाकों में घाटा सहन करती हैं क्योंकि यहां काफी समय बाद आय शुरू होती है। रक्षा सामग्री भी हम रेलों द्वारा पहुंचाते हैं। और महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों का अन्य काम भी करते हैं। इतना सब करते हुए भी हम यह होने देते हैं कि अधिक भाड़े की दर वाला सामान तो मोटर परिवहन द्वारा ढोया जाता है और भाड़े की कम दर वाली वस्तुएं रेलों को ढोनी पड़ती हैं। इस स्थिति में रेलों की आय में काफी कमी हो जाएगी। संसद को इस बात के लिए सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि निहित स्वार्थ वाले मोटर परिवहन व्यवस्था में लगे व्यक्ति रेलों पर हावी न होने पाएं, और अधिक आमदनी वाला कीमती सामान की ढुलाई रेलों द्वारा की जाए, ताकि रेलों की आमदनी बढ़े और उसकी समस्याएं हल हो सकें।

एक ओर पहलू भी है। मैं आधुनिकीकरण का समर्थन करता हूं कि रेलों में कुशलता बढ़े। कुछ क्षेत्रों में कम्प्यूटर व्यवस्था जरूरी है। चुने हुए क्षेत्रों में कम्प्यूटर प्रणाली का विरोध रेलवे यूनियन तक भी नहीं करेंगी क्योंकि मजदूरों की छटनी किए बिना ही इसे प्रभावशाली रूप में लागू किया जा सकता है। भारतीय रेल कर्मचारी संगठन ने चुने हुए क्षेत्रों में कम्प्यूटर प्रणाली को लागू करना स्वीकार कर लिया है। लेकिन इसमें एक खतरा है। हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। जब भी कभी अवसर आता है हम गांधी जी की बात करने लगते हैं। मैं महात्मा गांधी का उल्लेख कर रहा हूं। जब भी अवसर आता है हम आत्मनिर्भरता की बात करने लगते हैं। हम स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। हम हर उद्योग में जिनमें रेलवे भी शामिल है, आयात कम करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। सिद्धान्त के रूप में हम ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं

एक प्रश्न का आपसे स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। क्या आई० बी० एम० रेलों की मार्फत माल भाड़ा कम्प्यूटर कार्यक्रम के जरिए पुन: प्रवेश कर रहा है ? क्या विश्व बैंक 520 करोड़ रुपए की विशाल रकम कर्ज के रूप में इस शर्त पर दे रहा है कि रेलें स्वदेशी कम्प्यूटरों को छोड़ कर आई० बी० एम० प्रणाली अंगीकृत करेंगी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस पर दबाव डाला जा रहा है जब हम इन्टरनेशनल बिजनेस मशीन (आई० बी० एम०) की बात करते हैं तो यह किसी संगठन अथवा पार्टी का संक्षिप्त रूप नहीं है।

प्रो० एन० जी० रंगा : कृपया इसे विस्तारपूर्वक समझाइए।

प्रो० मधु दण्डवते : जब कम्प्यूटर प्रणाली हम अपनाते हैं तो इसके लिए ऊंचे किस्म वाले उपकरणों की जरूरत होती है। यह सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में कुछ संस्थाएं हैं जो इन कम्प्यूटर उपकरणों का निर्माण कर सकती हैं। और हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। यह हो सकता है कि विदेशों से आयात किए गए उन्नत किस्म के उपकरणों की तुलना में इनकी कार्य-कुशलता कम हो। किन्तु विश्व बैंक के आदेश से हम आई० बी० एम० उपकरणों का आयात इस लिए कर रहे हैं कि हमें 520 करोड़ रुपए का कर्ज मिल रहा है। मुझे यह मालूम नहीं है कि क्या यह सच है। मैंने अनेक वित्तीय पत्र-पत्रिकाओं में पढ़ा है कि 520 करोड़ रुपए के कर्ज की खातिर हम यह शर्त मंजूर कर लेंगे। और आई० बी० एम० इस कार्यक्रम को शुरू कर देगा। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि चुने हुए क्षेत्रों में कम्प्यूटर प्रणाली अपनाई जा सकती है लेकिन यह स्वदेशी प्रणाली होनी चाहिए। और इस स्थिति में ही इसके परिणाम अच्छे होंगे।

अब भारतीय रेलों में ईंधन की अर्थव्यवस्था का मैं जिक्र करूंगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आप ईंधनों को पृथक कर देने की घोषणा के बाद भी भारत में आज कर्षण की विभिन्न किस्मों के अलग-अलग आंकड़े क्या हैं। भारतीय रेलवे की नवीनतम स्थिति यह है : हमारे पास 6,292 भाप के इंजन, केवल 2,638 डीजल इंजन तथा केवल 1157 विद्युत इंजन हैं। बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण से हमारे पास 6,292 भाप इंजन, 2,638 डीजल इंजन तथा 1157 विद्युत इंजन हैं। इसके परिणामस्वरूप, हम कितने ईंधन की खपत कर रहे हैं ? सौभाग्यवश हमें दी गई भारतीय रेलवे की भारतीय रेल पुस्तिका के पृष्ठ 50 में ये आंकड़े दिए गए हैं। भारतीय रेलवे के सम्बद्ध विभाग ने बहुत रोचक संकलन किया है।

1981-82 तथा 1982-83 के आंकड़े दिए गए हैं। आओ इनकी तुलना करें। 1981-82 में कोयले की खपत 9·84 मिलियन टन थी तथा 1982-83 में 9·45 मिलियन टन। हाई स्पीड तेल के मामले में 1981-82 में खपत 1217·8 मिलियन लीटर और 1982-83 में 1227·2 मिलियन लीटर। विद्युत इंजनों में विद्युत ऊर्जा की खपत 1981-82 में 2407 मिलियन किलो वाट आवर्ज तथा 1982-83 में 2481 मिलियन किलो वाट आवर्ज। यह लगभग अवरुद्ध है।

फिर भी, एक और मुद्दा है जो मैं सदन तथा रेल मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं। आप यह जानना चाहेंगे कि जब आप भाप से डीजल या डीजल से विद्युत इंजन में परिवर्तन करते

हैं तो ईंधन खपत के मूल्य या लागत में कितना अन्तर आता है। उदाहरण के लिए; यदि एक गाड़ी जिसका भार 1000 टन है और यह एक किलोमीटर चलती है, तो ढुलाई 1000 सकल टन किलोमीटर कहलाती है। अब, जरा हम यह देखें कि कितना ईंधन खर्च होता है और कितनी राशि खर्च की जाती है। पुराने आंकड़ों के अनुसार, भाप इंजन में खर्च किए गए कोयले के मामले में यह 12/- रुपए है, डीजल इंजन में खर्च किए गए डीजल (एच० एल० डी०) के मामले में यह 6 रुपए है तथा विद्युत इंजन में खर्च की गई विद्युत के मामलों में यह 3 रुपए है।

यह हो सकता है कि ये आंकड़े पुराने हों क्योंकि 1977 की हमारी अपनी सरकार भी पुरानी हो गई है। इसलिए, हो सकता है ये आंकड़े नवीनतम न हों। हो सकता है, मेरी गणना गलत हो। मैंने इस आधार पर गणना की है कि जब 1000 टन वजन वाली गाड़ी एक किलोमीटर चलती है तो यदि भाप इन्जन हो तो ईंधन का खर्च 12/- रुपए आएगा, यदि डीजल इंजन हो तो खर्च 6/- रुपए आएगा और यदि विद्युत इंजन हो तो खर्च 3/- रुपए आएगा। इससे पता चल जाएगा कि अन्तर कितना है? अतएव, मैं माननीय मंत्री को सलाह दूंगा कि वे रेलों का अधिकाधिक डीजलीकरण तथा विद्युतीकरण करें ताकि हम समस्या का हल करने में समर्थ हो सकें।

प्रो० एन० जी० रंगा : यह आसान नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रो० रंगा ने यह मुद्दा ठीक ही उठाया है कि यह इतना आसान नहीं है। इसमें वित्तीय बाधाएं हैं। मैं यहां कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं, कि रेलवे ने राज समिति नियुक्त की थी। राज समिति ने कुछ सुझाव दिए हैं। उन्होंने रेलों के विद्युतीकरण में कठिनाई अनुभव की है। एक बार जब विद्युतीकरण हो जाता है तो इसमें कोई शक नहीं कि ऊर्जा खपत कम हो जाती है लेकिन कठिनाई यह है कि विद्युतीकरण पर प्रति किलोमीटर खर्च लगभग 10 लाख रुपए है। उन्होंने कहा है कि इसे कम किया जाना चाहिए। इसलिए, राज समिति ने सुझाव दिया है कि कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप एल्युमीनियम का प्रयोग कर सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप खर्च 10 लाख रुपए की बजाए 6 या 7 लाख रुपए प्रति किलोमीटर रह जाएगा। यदि विद्युतीकरण की लागत 10 लाख रुपए से घटाकर 6 या 7 लाख रुपए तक ला दी जाती है तो विद्युतीकरण अधिक तीव्र गति से हो सकता है।

जहां तक विकास परिप्रेक्ष्य का सम्बन्ध है, आजकल रेल प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूरी तरह उपेक्षा की जाती है। सदन के सभा-पटल पर रखी गई राष्ट्रीय परिवहन समिति की रिपोर्ट के अनुसार मोटर परिवहन मार्ग तथा रेल मार्ग एक-दूसरे के अनुपूरक होने चाहिएं, विकल्प नहीं। उन्होंने जो दलील पेश की है वह यह है कि युद्ध जैसे संकट के समय या असैनिक गड़बड़ी के समय यदि बमबारी से एक मार्ग नष्ट हो जाता है, और यदि केवल वही एकमात्र मार्ग है तो उस स्थिति में समस्त यातायात अस्त-व्यस्त हो जाता है और. इसलिए, मोटर परिवहन मार्ग तथा रेल मार्ग एक दूसरे के अनुपूरक माने जाने चाहिएं, न कि विकल्प। देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण

पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय परिवहन समिति की रिपोर्ट में कुछ संकेत दिए गए हैं।

तदुपरांत, हमारे पास पश्चिम तटीय रेलवे है। यह किसी राज्य के लिए नहीं है। यह महाराष्ट्र से आरम्भ होकर गोवा के रास्ते से होती हुई कर्नाटक में समाप्त होती है तथा तमिलनाडु और केरल के साथ परस्पर सम्पर्क स्थापित करती है। इसलिए, समूचे दक्षिण के लिए यह एकता का कारक है। हम राष्ट्रीय एकता के बारे में बहुत बातें करते हैं। यह एक ऐसी रेल लाइन होगी जो महाराष्ट्र से गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल तथा कन्याकुमारी तक परस्पर सम्पर्क स्थापित करेगी। और इस सम्भावना को देखते हुए, मैं प्रो० एन० जी० रंगा जैसे वरिष्ठ अनुभवी व्यक्तियों से आशा करता हूं कि वे दबाव डालें तथा यह सुनिश्चित करें कि इस रेल लाइन को मंजूरी दी जाए। शुरूआत पहले ही हो चुकी है। यह रोहा तक जा चुकी हैं। यह मंगलूर तक अवश्य जानी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि पूरा सदन इस बात से सहमत होगा कि पश्चिम तटीय रेलवे को अवश्य सक्रिय किया जाना चाहिए।

जहां तक चालू कार्यों का सम्बन्ध है, चाहे यह किसी के भी कार्यकाल में आरम्भ किए गए हों, चाहे ये श्री मिश्र के समय में आरम्भ किए गए हों या पंडित त्रिपाठी के समय में या प्रो० मधु दण्डवते या किसी अन्य के कार्यकाल में या नए मंत्री के कार्यकाल में, किसी के भी कार्यकाल में आरम्भ किए गए हों, चालू कार्य बिना किसी राजनीतिक आधार के पूरे किए जाने चाहिएं।

जहां तक रेलवे सुरक्षा का सम्बन्ध है, सौभाग्यवश, मैं प्राक्कलन समिति का सदस्य हूं जो पूरे रेल मंत्रालय की जांच कर रही है। उन्होंने अपनी सर्वोत्तम योग्यता से हमें सहयोग दिया और हमने लोक-सभा की प्राक्कलन समिति की 56वीं रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसने रेलवे सुरक्षा के बारे में सिफारिशें की हैं। उन्होंने केवल पांच मद सुझाए हैं : रेल पटरियों को बदलना, रेल-पटरियों की सुरक्षा बनाए रखने के आन्तरिक उपाय, पुलों की स्थिति की समीक्षा, सिग्नल उपकरण तथा पुराने सवारी डिब्बों को बदलना। मैं अधिक ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। 56वीं रिपोर्ट रेल-मंत्रालय के पास उपलब्ध है। वे इसका अध्ययन कर चुके होंगे। उनसे आशा की जाती है कि वे इस प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट पर 'की गई कार्यवाही' की रिपोर्ट देंगे और मैं आशा करता हूं कि वे इस विशेष रिपोर्ट को भी ध्यान में रखेंगे ताकि समस्या हल हो सके।

रेलवे कर्मचारियों की समस्या के बारे में मुझे कहना है कि ऐसी अफवाह है कि रेल कर्मचारियों के साथ किया गया उत्पादिकता पर आधारित बोनस करार समाप्त किया जाने वाला है। मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि वह करार कभी भी समाप्त नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उसे जारी रखना चाहिए क्योंकि यह अधिक उत्पादन तथा अधिक बोनस के लिए प्रोत्साहन है। रेलवे सुरक्षा बल को उसमें शामिल किया जाना चाहिए।

वेतन वृद्धि की बकाया राशि, रात्रि ड्यूटी भत्ते तथा समयोपरि कार्य भत्ते की अदायगी बकाया है। यह अदायगी की जानी चाहिए।

भविष्य निधि पूरी तरह गड़बड़ में है । इसे व्यवस्थित ढंग से रखा जाना चाहिए ।

भर्ती पर प्रतिबन्ध तथा किफायती उपायों के सम्बन्ध में रेल मंत्रालय को मंत्रिमण्डल से अधिक शक्तियों तथा अधिक स्वायत्तया की मांग करनी चाहिए ।

रेलवे कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की चार किश्तों की अदायगी के लिए शीघ्र कदम उठाए जाने चाहिएं । दस घंटे की ड्यूटी की गणना काम पर आने से लेकर जाने के समय तक की जानी चाहिए । यह मूल स्थिति थी और इसे बदला नहीं जाना चाहिए । प्रशासन में कुछ परिवर्तन किए जाने के बाद यह कहा जाता है कि यदि गाड़ी दो घण्टे देरी से भी चलती है तो भी ये दो घण्टे निकाले नहीं जाएंगे और इस प्रकार ड्यूटी 12 घन्टे या अधिक बैठती है । यह अन्यायपूर्ण है और इसलिए प्रारम्भिक स्थिति जारी रहनी चाहिए ।

रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं ।

रेलवे में मकान बनाने के कार्य में हाल ही में कमी आई है । इसमें सुधार किया जाना चाहिए ।

रेल सेवा आयोग में भ्रष्टाचार बढ़ गया है । मैं आक्षेप लगाने तथा चरित्र हनन में रुचि नहीं रखता । यदि चरित्र हनन करके राजनीति में रहना है तो मैं राजनीति में नहीं रहना चाहूंगा । मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता । इसके साथ-साथ मैं माननीय रेल मंत्री को चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि रेल सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्तियां राजनीतिक संरक्षण के आधार पर की गईं तो इसके परिणामस्वरूप भारी भ्रष्टाचार फैल जाएगा, जैसा कि बहुत से मामलों में हुआ है और जिसे उन्होंने सदन में स्वयं स्वीकार किया है । मैं इन सभी मामलों को नहीं लाना चाहता हूं ।

बम्बई रेल सेवा आयोग में यह प्रमाणित हो गया है कि परीक्षा-पत्रों का पहले पता चल गया था । गलत व्यक्तियों को परीक्षा में बैठने को कहा गया । कुछ महिलाएं जो परीक्षा में बैठी थीं, उनके पर्चे किन्हीं और के नाम में डाल दिए गए । जिन दो लड़कियों ने भ्रष्टाचार का पर्दा-फाश करने में प्रधान भूमिका निभाई, उन्हें नियुक्ति-पत्र नहीं दिए गए । बम्बई रेल सेवा आयोग में 40 लड़कियों को बरखास्त कर दिया गया है । उन्हें बरखास्तगी के नोटिस दिए गए हैं । इन सभी समस्याओं को अवश्य हल किया जाना चाहिए और रेल सेवा आयोग के प्रश्न-पत्रों की इस लीकेज को तुरन्त रोका जाना चाहिए ।

लेखन-सामग्री सहित अन्य सामग्री की बर्बादी से बचना होगा ।

रेलवे प्रशासन की ओर से मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि भारतीय रेलवे के सामाजिक दायित्वों, औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत ढांचा बनाने में रेलवे की भूमिका तथा बढ़ती हुई यात्रियों और माल परिवहन की आवश्यकताएं पूरी करने की व्यवस्था पर ध्यान देने के लिए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है योजना आयोग भारतीय रेलवे को अधिक धनराशि आबंटित करे,

क्योंकि भारतीय रेलवे केवल रेलवे ही नहीं अपितु वह देश की समूची अर्थ-व्यवस्था का आधार है। यदि भारतीय रेलवे की दशा खराब हो जाती है, तो अर्थ-व्यवस्था के पास भी अन्य कोई रास्ता नहीं होगा, रेलवे की भांति उसकी भी दशा और खराब हो जाएगी। अत: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सरकार पर अपना प्रभाव इस बात के लिए डालिए कि भारतीय रेलवे को अधिक राशि आबंटित करना आवश्यक है, ताकि रेलवे की अर्थ-व्यवस्था स्थिर हो सके। रेलवे के स्थिरीकरण का अर्थ होगा समूचे देश की व्यवस्था का स्थिरीकरण। इसी उद्देश्य से मैंने ये बातें कही हैं।

आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : इससे पहले कि मैं अगले वक्ता को बुलाऊं; मैं देख रहा हूं कि सत्तारूढ़ दल की ओर से बोलने वाले सदस्यों की सूची बहुत लम्बी—अर्थात 25 तक है, और फिर अन्य दलों को भी बोलना है। अत: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी बात संक्षेप में कहें। अकाट्य मुद्दों के बारे में वह जितना बलपूर्वक तर्क देना चाहें दे सकते हैं। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि जहां तक सम्भव हो वह संक्षिप्त तथा युक्तियुक्त बातें कहें। श्री चन्दूलाल चन्द्राकर।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : सभापति महोदय, हमारे देश में रेल की स्थिति ऐसी है कि रेल के विकास पर देश का विकास बहुत अधिक निर्भर करता है। जहां रेलवे पहुंच जाती है उस क्षेत्र के विकास का प्रथम चरण प्रारम्भ हो जाता है। हमारे देश में बहुत जगह अभी रेलवे लाइन नहीं पहुंच सकी है। देश में अधिक रेलवे लाइनों की जरूरत तो है ही, साथ ही साथ रेल चलाने के लिए डिब्बों की भी बहुत कमी है, इसलिए अधिक डिब्बे बनाने की भी जरूरत है। पुराने डिब्बों की जगह नए डिब्बे लगाए जाने चाहिए। इसके साथ-साथ बहुत सारी रेलवे के आधुनीककरण की आवश्यकता है जिसके लिए सबसे अधिक पैसों की आवश्यकता है। इस सदन के सभी सदस्य चाहे इस तरफ बैठने वाले हों या उस तरफ बैठने वाले हों, सभी इस बात का अनुभव करते होंगे कि रेल को अधिक पैसों की आवश्यकता है। अब वह पैसे चाहे योजना आयोग दे, चाहे रेल मंत्रालय अपने कुछ साधनों में वृद्धि कर ले या वित्त मंत्रालय दे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि रेलवे को बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता है। बिना पैसे के उसके विकास में प्रगति नहीं हो सकेगी। मुझसे पूर्व वक्ता, भूतपूर्व रेल मंत्री श्री मधु दण्डवते जी ने बताया अभी कि हमारी रेलों में जो कोयले से चलने वाले इंजन हैं उनको हटाकर डीजल और बिजली इंजन चलाने की आवश्यकता है और वैसे तो हमारी सरकार ने इसको स्वीकार किया है कि इनको हम हटाएंगे और इसके बाद डीजल और बिजली से चलने वाले इंजन लगाएंगे लेकिन अभी इसकी रफ्तार बहुत धीमी है। कारण इसका यही है कि पैसे की बहुत कमी है। इसलिए रेलवे को अधिक पैसे की बहुत आवश्यकता है ताकि वह ऐसे इंजिन जो डीजल और बिजली से चल सकते हैं उनको लगाए।

देश में अधिक रेलवे लाइन भी खोलने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ हमारे देश में बहुत सी चीजें जैसे रेल का पहिया अभी हम बाहर से मंगाते हैं। कुछ तो जापान से आती हैं, कुछ हम अपने कारखाने में भी बनाने लगे हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम अधिक से

अधिक आत्म-निर्भर हों और इसके लिए और अधिक कारखाने हमारे हों। मैं समझता हूं रेल मंत्री जी इस विषय पर कुछ विस्तार में प्रकाश डालेंगे।

रेल में जो रिजर्वेशन होता है, सभी जानते हैं, पूरे देश में उसके बारे में बहुत सी शिकायतें होती हैं कि रिजर्वेशन में गलतियां होती हैं। उसके लिए कम्पयूटर लगाने की बहुत आवश्यकता है। हमारे यहां 7 हजार रेलवे स्टेशन हैं। सभी स्टेशनों पर तो नहीं हो सकता, लेकिन जो कुछ खास बड़े-बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और भी 40-50 शहरों के स्टेशनों पर कम्प्यूटर लगाए जाने की बहुत आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि रेल मंत्री और रेल मंत्रालय का ध्यान इस तरफ है। लेकिन इस तरफ तेजी से कदम उठाना चाहिए क्योंकि कम्प्यूटर मशीन लगाने से रोजाना की जो तकलीफ होती है वह दूर हो सकती है।

बहुत सी नयी रेल लाइनें खोलने पर विचार-विनिमय किया जाता है लेकिन हमारे देश के पूर्वी क्षेत्र में कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर रेलवे लाइन पहुंची ही नहीं है। इसी तरह से मध्य प्रदेश, जो कि इस देश में क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश है, और सारे प्रदेश में सबसे बड़ा जिला बस्तर है जहां पर रेलवे लाइन न के बराबर है। बहुत पहले लगभग 7-8 साल या 10 साल पहले दल्ली-राजहरा नामक स्थान से लेकर बेला डीला तक 140 किलोमीटर लम्बे क्षेत्र के लिए रेलवे लाइन बिछाने की परियोजना बनाई गई थी। इस क्षेत्र में खनिज-पदार्थ एवं वन सम्पदा बहुत अधिक है लेकिन रेलवे लाइन के अभाव में उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त यह आदिवासी क्षेत्र भी है। हमारी सरकार का लक्ष्य यह है कि विशेष रूप से जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाए लेकिन बस्तर जिले का विकास तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि वहां पर रेलवे लाइन नहीं बिछाई जाती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि अकेला बस्तर जिला केरल राज्य से भी बढ़ा है लेकिन वहां पर रेलवे लाइन नहीं है। वहां पर खनिज पदार्थ संगमर्मर जैसे बहुमूल्य पत्थर भरे पड़े हैं जोकि आज चोरी से विदेशों में भेजे जा रहे हैं। गरीब लोगों को वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है। समझ में नहीं आता कि जब 10 साल पहले भी यह रेल लाइन बिछाने का निर्णय ले लिया गया था फिर भी इस लाभदायक रेलवे लाइन को क्यों नहीं बिछाया जाता। इस रेलवे लाइन की नितान्त आवश्यकता है और इसकी ओर मैं मंत्री जी का विशेष ध्यान आकर्षित करता हूं।

दूसरी बात यह है कि साउथ ईस्टर्न (दक्षिण पूर्व) रेलवे सबसे ज्यादा कमाऊ रेलवे लाइन है और मध्य प्रदेश के बहुत बड़े क्षेत्र में यह फैली हुई है। आश्चर्य और दुःख का विषय है कि इसका कार्यालय किसी कारणवश पहले कलकत्ता में रख दिया गया था। इसके रेलों के मुख्य कार्यालय वहां पर हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्य कार्यालय वहां से हटाना तो सम्भवतः रेल मंत्री के लिए सम्भव नहीं होगा लेकिन कम से कम रेलवे कर्मचारियों की भर्ती का जो कार्यालय है, उसको तो अवश्य वहां से हटाकर मध्य प्रदेश में खोला जाना चाहिए और इसके लिए बिलासपुर से अधिक उपर्युक्त और कोई अन्य स्थान नहीं हो सकता है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जब तक ऐसा

नहीं होगा तब तक अनेक प्रकार की गड़बड़ियां होती रहेंगी, इसलिए इसकी ओर उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए ।

तीसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस बिलासपुर से निजामुद्दीन तक आती है । मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा—इस सम्बन्ध में मैंने उनसे पत्र-व्यवहार भी किया है और उनको पता है कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की दशा कितनी खराब है । उसमें रिजर्वेशन मिलना सम्भव नहीं होता है । साथ ही उसके जो डिब्बे हैं उनमें दरवाजे नहीं हैं । डिब्बों में बिजली नहीं होती है । बिजली के स्वीच तो उन डिब्बों में रहते ही नहीं हैं अगर पहले दर्जे में बैठने वाला पूछता है कि लैबेटरी (शौचालय) कहां है तो रेलवे वाले कह देते हैं । इस डिब्बे में कुछ गड़बड़ी है, आप दूसरे डिब्बे में चले जाइए । कई दफा कहा गया है कि कुछ इसमें सुधार हो गया है और सुधार करायेंगे । मैं कहना चाहता हूं कि जब सुधार हुआ ही नहीं है, तो और सुधार क्या करायेंगे । हालत बहुत खराब है । इसी तरह से छत्तीसगढ़ गाड़ी के ठहरने के स्टेशनों की संख्या कम कर सकें तो अच्छी बात है । वहां से एक और दूसरी गाड़ी तेज रफ्तार से चले, उसको निश्चित रूप से दिल्ली लायें या भोपाल तक लायें तो बहुत अच्छा हो सकता है । उसकी वजह यह है कि इसमें जगह नहीं मिलती है, इतनी ज्यादा कठिनाई होती है, टाइम ज्यादा लगता है और वहां से यहां आने में निश्चित रूप से दस से आठ घंटे तक का समय बचाया जा सकता है । लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, यदि रेलवे मंत्रालय का कोई आफिसर इसमें सफर करे तो मालूम हो जाएगा ।

दुर्ग के पास भिलाई का सबसे बड़ा इस्पात का कारखाना है । एक सीमेंट का बहुत बड़ा कारखाना भी उस क्षेत्र में बेलाडिला और दूसरे क्षेत्रों से लोग आते हैं, वहां पर वैस्टर्न कोलमाइन्स हैं, यदि बिलासपुर से त्रिवेंद्रम तक एक सीधी गाड़ी मिल जाए तो बहुत सुविधा हो जाएगी । इस बारे में हमने रेल मंत्री से भी विचार विनिमय किया है, उनकी मेहरबानी से कुछ डिब्बा आरक्षित कर दिया गया है, लेकिन उसमें इतनी भीड़ होती है, यदि आप वहां के लिए एक सीधी ट्रेन दे दें, तो समस्या का समाधान हो सकता है ।

इसी प्रकार दुर्ग से कटनी होती हुई बनारस एक गाड़ी जाती है, जिसमें आगे जाने के लिए इलाहाबाद का कनैक्शन नहीं मिलता है । इस बारे में बराबर पत्र व्यवहार किया, यदि उसको रोज के लिए कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी ।

रेल डिब्बों के बारे में कहा गया है कि रेल डिब्बे बहुत पुराने हो गए हैं, जिनकी संख्या 35000 हैं और जिनको तत्काल बदलने की आवश्यकता है । इसी तरह से हर साल और डिब्बों की आवश्यकता 1500 से 2000 तक है, लेकिन हमारे पास जो डिब्बे बनते हैं, वे केवल 1400 के करीब हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक और पैसा नहीं मिलेगा, तब तक रेल के डिब्बे नहीं बन सकेंगे । इसमें कोई शक नहीं है कि रेल मंत्रालय ने इसकी तरफ ध्यान दिया है । इसके साथ-साथ रेलों की सफाई, सुरक्षा, रेलों को समय पर चलाना और यात्रियों की सुविधाओं पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है ।

रेल मंत्री जी ने जो इस बार रेल बजट पेश किया है, भले ही दण्डवते जी उसको स्वीकार न करें कि यह संतुलित बजट है, वे स्वयं रेल मंत्री रह चुके हैं और वे कठिनाइयों से परिचित हैं। इस बात को सभी जानते हैं कि रेलवे विभाग में पैसे की कमी है, फिर भी मंत्री महोदय ने जो बजट प्रस्तुत किया है निसन्देह वह बहुत ही अच्छा बजट, है इसके लिए मैं उनको तथा रेल विभाग को बधाई देता हूं। रेल के आधुनिक विकास के लिए, नई रेल लाइनें डालने के लिए पैसे की आवश्यकता है। निसंन्देह रेल विभाग को जो रकम मिली है, वह इतनी कम मिली है कि उनसे आवश्यकताओं की पूर्ति होना सम्भव नहीं है। इसलिए केन्द्रीय बजट से रेलवे को जो पैसा मिला है, उससे पांच गुना मिलना चाहिए, ताकि अच्छा काम किया जा सके। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम प्यारे पनिका (रॉबर्ट्सगंज) : सभापति जी, मैं सबसे पहले माननीय रेल मंत्री जी ने जो रेल बजट प्रस्तुत किया है, इस बजट का स्वागत करता हूं तथा माननीय रेल मंत्री जी तथा उनके मंत्रालय से सम्बन्धित सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि, मान्यवर, आपको याद होगा जब पिछले माननीय रेल मंत्री जी रेल बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्होंने तीन बातों की तरफ विशेष ध्यान दिया था। बजट प्रस्तुत करते समय उन्होंने रेलवे की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में कहा था कि हमारा रेलवे सिस्टम क्लर्कस पर आधारित है, इसलिए उस समय उन्होंने तीन नारे दिए थे—सेफटी, सिक्योरिटी और पंक्चुएलिटी। मुझे आज यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इन तीनों क्षेत्र में माननीय रेल मंत्री जी ने महत्वपूर्ण इम्प्रूवमेंट की है। जहां तक सिक्योरिटी का प्रश्न है या एक्सीडेंट्स का प्रश्न है—हम देखते हैं—एक्सीडेंट्स के मामलों में पिछले दिसम्बर तक 8.2 परसेन्ट की कमी हुई है यह और कमी किन परिस्थिति में की है, जबकि हमारे पास बहुत सीमित साधन हैं। हम रेलवे लाइनों की मरम्मत करना चाहते थे, लेकिन उतना नहीं कर सके, कोचेज नहीं बदल सके, वैगन्ज नहीं बदल सके। इसलिए उन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया है और जिन परिस्थितियों में किया है, मैं कह सकता हूं कि यह संतुलित बजट है। आप देखें—18 हजार किलोमीटर रेलवे लाइनें खराब हैं, 35 हजार वैगन्ज रिप्लेस होने हैं, इतना ही नहीं रेलवे के लिए जिस इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है हम उसको भी पूरा नहीं कर सकें हैं। इसलिए जिन परिस्थितियों में माननीय रेल मंत्री जी इस मंत्रालय को चला रहे हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को हमने देखा है, आपके काम करने के तरीके को हमने देखा है, आपके दृढ़-निश्चय और दूर-दर्शिता को हमने देखा है। हमें याद है जब आपने पावर सैक्टर को सम्भाला था उस समय की क्या हालत थी, लेकिन आपकी क्षमता और बुद्धिमत्ता से बिजली तथा कोयले दोनों के उत्पादन बढ़े। 1980-81 में 8 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि हुई। लेकिन दिक्कत यह है—प्लानिंग कमीशन रेलवे के मामले में सौतेला व्यवहार करता है। प्रधान मंत्री जी ने भी कई बार कहा है और हमारे दूसरे साथियों ने और खास तौर से पराशर जी ने भी कहा है कि इसको "कोर-सैक्टर" मानना चाहिए। हम देखते हैं कि कोयले के लिए 33 परसेन्ट रुपया अधिक रखा गया है, पावर के लिए 40 प्रतिशत अधिक रुपया रखा गया है, लेकिन रेलवे के लिए 23 परसेन्ट की बढ़ोत्तरी हुई है। मैं मांग करता हूं कि रेलवे के लिए, जो सारे देश की अर्थ-व्यवस्था को ठीक करने का साधन है, अधिक पैसा दिया जाए। 1926 में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था, लेकिन जिस भावना से

इसको अलग किया गया था, वह ठीक नहीं चल रही है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि प्लानिंग कमीशन फिर से रेलवे की मांगों पर विचार करे और यदि जरूरत पड़े तो बाजार से भी रुपया उधार लेने की इजाजत दें। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस काम के लिए वर्ल्ड बैंक की सहायता भी प्राप्त की जाए जिससे रेलों का सही रूप से विकास हो सके।

मैं बतलाना चाहता हूं—वर्तमान परिस्थितियों में वर्तमान बजट छठी पंचवर्षीय योजनाओं को दृष्टि में रखकर रिहैबिलिटेशन बजट था और अगर यही हालत चलती रही तो मुझे ऐसा लगता है कि सातवीं योजना के बजट को भी रिहैबिलिटेशन का ही नाम देना पड़ेगा क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में हम नई लाइनें नहीं बना सकते। हमको काफी लाइनें बनानी हैं, लेकिन इस काम के लिए केवल 90 करोड़ रुपया मिला है जिनसे हम उन लाइनों को पूरा नहीं कर सकते। जहां एक तरफ हम नई रेल लाइनें चाहते हैं, वहां उसके लिए धन की व्यवस्था होनी चाहिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है—रेल मंत्री जी ने ठीक कहा है और जनमानस को देख कर कहा है कि मालगाड़ी और पैसेन्जर गाड़ी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम अलग-अलग नहीं कर सकते। आपने 100 नई रेलें चलाई और रेलवे में बहुत सुधार किया और कोचेज को बदला। इसके अलावा लम्बी दूरी की गाड़ियां चलाई। इसके लिए मैं मंत्री जी को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। चाहे इधर के लोग हों और चाहे उधर के, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी की सब तारीफ करते हैं और रेलवेज में आप अनुशासन भी लाए हैं। आपके अधिकारी इस बात को समझते हैं कि रेलवे मंत्री जी की भावना के अनुसार अगर काम नहीं किया, तो कार्यवाही भी हो सकती है। इलाहाबाद रेलवे सर्विस कमीशन में जो पेपर आऊट हो गया था उसके लिए भी आपने एक्शन लिया है और लोगों को ससपेंड किया है। अब वहां कुछ क्लास 1 वाले कुछ उल्टी बातें कर रहे हैं। आप इस मामले में दृढ़ता से कदम उठाएं और यह सारा सदन और हम लोग आपके साथ हैं।

इन शब्दों के साथ मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी की हमारे ऊपर बड़ी कृपा रही है। जब आप पावर मिनिस्टर थे, तो हमारे क्षेत्र में कई बार गए हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर अभी तक इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रीयेट नहीं हुआ है। मेरा सबसे पहला सुझाव यह है कि अरोहरा रोड पर बम्बई को जो ट्रेन जाती है, उसको रोका जाए क्योंकि नारायणपुर, जमालपुर तथा राजगढ़ विकास खण्ड पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पर जनता और छात्रों को इस गाड़ी के न रुकने से बड़ी कठिनाई हो गई है। पहले यह गाड़ी वहां रुकती थी लेकिन अब रुकना बन्द हो गई है। इसी तरह से डीलेक्स मिर्जापुरमें रुकती थी, वह नहीं रुक रही है। मेरा सुझाव यह है कि डीलेक्स, मगध एक्सप्रेस, स्वर्ण भद्रा और नीलांचल गाड़ियां जो हैं, इनको मिर्जापुर में रोका जाए। यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक प्राचीन नगर है और देश के कोने-कोने से लोग यहां आते हैं। इसके अलावा चुनार एक ऐसा जंक्शन है, जो उर्क इण्डस्ट्रील बेल्ट है और जहां पर एशिया का सबसे बड़ा कोयले का भंडार है। हमारा यह क्षेत्र बिजली उत्पादन का बहुत बड़ा केन्द्र है और हमारी कांस्टीटुयेन्सी में तीन सुपर थर्मल प्लान्ट हैं। यहां पर उत्तर प्रदेश की दो-तिहाई बिजली पैदा होती है। इसलिए हर ट्रेन जो वहां से पास होती है, दो मिनट के लिए वहां पर रुकनी चाहिए। मेरी कांस्टीटुयेन्सी में हिन्डालको है, तीन सीमेन्ट के कारखाने हैं और कनोड़िया कैमीकल्स भी यहां पर है और रिहन्द और रेणुसागर भी है। इसके अलावा यहां पर कोयले की खानें भी

हैं और ओबरा भी यहां पर है जहां पर 1500 मेगावाट बिजली पैदा होती है लेकिन यहां पर आने-जाने की सुविधाएं बहुत कम हैं। इसीलिए चण्डीगढ़ से टिया जाने वाली ट्रेन को प्रतिदिन कर दिया है। यह ट्रेन इस क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। इसके अलावा रेणुकोट और चोपन में रिजर्वेशन का कोटा हर श्रेणी में बढ़ाया जाए चाहे टाटा में आप कम कर दें। मैं यह भी चाहूंगा कि टाटा को हावड़ा तक ले जाया जाए। इस क्षेत्र के लोगों का सम्पर्क बिहार, मध्य प्रदेश और देश के दूसरे हिस्सों से पड़ता है लेकिन वहां पर गाड़ियां बहुत कम हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि दो मेल ट्रेन चलाएं। एक को चुनार-चोपन और कटनी से मिलाया जाए और वह ट्रेन बम्बई को जोड़े और दूसरी मद्रास तक चलाई जाए। इस समय जो गाड़ियां चल रही हैं, उन्हीं को डाइवर्ट किया जाए और बिना अधिक संसाधन लागाए, आप वहां के लोगों को सुविधा दे सकते हैं। हमारे यहां बहुत औद्योगिक विकास हो रहा है लेकिन लोकल ट्रेनों की कमी है। मैं यह भी चाहूंगा कि इलाहाबाद-चुनार पैसेन्जर को वाराणासी तक बाया जुनातपुर चलाया जाए और गढ़वा-चोपन-चुनार को भी बनारस तक बाया जुनातपुर ले जाया जाए। जो लखनऊ एक्सप्रेस चलती है वह चोपन से सिंगरौली जाने लगी है। उसको शक्ति नगर तक ले जाया जाए क्योंकि वह एक औद्योगिक क्षेत्र है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि रेणुकोट एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। वहां पर एक टर्मिनल बनाया जाए और लखनऊ-चोपन एक्सप्रेस को रेणुकोट तक ले जाया जाए और यदि सम्भव न हो, तो गढ़वा तक ले जाया जाए जहां टर्मीनल की सुविधा उपलब्ध हैं।

इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि चण्डीगढ़-हटिया को अपने रोबर्ट्सगंज मेरी मांग पर रोक दिया है। इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं परन्तु दूद्धी में जो तहसील हैडक्वार्टर है, इसको रोका जाए। आप चाहें तो दूद्धी में टाटा को बन्द कर दें लेकिन इसको अनिवार्य रूप से दूद्धी में रोका जाए।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हटिया-चण्डीगढ़ इस समय दिल्ली में ढाई बजे पहुंची है। आप ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे यह 12 बजे दोपहर पहुंच सके। यह एक बड़ी अच्छी ट्रेन है और बड़े फायदे से चल रही है। इसके अलावा मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि मिर्जापुर से चौपन के लिए जो ट्रेन चलती है, उसको शक्तिनगर तक चलाया जाए।

मैं एक और बात यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों और आदिवासियों का जो कोटा है, वह पूरा नहीं हो रहा है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इस तरह के आदेश दें कि हर स्तर पर इनका कोटा पूरा हो। आज हो क्या रहा है कि इनके करेक्टर रोल खराब कर दिए जाते हैं और इनको प्रोमोशन नहीं मिलता।

4.00 म० प०

माननीय, मैं एक यह सुझाव देना चाहता हूं कि रेलवे में 22 लाख कर्मचारी हैं जिनमें से 15 लाख कर्मचारी स्थायी हैं और 7 लाख कर्मचारी अस्थायी हैं। हमारे प्रोफेसर मधु दण्डवते

जी ने कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं के सम्बन्ध में आशंका प्रकट की थी कि उन सुविधाओं को आप कम करेंगे लेकिन मुझे विश्वास है कि आप इन सुविधाओं को कम नहीं करेंगे। ऐसा मेरा आपसे आग्रह भी है कि आप रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं को कम न कीजिए।

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि रेल मंत्री जी, आपके अधीन रेलवे में औद्योगिक सम्बन्ध बहुत अच्छे बने हुए हैं। न कहीं स्ट्राइक है न कोई और झगड़ा है। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में ये औद्योगिक सम्बन्ध और भी अच्छे होंगे।

एक मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि रेलवे में बिना टिकट जो सफर किया जाता है, उसको खत्म करने के लिए आपको कड़ाई बरतनी पड़ेगी। विना-टिकट रेलों में यात्रा करने की बुराई आदिवासी इलाकों और दूसरे इलाकों में है। इसको दूर करने के लिए आप विशेष उपाय कीजिए, विशेष विजिलेंस कीजिएगा और सरपराइज चैकिंग कीजिएगा।

रेलों में जो चोरियां होती हैं, अगर उन चोरियों को आपकी प्रोटेक्शन फोर्स ने रोक दिया तो निश्चित तौर पर रेलवे आगे बढ़ेंगी और देश में रेलों का विकास होगा।

आपने रेलों के सम्बन्ध में बजट में जो लक्ष्य रखे हैं वे सराहनीय हैं। आप जिस तरह से रेलों का संचालन कर रहे हैं उसके लिए मैं आपका, आपके विभाग के लोगों का धन्यवाद करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में रेलवे उत्तरोत्तर आगे बढ़ती जाएंगी।

श्री बासुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभापति महोदय, पिछले तीन वर्षों के दौरान माल भाड़े और किराए में भारी वृद्धि के बावजूद चुनाव वर्ष के रेलवे बजट में रेलवे की भौतिक और वित्तीय दोनों तरह से खराब कार्य-निष्पादन के दोषी होने की जिम्मेदारी से पूरी तरह बचने की कोशिश की गई है। भारतीय रेलवे देश में सबसे बड़ा, सबसे विशाल और संभवत सबसे पुराना सरकारी उपक्रम है। सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में रेलवे सबसे बड़ा नियोजक उपक्रम है, जिसकी आस्तियां करीब 8,200 करोड़ रुपए की हैं तथा रेल मार्ग की लंबाई 62,000 किलोमीटर से अधिक है एवं इसके दैनिक यात्रियों की संख्या एक करोड़ है। यात्री और माल दोनों का यातायात करके रेलवे विभाग हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए मूल ढांचा तैयार करता है। यह बड़े खेद की बात है कि रेलवे के इस विशेष महत्त्व के बावजूद, योजनाकारों ने रेलवे को आबंटन देते समय उसे उचित महत्त्व नहीं दिया।

मैं आपको कुछ आंकड़े दे सकता हूं कि रेलवे को राशि कैसे दी जाती है और प्रथम पंचवर्षीय योजना से इसके आबंटन में किस तरह कमी की जाती रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल राष्ट्रीय योजना परिव्यय का 11·23% रेलवे के लिए आरक्षित किया गया था, जबकि वह यातायात क्षेत्र के कुल परिव्यय का 46·77 प्रतिशत था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस आबंटन को बढ़ा कर राष्ट्रीय योजना के कुल परिव्यय का 18·68% कर दिया गया जबकि यह

यातायात क्षेत्र के कुल परिव्यय का 66.91% था। तीसरी योजना से स्थिति बड़ी खराब होती गई, क्योंकि परिव्यय के प्रतिशत में निरंतर कमी होती रही। तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह योजना के कुल परिव्यय का 11·80% कर दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में यह और कम होकर 5·6 % तक ही रह गया और चालू वर्ष में रेलवे के विकास के लिए यह राशि कुल परिव्यय का केवल 5·32% है।

महोदय, मैं भारतीय रेलवे में उत्पन्न हुए संकट का कुछ पुनरीक्षण करना चाहता हूं। इंटीग्रल कोच फैक्टरी को छोड़कर कुछ वर्कशापों में अभी भी कम क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। चितरंजन लोकोमोटिव और डीजल लोकोमोटिव में अभी भी कम क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। केवल इतना ही नहीं, यदि आप इंजनों के उत्पादन आंकड़े देखें, तो आप देखेंगे कि चितरंजन लोकोमोटिव और डीजल लोकोमोटिव वर्कशापों में कम क्षमता का उपयोग हो रहा है। साथ ही सभी लाइनों पर वैगनों की संख्या में भी कमी आई है। यह संख्या वर्ष 1980-81 में 392062 से कम होकर वर्ष 1982-83 में 383429 रह गई तथा कुल वैगन क्षमता में भी कमी आई है। यह 1981-82 में 10·97% से घटकर 1982-83 में 10·92% रह गई। यह स्थिति रेलवे की अच्छी कार्यकुशलता का प्रमाण नहीं है।

मैं 1973-74 में आरंभ की गई निगमित योजना के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस योजना की समूची परिगणना चौपट हो गई है। वार्षिक पुस्तिका में दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि उस वर्ष अनुमानित यात्री किलोमीटर 174 बिलियन थे जबकि 1981-82 में यात्री किलोमीटर कम होकर 176·8 बिलियन रह गए और चालू वर्ष में हम देखते हैं कि यह पहले ही 176.8 बिलियन तक पहुंच चुके हैं।

सवारी डिब्बों के उत्पादन में वृद्धि के लिए रेल मंत्रालय द्वारा एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने भी सवारी डिब्बों की, विशेषकर ई० एम० यू० डिब्बों की, संख्या में वृद्धि करने की शिफारिश की थी। मैं समझता हूं कि रेल मंत्रालय ने स्वयं अपने ही द्वारा नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों की ओर बिलकुल ध्यान नहीं दिया है। 1980-81 में सवारी डिब्बों की संख्या 27,410 थी जो कि 1982-83 में कम होकर 26,894 रह गई जबकि यात्री किलोमीटर की संख्या 208558 लाख से बढ़ कर 226930 लाख हो गई है। और इसी अवधि में आरंभ से चढ़ने वाले यात्रियों की संख्या 36130 लाख से बढ़ कर 36550 लाख हो गई है, जबकि भार में औसतन 57·7 से 62·1 वृद्धि हुई है। अर्थात् प्रतिशत के रूप में यह वृद्धि क्रमशः 11%, 3% और 7·6% हुई है। इसका अर्थ है कि यात्री गाड़ियों में भीड़ बढ़ रही है। इस तथ्य से कि 1981-82 की तुलना में 1982-83 में आरंभ से चढ़ने वाले यात्रियों की संख्या में कमी आई है। यह पता चलता है कि भीड़-भाड़ यात्रा के दौरान काफी अवधि तक बर्दाश्त करनी पड़ती है।

पिछले वर्ष बजट पेश करते समय, रेल मंत्री ने एक नया नारा, सुरक्षा, बचाव और समयनिष्ठा का नारा, दिया था लेकिन सुरक्षा और समय की पाबंदी केवल नारे देने से ही नहीं मिल जाती। जब हम वास्तविक स्थिति देखते हैं तो पता चलता है कि अधिक पुराने डिब्बे और रेल की पटरियों का न बदला जाना ही रेल दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। यह सच है कि 1983-84 में रेल

दुर्घटनाओं में कमी आई है लेकिन उसके लिए कौन सा तरीका अपनाया गया जिससे रेल दुर्घटनाओं में कमी आई है ? वह तरीका यह है कि सभी यात्री, एक्सप्रेस और मेल गाड़ियों की रफ्तार कम कर दी गई है ।

मैं नवम्बर, 1983 में फैजाबाद के निकट हुई दुर्घटना का यहां उल्लेख करना चाहता हूं। जिस गाड़ी से 20 तीर्थ यात्री मारे गए थे उसके इंजन में हैडलाइट नहीं थी । हमें समझ नहीं आता कि बिना हैडलाइट के इंजन को चलने की अनुमति कैसे दी गई जिसके कारण वह दुर्घटना हुई । इस दुर्घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेल मंत्रालय अपने नारे के प्रति कितना गंभीर है ।

तीन समितियां नियुक्त की गई थी । रेल दुर्घटना जांच समिति ने कर्मचारियों से संबंधित सिफारिशें की थीं । यह कहा गया है कि रेलवे दुर्घटना जांच समिति द्वारा कर्सचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति की नीति और चल कर्मचारियों के काम करने के घंटे, सिगनल तथा अंत: पाशन प्रणाली में सुधार, सवारी डिब्बों, गाड़ियों, चालन शक्ति में सुधार आदि संबंधी जो सिफारिशें की गईं थीं उन्हें अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। ये सिफारिशें सरकार द्वारा नियुक्त समिति द्वारा ही की गयीं थीं। यदि कर्मचारियों और उपकरण संबंधी सिफारिशों को लागू कर दिया जाए तो अधिक सुरक्षा की जा सकती है । रेलवे सुधार समिति ने, जिसने हाल ही में अपनी रिर्पोट दी है, कहा है कि 'जब तक सिफारिशों को लागू करने के लिए सभी स्तरों पर गंभीर प्रयास नहीं किया जाता तब तक सुरक्षा के स्तर में सुधार नहीं लाया जा सकता ।'

भारतीय रेलवे की सिगनल प्रणाली इतनी पुरानी है कि एक चालक को अपनी एक बार की यात्रा के दौरान कई प्रकार की सिगनल प्रणालियों से होकर गुजरना पड़ता है । कुछ दूरी तक उसे स्वचालित सिगनल व्यवस्था से होकर गुजरना पड़ता है, कुछ दूरी एम० ओ० एम० ए० सिगनल व्यवस्था से, कुछ दूरी तक 'टोकन पद्धति' से होकर और कुछ दूरी तक 'टोकन रहित' पद्धति से होकर । इससे सुरक्षा के लिए खतरे बढ़ते हैं ।

अब मैं कुछ शब्द बजट प्रस्तावों के बारे में कहूंगा । पिछले तीन वर्षों से सभी श्रेणियों के यात्रियों को यात्रा के लिए अधिक किराया देना पड़ रहा है । 1981-82 में दूसरी श्रेणी के यात्रियों पर 10% अधिभार लगाया गया । अगले वर्ष यात्रा की दूरी के अनुसार प्रति पांच किलोमीटर पर 2.5 पैसे 4 पैसे तक वृद्धि कर दी गई तथा न्यूनतम किराया 50 पैसे से बढ़ाकर 70 पैसे कर दिया गया । 100 किलोमीटर की यात्रा तक 10 प्रतिशत प्रभार में 15 जून, 1980 से दी गई छूट और 1-4-81 से कोचिंग, रोलिंग स्टाक इत्यादि में सुधार पर दी गई 5 प्रतिशत छूट को अभी तक लागू नहीं किया गया है । ये सब सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिशें हैं । यदि कर्मचारियों और उपकरणों संबंधी सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता तो बेहतर सुरक्षा प्राप्त की जा सकती थी । रेलवे सुधार समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और इसमें कहा गया है कि "समिति के विचार में यदि सभी स्तरों पर सिफारिशों को लागू करने के बारे में गम्भीरता से प्रयास नहीं किए जाते हैं तो सुरक्षा स्वर में सुधार नहीं हो सकता ।"

भारतीय रेलवे में सिगनल प्रणाली इतनी पुरानी है कि रेलवे ड्राइवर को एक दूरी

तय करने के लिए कई प्रकार की सिगनल प्रणाली से गुजरना पड़ता है। कुछ दूरी पर उसे आटोमेटिक सिगनल प्रणाली से गुजरना होता है, कुछ दूरी पर मोमा प्रणाली से, कुछ दूरी पर टोकन प्रणाली से और कुछ दूरी पर टोकन रहित प्रणाली से। इससे सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है।

मैं अब बजट प्रस्तावों के बारे में कुछ कहूंगा। पिछले तीन वर्षों से सभी श्रेणियों के यात्रियों को यात्रा के लिए अधिक पैसा देना पड़ा है। वर्ष 1981-82 में दूसरे दर्जे के यात्रियों पर 10% अधिभार लगाया गया था। अगले वर्ष प्रत्येक पांच किलोमीटर की दूरी के लिए 2.5 पैसे से 4 पैसे तक अधिभार लगाया गया। यह दूरी पर निर्भर था और न्यूनतम किराया भी 50 पैसे से बढ़ा कर 70 पैसे कर दिया गया। 100 किलोमीटर की यात्रा तक 10 प्रतिशत अधिभार में 15 जून, 1980 से दी गई छूट और 200 किलमीटर तक 5 प्रतिशत अधिभार में 1-4-81 को दी गई छूट को वापिस ले लिया गया। दूसरे दर्जे के मूल किराए में 1983-84 में पुनः वृद्धि की गई थी। 200 किलोमीटर की यात्रा के 19.50 रुपए के किराए को बढ़ाकर 22 रुपए कर दिया गया और 400 किलोमीटर की यात्रा के 47 रुपए के किराए को बढ़ाकर 52 रुपए कर दिया गया था। इसमें तनिक और वृद्धि अत्यधिक असहनीय हो जाती और उत्पादन विरुद्ध सिद्ध होती। फिर भी तथाकथित संतुलित बजट से अगले वित्तीय वर्ष में 104.22 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। यह यात्रा की दूरी के आधार पर नहीं अपितु यात्रियों की संख्या के आधार पर प्राप्त होंगे। रेल मंत्री ने इस समय खरीज के अभाव के एक नए तर्क के आधार पर किराए को पूर्ण रुपयों में बदलने का निश्चय किया है। खरीज का अभाव, सरकार द्वारा दैनिक इस्तेमाल के लिए खरीज उपलब्ध न करा सकने की असमर्थता का भी सरकार पर अप्रत्यक्ष आरोप सिद्ध करती है। इस हास्यस्पद तर्क के आधार पर अब प्लेटफार्म टिकट की कीमत 50 पैसे के बजाए एक रुपया हो जाएगी। जो लोग अपने रिश्तेदारों को लेने अथवा विदा करने आते हैं उन्हें समझाया जा रहा है कि वे यह सब स्टेशन के बाहर करें।

इस सबके बावजूद, बजट में 70 करोड़ रुपए का घाटा है। मार्च, 1985 में इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व किराए और मालभाड़े की दरों में एक ओर वृद्धि होगी जिससे 70 करोड़ रुपए के घाटे को पूरा किया जाएगा। इस घाटे को तब तक लाभांश देयता खाते में अन्तरित कर दिया गया है जब तक रेलवे अपने श्रोतों में इसे पूरा नहीं करता। इसका अर्थ है, जब तक नए कर नहीं लगाए जाते अथवा बेहतर कार्य-निष्पादन नहीं होता रेलवे पर केन्द्रीय राजस्व का ऋण बढ़ जाएगा।

भारतीय रेलवे के खराब कार्य-निष्पादन का एक अन्य पहलू कार्यचालन लागत में वृद्धि है। किराए और मालभाड़े में वृद्धि के बावजूद रेलवे के खराब कार्य-निष्पादन का रिकार्ड रेलवे बजट में ही दर्शाया गया है। कार्यचालन व्यय में प्रतिवर्ष वृद्धि होती रही है। 1982-83 में जहां वास्तविक कार्यचालन की औसत 88.3 प्रतिशत थी, वहीं 1983-84 के बजट अनुमान में यह 87.5 प्रतिशत थी और संशोधित अनुमान में यह 93.9 प्रतिशत थी।

इसी प्रकार 1983-84 में मालभाड़े और यात्री यातायात में आशा के विपरीत गिरावट आई है। 1983-84 के आरम्भ में यह आशा थी कि रेलवे 241 लाख टन भार की ढुलाई करेगा

परन्तु रेलवे मंत्रालय द्वारा माल ढुलाई में वृद्धि हेतु उठाए गए सभी कदमों के बावजूद वास्तव में 2300 लाख टन भार की ढुलाई हुई । मैं यहां माननीय रेल मंत्री के बज़ट भाषण से कुछ उद्धृत करना चाहता हूं :

"लेकिन कई कारणों से, जो हमारे नियंत्रण से बाहर थे, रेलों के कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। विगत निष्पादन, ढुलाई-क्षमता और मुख्य उपयोगकर्ताओं से यातायात मिलने की आशा के आधार पर रेलों ने अपने लिए 2410 लाख टन राजस्व उपार्जक यातायात का लक्ष्य निर्धारित किया था। दुर्भाग्य से लोहा और इस्पात—कच्चा माल और तैयार उत्पाद दोनों—तथा निर्यात वाले लौह अयस्क और उर्वरक जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों से कम यातायात मिलने के कारण राजस्व उपार्जक माल के लदान में गिरावट आयी है। यातायात की प्राप्ति में इस अप्रत्याशित गिरावट का प्रभाव सीमेंट, खाद्यान्न तथा पेट्रोल उत्पादों की अधिक ढुलाई से किसी हद तक कम हो गया।

हमने वर्ष पर्यन्त इस बात के लिए अनेक उपाय किए थे कि यातायात की मन्दी की अवधियों में कुछ अतिरिक्त यातायात प्राप्त हो जाय। इनमें से अधिक महत्त्वपूर्ण उपाय ये थे—स्टेशन से स्टेशन तक की विशेष दरें निर्धारित करने के लिए क्षेत्रीय रेलों को दी गई शक्तियों का उदारीकरण, यातायात की बुकिंग पर लगे प्रतिबंधों को हटाना, कुछ वस्तुओं के लदान के लिए माल डिब्बों के आबंटन की प्राथमिकताओं का ग्रेड बढ़ाना, यानान्तरण प्रभार निलम्बित करना, 300 से 500 कि०मी० तक की दूरी वाले उर्वरक यातायात के लिए भाड़ा प्रभारों में 10 प्रतिशत तक की रियायत देना, साइडिंगों से अधिक लदान के लिए ग्रेड-बद्ध तीरीके से छूट के रूप में प्रोत्साहन योजना लागू करना, आदि। हालांकि इन उपायों से कुछ हद तक सहायता मिली, परन्तु ये महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों से मिलने वाले थोक यातायात में भारी गिरावट की प्रतिपूर्ति पूर्ण रूप से नहीं कर सके।"

रेल मंत्रालय ने इसे स्वीकार किया है। रेल मंत्रालय की इस स्वीकारोक्ति ने केन्द्र सरकार के बार-बार दोहराए जाने वाले इस दावे की, कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था में कोई मन्दी नहीं है, असलियत प्रकट कर दी है।

महोदय, मैं अब रेल कर्मचारियों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। रेल कर्मचारियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और यह भी कहा गया है कि रेलवे में एक आदर्श शान्ति बनी हुई है। परन्तु तथ्य यह नहीं है। पिछले वर्ष 1983-84 में रेलवे में कई प्रदर्शन किए गए। अखिल भारतीय स्टेशन मास्टरों के संघ ने प्रदर्शन किया। उन्होंने माननीय रेल मंत्री और माननीय रेल राज्य मंत्री के निवास के समक्ष भूख हड़ताल की। और जब उन्होंने यह आश्वासन दिया कि वे उनकी मांगों पर विचार करेंगे, उन्होंने अपना आन्दोलन वापस ले लिया। तत्पश्चात् 7 नवम्बर को सिगनल और टेलीकम्युनिकेशन स्टाफ संघ ने धरना दिया और प्रदर्शन किया। 8 नवम्बर को अखिल भारतीय लोको रनिंग स्टाफ संघ के हजारों लोको कर्मचारी दिल्ली आए और प्रदर्शन किया और उनका प्रतिनिधिमंडल लोकसभा के अध्यक्ष से मिला। यद्यपि रेल मंत्री ने समय दिया था

परन्तु वह उनसे बातचीत नहीं कर पाए। महोदय, लोको कर्मचारियों की मांगों पर इस सभा में कई बार चर्चा की गई है। वर्ष 1973 में उनसे एक यह समझौता किया गया कि साइन-आन से साइन आफ तक दस घण्टे की ड्यूटी का नियम लागू किया जाएगा। परन्तु उसे क्रियान्वित नहीं किया गया। जनवरी, 1981 में वे हड़ताल पर चले गए जिसके परिणामस्वरूप कुछ कर्मचारियों को शिकार बनाया गया। लगभग एक हजार लोको कर्मचारियों को हटा दिया गया। हज़ारों को सेवानिवृत्त होना पड़ा और हजारों लोको कर्मचारी सेवा से निकाल दिए गए। महोदय, उच्चत्तम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार रेलवे प्रशासन लगभग 600 लोको कर्मचारियों को वेतन और भत्ता दे रहा है परन्तु उन्हें अभी बहाल नहीं किया गया है। मैं रेल मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वे लोको-रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के साथ उनकी समस्या पर विचार करें और उनकी दस घंटे की ड्यूटी की समस्या और 1973 से विचाराधीन अन्य मांगों को हल करने का प्रयास करें।

जहां तक रेलवे केन्टीन कर्मचारियों, सांविधिक कैंटीन कर्मचारियों और गैर-सांविधिक कैंटीन कर्मचारियों का सम्बन्ध है। उच्चतम न्यायालय ने 22 अक्तूबर, 1980 के अपने आदेश में रेल प्रशासन को सभी कैंटीन कर्मचारियों को रेल कर्मचारी मानने का आदेश दिया। परन्तु इस आदेश को केवल सांविधिक कैंटीन कर्मचारियों के मामले में लागू किया गया है। इसी प्रकार, माननीय रेल मंत्री ने पिछले वर्ष राज्यसभा में यह वचन दिया था कि वे गैर-सांविधिक कैंटीन कर्मचारियों के मामले में भी उच्चतम न्यायालय के निदेश को लागू करेंगे।

महोदय, मैं त्रिपुरा राज्य में रेल सेवा में सुधार के बारे में त्रिपुरा राज्य की मांगों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आप जानते हैं कि त्रिपुरा राज्य में केवल 15 किलोमीटर रेलपथ है। त्रिपुरा में कुमार घाट से अगरतल्ला तक 120 किलोमीटर की दूरी तक रेल लाइन का विस्तार किया जाना चाहिए जिसके लिए वर्ष 1982 में 24.70 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। वर्ष 1983-84 में पूर्वोत्तर परिषद द्वारा सर्वेक्षण आदि करने के लिए 5 लाख रुपए की अल्प राशि दी गई है। कमालपुर और खोवाई होकर सीधा अन्तर उप-प्रभागीय सम्पर्क के रूप में मनु अम्बासा और लेलियामुरा होकर जो सर्वेक्षण किया जा रहा है उसमें कई सुरंगे और पुल निर्माण का कार्य करना होगा। राज्य सरकार ने पूर्ण संवीक्षा के उपरान्त वैकल्पिक सम्पर्क का प्रस्ताव रखा है। यह कुमारघाट—हलाहली—मानिक भंडार—खोवाई—अगरतल्ला मार्ग होगा जिससे न केवल दूरी कम होगी बल्कि कई नहरों को पार करने की समस्या हल होगी और सुरंगे बनाने के भारी लागत के काम से छुटकारा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक रास्ते के सुझाव के बारे में दिए गए तर्क अयुक्तियुक्त हैं, क्योंकि अगरतल्ला खुद बंगला देश सीमा के नजदीक है। इसलिए त्रिपुरा सरकार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर पुनः विचार किया जाना चाहिए।

श्रीमन्, रानाघाट गेड़े सैक्शन के विद्युतिकरण के कार्य की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। इस तथ्य के बावजूद की इस सैक्शन के दोनों ओर घनी आबादी है और विद्युतीकरण का प्रारम्भिक कार्य जो कि ट्रैक (रेल पटरी) के लिए था, पहले ही पूरा हो चुका है; इस कार्य को अचानक रोक

दिया गया और यात्रियों का काम के रुक जाने के कारणों का पता नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि रानाघाट गेड़े रेलपथ के विद्युतीकरण के अधूरे कार्य को तुरन्त आरम्भ करवाएं और इस बजट में इसे शामिल करें।

4.29 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

एक अन्य महत्वपूर्ण रेलपथ है सियालदेह-कूच बिहार को लालगोला—जीरागंज—अजीमगंज—फरक्का से सीधा जोड़ना। मैं कहना चाहता हूं कि फरक्का से हावड़ा तक कोई सीधी गाड़ी नहीं है, इसलिए न केवल लोगों को, जिनमें दैनिक यात्री भी काफी संख्या में हैं; लाभ होगा, बल्कि असम और उत्तर बंगाल के डोलोमाइट और वन-उत्पादनों से भरपूर स्थानों से इन उत्पादों को देश के अन्य भागों तक आसानी से भेजा जा सकेगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि फरक्का से हावड़ा तक एक सीधी गाड़ी चलाई जानी चाहिए।

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बांकुरा-रानीगंज बरास्ता मजिया रेल लाइन पर विचार किया गया था। सभी मुख्यमंत्रियों ने, जिन्होंने इसमें भाग लिया था, इसकी मांग की थी। इसको इस वर्ष के बजट में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस पर विचार करें। पुरुलिया जिले के लोगों की काफी अर्से से मांग रही है कि पुरुलिया कोटशीला छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाए।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : यह संसद-सदस्य की भी मांग है।

श्री वसुदेव आचार्य : बिहार क्षेत्र में आने वाले भाग को रेल लाईन को बदल दिया गया है। सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। रिपोर्ट दे दी गई है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर ध्यान दें और रेल लाईन बदलने का कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाए।

जब नीलांचल एक्सप्रेस को आरम्भ किया गया था तो पश्चिम बंगाल के सभी संसद सदस्यों ने मांग की थी कि इसे बरास्ता खड़गपुर-आदरा से चलाया जाए। और नीलांचल एक्सप्रेस की बारम्बारता बढ़ाये जाने का भी प्रस्ताव है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि नीलांचल एक्सप्रेस को हफ्ते में कम-से-कम तीन दिन बरास्ता आदरा-खड़गपुर चलाया जाए।

इस बजट में मिदनापुर-खड़गपुर के विद्युतीकरण को शामिल किया गया है। लेकिन हम आदरा-खड़गपुर सैक्शन के विद्युतिकरण की मांग करते रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण सैक्शन है इस पर कार्यवाही की जानी चाहिए।

हालांकि मेट्रो रेलवे के लिए प्रावधान 63 करोड़ से बढ़ाकर 80 करोड़ कर दिया गया है, इसको शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। सर्कुलर (परिक्रमा) रेलवे की भी मांग की जाती रही है। आपने इसके लिए 5 करोड़ रुपए रखे हैं। इसके लिए समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए और इसे शीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिए।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए गुप्त-परिपत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक को सर्कुलर डी० ओ० : 38106 दिनांक 12-1-84 को यहां उद्धृत करना चाहता हूं :

"अगले 9 माह तक कोई भी नया पद न सर्जित किया जाए और वर्तमान रिक्तियां, जिनके बारे में भर्ती की कार्यवाहियां आरम्भ नहीं की गई हैं, उन्हें न भरा जाए। तथापि, आपको छूट है कि आप वर्तमान स्टाफ को पुन: व्यवस्थित कर सकते हैं, ताकि न भरी गई रिक्तियों की वजह से कार्य में बाधा न पड़े। यह आसानी से व्यवहार्य है। कई एक ऐसे क्षेत्र है जहां विद्युतीकरण/डीजल से रेल चलाने आदि की वजह से काफी स्टाफ बच सकता है। चालू वर्ष के योजना व्यय में तत्काल 5 प्रतिशत की कटौती की जानी है। आपको यह कटौतियां, आपके एच० ओ० डी० परियोजना से सलाह करके और बोर्ड को सलाह देकर करनी हैं।"

भर्ती पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। रेलवे दावा करता है कि वे देश का सबसे बड़ा नियोजक है। इस आदेश द्वारा, 5 प्रतिशत की कटौती से, रेलवे पुनर्वास कार्यक्रम में बाधा आएगी।

इसलिए मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस परिपत्र को वापस लें और सुनिश्चित करें कि पुनर्वास कार्यक्रम, प्रतिस्थापन कार्यक्रम और पुराने इंजनों को अहिस्ता-अहिस्ता बदलने का कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू हो।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री जी को मैं बधाई देती हूं कि आर्थिक संकट के बीच विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने रेलवे के क्षेत्र में सुधार और कार्य-कुशलता का प्रयास किया है। सम्भवत: आप से लगभग 50 साल पहले रेलवे फाइनेन्सेज को जनरल फाइनेन्सेज से अलग कर दिया गया था और उसको अलग करने के पीछे उद्देश्य यही था कि रेलवे स्वतन्त्र रूप से अपने विकास के कार्य करेगी और यदि रेलवे का विकास होगा तो उससे देश की अर्थ-व्यवस्था भी सुधरेगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज 50 वर्षों के बाद भी रेलवे को हरएक विकास कार्य के लिए वित्त विभाग के आदेश लेने पड़ते हैं और इसमें बहुत तरह की बाधाएं और अड़चनें उनके सामने आती हैं। योजना आयोग से भी रेलवे को जितनी सुविधा या जितनी राशि प्राप्त होनी चाहिए थी वह आर्थिक सहायता भी नहीं मिलती है। प्लानिंग कमीशन का भी ऐसा अंकुश रहा है जिससे रेल मंत्रालय स्वतन्त्र रूप से अपने विकास के कामों को करने में सक्षम नहीं होता है। छठी पंचवर्षीय योजना में रेलवेज को कुल 5'00 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव था। रेलवे की व्यवस्था और नयी योजनाओं की राशि भी अधिक बढ़ती जाती है। जैसा कि सभी लोगों ने कहा कि आधी से ज्यादा रेल पटरियां पुरानी हैं। योजना के प्रारम्भ में जहां 14 हजार किलोमीटर पुरानी पटरियों को बदलने की आवश्यकता थी वह बढ़कर अब तकरीबन 30 हजार किलोमीटर हो गई है और इसके लिए काफी धनराशि की आवश्यकता होगी। लाखों की संख्या में

माल डिब्बों को भी बदलने की आवश्यकता है। जैसा कि सभी जानते हैं मशीनों की भी एक जिंदगी होती, कुछ दिन काम कर लेने के पश्चात् मशीन की दक्षता में ह्रास होता है। यही कारण है कि आज रेल दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। सभी माननीय सदस्यों ने यहां पर यह भावना प्रकट की है कि विद्युतीकरण और आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी जाए। इस ओर रेल मंत्री का ध्यान तो गया है लेकिन सभी जगह आर्थिक संकट के कारण कुछ हो नहीं पा रहा है। यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष रेल दुर्घटनाओं में 8.2 प्रतिशत की कमी आई है फिर भी लोक लेखा समिति के 56वें प्रतिवेदन में बताया गया है कि अधिकतर दुर्घटनाएं तकनीकी दोष की अपेक्षा मानवीय भूलों के कारण ही होती हैं। यह दुःख की बात है कि 1982-83 में रेल दुर्घटनाओं के कारण 123.83 करोड़ मुआविजे पर खर्च किए गए। यदि इसी प्रकार से 5-10 वर्षों का लेखा-जोखा किया जाए तो पता चलेगा कि एक अपार धनराशि रेल दुर्घटनाओं में मुआविजे के रूप में देनी पड़ी है। यदि मानवीय त्रुटियों के कारण इस तरह से धन की क्षति हो रही है ती मैं समझती हूं मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में प्रभावी कदम अविलम्ब उठाने चाहिए।

रेलवेज में एक और भी खास बीमारी है ओवर टाइम की। ओवर टाइम से कर्मचारियों में काम करने की क्षमता घटती है और दुर्घटनाएं भी होती हैं। आज रेलवेज में बहुत सारे अस्वस्थ कर्मचारी हैं जिनके स्वास्थ्य की देख-रेख समय पर नहीं होती है और वे काम करते चले जाते हैं। ऐसी हालत में यदि दुर्घटनाएं बढ़ती जाती हैं तो उसका उत्तरदायित्व मनुष्यों पर ही आता है, तकनीकी कमियां सामने नहीं आती हैं।

इसके साथ-साथ मैं रेल मंत्री जी का ध्यान रेलवे के सुरक्षा कर्मचारियों की लापरवाही की ओर भी आकृष्ट करना चाहती हूं। लापरवाही या निगरानी में कमी होने के कारण रेल में बड़ी और छोटी चोरियां होती हैं, जिसमें रेल विभाग में काम करने वालों का भी हाथ रहता है। मुआवजे की अपार राशि हर वर्ष बढ़ती जाती है। यदि इन आंकड़ों को देखा जाए, 1977-78 में यह राशि 14.15 करोड़ के करीब थी और वह 1982-83 में बढ़कर 21.22 करोड़ हो गई। मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूं, 23 अप्रैल, 1981 को अखबारों में आया कि सोने का एक पार्सल, जो कि पांच किलोग्राम का था या कितने मूल्य का था मालूम नहीं, चोरी हो गया। जब कि इस बात को सभी लोग जानते हैं कि इस तरह का सामान गार्ड की अभिरक्षण सुरक्षा में ले जाया जाता है। जब गार्ड उसको ले जा रहा था, तो वह किस प्रकार चोरी हो गई, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। कोयले में भी चोरी होती है, चाहे वह रेलवे की लापरवारी के कारण हो या और किसी कारण से। कोयले की मार्गस्थ हानि काफी होती है। इसमें कोयला ही नहीं चाय, खाद्य तेल, पटसन, चमड़े का सामान, तेल आदि भी शामिल हैं। इसकी वजह से लोग रेल के बजाय ट्रकों से सामान भेजना पसन्द करते हैं। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इसकी वजह से रेलवे को बहुत घाटा होता है, लेकिन साथ हीं साथ जो जन सुविधाएं हैं, उनमें कमी नजर आती है। गाड़ियों में भी छोटा-मोटा सामान निकाल लिया जाता है। बल्व, पंखे, स्विच आदि निकाल लिए जाते हैं। इससे रेलवे को घाटा तो होता ही है, लेकिन मुसाफिरों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।

इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो मानव निर्मित घाटे या असुविधाएं हैं, उनको निष्ठुरता से रोकें।

इसके अलावा मैं रेलवे स्टेशन्स के आस-पास जो रेलवे की खाली अफरात पड़ी हुई जमीन हैं, जिस पर कि अवैध रूप से लोगों ने कब्जा किया है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। इसमें रेलवे के कर्मचारी भी शामिल हैं। यदि आप चाहें तो वहां भवन बनाकर रेलवे स्वयं बड़ी आमदनी अर्जित कर सकता है और अभी तो केवल आम जनता और रेलवे विभाग के कर्मचारी मिलकर ही फायदा उठाते हैं। और रेलवे विभाग को हानि होती है। मुझे इस बात की खुशी है कि रेलवे रिफार्म्स कमेटी ने भी इस बात की अनुशंसा की है कि लैंड मेनेजमेंट कारपोरेशन बनाया जाए, जिसमें रेलवे अपनी जमीन पर बड़े-बड़े भवन बनाकर लाभ उठा सकता है। उसे कामर्शियल परपज में लाया जाए। इससे रेलवे की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार होगा।

दूसरी बात में रेलवे में कैटरिंग के बारे में कहना चाहती हूं। प्राइवेट कान्ट्रैक्टर्स मालामाल हो रहे हैं और दूसरी तरफ रेलवे जहां अपना कैटरिंग चलाती है, वहां घाटा ही घाटा हो रहा है। ऐसी स्थिति क्यों हैं, यह मैं नहीं समझ पाती हूं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि इस क्षेत्र में भी काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। आए दिन जब रेलवे में आते-जाते हैं तो पता चलता है कि बहुत सी कैटरिंग रेलवे के कर्मचारियों के द्वारा चलाई जाती है। बहुत सारी कैटरिंग तो हरिजनों के नाम पर होती हैं, उनको रेलवे के पदाधिकारी दूसरे लोग चलाते हैं, क्योंकि उनके पास पूंजी नहीं होती है, उनको कोई जानकारी भी नहीं होती है, उनसे केवल दस्तखत करा लिए जाते हैं। इस तरह से विभाग के ही लोग एक से ज्यादा कैटरिंग चला रहे हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि कैटरिंग के लिए भी रेल विभाग अपनी तरफ से प्रबन्ध करे, यदि कुछ नहीं करे तो यह ठेकेदारी प्रथा को बन्द करवा दिया जाए। इस प्रकार रेलवे विभाग अपने आय के स्रोत को बढ़ाए। इस तरह से जो पैसा आएगा, उनसे कम से कम स्टेशनों का विकास होगा और प्लेट-फार्मस को ऊंचा कर सकेंगे और प्लेट-फार्मस को बढ़ाया भी जा सकता है। जहां पर शैड्स नहीं हैं, वहां पर शैड्स को भी बनाया जा सकता है। इस प्रकार की जन-सुविधाओं के काम कराने से आम जनता में इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। चाहे बड़े स्टेशन हों या छोटे स्टेशन हों, जहां पर कि पीने का पानी उपलब्ध नहीं है; आम जनता को इसकी वजह से तकलीफ होती है, उसको दूर किया जा सकता है। आबादी बढ़ने के साथ-साथ स्टेशन्स की क्षमता को भी बढ़ाना चाहिए। यदि मैं यह कहूं कि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का आबादी और स्थान है या आकार में दूसरा स्थान हैं, तो गलत बात नहीं होगी। बिहार की राजधानी पटना का उदाहरण लें। जहां स्टेशन की क्षमता 30 हजार की थी, गांधी सेतु बन जाने के बाद भी, प्रतिदिन 30-40 हजार लोग स्टेशन पर रहते हैं, जिससे न वहां सफाई हो पाती है और न अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। आउटर सिगनल पर गाड़ियां कभी-कभी आधा घण्टा और कभी-कभी उससे भी ज्यादा समय तक खड़ी रहती हैं। आपने बहुत सुन्दर बजट प्रस्तुत किया है, आपके बजट से यात्रियों पर कोई भार नहीं पड़ा है, लेकिन मेरा बोझ अभी भी हल्का नहीं हुआ है। बिहार के लिए नई या पुरानी किसी भी योजना की चर्चा इस

बजट में नहीं है। बहुत दिनों से हम लोगों ने मांग की है कि पटना-गया लाइन को दोहरा किया जाय। यह बहुत महत्वपूर्ण रेल-लाइन है, लेकिन उसकी चर्चा भी इस बजट में नहीं है। इसी तरह से दरभंगा-समस्तीपुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने की बात है—उसकी चर्चा भी इस बजट में नहीं है। मुंघेर के जमालपुर में रेलवे का एक बहुत बड़ा कारखाना है जो एशिया का सबसे पुराना और बढ़िया कारखाना है, जिससे रेलवे को काफी आय होती है, लेकिन उसके आधुनिकीकरण की चर्चा भी इस बजट में नहीं है। स्टेशनों पर विश्रामघर, शौचालय तथा पेयजल की व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दिया जाय।

माननीय रेल मंत्री जी ने रेलवे की उपलब्धियों की चर्चा की है और मुझे भी यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि पिछले वर्ष में 100 से अधिक गाड़ियां शुरू की गई हैं लेकिन गाड़ियों में या स्टेशन पर जो सुविधाएं दी जा रही हैं, वे बहुत ज्यादा शोचनीय और अपर्याप्त हैं। आज लोग रेलगाड़ियों की छतों पर बैठ कर यात्रा करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वे खुशी से ऐसा करते हैं, रेलों की कमी के कारण उनको डिब्बों में जगह नहीं मिलती, जिसके कारण उनको छतों पर बैठ कर जाना पड़ता है। कहीं-कहीं गाड़ियों के दर्वाजे बन्द नहीं होते हैं। इस ओर भी रेल मंत्रालय को विशेष ध्यान देना चाहिए तथा जहां रेलों की कमी है, वहां उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए।

रांची-जमशेदपुर, पटना-जमशेदपुर, पटना-रांची, पटना-धनबाद इन मार्गों पर जो रेल-गाड़ियां चलती हैं उनकी प्रथम श्रेणी में ऐसे डिब्बे लगाए जाते हैं जिनका जीवन समाप्त हो गया है, जिनमें यात्रियों की सुरक्षा की भावना नहीं रहती है, आए-दिन एक्सीडेन्ट्स होते रहते हैं। मैं आपको बतलाना चाहती हूं—जब केदार पांडे जी रेल मंत्री थे, इसी तरह का एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें संसद की एक कमेटी के अनेक सदस्य यात्रा कर रहे थे। कन्डेम्ड डिब्बा गाड़ी में जोड़ दिया गया था। जब संसद सदस्यों के लिए इस तरह के डिब्बे दिए जाते हैं तो दूसरों के साथ क्या होता होगा, आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं।

एक माननीय सदस्य: श्री अब्दुल गनी खां चौधरी को एक दिन उन डिब्बों में भेजा जाय।

श्रीमती कृष्णा साही: अब मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूं—मेरा पहला सुझाव यह है कि माननीय मंत्री जी ने प्लेट फार्म टिकिट के दाम में वृद्धि की है, अब कोई भी प्लेट फार्म टिकट नहीं खरीदेगा, क्योंकि वैसे ही लोगों की आदत पड़ गई है बिना टिकिट चलने की, ट्रकों को ज्यादा पैसा देंगे, बसों को ज्यादा पैसा देकर यात्रा करेंगे। इसके अलावा लोगों को ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने में ज्यादा आनन्द आता है, वे प्लेटफार्म पर भी बिना टिकट जाएंगे। आजकल के नवयुवक, यदि मैं उनको 'हीरो' कहूं तो गलत नहीं होगा, वे तफरीह के लिए रेलवे प्लेटफार्म पर जाते हैं, अब तो वे बिल्कुल टिकट नहीं खरीदेंगे। इसलिए ऐसा काम क्यों किया जाय जो व्यावहारिक न हो। मेरा अनुरोध है कि जो 50 पैसे बढ़ाए गए हैं आप उस पर पुनर्विचार कर लें, क्योंकि ऐसा कानून बनाने का क्या फायदा है जिसको लोग न मानें।

दूसरी बात—गर्मी के दिनों में बिजली के उत्पादन में कमी हो जाती है। लगभग सभी प्रांतों

में ऐसा होता है और इसका जो परिणाम होता है, आप सभी जानते हैं। बिजली न होने से रेलवे स्टेशनों पर अन्धेरा होता है, जिससे यात्रियों को गाड़ी में चढ़ने और उतरने में बहुत कठिनाई होती है तथा चोरी-चकारी का खतरा भी बढ़ जाता है। मेरा अनुरोध है कि रेलवे स्टेशनों पर जैनेरेटर्स की व्यवस्था की जानी चाहिए। जिस तरह से अस्पतालों में जैनेरेटर्स का प्रबंध होता है उसी तरह से रेलवे स्टेशनों पर भी होना चाहिए।

बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मंत्री जी ने मगध एक्सप्रैस को प्रतिदिन कर दिया है लेकिन मैं एक कठिनाई की ओर उनका ध्यान आकृष्ठ करना चाहता हूं। इस गाड़ी के समय में परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है। मैं चाहती हूं कि यह गाड़ी सुबह नौ बजे के करीब दिल्ली पहुंचे जिससे हम लोग समय से काम पर जा सकें। उद्देश्य केवल इतना है कि हमारे प्रान्त की राजधानी से भारत की राजधानी आने जाने वाली यह गाड़ी ऐसे समय पर दिल्ली पहुंचे जिससे दफतरों में काम करने वाले लोग, संसद सदस्य या जिस काम से लोग इस गाड़ी द्वारा आते-जाते हैं, वे समय से यहां पहुंचें और उनका काम हो। यह गाड़ी लेट चलती है और लेट चलने के बाद यदि वह 12 बजे के कुछ घण्टों बाद यहां पहुंचती है, तो वह सब बेकार चला जाता है। इसलिए मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि अगर पटना से इस समय जो यह गाड़ी 8 बजे शाम को चलती है इसकी बजाए 6 बजे शाम को चले, तो बड़ी अच्छी बात होगी। इसी तरह से दिल्ली से भी यह वापस जा सकती है और इसमें भी कुछ सुधार करना चाहिए।

मैं मंत्री महोदय जी को इसलिए धन्यवाद देती हूं कि 1982 और 1983 का जो वर्ष था, वह लक्ष्य पूर्ति और उपलब्धियों का वर्ष था। प्रति दिन एक करोड़ से अधिक यात्री और लगभग 2300 लाख टन यातायात की ढुलाई की गई और कोयले और पेट्रोलियम के उत्पादों की ढुलाई में सराहनीय प्रगति हुई है। रेलों का नवीकरण सन् 1980 और 1981 की तुलना में 1983-84 में ढाई गुना ज्यादा नवीकरण हुआ है और यह भी खुशी की बात है कि 1984-85 की रेल योजना के लिए एक अरब रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है।

आप जानते ही हैं कि रेल विभाग हमारे देश का सबसे बड़ा उपक्रम है। हमारे देश की संस्कृति भिन्न-भिन्न है, हमारी भाषाएं भिन्न हैं और ट्रेनें एक जगह से दूसरी जगह लोगों को ले जाती हैं और लाती हैं। इस तरह आम जनता के लिए यही सबसे बड़ा शिक्षा का साधन है। पूजा का समय हो, त्यौहार का समय हो या छुट्टियों का समय हो, एक दूसरे से परिचित और अपरिचित लोगों का, लगभग 75 प्रतिशत लोगों का आवागमन रेलवेज के माध्यम से होता है। हवाई जहाज से चलने वालों की संख्या तो बहुत कम होती है। इसलिए इस ओर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। यदि हमारी रेलों का विकास होगा और सुन्दर ढंग से इसके विकास की ओर हम लोग ध्यान देंगे, तो इससे पर्यटन को फायदा होगा और माल ढुलाई की वृद्धि होगी और इस प्रकार से हमारे आय के स्रोत भी दिनोंदिन बढ़ेंगे और हमारे देश की प्रगति भी होगी। मैं मंत्री जी को इस बजट के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं और यही कहना चाहती हूं कि बहुत सुन्दर सुझाव आपके सामने आते हैं लेकिन आपके साधन सीमित हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि जन-सुविधओं का आप ध्यान अधिक कीजिए। इनका तो कम से कम साधन में भी ख्याल किया ही जा सकता है।

एक आखरी बात कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगी। अभी कुछ दिन पहले मैं एयर-कण्डीशन स्लीपर में जा रही थी और मेरे साथ मेरी छोटी बहन भी थी। मैंने देखा कि एक तरफ का दरवाजा बिल्कुल नहीं खुलता था। मैंने स्टेशन पर जाने के लिए कंडक्टर से कहा कि यह दरवाजा क्यों नहीं खोलते हैं। वहा पर एक पलंग रखा हुआ था, एक फोल्डिग बेड दरवाजे पर पड़ा हुआ था। उसने कहा कि अगर दोनों तरफ का दरवाजा खोल देंगे, तो चोरी होगी। मैंने कहा कि आप एयर-कंडीशन कोच में पलंग नहीं लाने दे सकते और आपने क्यों इसको आने दिया क्योंकि इससे रास्ता ब्लोक हो गया है और गैर-कानूनी है। उन्होंने यही कहा कि चोरी रोकने के लिए ऐसा किया गया लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि मेरी बहन की साड़ियां और कुछ कपड़ा उनकी निगरानी के बावजूद भी चोरी हो गया। मेरा कहना यह है कि मंत्री जी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और इसके लिए उनको कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। क्योंकि बहाने तो बहुत होते हैं, परन्तु असलियत क्या है आपसे छिपा नहीं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बार जो रेलवे बजट पेश किया गया, वह उस समय किया गया था जब कि विपक्ष का एक आदमी भी हाउस में नहीं था। पंजाब के मामले पर सारे का सारा विपक्ष उठ कर चला गया था और ऐसी स्थिति में रेल बजट पेश करते हुए माननीय मंत्री जी ने बहुत सारी बातें कहीं। पहली बात तो यह कही गई और इस बात का बड़ा प्रचार किया गया कि किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई है। और जनता के लिए बड़े कल्याणकारी काम किए गए हैं, रेल किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई।

मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि 1980 से 1983 तक पांच बार रेल किराए में वृद्धि की गई है। इस बजट में किराया नहीं बढ़ा है लेकिन वर्ष 1981-82 में इतना किराया बढ़ा और बराबर इतना बढ़ गया कि रेलों में यात्रा करने वालों पर बहुत बुरा असर पड़ा। 1981-82 में 370 करोड़ लोगों ने यात्रा की लेकिन वर्ष 1983 में यात्रियों की संख्या घट कर 327 करोड़ रह गई।

माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया है कि उन्होंने रेलों में किराया नहीं बढ़ाया है लेकिन अगर देखा जाए तो उन्होंने अधिभार की आड़ में 144 करोड़ रुपए की इसी बजट में बढ़ोत्तरी की है। इससे छोटी दूरी और मध्यम दूरी की यात्रा करने वालों पर भार पड़ा है। पिछले वर्ष के बजट को जब हम देखते हैं और इस वर्ष के बजट से तुलना करते हैं तो पाते हैं कि पिछले वर्ष जो कर आदि लगाए गए थे उनसे यह कल्पना की गई थी कि 532 करोड़ रुपए बढ़ेंगे और 205 करोड़ रुपए का लाभ होगा। लेकिन अब यह बताया जाता है कि 1115 करोड़ रुपए का उसमें घाटा हुआ। समझ में नहीं आता पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के इस बजट का क्या होगा?

इस वर्ष के बजट में नई रेल-लाइनें बिछाने में कोई रुचि नहीं दिखाई गई है जबकि रेल-लाइनें बिछा देने से सारे का सारा घाटा पूरा किया जा सकता है। यदि बिना किराया बढ़ाए, नई रेल लाइनें पिछड़े हुए क्षेत्रों में बिछा दी जाएं और जहां रेल लाइनें नहीं बनी हैं वहां बना दी जाएं तो यह सारा घाटा खत्म हो सकता है। इस वर्ष के बजट में नई रेल लाइनें बिछाने पर या पुरानी रेल लाइनों को नई रेल लाइनों में बदलने पर 1150 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। जबकि यह प्रावधान अधिक होना चाहिए था। पिछले वर्ष पुरानी लाइनों के बदलने पर 560 करोड़ रुपया खर्च किया गया था, इस वर्ष संतुलन के नाम पर 524 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है।

रेलवे के सर्वेक्षण के अनुसार 29 हजार 48 किलोमीटर रेलवे लाइन आज बदलने की जरूरत है। सर्वे के अनुसार यदि 33 हजार किलोमीटर लाइन हर वर्ष नई की जाए तो रेल की स्थिति सुधारने में कम से कम दस वर्ष लगेंगे।

मैं इस सन्दर्भ में कहना चाहता हूं कि यह जो रेल बजट यहां पर पेश किया गया है, इसकी फिर से स्टडी की जाए और पिछड़े क्षेत्रों में रेल गाड़ियां चलाने, पिछड़े क्षेत्रों में जो योजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं उनको पूरा करने पर अधिक धन व्यय किया जाए।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने रेल बजट भाषण में कहा कि इस वर्ष तीन दुर्घटनाएं हुई और इन तीनों घटनाओं की जिम्मेदारी आपने ड्राइवरों या के बिनमैन पर डाली। आपने कहा कि केबिनमैन ने अपना काम पूरा नहीं किया, ड्राइवरों ने सिगनल नहीं देखा, इसलिए ये दुर्घटनाएं हुईं। मैं रेल मंत्री जी को उनकी ईमानदारी के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि कम से कम उन्होंने यह तो स्वीकार किया कि रेल दुर्घटनाएं मशीनों की गड़बड़ी से नहीं बल्कि आदमियों की लापरवाही से हुईं।

एक सर्वेक्षण से हमें पता चला है कि हमारे देश में 24 हजार गेट हैं जिन पर 16-17 ये केबिनमैन काम करते हैं। ये केबिनमैन 24 घन्टे काम करते हैं, अपनी ड्यूटी देते हैं। जबकि हम देखते हैं कि इस देश में कोई संस्था या विभाग नहीं है जिसमें कोई आदमी 8 घन्टे से ज्यादा काम करता हो। लेकिन गेटमैन 24 घन्टे काम करता है। फिर इन 24 हजार गेटों पर आदमी भी पूरे नहीं हैं।

5.00 म० प०

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस दिशा की ओर ध्यान दें और इन 24 हजार गेटों पर कम से कम 3 आदमियों को नियुक्त करें जिससे 72 हजार से अधिक आदमियों को नियुक्त करना, रोजगार मिलेगा। काम ठीक होगा।

एक्सीडेंट के कारण जो स्वीकार किए गए हैं वे मानने योग्य हैं। हम लोग इस बात से सहमत हैं कि जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वे ज्यादा से ज्यादा मानवीय कारणों से हो रहे हैं। जहां गेट बने हुए हैं वहां टेलीफोन नहीं हैं, प्रकाश नहीं है, गेट मैन की सुरक्षा नहीं है। मैं आग्रह करूंगा

कि इस दिशा में कदम उठाएं जाने चाहिए । बजट में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, इसका खेद है ।

आपने कहा है कि रेल दुर्घटनाएं जो होती हैं वे पुरानी पटरी वगैरह की वजह से होती हैं । इसको भी मैं मानता हूं । 1979-80 में 90 गाड़ियां पटरी से उतरीं या दुर्घटनाएं हुईं । 1980-81 में 89 दुर्घटनाएं हुईं । लेकिन अब आपने दावा किया है कि इस साल जो दुर्घटनाएं हुई हैं उसमें करीब-करीब 9 प्रतिशत कमी आई है । यदि ऐसा है तो मैं इस बात को पुनः कहूंगा कि इसको देखें । जिन कारणों से रेल दुर्घटनाएं कम हुई हैं, इन कारणों को विस्तारपूर्वक समीक्षा की जानी चाहिए । जब रेल दुर्घटनाओं का कारण ज्ञात हो चुका है तो इस पर कम पैसा क्यों खर्च किया गया । इस बजट में इसके लिए अधिक से अधिक धनराशि लगाकर उन दुर्घटनाओं को कम करने की आवश्यकता थी । इस बजट में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है ।

सबसे गम्भीर बात की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह है रेलवे में भ्रष्टाचार । यह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है इसके उत्तरदायी और इस भ्रष्टाचार को करने वाले रेल के बड़े-बड़े अधिकारी हैं । रेल व्यवस्था आज चन्द अफसरों के हाथ में आ करके कैद हो गई है । जो उच्च कोटि के अफसर हैं, कोई रेल मंत्री आता है, उस पर बड़े अफसर हावी हो जाते हैं और हर मामले को दूसरे ढंग से ले जाते हैं । चाहे पंडित कमलापति त्रिपाठी हों, केदार पाण्डे रहे हों या प्रकाश चन्द्र सेठी रहे हों, मैं कहना चाहता हूं कि शत प्रतिशत ये लोग अफशरशाही का शिकार हुए हैं । आरम्भ में तो वर्तमान माननीय रेल मंत्री चौधरी साहब भी उधर चले गए थे लेकिन जो गुजराल काण्ड हुआ, जिसमें गुजराल साहब को हटाया गया, उसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा । वह एक सूझबूझ का कदम उठाया गया था । इस बात का विरोधी पार्टी के किसी सदस्य ने अथवा सत्ता पक्ष के किसी सदस्य ने भी विरोध नहीं किया ।

अफसरशाही का नमूना दिखाने के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं । रेल सेवा आयोग ने एक परीक्षा ली थी जिसमें 4 लाख परीक्षार्थी बैठे थे । मालूम हुआ कि कापियां गायब हो गई हैं । कौन इसके लिए उत्तरदायी है ? क्या छोटा कर्मचारी उत्तरदायी है या सर्वोच्च अधिकारी उत्तरदायी है ? उत्तरदायी व्यक्ति को क्यों नहीं पकड़ा गया । उससे क्यों नहीं बात की जाती, उसको क्यों नहीं दण्डित किया जाता । अभी एक सप्ताह पूर्व परीक्षा हुई थी जिसका हाउस में जिक्र हुआ था कि 50 लाख लोग रेल विभाग के खर्च पर दूर-दूर से बुलाए गए थे । जनता का पैसा, रेल का पैसा परीक्षार्थियों के आने पर खर्च हुआ । जब परीक्षार्थी अपने परीक्षा केन्द्रों पर पहुंचे और 10 बजे से परीक्षा होनी थी तो मालूम हुआ कि पर्चे चोरी हो गए हैं । मैं नहीं समझ पाता हूं कि ये पर्चे कैसे चोरी हुए, कहां चोरी हुए और इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आप अपने उत्तर में इस बात को स्पष्ट करें कि ये पर्चे किस प्रेस में छपे हुए थे ? क्यों ऐसे गैर-जिम्मेदार प्रेस में यह पर्चा छपवाया गया और किस उच्च अधिकारी ने ऐसे गैर-जिम्मेदार प्रैस में छापने ये महत्त्वपूर्ण पर्चे की अनुमति दी और उस व्यक्ति के प्रति क्या कार्यवाही की गई ? क्यों नहीं उस अधिकारी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया ? और क्यों नहीं उस पर मुकदमा कायम किया गया ? आपने तीन-चार अधिकारियों को मुअत्तल किया है, यह काफी नहीं है । ऐसे अधिकारियों

को गिरफ्तार करना चाहिए क्योंकि यह मुल्क का सबसे बड़ा क्राईम है। मैं यह जानना चाहूंगा कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का उस पर क्या नियंत्रण रहा ? क्या इस काण्ड में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को मुअत्तल कर देना ही काफी था ? मैं समझता हूं, यदि डेमोक्रेसी की रक्षा करनी है तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। इनको जेल भेजना ही पड़ेगा।

मेरे पास एक अखबार की कटिंग है। इसमें लिखा हुआ है कि रेलवे रसीदों की भी चोरी होती है। जाली रसीदें बनाकर वैगन के वैगन छुड़ा लिए जाते हैं। इसमें यह बताया गया है कि 72 करोड़ रुपए का इस तरह से गबन किया गया है। भारत के नियंत्रण व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि यही स्थिति रही तो रेलों पर से लोगों का विश्वास हट जाएगा। 1977 से 1982 तक लगभग 77 करोड़ 86 लाख रुपए का रेलवे को घाटा हुआ। यह घाटा प्रतिवर्ष हो रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 1981-82 के बीच 4 लाख 6 हजार दावे किए गए। अब यह दावे 7 लाख 4 हजार के करीब पहुच चुके हैं। 1977-79 में स्वीकृत दावों की रकम 14.3 करोड़ रुपए थी, अब यह 21.9 करोड़ रुपए हो गई है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इसमें कौन सा मिनिस्टर, सांसद का उच्च अधिकारी शामिल है ? कैसे ये रेलवे रसीदें छप जाती हैं ? जब ज्यादा बात सदन में उठती है या अखबारों के माध्यम से आती है तो एक छोटा सा कर्मचारी मुअत्तल कर दिया जाता है। आप कहते हैं कि गड़बड़ी थी, इसलिए उसे व्यक्ति को सजा दी गई ? लेकिन, वह व्यक्ति इस विभाग में कैसे आया ? उसकी नियुक्ति किस प्रकार हुई ? उसका उच्च अधिकारी कौन है ? क्यों नहीं वह उस पर नियंत्रण करता ? इन सब बातों पर सोचने की आवश्यकता है। दो लाख की रेलवे में चोरी हो जाती है और एक माल-बाबू मुअत्तल कर दिया जाता है। एक लाख वह अपने पास रख लेता है और एक लाख उच्च अधिकारी को दे देता है ? ऐसी स्थिति में क्या होगा ? मैंने देखा है कि उच्च अधिकारी मिनिस्टरों के यहां जाकर गुट बनाते हैं और मंत्री जी से अपनी बात मनवाते हैं। इस प्रकार मंत्री जी अफसरों से दबे रहते हैं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मंत्री जी तो भोले-भाले हैं।

श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री : वे भी उसमें हिस्सेदार हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं। मंत्री जी को इनकी एसोसिएशन के सामने झुकना नहीं चाहिए। यह मुल्क के प्रति वफादारी का सवाल है। इनका ट्रांसफर जोन के बाहर होना चाहिए, उन पर मुकदमा चलाना चाहिए और इस मिली-भगत को समाप्त करना चाहिए।

आजकल हम देखते हैं कि रेलवे बोर्ड भी अजीब सा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने अधिकारियों ने इस वर्ष अकस्मात दौरा किया और चोरी को पकड़ा ? आज का अधिकारी या मंत्री एक तो सैलून में चलते हैं जब दौरे पर जाते हैं और जहां इनको जाना होता है वहां के लोगों को जानजारी देकर जाते हैं कि मंत्री जी, या रेजवे बोर्ड के उच्च अधिकारी आ रहे हैं। क्या ऐसे रेलवे के भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है ? कभी नहीं। अधिकारियों और मंत्री जी को गोपनीय ढंग से जाना चाहिए तब नियंत्रण हो सकता है, अन्यथा नहीं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : आज हर मिनिस्टर रेल में नहीं जाता । लेकिन वह मंत्री जी हैं जो कभी सैकन्ड क्लास या फर्स्ट क्लास में जाते हैं ।

रेल **मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० सी० के० जाफर शरीफ)** : परमानेंट क्लास तो हमारा सैकेन्ड ही है ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अच्छी बात है अगर आप चलते हैं । लेकिन आपका जनरल मैनेजर या डी० आर० एम० किस क्लास में यात्रा करते हैं ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : इंस्पेक्शन कैरिज में ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मंत्री जी बताऐं वाराणसी में पूर्वोत्तर रेलवे है वहां एक डी० आर० एम० है, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, वह अपने को बिल्कुल विश्वास दिलाता है और कहता है कि स्टेट मिनिस्टर के हम रिश्तेदार हैं । हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा । लेकिन उनका दावा है कि वह इनके रिश्तेदार हैं । मंत्री जी अपने उत्तर में बताएं क्या वह इनके रिश्तेदार हैं कि नहीं ? 5-6 महीने पहले इंटरसिटी ट्रेन चलायी गई गाजीपुर से बनारस और मऊ से बनारस के लिए चलने वाली इस ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए डी० आर० एम० ने 3 एम० पी० लोगों को बुलाया, और वह इतना सामप्रदायिक व्यक्ति है कि एक ही सामप्रदाय के एम० पीज० को बुलाया और खुले आम सत्ता अपनी पार्टी का प्रचार करवाया । और उस अधिकारी ने राष्ट्रीय झंडे का भी अपमान किया । 15 अगस्त को उसने झंडे को सैलूट नहीं किया । उस बारे में मैंने दोनों मंत्रियों को पत्र लिखे हैं, मेरे पास उस पत्र की कापी मौजूद है, डेट मौजूद है, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । माननीय उत्तम राठौर जी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी पत्र लिखा लेकिन उस पर भी आपने कोई कार्यवाही नहीं की ।

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : मुझे आपका पत्र प्राप्त हो गया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सही समय पर इस पर अवश्यक कार्यवाही करूंगा ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यदि ऐसा है तो हम आपको बधाई देते हैं । यह देश और विशेष जाति का अपमान है ।

प्रो० मधु दंडवते : वह आपको और सख्त कार्यवाही करने के लिए उकसा रहे हैं ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आपको गौर से देखना होगा कि कहां आपके प्रशासन के उच्च अधिकारी हैं और कहां आप हैं । 1980, 1981, 1982, 1983 में यह कहा गया कि कोयले की कमी है जिसके कारण जो भूतपूर्व रेल मंत्री थे उन्होंने गाड़ियां कैंसिल कर दी थीं । लेकिन आपने जब उस पर गौर किया इस वर्ष तो देखा कि कोयले की कमी है ही नहीं और आपने कैंसिल करने के बजाय 100 से अधिक नई गाड़ियां चलाईं । तो समझ में नहीं आता कि पहले कैसे कोयले की कमी थी । कौन झूठ बोलता था ? और अब वह कमी कहां चली गई ?

इस संदर्भ में हमें यह सूचना मिली है कि कोयले में काफी घोटाला होता है । आपको इसमें

फिर होशियार होना पड़ेगा । आपके डिपार्टमेंट में कोयले का रेक-बिजनेस होता था । मेरे पास इस बात का प्रमाण है और अगर आप चाहेंगे तो मैं उसे सभा-पटल पर रखने को तैयार हूं । पंजाब की एक पार्टी करोड़ों रुपए का रेक-बिजनेस में घोटाला करती थी । वहां ऐसे व्यक्ति थे जो लाखों-लाखों रुपया लेते थे । अगर आवश्यकता होगी तो मैं स्पीकर साहब के सामने नाम बताने को तैयार हूं, मेरे पास प्रमाण हैं ।

आपने क्या किया पता नहीं, जब उसकी इन्क्वायरी हुई, लेने-देन में कोई घोटाला या गड़बड़ हुई तो उसका कांट्रेक्ट कैंसिल हो गया । एक कलकत्ता का अधिकारी है, जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, यदि आवश्यकता होगी तो नाम भेज दूंगा, वह लाखों रुपए इस समय इसलिए खर्च कर रहा है कि उसको इस स्थान पर बैठा दिया जाए । उसमें कई लोग लगे हुए हैं और एक के हाथ हैं । आपको इस सम्बन्ध में भी ध्यान देना होगा ।

मैं आपके रेल बजट का अध्ययन कर रहा था । डी० एल० डब्लू० के बारे में उसमें कोई विशेष उल्लेख नहीं है । यह कारखाना हमारे घर के बगल में है । हम लोग डीजल रेल इंजन कारखाने को नए भारत का नया पवित्र तीर्थ-स्थल मानते थे । हमारी जमीनें इसमें काफी मात्रा में ली गईं । हम लोग उस समय बहुत छोटे होते थे और हम लोग आमरण भूख-हड़ताल भी इस बारे में उस समय कर रहे थे । तत्कालीन रेल मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री वहां गए थे और उन्होंने सब को देखा था और उस समय उन्होंने आश्वासन दिया था कि यहां पर जो भी काम होंगे, वर्कशाप बनेंगे, उसमें यहां के आदमियों को सिखाकर ट्रेन्ड करके रखा जाएगा । वहां पर आज बीसियों हजार कर्मचारी काम कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा इतना बड़ा काम किया गया था सो आज वहां पर उधर के कितने लोग काम कर रहे हैं । एक भी व्यक्ति वहां पर उच्च पद पर काम नहीं कर रहा है, 100, 200 आदमी छोटे पदों पर काम कर रहे हैं । उन लोगों की जमीनें ली गई हैं ।

मैं समझता हूं कि वहां पर दोनों रेल मंत्रियों में से आज तक कोई गया भी नहीं है जब कि 4 बरस से यह शासन चल रहा है । मैं बताना चाहता हूं कि वहां भ्रष्टाचार क्यों होता है - क्वार्टर में, पदोन्नति में, स्टोर के लिए सामान खरीदने, रद्दी सामान बेचने, अस्पताल की दवाओं में और इसके साथ ही नियुक्तियों में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां डी० एल० डब्लू० में भ्रष्टाचार न हो रहा हो ।

क्वार्टर का एक छोटा सा उदाहरण मैं और रख रहा हूं । वहां पर इस समय 15, 20 हजार कर्मचारी काम कर रहे हैं । क्वार्टर सभी के लिए नहीं हैं, लेकिन शैड्यूल्ड कास्ट के लिए एकदम क्वार्टर नहीं हैं । वहां पर जितने भी क्वार्टर बने, उसमें से 200, 300 क्वार्टर शिड्यूल्ड कास्ट को दिए गए हैं, बाकी सब अपर क्लास को दिए जाते हैं, जिनकी पहुंच होती है, उनको एलाट किए जाते हैं ।

एक हरिजन औरत को 2 दिन बाद बच्चा हुआ जबकि उसको दो दिन पूर्व गर्भवती की अवस्था में क्वार्टर से निकाला गया ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : कृपया मुझे निमन्त्रण दें। मैं वहां पर जांच के लिए आऊंगा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हम अभी निमंत्रण दे रहे हैं, आप चलिए। वहां कर्मचारियों से मिलिए, आपकी बड़ी कृपा होगी।

मैं आपको चोरी का भी उदाहरण दे दूं। वहां 2 साल पहले 11 लाख रुपये का पीतल, तांबे और जस्ता का माल मंगाया गया था। कलकत्ता से पार्सल बनारस कैंट पहुंचने के बाद फैक्टरी में गया और खोला गया तो उसमें लकड़ी का बुरादा, बालू और पत्थर के टुकड़े पाए गए। जब वह पार्सल कलकत्ता में ही था तभी उस पार्सल के मूल्य की लिस्ट आई और उसका पेमैंट भी कर दिया गया।

यह मामला हाउस में भी उठा था। इतनी बड़ी धांधली का नतीजा क्या हुआ?—एक छोटे हरिजन कर्मचारी, मन्साराम, को मुअत्तल कर दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि वहां के जी०एम० और पर्सोनेल आफिसर को मुअसल क्यों नहीं किया गया। उस कर्मचारी ने बार-बार कहा कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं हिन्दी में अपना बयान दूंगा, लेकिन उसको फांसने के लिए अंग्रेजी में उसका बयान लिया गया और उस पर दस्तखत कराए गए। वह भी जाफर शरीफ को दस बारह चिट्ठियां लिख चुका है। उसके परिवार के लोग रो-रो कर अपनी बात रेलवे मिनिस्टर के सामने रख चुके हैं। लेकिन अभी तक उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। यह समाजवाद है! मंत्री महोदय को ऐसे मामलों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं आपको एक उदाहरण देकर बताना चाहता हूं कि शिकायतों पर कार्यवाही करने के बारे में रेलवे की मशीनरी कितनी तेज है। एक घटना 19-5-83 को हुई। 20-5-83 को उसकी शिकायत की गई। जिस अधिकारी के पास हमने शिकायत की, उसने 8-6-83 तक कोई उत्तर नहीं दिया। दोबारा लिखने पर उसने 18-6-83 को उत्तर दिया, जिसमें कहा गया था कि मामले की जांच करवाई जाएगी। अभी तक उसकी कोई जांच नहीं हुई है। इस तरह के बीसियों उदाहरण हैं। जब हम मंत्री महोदय को पत्र लिखते हैं, तो पांच छः दिनों में उनका उत्तर आ जाता है, जिसमें कहा जाता है कि मामले को देखा जा रहा है। लेकिन अधिकारियों से जबाव आता है दो तीन महीने के बाद और फिर साल भर तक कोई एक्शन नहीं लिया जाता है।

प्रो० मधु दण्डवते : संसद सदस्य को अधिकारी को कभी भी नहीं लिखना चाहिए। उसे मंत्री महोदय को लिखना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री को पत्र लिख सकते हैं। आप मंत्री को लिखिए। तब मंत्री आपको उत्तर देंगे। आप अधिकारी को क्यों लिखते हैं?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हम हर मामले को मिनिस्टर के पास क्यों जाएं? हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के अधिकारी कैसे हैं?

मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि उनके मंत्रालय में अनुसूचित जातियों की स्थिति ज्यादा गौर करने योग्य है। पार-साल श्री राम विलास पासवान के एक प्रश्न के उत्तर में मिनिस्टर आफ स्टेट ने जवाब बताया था कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित चार हज़ार पदों का डीरिजर्वेशन कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या शिड्यूल्ड कास्ट के लोग ऐवेलेबल नहीं हैं और अगर सेवेलेबल हैं, तो क्या वे सूटेबल और कैपेबल नहीं हैं। डीरिजर्वेशन क्यों किया गया है ?

जैसा कि श्रीमती कृष्णा साही और अन्य सदस्यों ने कहा है, रेलवे स्टेशनों पर कैटरिंग की व्यवस्था बिलकुल असंतोषजनक है। मैं चुनौती देकर कहता हूं कि कैटरिंग के कुछ ठेकेदार और कर्मचारी शुद्ध क्रिमिनल हैं। वे लोगों के सामने से उनकी गठरियां उठा ले जाते हैं। उनको मालूम है कि किस प्लेटफार्म से कौन सा मकान किस जगह पर है, किसमें वह घुस गए, कुछ पता नहीं चलता और वह आदमी बेचारा तड़पता रहता है। आपकी पुलिस उनसे मिली हुई होती है।

शैड्यूल्ड कास्ट्स के नाम पर बहुत सारी कैटरिंग की व्यवस्था एलाट की गई है। उनके प्रति बड़ी हमदर्दी है। लेकिन मैं देखता हूं कि अधिकांश काम करने वाले बड़े-बड़े लोग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट का आदमी काम नहीं कर रहा है। आपको शेड्यूल्ड कास्ट के प्रति हमदर्दी है तो आपको चाहिए कि शेड्यूल्ड कास्ट के उन लोगों को जो लोग इस काम को करते हैं, जिनकी एसोसिएशन्स हैं उनको यह काम दें।

आपकी रेलवे लाइनों के किनारे बहुत सी जमीन पड़ी हुई है। कहीं यह जमीन आपने वन-विभाग को दी है कहीं कुछ लोगों ने इसी तरह कब्जा कर लिया है। मैं चाहूंगा कि यह जमीन शेड्यूल्ड कास्ट के किसानों को या भूमिहीनों को दी जाय। इससे देश का भी लाभ होगा और रेलवे विभाग को भी लाभ होगा। यदि वह जमीन उनको एलाट की जाती है तो उस पर अच्छी खेती करेंगे। वह उपजाऊ जमीन है। कहीं-कहीं उसमें गड्ढे भी हैं। उन लोगों को यह जमीन एलाट कर दी जाएगी तो वह उसमें अच्छा प्रोडक्शन करेंगे और उससे देश को और आपके रेलवे विभाग को काफी फायदा होगा, साथ ही हरिजनों को काम भी मिलेगा।

प्रोमोशन, ट्रांसफर और हैरेसमेंट ये तीन चीजें शेड्यूल्ड कास्ट के मस्तक पर बिलकुल कलंक की तरह रेलवे विभाग में लगी हुई हैं। इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ और जोधपुर के कुछ केसेज आप चाहेंगे तो मैं आपके पास भेजूंगा। आप देखिए कि क्या हरिजनों को इस मुल्क में न्याय मिल रहा है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : कृपया मुझे मामले भेजिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अब मैं आखीरी बात कह कर समाप्त करूंगा। वाराणसी कैन्ट स्टेशन पर हम बराबर आते हैं। वह हमारे घर के बगल में है और मेरा अपना स्टेशन है। उसके छोटी लाइन के प्लेटफार्म पर सवेरे चले जाइए। खाना खाकर या नास्ता करके जाएं तो उलटी हो जाएगी। सफाई का कतई वहां नाम तक नहीं है। तमाम गन्दगी फैली हुई है। सुबह का समय है, पैसेन्जर्स सब जगह से आते हैं क्योंकि धार्मिक स्थान है, लेकिन वहां की हालत देखिए तो···

श्री सी० के० जाफर शरीफ : वाराणसी इतना बड़ा स्टेशन है, पान खाकर लोग थूकते हैं क्या करें ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : उसकी सफाई करवाइए । लोग पान खाकर थूकते हैं तो सफाई करने वालों की ड्यूटी है कि उसको साफ करें । उनसे साफ करवाइए ।

वहां से एक डीजल ट्रेन बलिया को जाती, एक गौहाटी मेल है और उसी समय एक भटनी पैसेन्जर जाती है, उन तीनों का रेकार्ड मंगाकर देख लीजिए, 365 दिन में 300 दिन ये ट्रेन्स एक-एक घण्टा देर से चलती हैं । एक फैजाबाद बरवाडीह पैसेन्जर भी है, ये तीनों ट्रेन्स वहीं से बनकर चलती हैं; फिर क्यों इतना विलम्ब होता है ? वैसे तो देश भर में ट्रेनों के विलम्ब से चलने की शिकायत है, आपने उसमें बहुत सुधार किया है···

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : हाउस में कोरम ही नहीं है, बाकी कल बोल लीजिएगा ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हमारी स्पीच अभी बाकी है, कोरम नहीं है, जब तक कोरम पूरा नहीं होगा मैं नहीं बोलूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : कोरम की घन्टी बजाई जाए—

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बज रही है—अब कोरम है । श्री शास्त्री आप अपना भाषण समाप्त करें । आपने अपने निर्धारित समय से अधिक समय ले लिया है । अभी कई बात बाकी हैं । कृपया भाषण समाप्त करें ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको बधाई दूं कि आपने कोरम के मसले को ठीक किया, इस पर महत्त्वपूर्ण विषय पर आपने कोरम को पूरा करवाया ।

जैसा कि मैं पहले कह रहा था यह जो गाड़ियां हैं—गौहाटी मेल, बरवाडीह-फैजाबाद पसेंजर और डीजल ट्रेन जोकि सुबह चलने वाली हैं और उसके बाद दूसरी पसेंजर्स भी है उनकी जांच की जाए तो यह पता चलेगा कि वर्ष के 365 दिनों में 300 दिन वह विलम्ब से चलती हैं । विलंब से यह क्यों चलती हैं, इसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए और उनको नियंत्रण में लाना चाहिए ।

गाजीपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा स्थान है, वहां पर कि आज भी अस्पताल नहीं है । सादात स्टेशन जहां की पोपुलेशन लगभग डेढ़ लाख के बराबर है, आश्चर्य है कि वहां पर कोई भी मेल या एक्सप्रैस गाड़ी आज नहीं रुकती है । मैं चाहूंगा कि भटनी-वाराणसी लाइन पर सादात स्टेशन पर भी मेल एक्सप्रैस गाड़ी को रोकने की व्यवस्था करें । वाराणसी के अतिरिक्त गाजीपुर, बलिया, सादात ये सब ऐसे स्थान हैं, जहां पर कि इनके बीच में कहीं पूर्वी रेलवे का बड़ा अस्पताल होना चाहिए । इसके साथ-साथ उच्चतर माध्यमिक, मध्यम माध्यमिक विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि वहां के कर्मचारियों को सुविधा हो सके ।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ओडिहार एक ऐसा स्टेशन है, जिससे बनारस के लिए, भटनी और गोरखपुर के लिए, बलिया और गाजीपुर के लिए एक सैन्ट्रल स्टेशन है, इस स्टेशन पर बहुत अव्यवस्था है, दिन में ही वहां पर लूट हो जाती है। इन स्थानों पर कोई भी आदमी बच नहीं सकता है। बरसात के दिनों में वह अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। ऐसे स्थानों पर शैड लगाने की जरूरत है। वहां पर एक बहुत बड़ा भवन बनाने की जरूरत है। इसके साथ-साथ जौनपुर उत्तर रेलवे का एक ऐसा स्थान है, इस स्टेशन पर भी बहुत अव्यवस्था है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उधर जो गाड़ियां चल रही हैं, उनमें लाइट नहीं होती है, जिसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

इन्हीं चन्द बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि रेलवे विभाग के अधिकारियों पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए और जो ऊंचे अधिकारी हैं, उनसे कभी डरना नहीं चाहिए, उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पूरा सदन आपके साथ हैं।

श्री के० टी० कोशलराम (तिरुचेंदूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1984-85 के रेल बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

एक माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री के० टी० कोसलराम : मैं इसके कारण दूंगा। आरम्भ में, मैं कहना चाहूंगा कि विपक्षी नेता खासकर मेरे घनिष्ट मित्र प्रो० मधु दण्डवते जो कि खुद एक भूतपूर्व रेल मंत्री हैं, ने 'चोर से कहना चोरी कर और शाह से कहना जागते रहो' वाली नीति का अनुसरण किया है। मैं इस मुद्दे पर बाद में बात करूंगा।

हमारे रेल मंत्री यथार्थवादी रवैये के लिए प्रसंशा के पात्र हैं। मुझे दुःख है कि 'प्रतिगामी' और 'अकल्पनाशील' जैसी गलत टिप्पणियों का प्रयोग किया है।

प्रो० मधु दण्डवते : मंत्री महोदय के विरुद्ध—कुछ भी नहीं कहा गया है।

श्री के० टी० कोसलराम : मुझे इससे खुशी हुई है।

मैं अपना भाँपण, रेलवे के वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ ठोस सुझाव देने तक सीमित रखूंगा। रेलवे के पास 8.30 लाख एकड़ कुल भूमि है, जिसमें से केवल 5.56 लाख एकड़ का उपयोग रेलवे स्वयं कर रही है। इस प्रकार रेल प्रशासन के बाद 2.74 लाख एकड़ फालतू भूमि उपलब्ध है। इसका वर्तमान मूल्य लगभग 15,000 करोड़ रुपए लगाया गया है। यदि रेल प्रशासन 15,000 करोड़ रुपए की इस निष्क्रिय पूंजी के उचित उपयोग हेतु उपयुक्त पग उठाता है तो जैसा कि इस वर्ष के बजट में प्रस्तावित किया गया है, यात्रियों से 104 करोड़ रुपए इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मैं समझता हूं कि रेल प्रशासन के पास अपनी सारी भूमि पर स्वामित्व सिद्ध करने के लिए पट्टा और पूरे भूमि रिकार्ड नहीं हैं। अक्तूबर 1982 में, रेलवे की सारी भूमि, जिस पर लोगों ने अनधिकार कब्जा किया हुआ है, 7032 एकड़ पायी गयी। मैं मांग करता हूं कि

रेलवे को प्राप्त सारी भूमि का पूरा-पूरा उपयोग करने के प्रश्न पर विचार करने तथा उपयुक्त संस्तुतियां देने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाए।

यहां मैं दुर्घटनाओं में हताहत व्यक्तियों को मुआवजा देने, ऐसी दुर्घटनाओं में स्थायी परिसम्पत्तियों को पहुंची क्षति, हानि, टूट-फूट, चोरी और भीतरी चोरी का मुआवजा देने से 1982-83 में रेलवे को हुए कुल नुकसान के बारे में बताना चाहता हूं। दुर्घटनाओं के कारण रेल सम्पत्ति को 80.93 करोड़ रुपए की हानि हुई और दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को दिया गया मुआवजा 12.38 करोड़ रुपए था। माल के नुकसान और टूट-फूट के कारण दिया गया मुआवजा 21.90 करोड़ रुपए था। यदि रेल प्रशासन दुर्घटनाओं तथा चोरी और भीतरी चोरी को कम करने के लिए पग उठाता है तो चालू परियोजनाओं के लिए रेलवे को और अधिक धन उपलब्ध हो सकता है। इस समय 46 चालू परियोजनाएं हैं, जिनके लिए 1000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। किन्तु धनाभाव के कारण ही रेल मंत्री सारा धन चालू परियोजना को नहीं दे पाते हैं। उन्होंने केवल 90 करोड़ रुपए की अल्पराशि ही दी है। इसलिए मैं चोरियों और भीतरी चोरियों के कारण होने वाली क्षति को कम करने तथा रेल-दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण पाने हेतु सक्रिय पग उठाने की मांग करने के लिए विवश हूं।

अब, मैं अपने राज्य तमिलनाडु पर आता हूं। स्वतन्त्रता के बाद से, तमिलनाडु राज्य में रेल का बहुत अधिक विकास नहीं हुआ है। तमिलनाडु के बड़े भाग में मीटर गेज लाइनें हैं। 1981-82 में मेरे हस्तक्षेप तथा मेरे साथी और परम प्रिय प्रधानमंत्री के आग्रह पर करूर-डिंडिगल-टूरिकोरिन-तिरुनेलवेली बड़ी लाइन को भी रेल बजट में शामिल कर लिया गया था। मेरे मित्र, श्री जाफर शरीफ ने भी इसमें सहायता की थी। इन तीन वर्षों के दौरान 40 करोड़ रुपए की परियोजना पर केवल 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 1984-85 में इसके लिए 4 करोड़ रुपए की राशि अलग से रखी गई है, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। किन्तु इस गति से तो इस परियोजना को पूरा होने में और दस वर्ष या उससे भी अधिक समय लग सकता है। तमिलनाडु विशेषकर तिरुनेलवेली, मदुराई, रामनाथपुरम, तिरुचरापल्ली के लोगों में इस बात से काफी बहुत अधिक रोष है। सर्वत्र हड़ताल हो रही है, भूख हड़ताल हो रही है। अतः इस परियोजना, जो राज्य के पिछड़े और दीर्घकालिक सूखे से प्रभावित क्षेत्रों को रेल से जोड़ने के लिए आवश्यक है, के लिए उचित राशि का आबंटन करना जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कोसलराम, इसी कारण उत्तर और दक्षिण को बड़ी लाइन से जोड़ा जाएगा।

श्री के० टी० कोसलराम : महोदय, आप ठीक कह रहे हैं और इसके लिए मैं अपका बहुत आभारी हूं। (**व्यवधान**)

श्रीमान्, आपको 10 करोड़ रुपए आबंटित करने चाहिए। मैं एक घटना को पुनः स्मरण कराना चाहूंगा। वर्ष 1948 मे, मैं मद्रास विधान सभा का सदस्य था, उस समय, तत्कालीन लोक-निर्माण विभाग मंत्री श्री भक्तवत्सलम् ने यह कहकर मुझे सभा में चुनौती दी थी : "यदि माननीय

सदस्य । करोड़ रुपए का ऋण इकट्ठा कर लेते हैं, तो सरकार मनिमुतार सिंचाई परियोजना को अपने हाथ में ले सकती है ।" मैंने तत्काल वह चुनौती स्वीकार कर ली । मैंने कहा, तीन दिन के भीतर ही मैं ऋण इकट्ठा करने को तैयार हूं । आप ऋण जारी कीजिए । तीन दिन के भीतर ही मैंने 1.25 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए और मनिमुतार सिंचाई-परियोजना जनता के प्रयासों का एक जीता-जागता उदाहरण है । इसी प्रकार, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं : आप इस विशेष प्रयोजना के लिए ऋण एकत्र कीजिए -- 22 या 32 करोड़ --जो भी घाटा हो । मदुराई-रामनाथपुरम तिरुनेलवेली चैम्बर पहले ही एक प्रस्ताव पास कर चुका है कि आप ऋण जारी कीजिए । जितना जल्दी सम्भव हो, एक सप्ताह के भीतर या दो दिन के भीतर, हम इसे एकत्र करने के लिए तैयार हैं । श्रीमन्, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं । इस मामले में, यदि आप बजट पर चर्चा समाप्त होने से पहले ही आज इसकी घोषणा कर देते हैं । इस विशेष प्रयोजन के लिए यदि आप ऋण जारी कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि ··

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : माननीय सदस्य से मुझे, क्षमासहित कहना होगा, जैसा कि आप जानते हैं, कि हम वित्त और योजना मंत्रालय की स्वीकृति के बिना कोई निधि एकत्र नहीं कर सकते हैं । अत: मुझसे कहने की बजाय कृपया आप वित्त और योजना मंत्रालय से कहिए, मैं तो करने में लिए तैयार हूं । इसमें क्या है मुझे ऐसा करने से कौन रोकता है ?

प्रो० मधु दण्डवते : वह अनुरोध कर रहे हैं कि आपको प्रधानमंत्री पर अपने प्रभाव का उपयोग करना चाहिए ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : अपने प्रभाव का उपयोग कर मैं 4 करोड़ रुपए पहले ही दे चुका हूं । और मुझे केवल इसी परियोजना की नहीं, वरन् सारे देश की परियोजनाओं के लिए व्यवस्था करनी होगी । मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि जो भी मैं दे सकता हूं, निश्चित रूप से दूंगा । देखते हैं, इसमें क्या प्रगति होती है ।

श्री के० टी० कोसलराम : मैं इस बारे में पहले ही अपने मित्र, वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी और परमप्रिय प्रधानमंत्री को लिख चुका हूं । मैं यह बात केवल आपको नहीं सुझा रहा हूं वरन् वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को भी मैंने ऐसा सुझाया है । मैं उन्हें बहुत से अर्द्ध-शासकीय पत्र लिख चुका हूं । अत: आपको अपने प्रभाव का उपयोग करना चाहिए ।

एक माननीय सदस्य : आपको उत्तर मिला है ?

श्री के० टी० कोसलराम : सामान्यतया मुझे मंत्रियों से पावतियां ही मिली हैं । अत: परम-प्रिय प्रधानमंत्री पर आपको अपने प्रभाव का उपयोग करना चाहिए । मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि वह देश की प्रधानमंत्री हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : न केवल आपको पावतियां मिली हैं वरन् आपने यह भी मान लिया है कि वह आपकी परमप्रिय प्रधानमंत्री हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कोसलराम, सरकारी उपक्रम ऋण एकत्र कर रहे हैं, लोगों से धन जमा करने के लिए कहा गया है। रेलवे भी एक सरकारी उपक्रम ही है। वे यह नीति क्यों नहीं अपना लेते।

श्री के० टी० कोसलराम : श्रीमन्, रेलवे एक वाणिज्यिक उपक्रम है।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ सरकारी उपक्रमों में जमा कराने की नीति स्वीकार कर ली गयी है और लोग कुछ राशि जमा करते हैं और उस राशि का उपयोग सरकारी उपक्रम में किया जाता है। रेलवे इस कार्यप्रणाली को क्यों नहीं अपना लेता? वे इसे क्यों नहीं आरम्भ करते?

श्री के० टी० कोसलराम : श्रीमन्, यह एक सरकारी विभाग है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सोचता हूं कि यदि इसे एक निगम बना दिया जाए तो यह किया जा सकता है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : रेलवे एक विभाग माना जाता है। यही मूलभूत कठिनाई है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : वह सरकार है।

(**व्यवधान**)

श्री के० टी० कोसलराम : रेलवे बोनस दे रहा है। अतः आपको अच्छी प्रकार से जान लेना चाहिए कि यह सरकारी क्षेत्र का वाणिज्यिक उपक्रम हो सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने भी यही सुझाव दिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : वह उत्पादिकता से जुड़ा बोनस है।

श्री के० टी० कोसलराम : जो भी हो, यह सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह कुछ रुपया चाहते हैं।

श्री के० टी० कोसलराम : मैं अनुरोध करता हूं कि आप इस पर प्रभावी रूप से ध्यान दें तथा प्रधान मंत्री पर तत्काल अपने प्रभाव का उपयोग कीजिए।

मदुराई से मनिआची तक केवल दोहरी लाइन बिछाई गई है; वर्तमान मीटरगेज लाइन के साथ समानान्तर लाइन नहीं बिछाई गई है। कन्याकुमारी से मद्रास तक यात्रा करने वाले लोगों के लिए इससे बहुत समस्याएं पैदा हो जाती हैं। क्या आपने डिंडिगल से मदुराई, मानिआची से टूटीकोरिन और मनियाची से तिरुनेलवेली तक समानान्तर लाइन बिछाई है? मदुराई से मानिआची तक समानान्तर लाइन क्यों नहीं बिछवाई है? इससे तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों से मद्रास आने वाले यात्रियों की परेशानियां बहुत हद तक दूर हो जाएंगी।

मैं निम्नलिखित नई लाइनों--जो तमिलनाडु के आर्थिक उन्नयन के लिए आवश्यक हैं--

का सुझाव देता हूं जिस पर रेल मंत्री महोदय को गम्भीर रूप से विचार करना चाहिए :

(1) होसर, कृष्णगिरि-तिरुवन्नामलई को पांडिचेरी के साथ जोड़ने वाली बंगलोर-पांडिचेरी लाइन;

(2) घनी आबादी वाले पेरियार जिले और औद्योगिकृत कोयमबटूर जिले तथा तीर्थ स्थल पलानी शहर को कर्नाटक के साथ जोड़ने वाली चामराजनगर-पलानी लाइन;

(3) डिंडिगल—कंबुम लाइन ।

मद्रास और टूटिकोरिन—उत्तर-दक्षिण में लगभग 700 कि०मी० की दूरी—को तय करने वाली मीटरगेज लाइन की सीमित सुविधाएं होने के कारण उत्तर से दक्षिण की ओर आवश्यक माल लाने ले जाने में गम्भीर रूप से परेशानी होती है । मद्रास काफी लम्बे समय से इस बड़े क्षेत्र में बड़ी लाइन बिछाई जाने के लिए केन्द्र पर दबाव डालता रहा है । टूटिकोरिन और रामनाथपुरम पट्टी में बड़े उद्योगों की स्थापना के साथ यदि इस क्षेत्र में बड़ी लाइन बिछाने की योजना को स्वीकृति दे दी जाए तो उत्तर की ओर भी पर्याप्त आवागमन आरम्भ हो जाएगा ।

मैं आपकी ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि जब कभी भी महा-प्रबन्धक किसी नए भवन का उद्घाटन करते हैं, तो वे उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक और संसद सदस्य की बिलकुल भी परवाह नहीं करते हैं । वे राज्य मंत्रियों और अन्य व्यक्तियों को आमंत्रित करते हैं । हाल ही में, तिरुनेलवेली जंक्शन के भवन का उद्घाटन हुआ था । संसद-सदस्य को न तो निमंत्रित किया गया था और न ही निमन्त्रण-पत्र में उनका नाम था । तिरुचेन्दूर स्टेशन की आधार-शिला तिरुचेन्दूर में महा-प्रबंधक द्वारा रखी गई और इस समारोह की अध्यक्षता मुख्य अभियन्ता ने की थी । मैं उस क्षेत्र के आठ लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं । मुझे उस समारोह में आने को सही प्रकार से नहीं कहा गया था । क्या माननीय मंत्री इस बारे में स्पष्ट अनुदेश जारी करेंगे कि संसद-सदस्यों को भी ऐसे समारोहों में आमन्त्रित किया जाना चाहिए और निमंत्रण-पत्रों में उनका नाम शामिल होना चाहिए तथा आधार-शिला पर भी उनका नाम होना चाहिए ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : हम इस सम्बन्ध में अवश्यक निर्देश जारी कर देंगे ।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : मैं 3 लाख रेल-कुलियों की ओर से मंत्री महोदय से एक अपील करता हूं । इस वर्ग के लिए भी कुछ करने की बात मैं इस सभा में अनके बार कह चुका हूं । आप जानते हैं कि इस वर्ग के लोग किस श्रेणी में आते हैं ? आजकल इन लोगों की कोई सुरक्षा नहीं है । उनकी सेवा की कोई शर्त नहीं है । उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता है । उनके बच्चों के लिए नौकरी में आरक्षण भी नहीं है । मैं आपसे अपील करता हूं कि इस वर्ग के लोगों को भी

सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए तथा इनके लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। समाज के निचले और कमजोरतम वर्ग के लिए यह एक बहुत बड़ी सहायता होगी। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस पर गम्भीर रूप से विचार करेंगे तथा इस वर्ग के लोगों के लिए कुछ करेंगे। इस वर्ग में अधिककतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा समाज के निचले तबके के लोग हैं। मैं नहीं जानता हूं कि हम क्यों उनकी उपेक्षा कर रहे हैं ? मैंने कुछ दिन पहले ही मंत्री जी को ज्ञापन दिया है तथा मुंहजबानी भी इस विषय को बताया था। मेरे विचार से वह इस विषय में कुछ न कुछ जरूर करेंगे। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस विषय में तुरन्त कदम उठायें।

दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना है पश्चिम तटीय लाईन। क्या यह बेकार है ? क्या इस परियोजना में कोई प्रगति हुई है ? उस लाइन का भविष्य क्या है ? यह सभी दक्षिणी क्षेत्रों को लाभान्वित करने के लिए एक वृहद योजना है। मैं इस सदन में पिछले तीन वर्षों से यह मांग करता आ रहा हूं तथा प्रो० मधु दण्डवते जो कि यहां उपस्थित हैं वह भी मुझसे सहमत होंगे। हम दोनों ही इस परियोजना के लिए अधिक धन के आबंटन के लिए तथा कार्य को शीघ्र आगे बढ़ाने व गम्भीरता से इस विषय को लेने के लिए बार-बार आग्रह करते आए हैं। अगर परियोजना पूरी हो जाती है, तो सम्पूर्ण पश्चिम-तटीय क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक व अन्य क्षेत्रों में भी बहुत प्रगति कर सकता है। जहां तक रेलों का सम्बन्ध है यह एक महत्वपूर्ण लाइन है। किन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि सिर्फ 62 किलोमीटर तक ही कार्य पूरा किया गया है; यह जानकारी मेरे प्रश्न के उत्तर में दी गई है। मैंने मंत्री जी से अपील की है कि वह इस कार्य को गम्भीरता से लें तथा प्राथमिकता देकर इसे जल्दी ही पूरा कराने की व्यवस्था करें; अधिकारियों से कार्य करने को तथा इसे जल्दी ही पूरा करने के लिए कहें। यह कार्य 10 या 20 वर्ष ले सकता है। किन्तु इस कार्य को शूरू तो करें तथा इसे पूरा करने के विषय में गम्भीर प्रयास करें। मैं एक बार फिर से मंत्री जी से अपील करता हूं कि वे इस विषय को गम्भीरतापूर्वक लें।

श्री के० टी० कोसलराम रेलों के वित्तीय पहलू के बारे में कह रहे थे। जैसा कि मंत्री जी ने कहा वह बहुत ही ठीक है कि यह निश्चय करना उनका कार्य नहीं है। इस दिशा में भी, हम गम्भीरता से प्रयास कर सकते हैं तथा धीरे-धीरे उत्तोरत्तर सफलता प्राप्त करते हुए इस कार्य को कर सकते हैं।

तीसरी बात जो कि हाल ही में मैंने कही थी वह केरल राज्य में कोच फैक्ट्री की मांग के बारे में थी। मंत्री महोदय ने कहा कि इस विषय को रेलवे के तकनीकी विंग की तकनीकी समिति को भेज दिया गया है। चाहे कुछ भी तकनीकी बातें अन्तर्ग्रस्त हों हम अनेक वर्षों से केरल में कोच फैक्ट्री लगाने की मांग करते रहे हैं। एक के बाद एक हमारे मुख्य मंत्री इसके लिए अभ्यावेदन करते रहे हैं। हमारे मंत्रियों ने अभ्यावेदन किए हैं। हमारे संसद सदस्यों ने भी अभ्यावेदन किए हैं। और अब माननीय मंत्री जी कहते हैं कि इस विषय को तकनीकी सलाहकार समिति को भेज दिया गया है तथा उसकी रिपोर्ट का इन्तजार है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध कर सकता

हूं कि वह इस मामले को देखें तथा इसे शीघ्र निष्पादित करायें और केरल में कोच फैक्ट्री खुलवायें। रेलवे के मामले में हम सबसे अधिक अपेक्षित लोग हैं। सबसे अधिक बेकार तथा कंडम बोगीयां केरल को भेजी जाती हैं। प्रो० मधु दण्डवते मुझसे सहमत होंगे कि रद्द की गयी बोगियां हमारे यहां भेजी जाती हैं। एक रात मैंने बंगलौर से कोचीन का सफर किया। उस डिब्बे में कोई शौचालय ही नहीं था। शौचालय इतने खराब होते हैं कि उनमें जग लगा हुआ होता है व पानी रिसता है। हम कहां जा सकते हैं ? केरल की ओर चलने वाली सभी गाड़ियों की यह आम शिकायत है।

प्रो० मधु दण्डवते : कुछ बोगियां तो इतनी खराब हैं जिनमें कि यात्री तक भी बाहर गिर जाते हैं।

श्री जेवियर अराकल : हमें खुशी है कि मंत्री जी ने केरल में दो नई गाड़ियों की शुरूआत कर दी है। हम इसकी सराहना करते हैं किन्तु साथ ही, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस पहलू पर भी ध्यान दें।

तीसरा बात यह है कि एर्णाकुलम जंक्शन पर 2 करोड़ रुपए की लागत का एक छोटा डीजल वर्कशाप है। वहां पर काफी मात्रा में जमीन उपलब्ध है। यह शहर के बीचों बीच है। इसे बदल कर पूर्ण रूप से विकसित डीजल वर्कशाप बनाया जा सकता है। त्रिवेन्द्रम तथा दूसरे इलाके भी इससे अच्छी तरह जोड़े जा सकते हैं तथा हम वहां पर पूर्ण विकसित डीजल वर्कशाप बना सकते हैं। माननीय मंत्री जी ने एरणाकुलम-एलप्पी लाइन के लिए केवल 2 करोड़ रुपए की राशि का आबंटन किया है। क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि इस हिसाब से इसको पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा ? अब वे कहेंगे कि हमारे पास धन की कमी है। हर बार इसमें विलम्ब होता हैं। मूल्य बढ़ते जा रहे हैं तथा कार्य में कोई प्रगति नहीं है। आखिरकार नुकसान होता है ? इस पुनरावर्ती हानि को कौन पूरा करेगा ? मैं मंत्री से अपील करता हूं कि वह इसके लिए अधिक धन दें तथा अधिकारियों से समय पर कार्य समाप्त करने के लिए कहें।

आखिरी बात एरणाकुलम टाउन तथा एरणाकुलम जंक्शन स्टेशनों के बारे में है। उनके प्लेटफार्म बहुत ही छोटे हैं। बोगियों को प्लेटफार्म के बाहर ही रोकना पड़ता है, विशेषतौर पर एरणाकुलम टाउन स्टेशन पर। ये कुछ बाते हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता था।

मैं फिर से रेल मंत्री जी से अपील करता हूं कि वे रेलवे कुलियों की दुर्दशा पर विचार करें तथा इस विषय को गम्भीर रूप में लें। मैं उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया।

6.00 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

56वां प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 56वां प्रतिवेदत प्रस्तुत करता हूं ।

6.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 6 मार्च, 1984/16 फाल्गुन, 1905 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

दी इण्डियन प्रेस रानी बाग दिल्ली-34